खण्ड-406, अंक-8
बुधवार, 23 वैशाख, शक संवत् 1914
(13 मई, 1992 ई0)

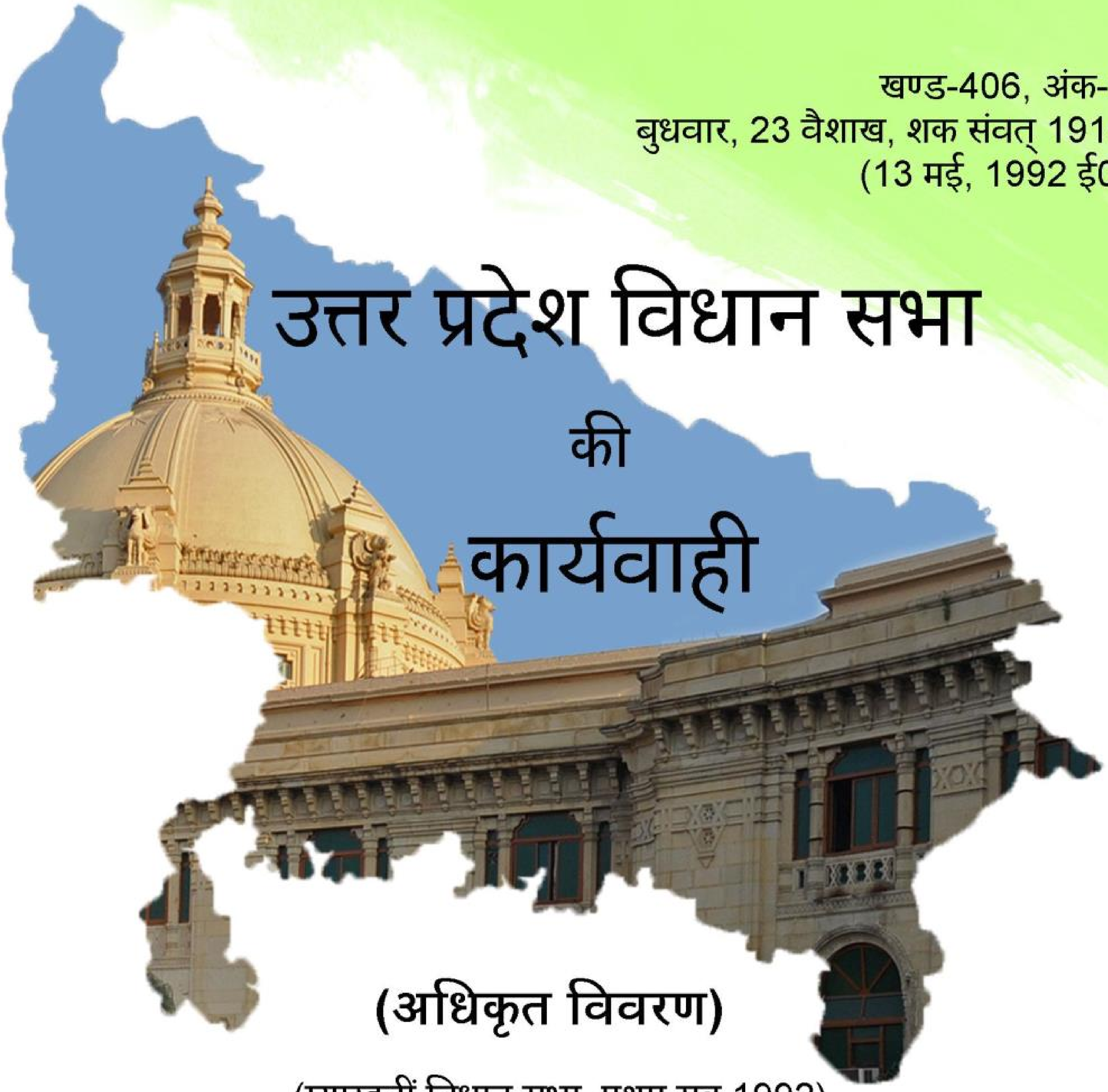

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## की

# कार्यवाही

## (अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 406 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1992

---

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

## विषय सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य- | |
| जनपद मेरठ के मोदी पुरम् में श्रमिकों पर कथित पुलिस अत्याचार विषयक सूचना को उठाने का प्रयास .. .. .. | 1 |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. | 1-94 |
| विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शिव राज वली सिंह, श्री अजब सिंह, श्री हरदेव सिंह, श्री मनसा राम, श्री सुखलाल, श्री लक्खी सिंह, श्री किशन सिंह, श्री जुल्फिकार अली खां तथा डा0 रमा बल्लभ मिश्र के निधन पर शोकोद्गार .. .. .. | 94-109 |
| पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना शासन द्वारा समय से उपलब्ध कराये जाने के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्देश .. .. | 110 |
| नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें .. .. .. | 110-111 |
| जनपद फिरोजाबाद में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में निमय 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 111-112 |
| जनपद बस्ती स्थित भूमि विकास बैंक की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 112 |
| प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग जनपद बदायूं द्वारा हरे बृक्षों को कटवाये जाने तथा भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 112-113 |
| जनपद बांदा के ग्राम पैलानी में पैलानी घाट तिराहे पर पार्क बनवाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 113 |
| लखनऊ के अलीगंज सीतापुर रोड पर स्थित एल0के0एस0 राजकीय कालोनी में आवश्यक सुधार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 113-114 |
| उत्तर प्रदेश वन सेवा नियमावली 1952 के नियम 4 के प्रथम परन्तुक के हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करणों में विरोधाभास को दूर करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 114 |
| जनपद बांदा के अधिशासी अभियन्ता नलकूप प्रखण्ड बांदा द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच टी0ए0सी0 से कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 114-115 |
| जनपद बदायूं के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नियुक्तियों में धांधली किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 115-116 |
| लखनऊ के मोहल्ला महमूद नगर की गली में सीवर लाइन के व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 116 |
| जनपद बलिया के ग्राम भरौली स्थित राम लीला मैदान की सुरक्षा करने तथा अतिक्रमण हटाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 116-117 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद बांदा में पैलानी गलौली मार्ग में कानाखेड़ा से नरायण तक नया सम्पर्क मार्ग बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 117 |
| जनपद बहराइच में भिन्गा सिरसिया चौधरी डीह मार्ग में क्षतिग्रस्त पाइल सेतु के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 117-118 |
| जनपद बांदा नगर के मोहल्ला खाईपार में नजूल भूमि पर बने मकानों के पट्टे शासनादेश होने के बाद भी न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 118 |
| ग्राम खरगपुर के मजरा पंडित का पुरवा जनपद प्रतापगढ़ का विद्युतीकरण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 118 |
| जनपद अलीगढ़ के सिकन्द्राराऊ नगर के राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 119 |
| जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज के अन्तर्गत महुला गढ़वाल बांध का निर्माण कार्य पूरा कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. .. | 119 |
| जनपद इलाहाबाद के झूंसी क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 119-120 |
| जनपद गोण्डा के ग्राम कमरपुर में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 120 |
| जनपद रामपुर के विकास खण्ड शाहाबाद के कतिपय गांवों के निवासियों के नाम आई0आर0डी0 तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट योजनाओं के तहत स्टेट बैंक शाखा ढकौली के अधिकारियों द्वारा फर्जी ऋण निकालने की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 120-121 |
| जनपद बस्ती के गन्ना मिल बस्ती व वाल्टरगंज द्वारा पिछले तीन माह का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 121 |
| जनपद इलाहाबाद के दुआबा क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. .. | 121-122 |
| मुण्डेरा बाजार चौरी चौरा जनपद गोरखपुर में सरैयां शुगर फैक्ट्री लि0 सरदारनगर के प्रदूषित पानी से फरेन नदी के जल में प्रदूषण उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 122-123 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद बदायूं के दातागंज क्षेत्र में रामगंगा नदी के किनारे कतिपय गांवों की उपजाऊ भूमि में भागा (टांट) घास उगने से हजारों एकड़ भूमि की बर्बादी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 123 |
| जनपद फैजाबाद के कल्याणपुर छिसौना (आगागंज बाजार) में अनुसूचित जाति के लोगों पर हुये कातिलाना हमले के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 124 |
| जनपद पीलीभीत में पीलीभीत नगर पालिका की सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से गन्दगी एवं बीमारियों के फैलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 124-125 |
| जनपद लखीमपुर खीरी के राजकीय अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क दवा एवं उपचार उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 125 |
| विद्युत विभाग, बांदा में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 125-126 |
| जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद में उ0प्र0 औद्योगिक निगम द्वारा भूमि बिना अधिग्रहण किये तथा बिना प्रतिकर दिये औद्योगिक इकाइयों को बेचने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 126 |
| ग्राम नगरिया खुर्द शाहजहांपुर में विश्वबैंक द्वारा निर्मित नलकूप की मरम्मत एवं विद्युत व्यवस्था ठीक किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 126-127 |
| जनपद इटावा के ग्राम पुरवा भवानी मौजा हरचन्द्र पुर में भीषण अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को राहत देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 127 |
| जनपद रायबरेली के हलोर तिलेण्डा मार्ग की मरम्मत कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 127 |
| शासन की औषधि क्रय नीति समस्त लघु उद्योग औषधि की इकाइयों के हितों के विपरीत होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 127-128 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद फिरोजाबाद में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के निरस्तीकरण व आवंटन में गम्भीर अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 128 |
| जनपद जालौन के बेतवा नहर प्रणाली टेल क्षेत्रों में रबी की फसलों के सूखने के कारण राजस्व बकाये की वसूली रोके जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 129 |
| समादेश क्षेत्र के विकास परियोजना, इकाई शाहजहांपुर के उपराजस्व अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 129-130 |
| प्रदेश के विभागीय लेखा निदेशालय में उच्चाधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना .. .. .. .. | 130-131 |
| स्वास्थ्य विभाग की विद्युत यांत्रिक अभियन्त्रण सेवाओं में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. .. | 131-132 |
| जनपद टिहरी गढ़वाल में गूलर मोटर मार्ग के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 132 |
| ताल सलोना कैनाल आजमगढ़ के अजमतगढ़ की नाली एवं पम्प की खराबी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 132 |
| जनपद आजमगढ़ के जीयनपुर कस्बे के पास आजमगढ़ गोरखपुर राजमार्ग पर औद्योगिक आस्थान विकसित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 133 |
| जनपद आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्र में राज्य सेक्टर से स्वीकृत सड़कों हेतु धन अवमुक्त कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 133 |
| जनपद वाराणसी में दर्जनों अभियन्ताओं के निलम्बन तथा वैकल्पिक विद्युत कर्मचारियों के भुगतान को राज्य विद्युत परिषद् द्वारा रोक दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 133-134 |
| जनपद देहरादून के लखवाड़ी व्यासी बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों को भूमि एवं सम्पत्ति संबंधी बकाये का भुगतान न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 134 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| वाराणसी शहर एवं देहाती क्षेत्रों में भय और आतंक व्याप्त होने तथा अपराधों पर नियंत्रण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 135 |
| जनपद बांदा के ब्लाक चित्रकूट के अन्तर्गत परसौंजा भरकोली मार्ग के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 135 |
| जनपद बांदा के कर्वी-राजापुर मार्ग का अवशेष भाग को पूरा कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 135-136 |
| जनपद बांदा के ब्लाक पहाड़ी के अन्तर्गत पहाड़ी कुलवारा बरेठी, व्यौहरा, लौहदा मिर्जापुर मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 136 |
| मुरादाबाद देहली रोड पर मझौली पर अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 136 |
| जिला परिषद् मुजफ्फरनगर द्वारा सम्पर्क मार्गों की पूरी लम्बाई तक निर्मित कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 137 |
| श्री मदल नारायण उपाध्याय तत्कालीन चालक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के निधन के फलस्वरूप उनके समस्त देयों का भुगतान उनकी विधवा को कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. .. | 137-138 |
| जनपद मेरठ के प्रस्तावित सकौती-महलका मार्ग का पूरी लम्बाई तक स्वीकृत न प्रदान किये जाने से जनाक्रोश व्याप्त होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 138 |
| लघु सिंचाई विभाग में प्रतिनियुक्ति पर तदर्थ प्रभारी मुख्य अभियन्ता द्वारा की गई अनियमितताओं एवं कथित भ्रष्टाचार की जांच करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 138-139 |
| वन विभाग में कार्यरत छोटे स्तर के कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 139 |
| बाबा राघव दास कृषक इण्टर कालेज भाटपार रानी देवरिया में की गई नियुक्तियों में जालसाजी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना | 139-140 |
| जनपद देवरिया में बढ़ते अपराधों को रोके जाने तथा शान्ति व्यवस्था कायम किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 140-141 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| देवरिया जनपद के टाउन एरिया मझौली राज में शासन द्वारा दिये गये अनुदान को मनमाने ढ़ंग से खर्च करने की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 141 |
| जनपद आजमगढ़ की लालगंज तहसील में स्थित उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टीकरगढ़ में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 141-142 |
| जनपद मऊ मुख्यालय पर परिवहन निगम का डिपो खोलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 142 |
| जनपद महराजगंज के विकास खण्ड परतावल की न्याय पंचायत मंगलपुर कतरारी तथा श्याम देऊरवा के सभी गांवों को गोरखपुर जनपद में सम्मिलित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 143 |
| जनपद गोरखपुर की न्याय पंचायत बसडीला रौसड़ के सम्पूर्ण गांवों को सदर तहसील में सम्मिलित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. .. | 143-144 |
| जनपद इलाहाबाद के क्षेत्र प्रतापपुर के अधिकांश ट्यूबबेल व नाली खराब होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 144 |
| जनपद गाजीपुर के जखनियां में तहसील खोले जोने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 144 |
| राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोजपुर मुरादाबाद में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 145 |
| जनपद आजमगढ़ की नहरों में पानी न आने से जनाक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 145 |
| जनपद गाजीपुर के ग्राम रामपुर माझा, देवकली, भोजापुर एवं सिग्रा में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 145-146 |
| ग्रेटर नोयडा (गाजियाबाद) द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम के अधिग्रहीत भूमि का स्थानान्तरण अवैधानिक तरीके से करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 146 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद जौनपुर के मडियाहूं में स्थित 33/11 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन की मरम्मत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 147 |
| जनपद इलाहाबाद की कताई मिल मऊ आईमा के अधिकारियों द्वारा मजदूरों का शोषण करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 147 |
| बांदा जनपद बांदा के जारी-सेमरी-तिन्दवारी तथा जसपुरा मार्ग को राष्ट्रीय कृत मार्ग घोषित कर राजकीय बस चलवाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 147-148 |
| जनपद गढ़वाल में कनाकोट पेयजल योजना को कार्यान्वित कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 148 |
| जनपद गोण्डा में कमरपुर के नाले पर पुल बनवाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 148 |
| जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा व तिन्दवारी में यान्त्रिक व विद्युत दोष की कमी से बन्द राजकीय नलकूपों को चलवाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 148-149 |
| जनपद सहारनपुर के ग्राम भापला में 33/11 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 149 |
| जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा में पेयजल टंकियों का संचालन हमीरपुर से हटाकर बांदा द्वारा कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 149 |
| जनपद बदायूं की ग्रामसभा भूसेपुर के प्रधान द्वारा जवाहर रोजगार योजना में गम्भीर अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 150 |
| जनपद एटा में खसरा रोग से हुई बच्चों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 150 |
| जनपद आजमगढ़ में मच्छर मारने की मशीन चालू कराने हेतु धन उपलब्ध कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 150-151 |
| जनपद वाराणसी के बबुरी में 33 के0वी0 अर्द्ध निर्मित सब विद्युत स्टेशन को पूर्ण कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. .. | 151 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड नेवादा में जवाहर नगर मोहम्मदाबाद मार्ग पर यमुना नदी पर पीपे का पुल बनवाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 151 |
| राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज इलाहाबाद में नियमित प्राचार्य की तैनाती की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 151-152 |
| जनपद झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज में कार्यरत रेडियोलाजी विभाग में जूनियर रेजीडेन्ट का वेतन भुगतान शीघ्र कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. | 152 |
| जनपद सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड जोगिया के अनेक गांवों में ओलावृष्टि से हुई भारी क्षति हेतु पर्याप्त सहायता दिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. | 152-153 |
| जनपद सुल्तानपुर के अमेठी क्षेत्र के ग्राम गोहरा में जल निगम की टंकी द्वारा पानी सुलभ कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. .. | 153 |
| जनपद बस्ती में विद्युत व्यवस्था अनियमित होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना .. .. .. | 153-154 |
| नियम 311, 301, 166 एवं 51 आदि के अन्तर्गत दी गयी विभिन्न सूचनाओं के संबंध में जानकारी तथा प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न | 154-158 |
| औचित्य के प्रश्न की सूचनायें .. .. | 158 |
| विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर संबंधित सदस्य को सुने न जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (जारी) .. .. | 158-164 |
| जिला सलाहकार समितियों में से विधायकों को हटाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न .. .. .. | 164-164 |
| विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर संबंधित सदस्य को सुने न जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न .. .. | 165-167 |

| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठतम नेता श्री भाव राव देवरस के निधन पर शोकोद्गार .. .. .. | 167-170 |
| समितियों की बैठक में जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम गढ़ी नौबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने संबंधी लिये गये निर्णय का क्रियान्वयन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न .. | 170-173 |
| किसी अपराधी के विरुद्ध मैजिस्ट्रियल जांच के दौरान पीठ से एफ0आई0 आर0 दर्ज किये जाने के निर्देश देने के संबंध में औचित्य का प्रश्न .. .. .. | 173-179 |
| श्री भावराव देवरस के निधन पर आज उनके सम्मान में सदन को स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) .. .. | 179-180 |
| नियम 300,311,56 एवं 51 की दी गयी सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष द्वारा शासन को निर्देश .. .. .. | 180 |
| आजमगढ़ की घटनाओं की जांच आयोग की रिपोर्ट का प्रतिवेदन (सदन की पटल पर रखा गया) .. .. .. | 180 |
| उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) .. .. .. .. | 180 |
| उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना .. .. .. | 181 |
| उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1991-92) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) | 181 |
| उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1991-92) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) | 181 |
| उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1991-92) की तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) | 181 |
| उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति(1991-92) का चतुर्थ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) | 182 |

| विषय | | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|---|
| आज सदन के अनिश्चित काल के स्थगन से बाकी बचे हुये वक्तव्य एवं चर्चाओं को अगले सत्र के लिये जाने का अनुरोध .. | | 182 |
| जनपद मऊ के नत्थूपुर के अन्तर्गत सूरजपुर तथा रोशन पुर को घाघरा नदी के कटाव के बचाने हेतु पक्का ठोकर बनवाने के संबंध में श्री गौरी शंकर आदि की याचिका .. | (उपस्थित की गयी) | 182 |
| जनपद मऊ के नत्थूपुर क्षेत्र के ग्राम दुबारी से विल्थरा रोड जाने वाली सड़क पर हाहा नाले पर पुल बनवाने के संबंध में श्री राम भवन यादव की याचिका .. | (उपस्थित की गयी) | 183 |
| आज सदन के अनिश्चित काल के स्थगन से नियम 311 एवं 56 की दी गयी सूचनाओं को नियम 51 में परिवर्तित करके अगले सत्र में वक्तव्य दिलाने की मांग .. | (जारी) | 183 |
| प्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भांति डी0ए0 दिये जाने की घोषणा का कार्यान्वयन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न .. .. .. | | 183-184 |
| आज सदन के अनिश्चित काल के स्थगन से नियम 311 एवं 56 की दी गयी सूचनाओं को नियम 51 में परिवर्तित करके अगले सत्र में उन पर वक्तव्य दिलाने की मांग .. .. .. | | 184-185 |
| जनपद महराजगंज में डांडा एवं व्यास नदियों का जल प्रदूषित हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य .. .. | | 195-186 |
| सदन के अनिश्चित काल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव | (स्वीकृत) | 187 |
| नत्थियां .. .. .. .. | | 188-198 |

## उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 13 मई, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| अतीक अहमद, श्री | इलाहाबाद | बालचन्द्र मिश्र, श्री | कानपुर नगर |
| अमर नाथ यादव,श्री | वाराणसी | बालेश्वर त्यागी, श्री | गाजियाबाद |
| अमर सिंह, श्री | बिजनौर | भगवती सिंह विशारद,श्री | उन्नाव |
| अरविन्द कुमार, डा0 | ललितपुर | भान प्रताप सिंह वर्मा, श्री | जालौन |
| अशोक कुमार, श्री | लखनऊ | भारत सिंह रावत, श्री | गढ़वाल |
| इकबाल महमूद, श्री | मुरादाबाद | मदन भैया, श्री | मेरठ |
| इस्लाम साबिर, श्री | बरेली | मयंकर सिंह, श्री | बहराइच |
| उमाकान्त यादव, श्री | जौनपुर | मामचन्द्र, श्री | सहारनपुर |
| कल्याण सिंह, श्री | अलीगढ़ | मारकण्डेय चन्द्र, श्री | गोरखपुर |
| कृष्ण कुमार उर्फ | | मोहम्मद आजम खां, श्री | रामपुर |
| के0 के0 राज, श्री | इटावा | रघुराज, श्री | जौनपुर |
| केदार सिंह फोनिया, श्री | चमोली | रमाकान्त यादव, श्री | आजमगढ़ |
| गोमती प्रसाद, श्री | लखनऊ | राजपाल त्यागी, श्री | गाजियावाद |
| घुरहू, श्री | बलिया | राधेश्याम वर्मा, श्री | बाराबंकी |
| जगदीश मुनि आचार्य, श्री | हरिद्वार | राम कुमार | लखीमपुर खीरी |
| जे0पी0 सिंह मेजर, श्री | मुरादाबाद | रामकुमार शुक्ल, श्री | लखनऊ |
| ज्ञानवती सिंह, श्रीमती | अलीगढ़ | राम मूर्ति सिंह, श्री | शाहजहांपुर |
| तेजनारायण त्रिवेदी, श्री | लखीमपुर खीरी | राम सरन वर्मा, श्री | पीलीभीत |
| तेजपाल, श्री | हरिद्वार | लाज कृष्ण गांधी, श्री | सहारनपुर |
| दुलारे लाल, श्री | मिर्जापुर | विजय सिंह, श्री | सोनभद्र |
| धर्मपाल यादव उर्फ | बुलन्दशहर | वीरेन्द्र सिंह, श्री | मुजफ्फरनगर |
| डी0पी0यादव | | शिव प्रताप शुक्ल, श्री | गोरखपुर |
| नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0 | इलाहाबाद | समीउल्ला, श्री | गोण्डा |
| नरेश अग्रवाल, श्री | हरदोई | सरजीत सिंह डंग, श्री | मिर्जापुर |
| नारायण दत्त तिवारी, श्री | नैनीताल | सुखबीर सिंह गहलौत, श्री | गाजियाबाद |
| नेतराम, श्री | शाहजहांपुर | सूरज सिंह शाक्य, श्री | एटा |
| परमानन्द दण्डी स्वामी, श्री | रामपुर | सूर्य प्रताप शाही, श्री | देवरिया |
| पूरन सिंह बुन्देला, श्री | ललितपुर | हरक सिंह रावत, श्री | गढ़वाल |
| पृथ्वी सिंह, श्री | हरिद्वार | हरद्वार दूबे, श्री | आगरा |
| बाबूराम एम0काम0, श्री | जालौन | हर नारायण सिंह, श्री | रायबरेली |

अनुवाद विधान सभा

विधान सभा
उत्तर प्रदेश

बुधवार, दिनांक 13 मई, 1992

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजकर 4 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री राम आसरे वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 4 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई)

**जनपद मेरठ के मोदीपुरम् में श्रमिकों पर कथित पुलिस अत्याचार विषयक सूचना को उठाने का प्रयास**

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपकी अपनी रूलिंग यदि है कि एक और तीन के बीच आपने भोजन पर बुलाया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

श्री उपाध्यक्ष-

लगता है कि प्रमोद जी कल से इतनी तैयारी किये हुये हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी-

आप पीछे मत हट जाइयेगा ।

(श्री स्वामी नाथ यादव, श्री विजय पाल सिंह तोमर एवं कुछ अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान बना रहा ।)

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, मेरठ जिले के मोदीपुरम् में मजदूरों पर किस तरह से गोलीकाण्ड हुआ है और औरतों के साथ अत्याचार किया गया है, उनको घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। आप मेरी बात को सुनें (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्यों ने जो सूचनायें दी हैं, उनको एजेण्डा में जिस क्रम पर सूचना आयेगी, लिया जायेगा, आप लोग बैठें ।

(व्यवधान)

**प्रश्नोत्तर**

दिनांक 13 मई, 1992

**अल्पसूचित तारांकित प्रश्न**

**उत्तर प्रदेश में विद्युत चोरी रोकने की कार्यवाही का विवरण**

**1.-श्री सत्यदेव पचौरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत की चोरी रोकने हेतु सरकार क्या प्रयास कर रही है तथा अभी तक कितनी सफलता मिली है, क्या चोरी रोकने हेतु इलेक्ट्रानिक मीटर लगाना अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकान्त गर्ग)-

उ0प्र0 में विद्युत चोरी रोकने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है:-

1-राज्य सरकार द्वारा विद्युत चोरी को संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध घोषित किया जा चुका है अतः इस अपराध के लिये कम से कम 6 महीनों का कारावास एवं रू0 10,000.00 तक का जुर्माना हो सकता है।

2-प्रत्येक मुख्य अभियन्ता (वितरण) एरिया के अधीन एक अधिशासी अभियंता (रेड) विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु पोस्ट किया गया है ।

3-पुलिस महानिरीक्षक की देखरेख में 33 पुलिस प्रवर्तन दल विद्युत चोरी रोकने हेतु प्रदेश में तैनात है।

4-यदि कोई उपभोक्ता विद्युत चोरी करते पकड़ा जाता है तो उस पर टैरिक का तीन गुना राजस्व वसूल करने का प्राविधान किया गया है ।

5-अध्यक्ष उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् ने विद्युत चोरी रोकने हेतु फील्ड आफिसर्स को चेक करने के विशेष आदेश दिये हैं, एवं उनकी रिपोर्ट का विश्लेषण मुख्यालय पर किया जाता है तथा अनियमिततायें पाये जाने वाले उपभोक्ताओं की सूचना का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

6-विभागीय पुलिस प्रवर्तन दल के कार्य को मानीटर करने के लिये अधीक्षण अभियन्ता के अधीन रेड रेवन्यू मानिटरिंग यूनिट का गठन किया गया है जो कि सदस्य (वितरण) एवं मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) के अधीन कार्य कर रहा है।

7-वर्ष 1991-92 (1-4-91 से 31-1-92 तक) प्रवर्तन दलों एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों के परिणाम स्वरूप निम्न सफलता प्राप्त हुई:-

| | |
|---|---|
| (क) चेक किये गये उपभोक्ताओं की संख्या | 45183 |
| (ख) चोरी करते पकड़े गये उपभोक्ताओं की संख्या | 5461 |
| उक्त उपभोक्ताओं पर राजस्व निर्धारण रुपये | 278.16 लाख |
| (ग) अन्य अनियमिततायें जैसे अधिक भार, पीक आवर्स का उल्लंघन करने वालो की संख्या | 12338 |
| उक्त उपभोक्ताओं पर राजस्व निर्धारण रू0 | 409.4 लाख |
| (घ) थाने में लिखाई गयी रिपोर्टों की संख्या | 4103 |
| (च) गिरफ्तार/आत्मसमर्पण किये गये उपभोक्ताओं व्यक्तियों की संख्या | 1161 |

परिषद् में इलेक्ट्रानिक मीटर अनिवार्य रूप से लगाने का कोई मामला विचाराधीन नहीं है ।

श्री सत्यदेव पचौरी-

विद्युत चोरी अधिकांशतः विद्युत कर्मचारियों की मिलीभगत से होती है। क्या सरकार की उन कर्मचारियों को, जो चोरी में भागीदार हैं, उनको भी पकड़ने या दण्डित करने की कोई योजना है ? यदि है, तो अब तक कितने पकड़े गये और कितने के विरुद्ध कार्यवाही हुई ?

श्री रविकान्त गर्ग-

इस संबंध में सर्वाधिक कार्यवाहियां इसी समय की गई हैं । 423 अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध वर्ष 91-92 में कार्यवाही की गयी है।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि जो चोरी होती है, उसमें बिजली विभाग के कर्मचारियों की सांठ-गांठ होती है, क्या ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ जिनकी सांठ-गांठ होती है, उनके खिलाफ भी कार्यवाही पर विचार करेंगे ?

श्री रविकान्त गर्ग-

उसी संदर्भ में बता रहा था । ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। अनियमितताओं और लापरवाही तथा विद्युत चोरी में सांठ-गांठ के मामलों में 423 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मानता हूं कि शासन का दृढ संकल्प है और वह बहुत प्रयास कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं किस अधिकारी के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की है? दूसरी बात, राष्ट्रीय औसत लाइन लांस का क्या है ? आज का लाइन लांस पिछले 3 वर्षों में बढ़ा है या घटा है ?

श्री रविकान्त गर्ग-

3 मुख्य अभियन्ताओं के विरुद्ध निन्दा प्रविष्टि की गयी, 5 को चेतावनी दी गयी, 13 अधीक्षण अभियन्ताओं के विरुद्ध निन्दा प्रविष्टि की गयी, एक से क्षतिपूर्ति वसूली गयी, 9 को चेतावनी दी गयी, 34 अधिशासी अभियन्ताओं के खिलाफ निन्दा प्रविष्टि की गयी, 2 की वेतन वृद्धि पर रोक लगायी गयी, एक से क्षतिपूर्ति की गयी, 14 को चेतावनी दी गयी, 4 को निलम्बित किया गया है। सहायक अभियन्ताओं में 53 को निन्दा प्रविष्टि दी गयी, एक की वेतन वृद्धि पर रोक लगायी गयी ।

श्री प्रमोद तिवारी-

यह कितने समय का, बता रहे हैं ?

श्री रवि कान्त गर्ग-

यह पिछले एक वर्ष का बता रहा हूं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

अभी माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने जानकारी दी कि विद्युत चोरी में सांठ-गांठ करने के लिये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है। कल नियम 51 में मैंने उठाया था । मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक अवर अभियन्ता विद्युत चोरी में सीधे-सीधे पकड़ा गया किन्तु सरकार ने कार्यवाही करने से इन्कार किया। मैं जानना चाहता हूं कि जब सीधे विद्युत चोरी में कोई पकड़ा जाता है और आरोपित हो जाता है तो सरकार कार्यवाही करने से क्यों कतराती है ? जानना चाहता हूं कि चोरी के मुकदमे, जिन अधिकारियों की सूची दी है, उनके विरुद्ध है या नहीं ? यदि हां, तो क्या उपभोक्ता के साथ साथ उन अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज करवायेंगे ?

श्री रविकान्त गर्ग-

मान्यवर, जैसा माननीय दीक्षित जी ने कहा, जिस घटना का संदर्भ देते हुये उन्होंने उल्लेख किया, उसके संबंध में शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

मान्यवर, जिस प्रकार से उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, उससे अधिक कड़ी कार्यवाही अधिकारियों के खिलाफ की जायेगी । हमने एक नई कार्य योजना बनायी है, उसके अंतर्गत जो डिवीजन आफिस है, उस डिवीजन आफिस के अधिकारियों की जिम्मेवारी बनायी जा रही है, जितनी ऊर्जा प्राप्त हो, उसका लेखा-जोखा वे रखेंगे, वे उसके लिये जिम्मेवार होंगे ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मैंने जिस घटना का उल्लेख किया, उसमें स्वतः स्पष्ट है कि अधिकारियों/कर्मचारियों के सांठ-गांठ से वहां चोरी हुई। तो क्या ऐसे लोगों पर चोरी जैसा ही मुकदमा चलाया जायेगा ?

श्री रविकान्त गर्ग-

मान्यवर, अधिकारी/कर्मचारी जो चोरी में बिल्कुल सीधे लिप्त पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध सीधे मुकदमें दर्ज कराये जायेंगे ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, अभी यह बताया गया कि उपभोक्ताओं पर भी विद्युत चोरी के मुकदमें दायर है, जब अगर अधिकारी उस षड़यंत्र में शामिल हों, तो उपभोक्ताओं पर

जिन दफा के अन्तर्गत मुकदमें दायर किये जाते हैं, क्या वही दफा उन षड़यंत्रकारी अधिकारियों पर भी लागू होगी ?

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय स्वामी नाथ यादव जी, इसका उत्तर तो माननीय मंत्री जी ने अभी दे दिया है कि जो संलग्न पाये जायेंगे, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री यदुनाथ सिंह-

मान्यवर, मूल प्रश्न यह था कि क्या इलेक्ट्रानिक मीटर लगाने पर विचार किया जायेगा । मान्यवर, जो लाइन लास के कारण है, जो लाइन-लास 31 से 40 परसेंट तक है, एक कारण यह है कि उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत की चोरी किया जाना । दूसरा कारण जो है ट्रांसमिशन, जनरेशन और बिजली के तार मान लीजिये ओबरा से बिजली जानी है, मिर्जापुर में ओबरा है, तो पहले आप वहां से विद्युत देंगे गोरखपुर को, जगदीशपुर को तब फिर मिर्जापुर को देंगे, तो क्या इस तरह के वितरण से लाइन लास नहीं होगा। जहां विद्युत उत्पादन हो रहा है, जहां आवश्यकता है वहां पर आप पहले न देकर अन्य स्थानों को जो दूर हैं, वहां दे रहे हैं ।

मान्यवर, जहां तक विद्युत चोरी की बात है, आप केवल फंसाते हैं, सामान्य उपभोक्ताओं को और जो कोल्ड स्टोरेज वाले चोरी करते हैं, बड़े उद्योगपति विद्युत चोरी करते हैं उनको फंसाते नहीं हैं जो पम्प सेट वाले हैं, जो दस बीघा तक मुफ्त खेती वाले हैं, उन पर आप बिजली का टैक्स क्यों लगाते हैं ?

श्री रविकान्त गर्ग-

मान्यवर, जहां तक लाइन लास का प्रश्न है, तकनीकी कारणों से भी लाइन लास होता है और कुछ विद्युत चोरी के कारण भी लाईन लास होता है। इन लाईन लांस को कम करने के लिये हमने कदम उठाये हैं। पूर्व में जहां वर्ष 1989-90 में लगभग 26-1/2 1/2 लाइन लास था, उसको घटाकर 1991-92 में 25 प्रतिशत किया और वह 25 प्रतिशत भी इस रूप में है कि इस दौरान जो नये कनेक्शन बढ़े हैं। 10 परसेंट एनर्जी बढ़ी है उसके कारण जो तकनीकी लासेस हैं वह लगभग 2 प्रतिशत बढ़े होंगे तो उनको देखते हुये यदि चोरी का हिसाब लगाया जाये तो तीन प्रतिशत कम किया गया है तथा आगामी वर्ष में हमने इसको दो प्रतिशत और करने का निर्णय किया है ।

श्री यदुनाथ सिंह-

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया हैं ।

(श्री प्रमोद तिवारी के खड़े होने पर)

मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं आया है और आपने प्रमोद तिवारी जी से बोलने के लिये कह दिया ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय तिवारी जी आप बैठे जायें और माननीय यदुनाथ सिंह जी को अपना प्रश्न कर लेने दें ।

श्री यदुनाथ सिंह-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि फतेहपुर में एक अधिशासी अभियन्ता, श्री चन्द्रशेखर सिंह हैं वह मेरे मित्रों में से हैं मेरे क्लास फेलो रहे हैं और बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, उनको विद्युत की चोरी में दण्डित किया गया जबकि वह बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं और आपका विद्युत सचिव कोई जैन है वह विद्युत की चोरी करना चाहता था ।

श्री रविकान्त गर्ग-

मान्यवर, इस संबंध में परीक्षण करा लिया जायेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति इस बात से सहमत होगा कि सर्वाधिक लाइन लास औद्योगिक नगरों में और शहरों में होता है तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे इनके जो सर्किल हैं और जो जोन हैं उनमें कैसे बिजली दी जाये उसके अनुसार लाइन लास घटाकर राजस्व की वसूली करने का प्रयास करेंगे ?

श्री रविकान्त गर्ग-

मान्यवर, मैंने पूर्व में भी अवगत कराया था कि विद्युत की चोरी को रोकने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में डिविजन स्तर पर अधिकारियों को जिम्मेदार बनाया जा रहा है ।

श्री ओंकार सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो विद्युत की चोरी करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है। हमारे जनपद बदायूं में एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर विद्युत की चोरी के संबंध में रिश्वत लेते पकड़े गये और उन्हें 6 दिन की जेल हो गयी और आज चार माह बीत चुके हैं लेकिन अभी तक निलम्बन की कार्यवाही नहीं की गयी है ?

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय यादव जी आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है फिर भी मैं ऊर्जा मंत्री जी से कह देता हूं कि अगर उन्हें कोई जानकारी है तो बता दें।

श्री रविकान्त गर्ग-

माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं हैं उसके संबंध में सरकार कड़ी कार्यवाही करेगी ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अब से करीब चार माह पहले मेरठ जनपद में एक उद्योगपति द्वारा लाखों रुपये की विद्युत चोरी का मामला प्रकाश में आया था और इस संबंध में वहां के एक एस0ई0 श्री सुरेन्द्र सिंह व एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का ट्रान्सफर की बात हुई तो वह कौन सा उद्योग है और उस उद्योगपति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रविकान्त गर्ग-

इस प्रकार के जो भी केसेज माननीय सदस्य द्वारा संज्ञान में लाये जायेंगे उनके संबंध में कार्यवाही करके माननीय सदस्यों को अवगत करा दिया जायेगा ।

श्री विजय पाल सिंह तोमर-

अगर वह किसान होता तो कार्यवाही कर ली गयी होती ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह जहां के रहने वाले हैं, वहां पर करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार के मामले हुये हैं और वह उनके संज्ञान में है शाहदाबाद में जहां पर एक कोल्ड स्टोरेज है वहां पर विद्युत की चोरी हो रही है और इसके लिये आपके अधिकारी जिम्मेदार हैं। मान्यवर, शाहदाबाद में सहकारिता का कोल्ड स्टोरेज है जिसकी क्षमता दो हजार मीट्रिक टन है और बिल्डिंग 77 हजार रुपया है और एक प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज जिसकी क्षमता उससे छः गुना ज्यादा है उनकी बिल्डिंग 33 हजार रुपया है तो वहां कोल्ड स्टोरेज में चार चार लाख रुपया प्रति माह विद्युत की चोरी होती है । क्या माननीय मंत्री जी के संज्ञान में और क्या इसका परीक्षण कराकर, जांच कराकर दंडित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ?

श्री रवि कान्त गर्ग-

मान्यवर, शीघ्र ही जांच कराकर परीक्षणोपरान्त कार्यवाही की जावेगी।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, काफी देर से विद्युत चोरी के बारे में चर्चा चल रही है, इसमें उपभोक्ता, कर्मचारी और अधिकारी सब शामिल हैं, कर्मचारी डोमेस्टिक मीटर रीडिंग लेते हैं, बड़े-बड़े अधिकारी फैक्ट्रीज की रीडिंग लेते हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अभी तक मीटर रीडिंग की चेकिंग गलत रूप से

कायम करने पर कितने अधिशासी अभियन्ताओं को दण्डित किया गया ? दूसरी बात जानना चाहता हूं कि बड़े-बड़े मिल मालिक और फैक्ट्रीज वाले विद्युत चोरी न कर पायें और मीटर रीडिंग बैक न कर पायें इसको रोकने के लिये क्या योजना बनायी गयी है ?

श्री रविकांन्त गर्ग

मान्यवर, जैसा मैंने पूर्व में ही कहा कि डिवीजन स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदार बनाया जा रहा है। ।। के0वी0 के जो फीडर हैं, उन सब पर मीटरिंग प्रणाली चालू की जा रही है।

श्री भागवत पाल-

मान्यवर, भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बिजली की चोरी रोकने के लिये बड़ी कटिवद्ध है और बड़ी सतर्क है । यह बड़ी साफ बात है और मैंने इसको स्वयं देखा भी है कि मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में तमाम किसान जेलों में ठूंसे गये हैं, तमाम दलित वर्ग के लोग जेलों में ठूंसे गये हैं, जो झोपड़ियों में रहते हैं, लेकिन उनको बिजली चोरी के नाम पर जेलों में बन्द किया गया है, यह एक संज्ञेय अपराध है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह उत्तर प्रदेश के एक भी पूंजीपति या बड़े अधिकारी का नाम बता दें, जिसको बिजली चोरी के नाम पर जेल भेजा गया हो ?

श्री रविकान्त गर्ग-

मान्यवर, डिटेल में हमको सूचना की आवश्यकता होगी, परन्तु अनेक बड़े-बड़े उद्योगपतियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। एक बात संज्ञान में और लाना चाहता हूं कि जो ।। हजार विद्युत के कनेक्शन काटे गये हैं, उसमें 9 हजार बड़े उपभोक्ता हैं, जिनके कनेक्शन काटे गये हैं ।

श्री मोहम्मद रिजवानुलहक-

मान्यवर, विद्युत के तार चोरी हो रहे हैं, और मुरादाबाद में आर0ई0सी0 विभाग द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य हो रहा है और जितने भी लाइट फैन के कनेक्शन दिये जा रहे हैं, उसमें सब चोरी का तार लगाया जा रहा है, मैं इसकी एक सूची आपको उपलब्ध कराऊंगा, क्या इसकी जांच करा लेंगे ?

श्री रविकान्त गर्ग-

मान्यवर, माननीय सदस्य जो भी बात संज्ञान में लायेंगे, उसकी जांच कराकर अवश्य कार्यवाही की जायेगी ।

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी द्वारा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर पढ़े जाने के मध्य)

श्री भागवत पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-1 का संतोषजनक उत्तर न दिये जाने के कारण मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री भागवत पाल उनके दल के अन्य सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये )

**जनपद लखनऊ में स्थित उ0प्र0 राजकीय लाटरी निदेशालय में स्टाकिस्टों की नियुक्ति निर्धारित मापदण्ड**

**2-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय लाटरी, लखनऊ द्वारा नियुक्त कितने स्टाकिस्ट लखनऊ में कार्य कर रहे हैं तथा कितने स्टाकिस्ट प्रदेश के अन्य शहरों के लिये नियुक्त हैं ? स्टाकिस्ट नियुक्त करने का क्या मापदण्ड निर्धारित किया है ? क्या यह सही है कि स्टाकिस्टों से निर्धारित न्यूनतम बैंक गारन्टी लाटरी निदशालय के कार्यालय में जमा करने के बावजूद स्टाकिस्टों को लाटरी टिकट निर्धारित मात्रा में नहीं दिये जा रहे हैं? मई, 1992 में कितने बैंक गारन्टी के विरुद्ध प्रति लाटरी कितने टिकट स्टाकिस्ट को दिये गये ?

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

लखनऊ में 17 स्टाकिस्ट कार्य कर रहे हैं, तथा प्रदेश के अन्य शहरों में 14 स्टाकिस्ट नियुक्त हैं ।

स्टाकिस्टों की नियुक्ति सामान्यतया संबंधित आवेदक की व्यवसाय में पकड़, आर्थिक स्थिति एवं व्यवसाय में साख को संज्ञान में रखते हुये आवश्यकतानुसार की जाती है ।

जी नहीं ।

मई, 1992 में रुपये 2.00 मूल्य की योजनाओं में कुल रुपये 11.50 करोड़ की बैंक गारन्टी के विरुद्ध प्रति सप्ताह प्रति लाटरी 53.68 लाख टिकट स्टाकिस्टों को आवंटित व निर्गत किये गये हैं। रुपये 5.00 मूल्य की योजनाओं में कुल रुपये 2.50 करोड़ की बैंक गारन्टी के विरुद्ध प्रति सप्ताह प्रति लाटरी 17.01 लाख टिकट स्टाकिस्टों को आवंटित व निर्गत किये गये हैं ।

श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में जितने भी स्टाकिस्ट हैं उनके नाम

पते सहित बताने की कृपा करें। दूसरा 2 रुपये वाले लाटरी के लिये प्रत्येक स्टाकिस्ट को बैंक गारन्टी के विरुद्ध कितने टिकट दिये जा रहे हैं ? इसका भी ब्यौरा माननीय मंत्री जी अलग-अलग देने की कृपा करें। तीसरा, क्या इन स्टाकिस्टों से 1991 में कोई अनुबन्ध कराया गया ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, सवाल कई हो गये हैं, पहला, माननीय सदस्य ने पूछा है कि उनके नाम क्या हैं। मैं पूरे नाम इस आदरणीय सदन में सुनाना चाहता हूं। 17 की संख्या उत्तर में दी गयी है। ये सब लखनऊ में हैं, इनके नाम है मेसर्स सुगाल लाटरी एजेन्सी, मैसर्स प्रासन एजेन्सी, मेसर्स सुगाल एजेन्सी, मेसर्स डायमण्ड एजेन्सीज श्री विमल खन्ना, श्री जे0एन0शर्मा, श्री जी0एस0 शर्मा, श्री बी0पी0 गोयल...

श्री उपाध्यक्ष-

जो आप यह नाम पढ़ रहे हैं, इन्हें पढ़ा हुआ माना गया। आप प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दे दें ।

श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

मान्यवर, मैं दो रुपये वाली लाटरी की बात कर रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

इसकी सूची भी मेरे पास है यदि आपकी अनुमति हो तो मैं उसे भी पढ़ देता हूं ।

श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

मान्यवर, मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि एक ही परिवार के तीन-तीन लोग एजेन्सीज लिये हुये हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे पास 45 एजेन्सियां हैं हमारे पास इसकी भी जानकारी है। हमारे पास जो सूची है उसमें एक ही परिवार के बारे में तो जानकारी है नहीं । यदि वह किसी परिवार के बारे में बतायें तो मैं उसका पता लगाकर उन्हें बता सकता हूं ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह-

मान्यवर, यह सही है कि यहां पर लम्बी सूची को पढ़ पाना सम्भव नहीं है। क्या यह सत्य है कि एक ही परिवार के द्वारा कई एजेन्सियां चलाई जा रही हैं, यदि हां, तो इसकी जांच माननीय मंत्री जी कराने की कृपा करेंगे ? दूसरा एजेन्सियों द्वारा थोक में टिकट लेकर जो छोटे स्टाकिस्ट हैं, उन तक टिकट नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या आप इसकी भी जांच कराने की कृपा करेंगे ? तीसरा क्या 1991 से आज तक इन स्टाकिस्टों से कोई अनुबन्ध कराया गया कि नहीं। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

मान्यवर, मैंने स्टाकिस्टों के संबंध में जो जानकारी दी थी ये पहले के स्टाकिस्ट हैं । मैं पूरी जांच तो करा लूंगा परन्तु श्री दिवाकर विक्रम सिंह जी से मैं कामना करता हूं कि वह अपना 10 मिनट का मूल्यवान समय दे दें और वह इस सूची को देखकर हमें मार्ग दर्शन दे दें। जिनके बारे में उन्हें शंका है, उनके बारे में विशेष रूप से जांच करा कर पूरे सदन को आश्वस्थ कराना चाहेंगे ।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4)के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

## यमुना नदी से उत्तर प्रदेश के हिस्से का जल प्राप्त करने के उपाय

*1- श्री विजय सिंह राणा-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय में यमुना जल वितरण संबंधी विभिन्न प्रदेशों के विवाद को पंचाट (ट्रिब्यूनल) को सौंप दिया है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन से विषय विन्दु हैं, जिन पर पंचाट को निर्णय लेना है ? यदि नहीं, तो 10 जनवरी, 1992 को केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक का अन्तिम निर्णय क्या था ? क्या उ0प्र0 शासन "बचन-बद्ध उपयोग के आंकड़ों" के आधार पर हरियाणा सरकार के साथ किसी समझौते पर सहमत है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उत्तर प्रदेश शासन द्वारा हरियाणा और दिल्ली से हमारे पानी का शोषण बचाने के लिये कोई कारगर उपाय किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो वह उपाय क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

10-1-92 को सम्पन्न हुई बैठक में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ था केवल कतिपय मुद्दे चिन्हित किये गये थे जिन पर सहमति प्राप्त करने के प्रयास किये जाने थे ।

कोई सहमति नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश तथा केन्द्रीय जल आयोग के निष्कर्ष से हरियाणा सहमत नहीं हैं । हरियाणा के दावे मान्य नहीं हैं ।

जी हां ।

यमुना नदी से उत्तर प्रदेश के हिस्से का जल प्राप्त करने के लिये सभी संभव उपाय किये जा रहे हैं, इन उपायों में पूर्वी यमुना नहर व आगरा नहर में अधिकृत जल भाग प्राप्त करना, पेयजल की आवश्यकताओं के लिये जल उपलब्ध

कराना, जल भण्डारण की परियोजनाओं का निर्माण कराना इत्यादि सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, यह मामला उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के पानी का हरियाणा द्वारा शोषण के संबंध में था। इसमें थोड़ा मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दे दूं। इन्होंने तथ्यों को छुपाया नहीं है। तो इसमें एक तो यह जानना चाहता हूं कि जो कतिपय मुद्दे चिन्हित किये गये वह कतिपय मुद्दे क्या हैं ? और जो हरियाणा बचनबद्ध उपयोग के नाम पर पानी ले रहा है जो करीब थ्री प्वाइंट बी0सी0एम0 कुछ हैं और जो इस समय 5 सौ से ऊपर हो गया है तो इस संबंध में न तो उससे कोई समझौता हुआ है पानी के संबंध में और न उसे रिवाइज किया गया है और वह बचनबद्ध पानी का उपयोग बढ़ता जा रहा है जब कि यमुना का पानी घट गया। तो हरियाणा के बचनबद्ध उपयोग के जो आकड़े हैं यह बढ़ कैसे गये तो क्या यह बढ़े हुये आंकड़े हैं वह हमारे शोषण के आंकड़े हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, जो चिन्हित है उसमें 1-हथिनी कुण्ड बैराज का निर्माण एवं मूल्यों का बंटवारा, 2-पेयजल आवश्यकता, 3-पर्यावरण की दृष्टि से ताजेवाला/ओखला के नीचे न्यूनतम जल प्रवाह, 4-विभिन्न राज्यों द्वारा यमुना जल का बचनबद्ध उपयोग ।

दूसरा विषय जो माननीय सदस्य ने रखा है वह हरियाणा के बचनबद्ध पानी के उपयोग के संबंध में जो आप कह रहे हैं उससे शत प्रतिशत सहमत होने के कारण ही हम उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमने हर स्तर पर इसका विरोध किया है क्यों कि यह प्रदेश के हित में नहीं है और न हरियाणा का बचनबद्ध उपयोग 5.186 एम0ए0एफ0 है वह जो उन्होंने योजना आयोग द्वारा स्वीकृत न होते हुये योजनायें बना ली हैं, उसका जो पानी उपयोग कर रहे हैं, उसे भी वह बचनबद्ध उपयोग में ले रहे हैं बचनबद्ध उपयोग यह एक तकनीकी शब्द है जिसे मैं माननीय सदस्यों को स्पष्ट करना चाहता हूं । बचनवद्ध उपयोग किसी राज्य का वह उपयोग कहलाता है जो योजना आयोग के अस्तित्व में आने से पहले वह परम्परागत ढंग से उपयोग करता रहा है और उसके उपयोग के लिये किसी योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने स्वीकार किया है। तो इन दोनों का उपयोग जोड़ कर जो संख्या आती है वह बचनबद्ध उपयोग है । हरियाणा जो उपयोग कर रहा है जिसे न तो केन्द्रीय जल आयोग स्वीकार कर रहा है, और न उत्तर प्रदेश सरकार स्वीकार कर रही है, न राजस्थान स्वीकार कर रहा है और न हिमांचल स्वीकार कर रहा है। योजना आयोग के द्वारा जो खरीफ में लिफ्ट या अन्य उपाय स्वीकार किये गये हैं, वह निश्चित अवधि के लिये किये गये हैं और हरियाणा उस निश्चित

अवधि से अधिक अवधि तक पानी का उपयोग कर रहा है । उसके संबंध में उसका कहना है कि वह कई वर्षों से अधिक उपयोग कर रहा है इसलिये वह अनधिकृत अधिक को भी बचनबद्ध उपयोग में जोड़ रहा है उसके कारण वह 5.186 एम0ए0एफ0 उपयोग कर रहा है जिससे कोई सहमत नहीं है।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, इस बचनबद्ध उपयोग के नाते हरियाणा आगरा मथुरा तथा अन्य कई जिलों के यमुना के पानी का शेयर है उसकी चोरी कर रहा है पर वहां तो कुछ रहने का सवाल ही नही है । ताजे वाला से नीचे पूर्वी गंगा कैनाल और पश्चिमी यमुना कैनाल है, उसकी जो रिमाडलिंग कर लेगा और ताजेवाला से बांध बनाकर हमारे यहां पानी देता है पर उसका पूरा उपयोग कर लेता है । इस प्रकार से कुल मिलाकर यमुना का पानी ताजेवाला से नीचे ओखला बैराज तक हमको प्राप्त नहीं होता है । तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि यमुना के अन्तर्गत ताजेवाला से आज तक की स्थिति में हमें कितना पानी ओखला में उपलब्ध हो रहा है ? अपर गंगा का पानी और उस पानी का उपयोग भी हरियाणा वर्षों से कर रहा है । तो क्या उसको रोकने के लिए भी कभी कोई प्रयास किया गया है ? यदि हां, तो कब और क्या ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

बाद वाली बात स्पष्ट नहीं हुई है ।

श्री विजय सिंह राणा-

इसमें मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर गंगा कैनाल का पानी जो हिन्डन नदी के माध्यम से जाता है, उस पानी में हरियाणा का कोई शेयर नहीं है और न कभी रहा है । तो फिर अपर गंगा का पानी किन कारणों से और कब से वह उपयोग कर रहे हैं ? और उसको रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, माननीय सदस्य, हरियाणा द्वारा उत्तर प्रदेश पानी के अपहरण की घटना के बारे में अधिक लम्बे समय से जानकार हैं और मैं तो अभी जब से यह जिम्मेदारी मिली है इसके बारे में मुझे जानकारी हुई है । उनके कथन से मैं पूरी तरह सहमत हूं और उनकी चिन्ता पूरे प्रदेश की चिन्ता है और इसीलिए कि हमारे हिस्से का पानी हमको मिले, इसे हम हर बैठक में उठा रहे हैं। पहले लिखित देते हैं कि यमुना नहर में जो उसका हिस्सा है, उसके हिस्से का पानी उसे मिलना चाहिए । कभी 26 दिन, कभी 30 दिन, कभी 32 दिन और कभी 25 दिन, इतने विलम्ब से कोसी बन्ध को बनाते हैं क्यों कि उनके हाथ में उसका

कन्ट्रोल है । सितम्बर, अक्टूबर में कोसी बन्ध बन जाना चाहिए । इसलिए इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं है । उस कोसी बन्ध को समय से बनाया जाय यह हमेशा हमारा प्रयास और उन पर दबाव रहा है । जो हमारी बैठकें हुई हैं, उसमें भी इसे उठाया है और उस कोसी बन्ध को और विषयों के साथ उठाया है । इससे हरियाणा पर दबाव डालकर पानी लेने का हम प्रयास कर रहे हैं । दूसरी बात यह है कि सन् 82 से माननीय सदस्य चर्चा कर रहे हैं, टेहढ़ी परियोजना के अन्तर्गत हम अपना ओखला के पास जो पानी छोड़ते हैं और नहरों के हरियाणा के क्षेत्र से गुजरने के कारण हरियाणा के किसान उसका पानी निकाल लेते हैं । उसको बचाने के लिए हम अपनी उत्तर प्रदेश क्षेत्र से एक पैरलेल नहर निकाल कर ले जाना चाहते हैं । सीधे मथुरा के पास जहां नहरें प्रवेश करती हैं, उसको निकालने का प्रयास करेंगे । इसको हम निश्चित रूप से कार्यान्वित करना चाहते हैं । टेहढ़ी परियोजना में वह परीक्षण चल रहा है । सन् 89 में यह मामला केन्द्र को भेजा गया है । उसमें और जल्दी आये हमारा प्रयास होगा और राणा जी का उसमें सुझाव सहयोगी होगा, हम निश्चित रूप से सभी सदस्यों से मिलकर उनकी राय और सुझावों का लाभ उठाकर ऐसी व्यवस्था बनायेंगे जिससे यमुना नदी का पानी, उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, वह पूरा-पूरा उत्तर प्रदेश को मिले और पानी का कोई अपहरण न करें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं, मंत्री जी से दो बातें जानना चाहता हूं । एक तो क्या इसके लिए हरियाणा जो ज्यादा हिस्सा ले रहा है, तो मुख्यमंत्री स्तर पर एक बैठक बुलाकर दबाव डालेंगे कि जितनी जल्दी हो सके हमारा हिस्सा मिल सके और आगरा को नुकसान न हो ।

दूसरा टेहरी योजना के संबंध में जो बताया है उसमें लम्बा समय लगेगा । मान्यवर, आगरा नगरपालिका के मुख्य चिकित्साधिकारी ने एक रिपोर्ट में बताया है कि वहां का पानी पेयजल को छोड़ दें नहाने के लिए भी प्रदूषित हो गया है । तो क्या जो आगरा बैराज है उसके निर्माण के लिए आप तत्काल कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे जिससे आगरा और मथुरा जिलों को पानी मिल सके ।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, टेहरी योजना के अन्तर्गत वह विचाराधीन है और जैसा हमने यहां कहा था हम प्रयास करेंगे कि और जल्दी कैसे हो चूंकि संसाधन भी इसमें एक कारण है फिर भी प्रयास करेंगे कि पैरलल कैनाल और एड-बैग बन जाय लेकिन इसमें समय लगेगा । मान्यवर, आगरा को यमुना नदी के माध्यम से जो पानी मिल रहा है वो दिन-प्रतिदिन दूषित हो रहा है और पानी का वहां संकट है जिसके निवारण के लिए इन बैराजों का निर्माण और पैरलल कैनाल के निर्माण पर विचार हो रहा है ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, मैं प्रश्न करना चाहता हूं और साथ ही सुझाव भी देना चाहता हूं कि लखवार बयासी योजना जो आप बना रहे हैं उसमें मेरा सुझाव है कि इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश को पूरा का पूरा मिल सके । इसके लिए आवश्यक है कि खारा स्टेट का निर्माण पहले हो जाना चाहिए । खारा स्टेट से यमुना के लिए जो पानी आ रहा था वह न आकर निश्चित किया जाय कि खारा से ही सीधा पानी नहरों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में आये । इस सुझाव के साथ क्या मंत्री जी लखवार बयासी से पहले खारा स्टेट के निर्माण को पूरा करने का आश्वासन देंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आगरा बैराज के निर्माण के लिए इस साल के बजट में एक करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । जहां तक खारा स्टेट की बात है तो उसको केन्द्रीय जल आयोग के एक निश्चित उद्देश्य के अन्तर्गत बनाया जा रहा है । खारा जल विद्युत परियोजना से जो सरप्लस पानी होगा वो यमुना नदी में छोड़ा जा सके और बाढ़ आये तो चैनल में पानी न जा सके । इसके लिए व्यवस्था बनायी गयी है । माननीय राणा जी का सुझाव राज हित में है लेकिन उसको स्वीकार करना तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं है ।

**दीन दयाल सिंचाई योजना के अन्तर्गत प्रदेश के कतिपय जनपदों के विकास खण्डों का चयन किये जाने की प्रक्रिया एवं आधार की जानकारी**

*2-श्री सुरेश प्रताप गांधी-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि दीनदयाल सिंचाई योजना में नहरों, राजकीय नलकूपों व अन्य साधनों के माध्यम से हर खेत को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में कितने विकास खण्डों का चयन किया गया है ? इन चयनित विकास खण्डों में हर खेत को पानी के लक्ष्य की पूर्ति के लिये क्या-क्या कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ? प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य 100 ग्रामों का राजकीय नलकूप लगाने के लिये चयन तथा राज्य सेक्टर में लगाये जाने वाले एक हजार राजकीय नलकूपों के लिये स्थल चयन किये जाने की प्रक्रिया और आधार क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रथम चरण में 12 जनपदों के 12 विकास खण्डों के चयन की कार्यवाही की गई है । उन विकास खण्डों की शत प्रतिशत सींच हेतु कार्यक्रमों को शीघ्र ही चिन्हित किया जायेगा ।

निर्बल वर्ग के उत्थान हेतु चिन्हित अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वेक्षण के पश्चात नलकूप लगाने हेतु उपयुक्त पाये गये ग्रामों में से अनुसूचित जाति

के कृषकों को अधिक से अधिक लाभान्वित होने के उद्देश्य से नलकूप निर्माण हेतु ग्रामों का चयन शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है ।

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर दीनदयाल सिंचाई योजना के अन्तर्गत हर खेत को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है और इसके तहत प्रदेश में बारह जिलों के बारह ब्लाकों का चयन किया है । इन बारह ब्लाकों का चयन किस आधार पर किया गया है और ये विकास खण्ड कौन-कौन से हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इन बारह विकास खण्डों में सिंचाई सुविधा सुलभ कराने के उपाय क्या हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, जो बारह ब्लाक चयनित किये गये हैं उनका आधार निम्नलिखित है:-

1-जिन विकास खण्डों में अब तक राजकीय साधनों द्वारा निजी साधनों की तुलना में कम व्यय किया हो ।

2-जिन विकास खण्डों में सीमान्त कृषक, जिनके पास कृषि योग्य भूमि एक हेक्टेयर से कम हो का, प्रतिशत अधिक हो ।

3-जिन विकास खंडों में असिंचन क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र के विरुद्ध कम हो ।

4-निर्माणाधीन विभागीय परियोजनाओं से सिंचन क्षमता के सृजन की सम्भावना ।

5-भूगर्भ जल की उपलब्धता ।

जो बारह विकास खण्ड चयनित किये गये हैं, उनके नाम और वे जिस जिले के अन्तर्गत हैं, इसका विवरण निम्न है:-

| | |
|---|---|
| 1-अलीगढ़ | अतरौली |
| 2-हरिद्वार | भगवानपुर |
| 3-बिजनौर | नजीबाबाद |
| 4-बहराइच | महसी |
| 5-बरेली | फरीदपुर |
| 6-सीतापुर | पहला (महमूदाबाद) |
| 7-हरदोई | साण्डी |
| 8-जालौन | नदीगांव |
| 9- गाजीपुर | बिरनी |
| 10- मिर्जापुर | नरायनपुर |
| 11- महराजगंज, देवरिया | परतावल |
| 12- फर्रुखाबाद | कन्नौज |

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि जिन विकास खण्डों में निजी सिंचाई साधनों के अनुपात में राजकीय साधन कम हैं उन्हें चयनित किया गया है, तो ये दोहरी व्यवस्था हो गयी है और इस प्रकार जहां पर्याप्त संसाधन है वहां चयनित करके अतिरिक्त सुविधा प्रदान कर दिया है ।

प्रश्न के दूसरे भाग में प्रदेश के 100 अनुसूचित जाति बाहुल्य गांवों में नलकूप लगाने के लिये ग्रामों का चयन किया गया है ...

इस योजना के अन्तर्गत 100 अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का चयन किस आधार पर किया गया है ? उसके चयन की प्रक्रिया क्या है ? इसके साथ ही एक हजार नलकूप राज्य सेक्टर में लगाने का भी जिक्र किया गया है। उसकी प्रक्रिया भी बता दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले भी दे चुका हूं। पुनः इसे दोहरा रहा हूं कि यह जो अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में नलकूप लगाने की योजना ली गयी है, इसमें दो ही मुख्य बिन्दु हैं। वे गांव जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों के जनसंख्या पचास प्रतिशत से अधिक हो और जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों को अपने निजी पर्याप्त खेत हों। प्रथम चरण में हमने अधिकांश उन्हीं गावों को चुना है। जिनमें 25 एकड़, 30 एकड़, 50 एकड़, 60 एकड़ अनुसूचित जाति के खेत हैं कुल मिलाकर ऐसे गांवों को चुना है। इस चयन की प्रक्रिया अभी जारी रहेगी उसी क्रम में हम लेते जायेंगे । यह कार्यक्रम उस समय तक चलेगा जब तक कि अनुसूचित जाति बाहुल्य गांव के अनुसूचित वर्ग के सभी किसानों को पानी न मिल जाय ।

(प्रश्न संख्या तीन पुकारे जाने पर)

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है आप मेरा प्रश्न तो देखें।

श्री उपाध्यक्ष-

गांधी जी बैठ जायें । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं मैंने अगला प्रश्न ले लिया है।

**उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में स्वीकृत सहायक अभियन्ताओं के रिक्त पदों को प्रोन्नति से भरने तथा आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग**

*3-श्री किशल लाल दिलेर-

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में

सहायक अभियन्ता के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? इनमें से कितने सीधे भर्ती के और कितने प्रोन्नति कोटे के सहायक अभियन्ता के पद हैं ? इन सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति कोटे के सहायक अभियन्ता के पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने-कितने सहायक अभियंता कार्यरत हैं ? क्या प्रोन्नति कोटे में सहायक अभियन्ता के पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण है? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इन वर्गों के लियें अग्रेनीत हो रही सहायक अभियंता के आरक्षित रिक्त पड़े पदों को शासनादेश संख्या 22/43/431982 कार्मिक-2, दिनांक 30-1-89, 4-10-89 तथा 22-8-91 व समसंख्यक शासनादेश दिनांक 18-11-91 में निहित प्राविधानों के अनुसार विशेष चयन के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के पूर्णतः पात्र कार्यरत अवर वर्ग अभियन्ताओं से प्रोन्नति द्वारा भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रविकान्त गर्ग-

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में सहायक अभियंता (विद्युत/यांत्रिक) के कुल 2957 एवं सहायक अभियंता (जनपद) के कुल 201 पद स्वीकृत हैं।

उक्त सहायक अभियन्ता पदों को स्वीकृत करते समय भर्ती के स्रोत के संबंध में इनका कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है तथापि वर्तमान में किसी भी समय पर उपलब्ध रिक्तियों को भरने हेतु विनियमों के अनुसार $65^{1}/_{3}$ प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा एवं $34\ ^{2}/_{3}$ प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है।

वर्तमान में अनुसूचित जाति/जनजाति के सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त 207 सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) एवं प्रोन्नति द्वारा नियुक्त 4 सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) कार्यरत हैं। इसी प्रकार सहायक अभियन्ता (जनपद) संवर्ग में सीधी भर्ती के कार्यरत सहायक अभियंता की संख्या 19 है ।

प्रोन्नति कोटे में सहायक अभियन्ता के पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं है इसका प्रमुख कारण अनुसूचित जाति/ जनजाति के अर्ह अवर अभियन्ता उपलब्ध न होना है ।

अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति का मापदण्ड श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति में सामान्य एवं अनुसूचित जाति/ जनजाति के अभ्यर्थियों की अलग-अलग सूची बनाने का कोई प्राविधान नहीं है। अतः संदर्भित शासनादेश संख्या 22/43/1992-कार्मिक-2, दिनांक 30-1-89, 4-10-89, 22-8-91 एवं 18-11-91 के अन्तर्गत सहायक अभियंता पद पर प्रोन्नति के लिये अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विशेष चयन करना सम्भव नहीं है। तथापि शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में इन आरक्षित पदों को इन्हीं अभ्यर्थियों से भरने हेतु भविष्य में होने वाले चयन हेतु अग्रेनीत कर लिया जाता है ।

श्री किशन लाल दिलेर-

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में सहायक अभियन्ता...

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय दिलेर जी, आप प्रश्न को न पढ़ें । अनुपूरक प्रश्न पूछें ।

श्री किशन लाल दिलेर-

मान्यवर, उत्तर सही नहीं आया है। मैंने पूछा था कि कितने सहायक अभियंता आपके विद्युत विभाग में कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं। उनमें से कितने स्थान आरक्षण कोटे से भरे जाने हैं ? माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करें।

श्री रविकान्त गर्ग-

मान्यवर, आरक्षित कोटे में 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 2 प्रतिशत अनुसूचित जन जाति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है । माननीय सदस्य ने संख्या के विषय में जानकारी चाही है तो आरक्षित कोटे में विद्युत अभियंता के 152 पद और यांत्रिक अभियंता के 10 पद रिक्त हैं ।

श्री भोला शंकर मौर्य-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि अवर अभियन्ता विद्युत परिषद् में जो कार्य कर रहे हैं, अनुसूचित जाति के कितने हैं और 16 वर्ष की सेवा इसमें कितने पूर्ण कर चुके हैं ? दूसरी बात जिन अवर अभियन्ताओं की प्रोन्नति होनी है उनको सहायक अभियन्ता न बनाने के क्या कारण हैं ?

श्री रविकान्त गर्ग-

मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में अवगत करा दिया है कि 207 सहायक अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक) एवं प्रोन्नति द्वारा नियुक्त 4 सहायक अभियंता (विद्युत एवं यांत्रिक) कार्यरत हैं। सीधी भर्ती के नौ सहायक अभियंता कार्य कर रहे हैं।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि प्रोन्नति कोटे में अवर अभियन्ताओं का कोटा पूर्ण नहीं है तो मंत्री जी यह बता दें कि कुल कितने पद और आरक्षण का कोटा कितना है कितने पद भरे गये हैं और कितने खाली हैं ?

श्री रविकान्त गर्ग-

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य का सवाल समझ नहीं पाया ।

श्री उपाध्यक्ष-

पूरन प्रकाश जी अपना सवाल स्पष्ट कर दें ।

श्री पूरन प्रकाश-

आपने बताया कि प्रोन्नति कोटे में आरक्षण कोटा पूर्ण नहीं है मैं जानना चाहता हूं कि कितने पद टोटल हैं कितने पद इसमें अनुसूचित जाति के हैं कितने अवर अभियन्ता के पद बाकी हैं जो भरने हैं ।

श्री रविकान्त गर्ग-

यह प्रश्न सहायक अभियन्ताओं के संबंध में हैं । मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूं । मान्यवर, अवर अभियन्ताओं से सहायक अभियन्ताओं के लिये प्रमोशन होता है। इसमें यह किया जाता है कि अगर 25 का प्रमोशन होना है तो 75 की सूची बनायी जाती है ।

(व्यवधान)

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, यह मैं नहीं पूछ रहा हूं। कितने टोटल पद हैं कितने अनुसूचित जाति के भर लिये गये हैं, और कितने शेष बचे हैं मैं पूछ यह रहा हूं और जबाव आप क्या दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय सदस्य की जिज्ञासा यह जानने की है कि आरक्षित पद कितने हैं और उनमें से कितने पद भरे हुये हैं ? और कितने पद रिक्त हैं ?

श्री रविकान्त गर्ग-

मैंने जो कार्यरत हैं उनकी भी संख्या बता दी और जो रिक्त हैं उनकी भी बता दी 152 और 10 पद रिक्त है ।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मेरा जबाब आया ही नहीं है ।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जितने पद भरे गये हैं उसमें से कितने अनुसूचित जातियों के हैं कितने सामान्य के शेष हैं। दूसरी बात पूछना चाहूंगा प्रोन्नति करने के बाद क्या अनुसूचित जाति के कोटे से प्रोन्नति नहीं होती है अगर होती है तो प्रोन्नति से कितने अनुसूचित जातियों के पद भरे गये हैं?

श्री रविकान्त गर्ग-

मैंने अवगत कराया कि 207 सहायक अभियन्ता एवं प्रोन्नति द्वारा नियुक्त

चार सहायक अभियंता कार्यरत हैं । 19 सीधी भर्ती द्वारा कार्य कर रहे हैं । आरक्षण कोटे में सीधी भर्तियों के संबंध में बताया कि अवर अभियन्ता की अर्हता पूरी न होने के कारण उपलब्धता नहीं है ।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष

अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं । इस पर काफी समय हो गया है ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, आपने देखा कि माननीय सदस्य जो सवाल पूछ रहे हैं, उनका उत्तर नहीं आ रहा है । माननीय मंत्री जी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। कि वह वही जवाब दें जो माननीय सदस्य पूछ रहे हैं लेकिन इतना जरूर कर सकते हैं, कि प्रश्न का संगत उत्तर दें । मेरा आग्रह है कि इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दें । इस तरह से प्रश्नों के साथ खिलवाड़ होगा तो प्रश्न पूछने से फायदा क्या है ।

श्री उपाध्यक्ष-

मैं प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द करता हूं ।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न)

## यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्टस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनायी जा रही जिंक सल्फेट फैक्ट्री, काशीपुर (नैनीताल) को शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास

*1-श्री श्रीराम चौहान-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्स्ट्रियल कारपोरेशन लि0 द्वारा बनायी जा रही जिंक सल्फेट फैक्ट्री, काशीपुर (नैनीताल) 5-6 साल के बाद भी नहीं बन पायी है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिये कौन दोषी है ? फैक्ट्री बनाने में होने वाली देर के कारण यदि लागत बढ़ी है तो उसके लिये प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ? कब तक फैक्ट्री पूर्ण हो जाने की संभावना है ?

कृषि मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)-

जी हां ।

यू0पी0 डेसको द्वारा बनायी गयी प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट का आई0आई0 टी0 कानपुर के विशेषज्ञों द्वारा परीक्षणोपरान्त संशोधित मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रेषण, आमंत्रित निविदाओं का विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण, हरिवास द्वारा निर्माण कार्य में विलम्ब किया जाना, प्लान्ट एवं मशीनरी के ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारम्भ करने पर इस कार्य को बीच में छोड़कर भाग जाना जिस पर पुनः निविदायें आमंत्रित करके अधूरे कार्य को पूर्ण कराया जाना आदि विलम्ब के प्रमुख कारण हैं ।

विलम्ब मुख्यतः निर्माण एजेन्सी एवं संबंधित ठेकेदार के स्तर पर हुआ। विलम्ब का उत्तरदायित्व निर्धारित के लिये जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

विलम्ब के कारण बढ़ी लागत के लिये संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है ।

शीघ्र पूर्ण कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है ।

(माननीय मंत्री जी द्वारा प्रश्न का उत्तर न पढ़े जाने पर।)

श्री उपाध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी प्रश्न के उत्तर को पूरा पढ़ दें ।

(माननीय मंत्री जी द्वारा प्रश्न के उत्तर का शेष भाग पढ़े जाने के उपरान्त।)

श्री श्रीराम चौहान-

मान्यवर, यू0पी0 स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो जिंक सल्फेट फैक्ट्री बनायी जा रही है वह 5-6 वर्षों से निर्माणाधीन है। जितना अनुमानित लागत थी उससे कई गुना अधिक खर्च हो चुका है । माननीय मंत्री जी ने दोषारोपण ठेकेदार पर कर दिया कि उसकी वजह से देर हुयी। मेरा कहना है कि इसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने सांठगांठ की है और बड़े पैमाने पर घपला किया है। क्या माननीय मंत्री जी इस सारे मामले की उच्चस्तरीय जांच करायेंगे। और जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको दण्डित करने की कृपा करेंगे ?

श्री गंगा भक्त सिंह-

मान्यवर, यह बात सही है कि इसमें विलम्ब हुआ है यह कार्य 10-7-89 तक पूरा हो जाना चाहिये। इस कार्य को ठेकेदार बीच में छोड़कर चला गया। फिर दूसरा ठेकेदार आया उसने कुछ विलम्ब किया। शासन द्वारा भी कुछ समय के लिये काम रोक दिया गया था, इन कारणों से विलम्ब हुआ। माननीय विधायक यदि कोई विशेष बात बतायेंगे तो उसकी जांच भी करवा लेंगे ।

**जनपद लखीमपुर खीरी में कार्यरत सहकारी चीनी मिल बेलरायां द्वारा सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु गन्ना किसानों से काटी गयी धनराशि का विवरण**

*2-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद लखीमपुर खीरी की सहकारी चीनी मिल द्वारा किसानों से विकास के नाम पर लाखों रुपयों की कटौती की गयी है ? यदि हां, तो कटौती की गयी धनराशि कितनी है ? क्या यह सत्य है कि कटौती की धनराशि गन्ना विकास विभाग बिलरायां को नहीं दी गयी है जिससे उक्त मिल क्षेत्र के मार्ग एवं पुल की मरम्मत एवं अन्य निर्माण कार्य रुके हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त धनराशि कब तक गन्ना विभाग विलरायां को उपलब्ध करा दी जायेगी ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री हनुमन्त सिंह)-

जनपद लखीमपुर खीरी में कार्यरत सहकारी चीनी मिल बेलरायां द्वारा अपने गन्ना उत्पादक सदस्यों की सहमति से वर्ष 1982-83 से वर्ष 1990-91 तक कुल रुपया 49.46 लाख की कटौती सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु की गयी ।

जी नहीं सत्य यह है कि कटौती की गयी धनराशि का भुगतान गन्ना विकास परिषद् बेलरायां (खीरी) को किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(बुधवार दिनांक 13 मई, 1992 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न)

**राज्य विद्युत परिषद् में हो रहे घाटे को कम करने हेतु विद्युत गृहों की कार्य क्षमता में सुधार की प्रस्तावित योजना**

*1-श्री सुरेश प्रताप गांधी-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् के घाटे को कम करने तथा सीमित संशाधनों से विद्युत गृहों की कार्यक्षमता में सुधार कर विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कोई योजना समयबद्ध बनायी है ? यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ?

श्री रविकान्त गर्ग-

जी हां ।

परिषद् में हो रहे घाटे को कम करने के तथा सीमित संसाधनों से विद्युत गृहों की कार्य क्षमता में सुधार हेतु प्रस्तावित योजना की रूपरेखा निम्नवत् है:-

1-विद्युत चोरी एंव तत्संबंधी अनियमितताओं को रोकने के लिये प्रभावी कदम ।

2-विद्युत दरों के ढांचे में संशोधन ।

3-शासन की घोषणा के अनुरूप परिषद् द्वारा मितव्ययता के अन्तर्गत प्रभावी कदम ।

4-विद्युत उत्पादन में वृद्धि हेतु चालू तापीय उत्पादन परियोजनाओं का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण ।

5-निर्माणाधीन उत्पादन परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र चालू कराना ।

6-वार्षिक अनुरक्षण तथा अन्य तकनीकी खराबियों के कारण बन्द मशीनों को शीघ्र से शीघ्र चालू किया जाना ।

7-पारेषण एवं वितरण (नगरीय तथा ग्रामीण) प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण।

श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, विद्युत परिषद् के घाटे को कम करने और विद्युत गृहों की कार्यक्षमता में सुधार ला कर उत्पादन बढ़ाने के संबंध में उपाय पूछे गये हैं। माननीय मंत्री जी ने जो उपाय बताये हैं, उनमें एक यह भी है कि विद्युत दरों के ढांचे में संशोधन, माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन सी श्रेणी की विद्युत दर बढ़ाने का प्रस्ताव है और कौन सी में कम कर रहे हैं। क्या सुझाव हैं । दूसरा यह

बताया कि तापीय योजनाओं के सुदृढ़ीकरण की बात की है इसमें सबसे बड़ी कठिनाई कोयले की है। जितने थर्मल पावर स्टेशन हैं, उनमें कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है। कारण यह है कि कोल इंडिया का करोड़ों रुपया विद्युत परिषद् पर बकाया है। उसका भुगतान कैसे करेंगे जिससे कि कोयले की सप्लाई सुनिश्चित हो जाय। विद्युत दरें बताने की कृपा करें कि किसमें बढ़ा रहे हैं और किसमें घटा रहे हैं, और कोयले की आपूर्ति किस प्रकार से सुनिश्चित करेंगे ।

श्री रविकान्त गर्ग-

मान्यवर, विद्युत दरों में निकट भविष्य में कोई परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव नहीं है। भविष्य की बात पूछ रहे हैं, यह तो विगत की बात हो गयी है ।

श्री विजय सिंह राणा-

संशोधन क्या कर रहे हैं । मान्यवर, माननीय गांधी जी ने जो प्रश्न किया है उसके उत्तर में स्वयं लिखा है कि विद्युत दरों के ढांचे में संशोधन, अब उनको अस्वीकार कर रहे हैं, लिखा है कि संशोधन कर रहे हैं तो माननीय गांधी जी जानना चाहते हैं, कि वे संशोधन क्या है ?

श्री रविकान्त गर्ग-

मान्यवर, मैंने उत्तर दिया कि भविष्य में और कोई फिलहाल संशोधन प्रस्तावित नहीं है। दूसरे कोयले की आपूर्ति के संबंध में माननीय गांधी जानना चाहते हैं, उनको सुनिश्चित करने के लिये परिषद् द्वारा नकद भुगतान किया जा रहा है, और पिछला जो बकाया है, उसका भी काफी भुगतान किया गया है।

श्री इम्तियाज अहमद-

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि घाटे को पूरा करने के लिये विद्युत दरों में वृद्धि सम्मिलित है मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि विद्युत दरों में जो बढोत्तरी की गयी, उसमें जो भारी विसंगतियां हैं, मिसाल के तौर पर जो पावरलूम इण्डस्ट्रीज हैं, कुटीर पावरलूम हैं, उसमें रोजगार के अवसर बहुत हैं, उसमें 60 परसेंट वृद्धि की गयी है, जबकि सरकार ने कहा कि 38 परसेंट होगी, जिससे कि पूरे प्रदेश में उद्योग बन्द हो रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन विसंगतियों को दूर करेंगे और जो 60 परसेंट की वृद्धि की गयी है, उसमें संशोधन करके कम करेंगे ।

श्री रविकान्त गर्ग-

मान्यवर, किसी भी श्रेणी में 60 परसेंट वृद्धि नहीं की गयी है ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी-

मान्यवर, ऊंचाहार तापीय विद्युत गृह जो एन0टी0पी0सी0 को बेचा गया है, उसके जो पूरे भारत के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि यह सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश के पास विद्युत उत्पादन की इकाई थी। उन इकाई को बेचे जाने का औचित्य क्या था ?

श्री उपाध्यक्ष-

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, कभी यह स्थिति होती थी कि मंत्रीगण एक उत्तर एक दिन देते थे, दूसरे दिन दूसरा उत्तर देते थे, लेकिन आज एक और कीर्तिमान बन रहा है कि लिखित उत्तर में कुछ दिया है और अनुपूरक उत्तर में कुछ और है।

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कृपया लिखित उत्तर मान्यवर, देख लें, इसमें विद्युत गृहों की कार्यक्षमता में सुधार हेतु प्रस्तावित योजना की रूपरेखा बताई है, उसमें नं0 2 देख लें, विद्युत दरों के ढांचे में संशोधन अब मान्यवर, मंत्री जी जबाब दे रहे हैं, कि विद्युत दरों में परिवर्तन नहीं किया जायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी आश्वस्त करेंगे कि विद्युत दरों को भविष्य में बढ़ाया नहीं जायेगा।

श्री रविकान्त गर्ग-

मान्यवर, निकट भविष्य में कोई विद्युत दरें बढ़ाई नहीं जायेंगी ।

**प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा कृषकों को गन्ना मूल्य के भुगतान प्रक्रिया की जानकारी**

*2-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा तैयार चीनी के स्टाक बैंक को बंधक रखकर कुल मूल्य 85 प्रतिशत भुगतान आहरित कर लिया जाता है, यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि गन्ना कृषकों को यथासमय भुगतान कर दी जाती है ? क्या यह सत्य है कि उक्त धनराशि को मिलों के प्रबन्धक एवं जिलाधिकारी अपनी गैर जिम्मेदारी से अन्य मदों में व्यय कर देते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों, एवं प्रबन्धकों को दंडित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हनुमन्त सिंह-

जी नहीं, उत्पादित चीनी के अनुमानित मूल्य का मात्र 80 प्रतिशत धन चीनी मिल को अग्रिम के रूप में प्राप्त होता है।

चीनी मिल को उपलब्ध अग्रिम में से संबंधित कलेक्टर द्वारा अधिकतम 85 प्रतिशत तक टैगिंग कर गन्ना मूल्य भुगतान के लिये धन उपलब्ध कराना होता है। सामान्यतया यह सत्य नहीं है कि सभी मिलों के प्रबन्धक एवं जिलाधिकारी गैर जिम्मेदारी से अन्य मदों में व्यय कर देते हैं लेकिन परिस्थितियों के अनुरूप तथा नियमों में जिलाधिकारियों को टैगिंग के आदेश के प्रतिशत को शिथिल करने का अधिकार है ।

गन्ना मूल्य भुगतान पर लगातार कड़ा नियंत्रण गन्ना आयुक्त एवं उनके अधिकारियों द्वारा रखा जा रहा है और जहां भी कहीं अकारण ही इस प्रकार का उदाहरण सम्मुख आयेगा, वहीं संबंधित दोषी मिल प्रबन्धक एवं अन्य उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध नियमतः कार्यवाही की जायेगी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

*3-श्री राम आसरे वर्मा-

(मा0 उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया ।)

**जनपद उन्नाव के कस्बा मौरावां में व असोहा में विद्युत उप संस्थान के निर्माण के प्रस्ताव की जानकारी**

*4-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र उन्नाव जिले के कस्बा मौरावां में 132 के0वी0ए0 उपग्रह व असोहा में 33 के0वी0ए0 का उपग्रह कब तक बन जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रवि कान्त गर्ग-

उन्नाव जनपद के कस्बा मौरावां में 132 के0वी0 विद्युत उप संस्थान के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

उन्नाव जनपद के कस्बा असोहा में 33/11 के0वी0 विद्युत संस्थान के निर्माण का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री हृदय नारायण दीक्षिति-

श्रीमन् उन्नाव जनपद में कस्बा मौरावां को लखनऊ जिले कस्बा मोहन लाल गंज से करीब 30 कि0मी0 दूरी से बिजली दी जाती है, और कस्बा मोरावां उपग्रह से माननीय मंत्री जी अवगत होंगे, कस्बा मौरावां के पावर हाऊस के करीब 5 ब्लाकों के विशाल क्षेत्रफल को बिजली दी जाती है और करीब 10-10 महीनें से विद्युत आपूर्ति बिल्कुल अस्त-व्यस्त है। मान्यवर, मैंने सुझावात्मक प्रश्न किया था, जो समस्यामूलक है इन्हीं समस्याओं को हल करने के लिये क्या सरकार मौरावां में 132 के0वी0ए0 का सब स्टेशन बनायेगी ? अब मान्यवर, प्रश्न की अंतिम पंक्ति जो है, उसके देखने का कष्ट करें, यदि नहीं, तो क्यों मान्यवर, जो मैंने पूछा है कि वहां दोनों स्थानों पर पावर हाउस कब तक बन जायेगा, तो सरकार ने कहा कि नहीं बनेगा। तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं बनेगा ? इस पर उत्तर आया कि प्रश्न नहीं उठता। तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं बनेगा ?

श्री रवि कान्त गर्ग-

चूंकि इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री हृदय नरायण दीक्षित-

मान्यवर, मैं समस्यामूलक सवाल पूछ रहा हूं । माननीय मंत्री जी ने बताया कि इसकी आवश्यकता नहीं है। जो मैंने दो स्थानों पर विद्युत सब स्टेशन बनाने की मांग की, तो सरकार ने क्या कोई सर्वेक्षण कराया है कि नहीं बनेगा या अपने मन से बताया है ?

श्री रविकान्त गर्ग-

नहीं मान्यवर, इस संबंध में तो सर्वेक्षण की निरंतर प्रक्रिया जारी रहती है। मैं माननीय सदस्य को और माननीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि वहां 33/11 उपग्रह मौरावां से विद्युत आपूर्ति की जाती है। मान्यवर, वहां पर सब स्टेशन है और सब स्टेशन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, जब से विधान सभा का सत्र हुआ है, माननीय विद्युत राज्य मंत्री जी ने कभी सही उत्तर नहीं दिया है। मान्यवर, क्या उत्तर सही आया है, आप ही बता दें ।

## कृषि विपणन विभाग में श्रेणी-2 के रिक्त पदों पर कृषि विपणन सेवा वर्ग-1 के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की मांग

*5-श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि विपणन विभाग में श्रेणी-2 के कुल 13 पदों मे से 9 पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार अधीनस्थ कृषि विपणन सेवा वर्ग-1 के सदस्यों को श्रेणी-2 में पदोन्नति करके इन रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह-

जी हां ।

कृषि विपणन विभाग नियमावली प्रख्यापित न होने के कारण पद रिक्त रहे।

रिक्त पदों में से 50 प्रतिशत पदों पर कृषि विपणन सेवा वर्ग-1 के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जायेगी ।

यथाशीघ्र।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने उत्तर पढ़ दिया है, वर्मा जी आप कोई अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री रामस्वरूप वर्मा-

आप शान्त करें, आवाज नहीं आ रही है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष

आप कृपा कर बैठ जायें । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैंने अगला प्रश्न ले लिया है ।

(व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, आपने माननीय मंत्री जी को निर्देशित किया उत्तर देने के लिये और मैंने पूछा था कि क्या कोई सर्वे कराया गया है, इसका उत्तर ठीक से नही आया। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । आप नियमावली का नियम 33 देख लें ।

श्री उपाध्यक्ष-

माननीय वर्मा जी अगर आप कोई अनुपूरक प्रश्न करना चाहते हैं, तो करें, दीक्षित जी मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। कृपा कर आप बैठ जायें, दूसरे सदस्य का भी प्रश्न आने दें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा-

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कृषि विपणन सेवा वर्ग-। के सदस्यों को श्रेणी-2 में पदोन्नति करके इन रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ?

(व्यवधान)

श्री गंगा भक्त सिंह-

मान्यवर, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री उपाध्यक्ष-

दीक्षित जी मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप कृपया बैठ जायें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मैंने प्रश्न किया है, उसका उत्तर आप दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष-

प्रश्न संख्या-6, अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

(इस समय 12 बजकर 18 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुये।)

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, इस समय सदन में बड़ा व्यवधान हो रहा हैं। मेरे खड़े होने पर सभी सम्मानित सदस्य बैठ गये। मैं कहना चाहता हूं कि यह सही है कि मंत्री लोग उत्तर देने के लिये आते हैं, लेकिन वह तैयार होकर नहीं आते हैं, मान्यवर, दीक्षित जी का सवाल है, उन्होंने सवाल कुछ किया है और उत्तर कुछ आया है, सम्पूर्ण और सही उत्तर नहीं आते हैं, इस कारण सदस्यों में असंतोष होता है। अभी आप देख रहे हैं कि एक दर्जन से ज्यादा माननीय सदस्य खड़े हो गये और सवाल पूछ रहे थे, आप कृपया यह व्यवस्था दे दें कि या तो मंत्री सही उत्तर दें, या आप इसको स्थगित कर दें, संसदीय कार्य मंत्री जी आप मंत्रियों का क्लास लिया करें और उनको समझाया करें, मान्यवर, सवाल क्या है और उत्तर कुछ और दिया जाता है, तो इससे सदस्यों में असंतोष उत्पन्न होता है। दीक्षित जी कभी इस तरह की बात नहीं करते हैं, लेकिन जब उनके प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो उनके लिये ऐसा करना स्वाभाविक है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जो भी आपके निर्देश होंगे वह शिरोधार्य हैं। जो प्रश्न अभी चल रहा था और जो प्रश्न पूछा गया, उसका संगत उत्तर मंत्री जी द्वारा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकाल समाप्त हुआ। अब मैं अभिलेखों को देख लूंगा ।

## राज्य सरकार द्वारा नई चीनी मिलें लगाने हेतु उद्यमियों के आवेदन-पत्रों की संस्तुति सहित केन्द्र सरकार को भेजा जाना

*6-श्री श्याम देव राय चौधरी-

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उत्पादित कुल गन्ना का कितना प्रतिशत वर्तमान में सरकारी चीनी मिलों द्वारा पेराई होता है ? शेष गन्ने की पेराई हेतु और चीनी मिलों के लाइसेंस दिये जाने के आवेदन पर किसान हितों के तहत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हनुमन्त सिंह-

प्रदेश में उत्पादित कुल गन्ने का 6.71 प्रतिशत गन्ना उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की मिलों द्वारा तथा 7.60 प्रतिशत गन्ना सहकारी क्षेत्र की मिलों द्वारा पेरा जाता है।

गन्ने की और अधिक पेराई सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नई चीनी मिल लगाने हेतु 87 स्थलों पर 176 निजी क्षेत्र में के उद्यमियों के आवेदन पत्र केन्द्र सरकार को अपनी संस्तुति सहित भेजे गये हैं ।

---

नोट:- तारांकित प्रश्न संख्या-5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

**जनपद सोनभद्र के मुख्यालय राबर्ट्सगंज में मण्डी परिषद् द्वारा किसानों की उपजों के क्रय विक्रय की व्यवस्था**

*7-श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के मुख्यालय राबर्ट्सगंज में मण्डी परिषद् द्वारा किसानों की कृषि उपजों के क्रय विक्रय की व्यवस्था की गयी है ? क्या यह सही है कि रावर्ट्सगंज में मण्डी परिषद् से संबधित अनाज के व्यापारी बहुत कम हैं, जिससे उनमे प्रतियोगिता का अभाव है और इसके फलस्वरूप किसानों को उनकी उपज का दाम कम मिलता है ? क्या सरकार इसके निराकरण हेतु उपाय कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह-

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बस्ती के अन्तर्गत चीनी मिल बस्ती तथा वाल्टरगंज एवं गन्ना सोसाइटी द्वारा गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान का विवरण**

*8-श्री राम ललित चौधरी-

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनपद बस्ती के अन्तर्गत चीनी मिल बस्ती तथा वाल्टरगंज पर गन्ना किसानों का वर्ष 90-91 का कितना बकाया है तथा कितने का भुगतान गन्ना सोसाइटी वाल्टरगंज एवं गन्ना सोसाइटी बस्ती को निगम द्वारा दिया गया है ? कितना भुगतान उपरोक्त दोनों सोसाईटियों ने गन्ना किसानों को दिया है ? क्या यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि दोनों गन्ना मिलों तथा दोनों गन्ना सोसाइटियों द्वारा पिछले वर्ष का भुगतान कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह-

जनपद बस्ती के अंतर्गत चीनी मिल, बस्ती तथा वाल्टरगंज पर वर्ष 1990-91 का कोई बकाया नहीं है। चीनी मिल वाल्टरगंज तथा बस्ती द्वारा गन्ना सोसाइटी वाल्टरगंज तथा गन्ना सोसाइटी बस्ती को निम्न विवरण के अनुसार भुगतान किया गया है:-

| नाम चीनी मिल | नाम सोसाइटी | गन्ना मूल्य का भुगतान (लाख रुपये में) |
|---|---|---|
| 1-वाल्टरगंज | वाल्टरगंज | 660.99 |
| 2-बस्ती | बस्ती | 681.49 |

दोनो सोसाइटियों द्वारा चीनी मिल से प्राप्त गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को निम्न विवरण के अनुसार दिया है:-

| नाम सोसाइटी | कृषकों को दिया गया गन्ना मूल्य (लाख रुपये में) |
|---|---|
| वाल्टर गंज | 655.15 |
| बस्ती | 670.53 |

दोनों चीनी मिलों द्वारा वर्ष 1990-91 का देय गन्ना मूल्य का भुगतान समितियों को किया जा चुका है। समिति स्तर पर अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान का कार्यक्रम लगा कर कृषकों को दिया जा रहा है ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

*9-श्री राम लखन वर्मा-

(9वें गुरु0 में ता0प्र0सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**जनपद सीतापुर स्थित दि किसान सहकारी चीनी मिल, महमुदाबाद के पूर्व जी0 एम0 श्री जी0के0 गुप्त के विरुद्ध जांच कार्य एवं कार्यवाही**

*10- श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल महमुदाबाद, सीतापुर के पूर्व जी0एम0, श्री जी0के0 गुप्त द्वारा बिना शासन की अनुमति के किसानों को देय गन्ना मूल्य की धनराशि रुपये 1,37,00,000 (एक करोड़ सैंतीस लाख) दूसरी मदों पर खर्च कर दिया गया था ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह सही है कि इनके ऊपर लाखों रुपये के गवन की शिकायत के बावजूद सम्पूर्णानगर चीनी मिल का प्रबन्धतंत्र सौंप दिया गया है? यदि हां, तो क्यों ? क्या इनके खिलाफ शासन स्तर पर जांच कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो जांच कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह-

जी हां ।

इस संबंध में शासनादेश संख्या 135 एस0सी0/18-2-92, दिनांक 27-1-92 द्वारा श्री जी0के0 गुप्त को भर्त्सना प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान की गयी है ।

इनके विरुद्ध पूर्व में प्राप्त शिकायतों के आधार पर शासन स्तर पर एक प्रारम्भिक जांच की गयी थी तथा उन्हें चार्जशीट भी कर दिया गया था। सम्पूर्ण प्रकरण की जांच संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, चीनी मिल संघ द्वारा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जांच कार्य एक माह में पूर्ण की जायेगी ।

## उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अन्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण की जानकारी

*11-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने वर्ष 1990-91 में निर्धारित 1550 ग्रामों के ऊर्जीकरण के लक्ष्य के विरुद्ध इस समय तक केवल 200 ग्रामों का ही विद्युतीकरण किया है ? क्या यह सत्य है कि इसका मुख्य कारण यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा इन गांवों के विद्युतीकरण का जो पैसा दिया गया था उस पैसे का करीब 100 करोड़ रुपया राज्य विद्युत परिषद् ने अन्य मदों में खर्च कर दिया ? यदि हां, तो सरकार बाकी बचे गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री लालजी टंडन)-

वर्ष 1990-91 में निर्धारित लक्ष्य 1900 के समक्ष 2207 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया । अतएव प्रगति लक्ष्य से अधिक रही ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

## उर्वरक वितरण हेतु प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत एजेन्सियों का विवरण एवं दिये जाने वाले उर्वरक का मानक

*12-श्री किशोरी लाल यादव-

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय किसानों के उर्वरक बांटने के लिये प्रदेश सरकार के अधीनस्थ कितनी एजेन्सियां कार्य कर रही हैं ? प्रदेश सरकार द्वारा इन एजेन्सियों को दी जाने वाली उर्वरक मानक क्या है ? क्या यह भी बतलायेंगे कि इन सभी एजेन्सियों में सीमान्त तथा लघु सीमान्त कृषकों को क्या सुविधा प्राप्त है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह-

इस समय प्रदेश में चार शीर्ष संस्थायें यथा उत्तर प्रदेश सहकारी संघ, उत्तर प्रदेश गन्ना समितियां संघ, उत्तर प्रदेश एग्रो तथा कृषि विभाग, कृषकों को उर्वरक वितरण का कार्य कर रही हैं ।

प्रदेश सरकार द्वारा इन शीर्ष संस्थाओं को उनकी मांग तथा आवश्यकता के आधार पर विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से उर्वरकों का आवंटन किया जाता है।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**टाण्डा थर्मल प्रोजेक्ट के सी0एस0एफ0 कालोनी व राक (डम्प) से शरीफपुर कलवरिया मखदूम नगर के किसानों की फसलें प्रभावित होने की जानकारी**

*13- बलराम यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि टाण्डा थर्मल प्रोजेक्ट के सी0एस0एफ0 कालोनी व राक (डम्प) से शरीफपुर, कलवरिया एवं मखदूमनगर के किसानों की फसलें प्रभावित हुई थीं ? क्या परगनाधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारित किया गया ? क्या निर्धारित प्रतिकर परियोजना द्वारा भुगतान करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टंडन-

टाण्डा थर्मल प्रोजेक्ट की सी0आई0एस0 एफ0 कालोनी तथा ऐश (डम्प) से शरीफपुर, कलवरिया एवं मखदूमनगर के किसानों की फसलें प्रभावित नहीं हुई थीं, सी0आई0एस0एफ0 कालोनी में पानी की टंकी से पानी अप्रैल, 1990 से दिया जा रहा है जबकि फसल क्षति का प्रकरण एस0डी0एम0, टाण्डा से मार्च, 1990 में प्राप्त हुआ है तथा क्षति अवधि 1987 से मार्च, 1990 (तीन वर्षों की) दर्शायी गयी है। अतः अप्रैल, 1990 से पहले उक्त कारण फसलों की क्षति का प्रश्न ही नहीं उठता है। जहां तक ऐश (डम्प) से फसलों की क्षति की सम्भावना का प्रश्न है, जल भराव एवं भविष्य में कृषकों की फसलों को होने वाली सम्भावित क्षति को ध्यान में रखकर एक नाला ऐश (डम्प) के निर्माण के साथ ही साथ पूर्व में ही बना दिया गया था और उसको मखदूमनगर के नाले से जोड़ दिया गया था । अतः ऐश (डम्प) के कारण फसलों को किसी प्रकार की क्षति होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

जी हां, परगनाधिकारी, टाण्डा ने क्रमशः अपने पत्रांक मेमो/एम0टी0/क्षतिपूर्ति, दिनांक 30-4-90 द्वारा प्रतिकर निर्धारण कर पत्र प्रेषित किया था । परियोजना अधिकारियों ने उक्त कारणों को दर्शाते हुये पूर्व प्रकरण दिनांक 5-3-91 को परगनाधिकारी, टाण्डा को वापस भेज दिया था अतः परियोजना स्तर पर कोई कार्यवाही लम्बित नहीं है ।

उपरोक्तानुसार प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जाना है ।

**जनपद लखनऊ के लेसू में कार्यरत श्री अजय सिंह, रेजीडेण्ट इंजीनियर के विरुद्ध कथित भ्रष्टाचार में कार्यवाही की मांग**

*14- पूरन प्रकाश-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री अजय सिंह, रेजीडेण्ट इंजीनियर, लेसू जब वे पूर्व में महाप्रबन्धक, कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई, लखनऊ थे को हजरतगंज पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो विभाग नें इस संबंध में क्या कार्यवाही की ? क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बतायेंगे कि श्री अजय सिंह, रेजीडेण्ट इंजीनियर, लेसू ने वर्ष 1990-91 में प्रिन्स सिनेमा

काम्पलेक्स, टाटा कन्सल्टेंसी, कृष्णा मेडिकल सेन्टर, हार्ट सेंटर, मदर केयर जैसे बहुखण्डीय भवनों को स्वीकृत भार से अधिक विजली उपयोग करते हुये पाये जाने पर तीन गुना पहले जुर्माना किया, बाद में इन्हीं भवनों का मात्र कुछ सौ रुपये जुर्माना के साथ भार बढ़ा दिया गया ? यदि हां, तो इसमें राज्य विद्युत परिषद् को कितने रुपये की क्षति हुई?

श्री लालजी टंडन-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**मण्डी समितियों से प्राप्त अंशदान की धनराशि को पी0एल0ए0 खाते में जमा किये जाने की शिकायत**

*15-श्री विजय सिंह राणा-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मण्डी समितियों के धन को पी0एल0ए0 के खाते में जमा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन किसानों के जमा धन को बिना किसी कर के अपने खाते में जमा कर सकती है ? यदि हां, तो किस अधिकार से और नहीं, तो किसानों के मण्डी समिति में जमा धन को पी0एल0ए0 के खाते में कैसे जमा करा लिया जाता है ?

श्री गंगा भक्त सिंह-

जी हां ।

मण्डी परिषद् की धारा 22 तत (2) में ईंगित प्रयोजनों के लिये विकास कार्यों पर व्यय हेतु जमा कराया जा रहा है ।

उक्त खाता मण्डी निदेशक के नाम से है। इसमें जमा की जा रही धनराशि किसानों का जमा धन नहीं है अपितु मण्डी शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि है ।

उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 25, सन् 1964) की धारा 26 तत के अंतर्गत उ0प्र0 राज्य मण्डी विकास निधि की स्थापना की गई है । शासनादेश संख्या 4749/12-5-91-600 (108)/88, दिनांक 6 फरवरी, 1992 द्वारा उक्त विकास निधि से राजकीय कोषागार, लखनऊ में "उत्तर प्रदेश मण्डी विकास निधि" के नाम से वैयक्तिक लेखा खाते में धन जमा करने के निर्देश दिये गये हैं, इसी क्रम में मण्डी समतियों से प्राप्त अंशदान की धनराशि पी0एल0ए0 खाते में जमा की गई है ।

**उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग (मैदानी क्षेत्र) की फल उपयोग शाखाओं में अलग-अलग कार्यरत कर्मचारियों को एक शाखा में समायोजित किये जाने तथा विकल्प न मांगे जाने की शिकायत**

*16-श्री ज्ञानेन्द्र-

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

विभाग (मैदानी क्षेत्र) की फल उपयोग शाखा के वर्ग दो एवं तीन के शोध खण्ड एवं प्रसार खण्ड के अलग-अलग घोषित कर्मचारियों को एक में ही समायोजित करने की कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो एक में ही समायोजित करने से पूर्व शोध खण्ड में कार्यरत ज्येष्ठ कर्मचारियों की प्रसार खण्ड में कार्यरत उन कनिष्ठ कर्मचारियों से पूर्व (जो प्रसार खण्ड में पदोन्नति पा चुके हैं) ज्येष्ठता निर्धारित करवा कर पदोन्नति दिलवाने, वेतन निर्धारित करवाने एवं एरियर दिलवाने की कृपा करेंगे ? क्या दोनों शाखाओं के अलग-अलग घोषित कर्मचारियों को एक में सम्मिलित करने से पूर्व कर्मचारियों से विकल्प मांगा जायेगा या विभाग द्वारा एक तरफा कार्यवाही करके बिना विकल्प मांगे ही सम्मिलित कर दिया जायेगा ?

श्री गंगा भक्त सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद फर्रुखाबाद की तहसील कायमगंज को हरी पट्टी घोषित करने की मांग**

*17-श्री इजहार आलम खां-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील कायमगंज, जनपद फर्रुखाबाद को सम्पूर्ण जांचोपरान्त हरी पट्टी घोषित करने के सुझाव शासन को प्राप्त हुये हैं? क्या तहसील कायगंज को हरी पट्टी घोषित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह-

जी हां ।

जनपद फर्रुखाबाद के कायमंगज व शमसाबाद के कतिपय क्षेत्रों को फल पट्टी घोषित करने का प्रस्ताव शासन में प्राप्त हुआ था ।

जी नहीं । बागों का आच्छादन क्षेत्रफल कम होने के कारण फल पट्टी घोषित किया जाना सम्भव नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद महराजगंज में आयोजित सिंचाई बन्धु की बैठकों में ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को भाग लेने हेतु निर्देश**

*18-श्री शिवेन्द्र सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद महराजगंज में आयोजित सिंचाई बन्धु की नवम्बर, दिसम्बर, 1991, जनवरी, 1992 की लगातार तीन मासिक बैठकों में विद्युत विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थित रही है ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में मंत्री जी कार्यवाही करेंगे ? इन बैठकों में विद्युत विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थित के कारण हुयी बैठक की विफलता की जिम्मेदारी किसके ऊपर निश्चित करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

जी हां ।

ऊर्जा विभाग द्वारा उक्त बैठकों में भाग न लेने से संबंधित अधिकारी को चेतावनी दे दी गयी है और आगे की बैठकों में निश्चित रूप से भाग लेने हेतु कड़े निर्देश दे दिये गये हैं ।

**जनपद आजमगढ़ के सिंचाई विभाग द्वारा शहर में तटबन्ध के निर्माण कार्य का नियमानुसार भुगतान करने की मांग**

*19-श्री अंगद सिंह यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग जनपद आजमगढ़ शहर में तटबन्ध के निर्माण पर कोई जांच विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या वह जांच पूरी हो चुकी है ? यदि पूरी हो चुकी है, तो क्या जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस तटबन्ध पर जो भी कार्य हुये हैं, क्या उनका भुगतान रुका हुआ है ? यदि हां, तो वह धन अब किन परिस्थितियों में अदा किया जा रहा है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

इस तटबन्ध पर जो निर्माण कार्य हुये हैं, उनका भुगतान रुका हुआ नहीं है। भूमि प्रतिकर भुगतान तथा रख-रखाव के मद में कराये गये कार्यों का कुछ भुगतान रुका हुआ है ।

धन की व्यवस्था होने पर भुगतान नियमानुसार किया जायेगा ।

**जनपद सोनभद्र के रेनूपावर कम्पनी, रेनूसागर के ऐशडेम के जल रिसाव की रोकथाम हेतु स्थाई व्यवस्था की मांग**

*20-श्री विजय सिंह -

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के रेनूपावर के ऐशडेम में छोड़े जा रहे राख और पानी जो गांव की सतह से सैकड़ों फुट ऊंचा हैं, के जल रिसाव से ग्राम परासी के सैकड़ों घर गिर गये हैं ? यदि हां, तो सरकार उनको कम्पनी से उचित क्षतिपूर्ति दिलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जल रिसाव रोकने के लिये सरकार स्थाई व्यवस्था करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

सूचना एकत्र की जा रही है ।

## अतारांकित प्रश्न

### जनपद शाहजहांपुर में निर्धारित अवधि के अन्तर्गत नहर के राजबहा माइनर व कटिंग की मरम्मत पर व्यय धनराशि का विवरण

1-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के पहले बुधवार के अता0प्र0सं0 137 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 में नहर के राजबहा तथा माइनरों की सफाई में रु0 10.40 लाख तथा कटिंग पर रुपये 3.85 लाख व्यय किये गये हैं ? वह धन किन-किन राजबहों व माइनरों पर किन-किन स्थानों पर खर्च किया गया है ? क्या इसकी प्राविधिक सेल से जांच कराकर अनियमितता हेतु, दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां ।

10 राजबहों की सफाई पर 470867 रुपये 55 माइनरों की सफाई पर रुपये 5,69,614.00 तथा 274 कटिंग की मरम्मत पर रुपये 3,85,000.00 व्यय किये गये हैं ।

समस्त कार्य आवश्यकतानुसार जनहित में कराया गया । अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

### जनपद शाहजहांपुर में प्रश्नगत अवधि में नहर कटिंग व सफाई पर हुये भुगतान का विवरण

2-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में वर्ष 1991-92 में नहर कटिंग व सफाई के लिये कितने रुपये का आगणन स्वीकृत है? कितना व्यय कब-कब किया गया ? उसके संबंध में अनुबन्ध/वर्कआर्डर की प्रारम्भ व समाप्ति की तिथि व अन्तिम भुगतान की तिथि क्या सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या यह भी अवगत कराने की कृपा करेंगे कि किस चैनेज स्थान पर कितना धन व्यय हुआ ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

### जनपद बलिया के सिंचाई खण्ड प्रथम के अन्तर्गत सहायक परि0, तुर्तीपार के सहायक अभियन्ता एवं जे0ई0 के विरुद्ध शिकायतों की जांच प्रचलित

3-श्री छोटे लाल यादव-

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के सिंचाई खण्ड

प्रथम के अन्तर्गत सहा0परि0, तुर्तीपार के शीर्षस्थल पर सहायक अभियन्ता एवं जे0ई0 द्वारा यांत्रिक कार्यों में गत मार्च, 1991 में 5 लाख रुपये से अधिक घोटाले के संबंध में श्री ध्रुब यादव, सदस्य, क्षेत्र समिति सीयर, बलिया का रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र दिनांक 27-12-91 को सिंचाई मंत्री को क्रमांक नं0 1916, प्रमुख अभियंता को 1917 टी0ए0सी लखनऊ को संख्या 1918 जिलाधिकारी, बलिया को संख्या 1919 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सम्पूर्ण पत्रों के माध्यम से अब तक क्या जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो इसमें जांच अधिकारी की लापरवाही को देखते हुये क्या सरकार इसकी जांच मुख्यालय के किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

शिकायतकर्ता का प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता अपितु सिंचाई मंत्री को संबोधित एवं प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, जिलाधिकारी, बलिया तथा टी0ए0सी0 को पृष्ठांकित शिकायत कर्ता का पत्र दिनांक 26-12-91/20-1-92 प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त पत्र दिनांक 26-12-91/20-1-92 के शिकायती बिन्दुओं की जांच अधीक्षण अभियन्ता, ड्रेनेज मण्डल, बलिया से कराई जा रही है ।

जांच प्रचलित है अतः किसी अन्य अधिकारी से जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बलिया के दोहरी घाट सहायक परियोजना सिंचाई खण्ड प्रथम बलिया में निर्मित पम्प हाउस में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री जय प्रकाश मिश्र के विरुद्ध जांच शीघ्र पूर्ण करने के आदेश**

4-श्री छोटे लाल यादव-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के दोहरी घाट सहायक परियोजना सिंचाई खण्ड प्रथम, बलिया के शीर्ष स्थल पर बने पम्प हाउस में सहायक अभियन्ता श्री जय प्रकाश मिश्र द्वारा भारी घोटाले के संबंध में श्री ध्रुव यादव, सदस्य, क्षेत्र समिति सीयर, बलिया के द्वारा लिखित पत्र के माध्यम से श्री बाल कृष्ण जोशी, अधिशासी अभियंता का पत्रांक 774 (ड0ख0ब0) सी-16/बलिया दिनांक 30-10-91 व श्री एस0वी0राम, अधिशासी अभियन्ता का पत्रांक 1978/सिं0 ख0 बलिया/दिनांक बलिया नवम्बर, 1-11-91 के माध्यम से जांच रिपोर्ट पूरी कर ली गयी है ? यदि नहीं, तो इसमें कब तक जांच रिपोर्ट पूरी करके शासन को अवगत कराया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

शिकायतकर्ता के द्वारा दो अलग-अलग प्रकरणों में शिकायतें की गयी थीं। प्रश्न में उल्लिखित प्रथम प्रकरण में श्री बाल कृष्ण जोशी, अधिशासी अभियंता (जांचकर्ता अधिकारी) ने अपने पत्रांक 774, दिनांक 30-10-91 तथा दूसरे प्रकरण

में श्री एस0बी0 राय, अधिशासी अभियंता (जांचकर्ता अधिकारी) ने अपने पत्रांक 1978 दिनांक 1-11-91 द्वारा शिकायतकर्ता को जांच में सहयोग देने हेतु साक्ष्यादि सहित उपस्थित होने का अनुरोध किया था ।

प्रथम प्रकरण के जांचकर्ता अधिकारी ने निलम्बित हो जाने के कारण नये जांचकर्ता अधिकारी श्री आर0एन0सिंह, अधिशासी अभियंता को जांच शीघ्र पूर्णकर आख्या तुरन्त भेजने हेतु आदेशित किया गया है। इसी प्रकार के निदेश दूसरे जांचकर्ता अधिकारी को दिये गये हैं ।

जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसके प्राप्त होने पर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

**जनपद उन्नाव में विद्युत खम्भों की चोरी, अनियमितता आदि के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही की मांग**

5-श्री हृदय नारायण दीक्षित-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में विद्युत खम्भों की चोरी, अनियमितता आदि के संबंध में प्रश्नकर्ता के राज्य मंत्री ऊर्जा को मिलकर दिये गये पत्र दिनांक 28-2-92 पर क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि 25-2-92 को पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को इसी संदर्भ में मिलकर दिये गये प्रश्नकर्ता के पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है? क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बतायेंगे कि सचिव, ऊर्जा को प्रेषित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 29-2-92 पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री लालजी टंडन-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद नैनीताल स्थित दि किसान सहकारी चीनी मिल, गदरपुर को गन्ना किसानों से गन्ने के आपूर्ति का विवरण**

6-श्री सुरेन्द्र सिंह-

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वन बिहारी ग्राम व पो0 प्रेमनगर (अलमदेवी), जिला नैनीताल का 100 गन्ना कटाई किये जाने का एक आवेदन-पत्र दिनांक 24-2-92 को कार्यालय सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, गदरपुर, नैनीताल को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है? क्या उक्त गन्ना किसानों को गन्ना आपूर्ति दि किसान सहकारी मिल, गदरपुर को की गयी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

7-श्री सन्त बख्श रावत-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त)

**कृषि विभाग में मैदानी संवर्ग तथा पर्वतीय उप संवर्ग के कर्मचारियों का चरण वद्ध स्थानान्तरण**

8-श्री रमेश पोखरियाल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि विभाग में वर्ष 1988 में पृथक पर्वतीय उप संवर्ग के गठन हेतु नोटीफिकेशन जारी हो जाने के पश्चात् भी वह प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है ? इस दिशा में क्या प्रयास किये जा रहे हैं ? मैदानी संवर्ग के कर्मचारियों को उनके संवर्ग में क्यों पदस्थापित नहीं किया जा रहा है ?

श्री गंगा भक्त सिंह-

जी हां ।

मैदानी संवर्ग के कर्मचारियों को मैदानी क्षेत्र में तथा पर्वतीय उप संवर्ग के कर्मचारियों को पर्वतीय क्षेत्र में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही चरणवद्ध तरीके से की जा रही है ।

मैदानी संवर्ग के कर्मचारियों को चरणवद्ध तरीके से मैदानी क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जा रहा है ।

**ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु एल0 टी0 एक्सटेंशन योजना का लागू होना**

9-श्री राम प्यारे आजाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु एल0टी0 एक्सटेंशन योजना लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लालजी टंडन-

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु एल0टी0 एक्सटेंशन योजना अभी लागू है अतः पुनः लागू करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद महराजगंज के ब्लाक मिठौरा को कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण कराने की मांग**

10-श्री राम प्यारे आजाद-

क्या ऊर्जा मंत्री महराजगंज जनपद के ब्लाक मिठौरा में निहित ग्राम सभा

पकडियार बुजुर्ग, खजुरिया, केवलापुर चैनपुर की जांच करायेंगे कि वहां पर विद्युतीकरण हुआ है तो कब ? यदि नहीं, तो कब तक विद्युतीकरण होगा ?

श्री लाल जी टंडन-

जनपद महराजगंज के अन्तर्गत ब्लाक मिठौरा में निहित ग्राम पकड़ियार बुजुर्ग का एल0टी0मेंन्स द्वारा आंशिक विद्युतीकरण वर्ष 1987 में हुआ है। ग्राम खजुरिया तथा केवलापुर विद्युतीकृत नहीं हैं तथा ग्राम चैनपुर की केवल हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण वर्ष 1977 में हुआ है ।

उपरोक्त गांवों का एल0टी0मेन्स बिछाकर विद्युतीकरण संबंधित चयन समिति द्वारा चयन करने के पश्चात् आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने पर सम्भव हो सकेगा।

**सहकारी चीनी मिल कायमगंज की समिति द्वारा अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान करने का प्रयास**

11-श्री राजेन्द्र सिंह चौहान-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिल कायमगंज कितने घाटे में चल रही है ? इसके घाटे के क्या कारण हैं ? उक्त चीनी मिल की पिराई क्षमता बढ़ाने के लिये सरकार में कोई योजना विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त चीनी मिल पर कृषकों का कितना गन्ना मूल्य बकाया है? इसका कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह-

सहकारी चीनी मिल कायमगंज में वर्ष 1991-92 तक कुल अनुमानित घाटा रुपये 250 लाख का है ।

निर्मित चीनी के लागत में वृद्धि तथा वर्ष 1991-92 में लेबी चीनी एवं फ्री चीनी के औसत मूल्य में कमी के अतिरिक्त कर्मचारियों के वेतन में तृतीय बेजबोर्ड के अन्तर्गत बढ़ोत्तरी घाटे का मुख्य कारण है ।

जी नहीं ।

कम मात्रा में गन्ने का उपलब्ध हो वर्ष 1990-91 तक गन्ना मूल्य भुगतान अवशेष नहीं है। वर्ष 1990-91 का रुपये 252.28 लाख गन्ना मूल्य कृषकों का भुगतान हेतु अवशेष है । मिल समिति द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान का प्रयास किया जा रहा है ।

**जनपद एटा स्थित न्यौली शुगर फैक्ट्री, न्यौली द्वारा किसानों की बकाया धनराशि का शीघ्र भुगतान कराने का प्रयास**

12-श्री राजेन्द्र सिंह चौहान-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यौली शुगर फैक्ट्री न्यौली (एटा) पर किसानों का कितना धन बकाया है ? बकाया धनराशि कब तक अदा कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह-

दिनांक 7-5-92 को स्थिति के अनुसार सत्र 1991-92 का 284.48 लाख रुपया बकाया है ।

यथाशीघ्र भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

**उत्तर प्रदेश राज्य चीनी मिल निगम के अंतर्गत संचालित चीनी मिलों में स्वीकृत सहायक अभियंता/डि0ई0 मेकेनिकल के रिक्त आरक्षित पदों को पूर्ण करने की मांग**

13-श्री निर्वेन्द्र कुमार-

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्य चीनी मिलों में सहायक अभियन्ताओं/डि0ई0मेकेनिकल के कितने पद स्वीकृत हैं ? उनमें से कितने पद अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हैं क्या अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों पर भर्ती पर रोक लगी है ? यदि हां, तो यह कब समाप्त होगी तथा आरक्षण कोटा पूर्ण करने के लिये कौनसी नीति अपनाई जा रही है ? कब तक कोटा पूर्ण कर लिया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह-

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के अंतर्गत संचालित 35 चीनी मिलों में वर्तमान समय में सहायक अभियंताओं के 140 तथा उप मुख्य अभियंताओं के 41 पद स्वीकृत हैं शासनादेश के अनुसार सहायक अभियन्ताओं के स्वीकृत 140 पदों में से 25 पद तथा उप मुख्य अभियन्ताओं के स्वीकृत 41 पदों में से 7 पद अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हैं ।

आरक्षित उक्त पदों के विरुद्ध सहायक अभियन्ताओं के संवर्ग में 7 पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी कार्यरत हैं तथा 18 पद रिक्त हैं । उप मुख्य अभियन्ता संवर्ग में आरक्षित अभ्यर्थियों की स्थिति शून्य है तथा वर्तमान में कोई पद रिक्त नहीं है ।

जी नहीं ।

तकनीकी पदों की उपर्युक्त अर्हता रखने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों से कोटा यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने का विचार किया गया है ।

## कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में नियुक्ति के संदर्भ में हुई अनियमितता की जांच रिपोर्ट का परीक्षण

14-श्री प्रमोद तिवारी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में नियुक्ति के संदर्भ में हुई अनियमितता की डा0 मनोदत्त पाठक द्वारा जांच कराने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो जांच के क्या-क्या परिणाम हैं ? यदि विलम्ब हो रहा है, तो उसके जिम्मेदार कौन हैं और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गंगा भक्त सिंह-

जी हां ।

जांच रिपोर्ट परीक्षणाधीन है ।

प्रश्न नही उठता ।

## जनपद लखनऊ नगर निवासी श्री अनिल की विद्युत सम्पर्क से हुई मृत्यु के संबंध में क्षेत्रीय समिति की संस्तुति पर अनुग्रह धनराशि का स्वीकार किया जाना

15-श्री राम कुमार शुक्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 16-7-1991 को अहिबरनपुर, लखनऊ नगर निवासी अनिल की बिजली के खम्भे से चिपक कर मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो स्वीकृत 10,000 रुपये को अब तक न दिये जाने के क्या कारण है ? क्या सरकार इसका शीघ्र भुगतान करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन-

जी हां, किन्तु खम्भे से चिपक कर नहीं, अपितु 11 के0वी0 कोल्ड स्टोरेज फीडर के डबल पोल में लगा हुआ जम्पर आंधी एवं तूफान में टूट कर स्टेवायर के सम्पर्क में आ गया जिससे स्टेवायर एवं उसके नीचे की गीली जमीन सजीव हो गयी। दुर्भाग्यवश श्री अनिल उसके सम्पर्क में आ गये और दुर्घटनाग्रस्त हो गये तथा उनकी मृत्यु हो गयी ।

क्षेत्रीय समिति की संस्तुति प्राप्त न हो सकने के कारण अब तक अनुग्रह धनराशि स्वीकृत नहीं की जा सकी ।

जी हां ।

मुख्य स्थानिक अभियन्ता, लेसू को इस दुर्घटना के संबंध में क्षेत्रीय समिति की संस्तुति शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं, उक्त संस्तुति प्राप्त होते ही अनुग्रह धनराशि स्वीकृत कर दी जायेगी ।

## जनपद लखनऊ के त्रिवेणी नगर में हाईटेन्शन लाइन हटाये जाने की मांग

16-श्री राम कुमार शुक्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि त्रिवेणी नगर में 3 बार हाईटेंशन लाइन टूटने से सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गये, लोग घायल हुये, सैकड़ों घरों की विजली व्यवस्था जल गई तथा टी0 वी0 रेडियो आदि जल गये ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी क्षतिपूर्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भविष्य में जान माल की सुरक्षा को देखते हुये हाईटेंशन लाइन हटाई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन-

इस संबंध में कोई सूचना विद्युत परिषद् व शासन में प्राप्त नहीं हुई है।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के प्राविधानों के अनुपालन न करते हुये संदर्भित क्षेत्र के भवन स्वामियों ने अपने मकानों का निर्माण विद्युत पोषकों के नीचे अनाधिकृत रूप से करा लिया है। इस अनाधिकृत निर्माण के विरुद्ध सभी भवन स्वामियों को तथा संबंधित विभागों जैसे, नगरमहापलिका, आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ, विकास प्राधिकरण को नोटिसें समय-समय पर दी जा चुकी हैं।

संदर्भित लाइन को हटाये जाने में अनुमानित व्यय लगभग 80 लाख रुपया आयेगा । भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 की धारा 82 (4) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमानित प्राकलित धनराशि राज्य विद्युत परिषद् को संबंधित विभाग/ भवन स्वामियों (यथाप्रयोज्य ) के द्वारा उपलब्ध कराये जाने पर ही हाई टेंशनलाइन को हटाये जाने की कार्यवाही करनी सम्भव हो सकेगी ।

## जनपद गढ़वाल के कोटद्वार में 132 के0वी0 सब स्टेशन स्थापित करने की मांग

17-श्री भारत सिंह रावत-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि गढ़वाल जनपद के कोटद्वार में 132 के0वी0 के सब स्टेशन न होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है ? यदि हां, तो कोटद्वार के लिये स्वीकृत 132 के0वी0 सब स्टेशन का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कराकर विद्युत आपूर्ति में सुधार कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टंडन-

कोटद्वार में 132 के0वी0 सब स्टेशन का निर्माण 8वीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के उपरांत ही इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

18-श्री हरिचरण यादव-

(दिनांक 6-5-92 को ता0प्र0सं0-1 द्वारा उत्तरित)

**जनपद लखनऊ के नलकूप खण्ड भैसाकुण्ड कार्यालय के सेवानिवृत्त श्री दुर्गा प्रसाद सिंह पुत्र श्री सूर्यपाल सिंह के देयों का भुगतान**

19-श्री रामदेव आचार्य-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री दुर्गा प्रसाद सिंह पुत्र श्री सूर्य पाल सिंह, कार्यालय नलकूप खण्ड भैसाकुण्ड, लखनऊ में हेड मुंसी के पद से दिनांक 30-6-91 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या उनके भविष्य निर्वाह निधि एवं जमानत राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या नियमित रूप से उनकी पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां ।

इनके भविष्य निर्वाह निधि में जमा धनराशि के 90 प्रतिशत धनराशि के भुगतान हेतु लेखाधिकारी, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है । जमानत राशि प्रार्थना-पत्र के अभाव में अवमुक्त नहीं हो सकी है। दिनांक 28-1-92 को पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है, जिसका भुगतान सीधे कोषागार से होगा ।

20-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

(राज्य सरकार से सम्बद्ध होने के कारण निरस्त)

**जनपद गोरखपुर के धुरियापार चीनी मिल में जनरल मैनेजर द्वारा अपने रिश्तेदारों की नियुक्ति करने की शिकायत एवं पात्र व्यक्तियों की नियुक्ति करने की मांग**

21-श्री सन्त बक्श रावत-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के धुरियापार चीनी मिल के निर्माण हेतु जिन किसानों की भूमि ली गयी है, उनके आश्रितों की नियुक्ति न करके उक्त मिल के जनरल मैनेजर ने अपने रिश्तेदारों की नियुक्तियां मनमाने व अनियमित रूप से कर ली हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जांच कराकर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा पात्र व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह-

जी नहीं, प्रधान प्रबन्धक के रिश्तेदारों की नियुक्ति होने का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद वाराणसी के काशी विद्यापीठ रोहनिया एवं अन्य विद्युत नियमित विद्युत आपूर्ति न करने पर ग्रामीणों का प्रदर्शन एवं सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी**

22-श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

क्या ऊर्जा मंत्री को यह ज्ञात है कि पिछले तीन महीने के अन्दर दो बार बिजली उप केन्द्र रोहनियां काशी विद्यापीठ, वाराणसी पर ग्रामीणों ने अनिश्चित तथा नहीं के बराबर बिजली आपूर्ति के विरोध में आक्रमण किया ? पिछले 6 महीने से काशी विद्यापीठ ब्लाक के मिसिरपुर जफराबाद गोविन्द नगर डेल्हना लठिया औड़े टिकरी मुड़ादेव तक के क्षेत्र में निश्चित तथा अनियमित बिजली आपूर्ति जिसके कारण किसानों की खेती को अपूरणीय क्षति हो रही है, को नियमित तथा निश्चित करने के लिये सरकार कोई कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन-

यह सत्य है कि ब्लाक काशी विद्यापीठ, वाराणसी पर ग्रामीणों ने विद्युत् आपूर्ति के विरोध में माह मार्च, 1992 में एक बार विद्युत उप केन्द्र रोहनियां तथा दूसरी बार भिखारीपुर स्थित विभागीय मुख्यालय पर प्रदर्शन किया । लेकिन यह सही नहीं है कि विद्युत आपूर्ति नहीं के बराबर रही। उपरोक्त माह में साड़ुपुरी कन्ट्रोल द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति के समय में भी आपात कटौती कराये जाने के कारण विद्युत आपूर्ति में कुछ अनिश्चितता अवश्य रही, लेकिन विद्युत उप केन्द्र रोहनियां से निर्गत प्रत्येक ग्रामीण पोषक को ट्रांसफार्मर की ओवरलोडिंग के कारण दो ग्रुपों में कम से कम 10 घंटे की 3 फेज विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी गयी । यह कहना बिल्कुल गलत है कि 6 महीनों तक काशी विद्यापीठ ब्लाक के मिसिरपुर, जफराबाद गोविन्दनगर, डेल्हना लठिया और टिकरी मुड़ादेव तक के क्षेत्र में अनियमित विद्युत आपूर्ति रही, जिसके कारण किसानों की खेती को अपूरणीय क्षति रही है, माह मार्च एवं अप्रैल, 1992 में सिंचाई एवं मड़ाई हेतु अधिकतम मांग के समय विद्युत उप केन्द्र रोहनिया का लोड स्थापित क्षमता से अधिक हो गया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति दो ग्रुप में 10 घंटे प्रति पोषक प्रतिदिन के हिसाब से करनी पड़ी है। इस अवधि में पीक आवर्स (सायं 6 से 10) के अतिरिक्त घंटों अवधि में कन्ट्रोल द्वारा 132 के0वी0 राजातालाब फीडर की आपात कटौती करा देने के कारण विद्युत आपूर्ति में कुछ समय की अनश्चितता अवश्य रही, जिसे निर्धारित आपूर्ति के अतिरिक्त घंटों से अधिक से अधिक पूरा करने का प्रयास किया गया। विद्युत उप केन्द्र रोहनियां की ओवरलोडिंग को दूर करने हेतु एक नया 33/11 के0वी0 विद्युत उप केन्द्र जन्सा, वाराणसी में पिछले कई वर्षों से प्रस्तावित है, जिसका निर्माण संसाधन उपलब्ध होते ही किया जायेगा ।

## जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी व जसपुरा के कतिपय चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना

23-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रति वर्ष गांवों में विद्युतीकरण के लिये चयनित प्रक्रिया क्या है ? जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी, जसपुरा में वर्ष 1988-89, 89-90, 90-91 में कौन-कौन से गांव ऊर्जीकृत करने हेतु चयनित किये गये तथा कितने गावों में विद्युतीकरण सम्पन्न हो गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि विद्युतीकरण चयनित गांवों में कराया जायेगा, तो कब तक ?

श्री लालजी टंडन-

ग्रामों में विद्युतीकरण के लिये एक जिला विद्युत सलाहकार समिति होती है, जिसमें मा0 सांसद जिले के समस्त विधायक, विधान परिषद् सदस्य एवं जिलाधिकारी सहित जिला विकास अधिकारी उसके सदस्य होते हैं इसका संयोजक अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण प्रखण्ड होता है। जिसकी बैठक समय-समय पर जिला अधिकारी/जिला विकास अधिकारी के कार्यालय में आयोजित होती है इसमें विद्युतीकरण हेतु ग्रामों का चयन किया जाता है।

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी व जसपुरा में प्रश्नगत वर्षों में चयनित एवं विद्युतीकृत ग्रामों की स्थिति निम्नवत् है :-

**1-तिन्दवारी**

| वर्ष | 88-89 | 89-90 | 90-91 |
|---|---|---|---|
| चयनित ग्राम | विछवाही | व्यौंजा | महुई |
| विद्युतीकृत ग्राम | -- | तदैव | तदैव |

**2-जसपुरा**

| वर्ष | 88-89 | 89-90 | 90-91 |
|---|---|---|---|
| चयनित ग्राम | 1-इछावर | 1-मडौलीकलां | मडौली |
| | 2-बड़ागांव | 2-इछावर | खुर्द |
| विद्युतीकृत ग्राम | -- | 1-मडौलीकलां | -- |
| | | 2-इछावर | -- |

सामग्री के अभाव के कारण शेष का विद्युतीकृत नहीं किया जा सका है चयन समिति द्वारा पुनः चयनित किये जाने पर ही विद्युतीकरण संभव हो सकेगा ।

**जनपद लखनऊ के आलमबाग स्थित क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला के सहायक निदेशक श्री नन्दराम का स्थानान्तरण**

24-श्री ऊदल-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि श्री नन्दराम, सहायक निदेशक, क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, आलमबाग, लखनऊ मई, 1978 से जुलाई, 1991 तक अनवरत रूप से श्रेणी-2 में उर्वरक एवं कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, आलमबाग, लखनऊ में कार्यरत रहे और आज भी उसी प्रांगण में कार्यरत हैं ? क्या यह भी सही है कि उनकी इसके पूर्व वर्ग-1 की सेवायें भी लखनऊ जनपद में ही रही हैं ? यदि हां, तो शासन की स्थानान्तरण नीति के अंतर्गत उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण मण्डल से बाहर क्यों नहीं किया गया जबकि उक्त अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायते भी हैं ? उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के अनुपालन में लखनऊ के बाहर कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री गंगा भक्त सिंह-

जी हां ।

जी हां ।

जांच के आदेश दिये जा चुके हैं ।

वार्षिक स्थानान्तरण के समय नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

**जनपद रायबरेली के कस्बा बछरावां स्थित विद्युत सब स्टेशन पर विगत कई वर्षों से कार्यरत लाइन मैनों का स्थानान्तरण**

25-श्री हरि शंकर माहौर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा बछरावां जनपद रायबरेली में विद्युत सब स्टेशन पर कुछ लाइन मैन 17-18 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं? यदि हां, तो स्थानान्तरण नीति के अनुसार उनको स्थानान्तरित न किये जाने का क्या कारण है ? इन्हें कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन-

बछरावां सब स्टेशन पर 17-18 वर्षों से लगातार कोई लाइन मैन कार्यरत नहीं है परन्तु वहां कुल तीन लाइन मैन कार्यरत हैं जिसमें एक लाईन मैन 16 वर्षों से, दूसरा लाइन मैन 1985 से तथा तीसरा अभी फरवरी, 1992 से कार्यरत है।

अनुभवी लाइन मैनों की कमी के कारण परिषद् कार्यहित में स्थानान्तरण नहीं किया गया । स्थानान्तरण नीति के अनुसार आगामी सत्र में स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी ।

**जनपद उन्नाव में सहकारी चीनी मिल की स्थापना हेतु लाइसेंस संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा निरस्त किया जाना**

26-श्री गोपी नाथ दीक्षित-

क्या गन्ना विकास मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद उन्नाव में चीनी मिल लगाये जाने का सर्वेक्षण वर्ष 1990-91 में हो चुका था और राज्य सरकार द्वारा चीनी मिल की स्थापना के लिये लाइसेंस जारी करने हेतु भारत सरकार को अनुरोध पत्र भी भेजा गया था ? यदि हां, तो कब ? उस पर अब तक अग्रेतर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी सही है कि प्रस्तावित चीनी मिल के लिये भूमि का चयन हो गया था ? यदि हां, तो कितनी भूमि अधिग्रहीत की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह-

जी हां । दिनांक 24-7-89 को राज्य सरकार द्वारा सहकारी चीनी मिल की स्थापना के लिये लाइसेंस जारी करने हेतु भारत सरकार को पत्र भेजा गया था लेकिन भारत सरकार ने अपने पत्र संख्या आर- 1840/89/आई0 एल0 दिनांक 31-5-90 द्वारा उक्त प्रस्ताव को निरस्त कर दिया है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड-बालागंज के ग्राम सभा बदगवां के विद्युतीकरण का प्रकरण**

27-श्री सुरेश भारती-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1989-90 में विद्युतीकरण कराये जाने हेतु चयनित ग्राम सभा बदगवां विकास खण्ड बालागंज जनपद प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) का विद्युतीकरण पूर्ण कराया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वर्ष 1990-91 में विद्युतीकरण कराये जाने हेतु चयनित ग्राम सभा डीह वर्ली राजापुर पुरमई सुल्तानपुर विकास खण्ड बाबागंज एवं ग्राम सभा समसपुरदामु, भीटीपुरनैन विकास खण्ड विहार का विद्युतीकरण प्रारम्भ कराया जा चुका है? यदि नहीं, तो क्यों ? उपरोक्त गांव में विद्युतीकरण न करवाये जाने के लिये कौन जिम्मेदार हैं ? क्या सरकार उपरोक्त गांव को चयनित होने के उपरान्त भी विद्युतीकृत न किये जाने में दोषी पाये जाने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन-

प्रश्नगत ग्राम वर्ष 1989-90 में विद्युतीकरण हेतु चुना था किन्तु संसाधनों की कमी के कारण इसका विद्युतीकरण नहीं किया जा सका ।

वर्ष 1990-91 में चयनित ग्रामों में से ग्राम टंडवा का विद्युतीकरण किया जा चुका है । शेष बचे हुये ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों के अभाव के कारण अभी तक नहीं किया जा सका है ।

उपरोक्त परिस्थितियों में कार्य पूरा न किये जाने के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

**जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विहार के अंतर्गत विकास खण्ड-विहार एवं बालागंज में नलकूप लगाने की योजना की जानकारी**

28-श्री सुरेश भारती-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र विहार जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत स्थित दोनों विकास खण्डों तिहार एवं बालागंज में राजकीय नलकूपों की संख्या कितनी है ? यदि शून्य है, तो क्यों ? विकास खण्ड विहार एवं बाबागंज में नलकूप विभाग कहां-कहां नलकूप लगवाने की योजना बना रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विहार के अन्तर्गत विकास खण्ड विहार एवं बालागंज में राजकीय नलकूपों की संख्या क्रमशः एक एवं शून्य है।

यह क्षेत्र नहरी कमाण्ड क्षेत्र में है।

इस नहर पोषित क्षेत्र में नलकूप लगाने की कोई योजना नहीं है।

**जनपद कानपुर के पनकी केसा में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ताओं के संबंध में स्थानान्तरण नीति का अनुपालन**

29-श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के दूसरे बुधवार के अता0प्र0संख्या 23 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संबंधित अधिकारियों का स्थानान्तरण करते अथवा न करते समय विद्युत परिषद् के स्थानान्तरण नीति का अनुपालन किया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिये उत्तरदायी अधिकारी का नाम और पद क्या है ? संबंधित अधिकारियों का नाम और पद क्या है ? संबंधित अधिकारियों जैसी सुविधा अन्य स्थान पर नियुक्त अन्य अधिकारियों को भी दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन-

स्थानान्तरण नीति का यथासम्भव पालन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिषद् द्वारा अन्य स्थानों पर कार्यरत अपने सेवकों को प्रदत्त सुविधाओं में कोई अन्तर नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद कानपुर के केसा पनकी में कार्यरत अधिशासी अभियन्ता श्री टी0पी0 गुप्ता तथा श्री नन्दलाल सिंह के विरुद्ध सतर्कता से जांच एवं कार्यवाही**

30-श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे बुधवार के अता0प्र0सं0 24 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत परिषद् में स्थानान्तरण की क्या नीति है ? सतर्कता की जांच वह भी जब पुलिस महानिरीक्षक स्वयं कर रहा हो तो उसके बाद भी किस स्तर के शिकायत एवं अधिकारों तथा आरोपों की आवश्यकता स्थानान्तरण हेतु है ? अब तक की जांच में क्या पाया गया है? क्या उसके आधार पर कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन-

विद्युत परिषद् में स्थानान्तरण की नीति वर्तमान में वही है जो शासन के पत्रांक 14/1/90-कार्मिक-2 दिनांक 9-7-91 द्वारा निर्धारित की गयी है और जिसे परिषद् ने पत्रांक 907-पी0एफ0पी0/रा0वि0प0-उन्तीस दिनांक 10-7-91 द्वारा अंगीकृत कर लिया है ।

जैसा कि प्रश्न संख्या 24 के उत्तर में स्पष्ट किया जा चुका है, मात्र सतर्कता जांच चलते रहने के आधार पर किसी अधिकारी को स्थानान्तरित करने का कोई प्राविधान नहीं है । केवल जांच में गम्भीर आरोप सिद्ध होने पर तथा जांच के परिणामस्वरूप दिये गये गम्भीर दण्डादेशों के आधार पर किसी अधिकारी को अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार किया जाता है ।

पुलिस महानिरीक्षक से जांच आख्या अभी तक प्रतीक्षित है ।

**विद्युत परिषद् नीति के अंतर्गत जनपद कानपुर नगर तथा देहात के अन्तर्गत गृह जनपद में नियुक्त अधिकारियों का स्थानान्तरण**

31-श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के दूसरे बुधवार अता0प्र0सं0 29 के उत्तर में क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर शहर कानपुर देहात का कार्यक्रम एवं विद्युत परिषद् का अपवाद स्वरूप तोड़ने की कोई नीति निर्धारित किये हैं ? गृह जनपद में रहने देने की अवधि कितनी है ? क्या इन अधिकारियों को ट्रान्समीशन एवं मीटर सेक्शन में भेजने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन-

परिषदीय स्थानान्तरण नीति के अनुसार सामान्यतः अभियन्ता अधिकारियों को जन समव्यवहार के पदों पर वितरण क्षेत्र में उनके गृह जनपद में नहीं तैनात करने की नीति है परन्तु कभी-कभी परिस्थितियों एवं कार्य की आवश्यकता/अनिवार्यता आदि को ध्यान में रखते हुये ऐसी नियुक्तियां करनी पड़ती हैं ।

कानपुर नगर एवं कानपुर देहात जनपदों में अपने गृह जनपद में नियुक्त अधिकारियों को इसी स्थानान्तरण सत्र 1992 में उनके गृह जनपद से स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ।

**राम की पौड़ी के निर्माण में हुये घोटाले के संबंध में कार्यवाही की मांग**

32-श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र-

विधान सभा प्रथम सत्र 1992 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित अता0प्र0 संख्या 96 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस समय संबंधित मुख्य अभियन्ता कौन थे और आज प्रमुख अभियंता सिंचाई कौन हैं मुख्य अभियन्ता तत्कालीन पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

वर्ष 1983 से 1988 की अवधि में सर्वश्री के0जी0गोयल, के0सी0 अग्रवाल, के0सी0 वार्ष्णेय तथा बी0बी0एस0 गोयल, मुख्य अभियन्ता कार्यरत रहे।

श्री शिव कुमार भार्गव, प्रमुख अभियन्ता सिंचाई हैं ।

तत्कालीन मुख्य अभियन्ता के कार्यकाल एवं उत्तरदायित्व को दृष्टिगत रखते हुये 31-12-91 को निदेशित करने का निर्णय लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

33-श्री अखिलेश-

(गोपनीयता के आधार पर निरस्त)

**नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रो0वि0वि0 कुमारगंज, फैजाबाद के प्रभारी चिकित्साधिकारी के विरुद्ध सरकारी वाहन तथा वित्तीय अनियमितताओं की जांच में शिकायतों का निराधार पाया जाना**

34-श्री किशोरी लाल यादव-

क्या कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1992 के प्रश्नकर्ता तथा कई विधायकों का संयुक्त शिकायती पत्र नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रो0वि0वि0 कुमार गंज फैजाबाद के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा सरकारी वाहन तथा वित्तीय अनियमितताओं की जांच के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह-

जी हां ।

प्राप्त शिकायतों की जांच कुलपति के माध्यम से कराई गई । शिकायतें निराधार पायी गयीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र औरैया में बन्द पड़े स्टेट ट्यूबवेल को चालू कराने की मांग**

35-श्री इन्द्र पाल सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री इटावा के औरैया विधान सभा क्षेत्र में बन्द पड़े स्टेट ट्यूबबेल को चालू कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां ।

आवश्यक मरम्मत उपरान्त इस मासान्त तक चलना सम्भावित है।

**सरकारी चीनी मिल नजीबाबाद के वर्तमान महाप्रबन्धक श्री सहदेव सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच आख्या का परीक्षण**

36-श्री प्रताप सिंह -

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सहदेव सिंह जब अमरोहा (मुरादाबाद) में राज्य चीनी निगम की इकाई में महाप्रबन्धक थे, उस समय भी उन पर लाखों रुपये के भ्रष्टाचार की जांच विचाराधीन है ? यदि हां, तो उन्हें पुनः सहकारी चीनी मिल नजीबाबाद का महाप्रबन्धक किस आधार पर बनाया गया है ? उनके विरुद्ध उक्त जांच में अब तक क्या तथ्य पाये गये और दोषी अधिकारी को कब तक दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह-

जी हां ।

नियमानुसार मात्र जांच के चलते रहने अथवा शिकायतों के आधार पर किसी अधिकारी को समकक्ष पद पर नियुक्ति से वंचित नहीं रखा जा सकता ।

गन्ना आयुक्त से जांच आख्या प्राप्त हो गयी है जिसका परीक्षण शासन स्तर पर किया जा रहा है ।

**गन्ना विकास विभाग में विभागीय चयन समिति द्वारा अधिकारियों की पदोन्नति**

37-श्री दल सिंगार-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास में ग्रुप दो से ग्रुप एक में पदोन्नति के लिये हाल में विभागीय चयन समिति बनी थी ? यदि हां, तो क्या चयन समिति के दो सदस्यों के विपरीत टिप्पणी के बाद भी अनियमित रूप से कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति दे दी गयी ? यदि हां, तो क्या इन अधिकारियों के प्रत्यावर्तित करने की कार्यवाही सरकार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हनुमन्त सिंह-

जी हां,

अप्रैल, 1991 में बनी थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

## जनपद लखनऊ में नियमानुसार नये विद्युत कनेक्शन देने का प्रयास

38-श्री राम कुमार शुक्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भा0ज0पा0 सरकार बनने के पश्चात् औसत से अधिक विद्युत कनेक्शन लखनऊ में किये गये हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1992-93 में कितने नये कनेक्शन देने की योजना है ? क्या सरकार हरिजन बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में उदारता पूर्वक नये कनेक्शन देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन-

लखनऊ में वर्ष 1991-92 में 11267 बत्ती-पंखा तथा 30 औद्योगिक कनेक्शन दिये गये हैं ।

लगभग 10,000 (दस हजार) पंखा बत्ती कनेक्शन दिये जाने का अनुमान है।

जी हां, नियमानुसार अधिकाधिक कनेक्शन देने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता ।

39-श्री पूरन प्रकाश तथा श्रीमती ज्ञानवती सिंह-

(दि0 23-4-92 को अता0प्र0सं0 201 द्वारा उत्तरित)

## शासकीय अधिवक्ताओं को शासन के नीतिगत निर्णय के आधार पर फीस का भुगतान

40-श्री मोहम्मद मुकीम-

क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय अधिवक्ताओं को पूर्व की भांति मासिक फीस द्वारा भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है ? यदि किया जायेगा, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह नीतिगत निर्णय शासन द्वारा लिया गया कि शासकीय अधिवक्ताओं को रिटेनर फीस पर आबद्ध किया जाय और प्रति कार्य दिवस पर कृत कार्य हेतु भुगतान किया जाय। तद्नुसार शासनादेश दिनांक 29-12-90 के अधीन शासकीय अधिवक्ताओं को फीस का भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

## जनपद फर्रुखाबाद में नलकूप विभाग के असफल नलकूपों का जनपद योजना के अन्तर्गत पुनर्निर्माण किया जाना

41-श्री अरविन्द प्रताप सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रूखाबाद में नलकूप विभाग द्वारा अब तक कितने राजकीय नलकूप लगाये गये हैं ? कितने वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं ? कितने राजकीय ट्यूबबेल बिल्कुल असफल हैं ? क्या सरकार असिंचित क्षेत्र में असफल ट्यूबबेलों के स्थानों पर पानी पहुंचाने की किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो योजना क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

जनपद फर्रुखाबाद में अब तक 555 राजकीय नलकूप लगाये गये हैं ।

511 नलकूप वर्तमान समय के कार्य कर रहे हैं ।

36 राजकीय नलकूप असफल हो गये हैं और 8 नलकूप असफल होने की स्थिति में हैं ।

असफल नलकूपों के असिंचित क्षेत्र में यथाशीघ्र सिंचाई सुविधा पुनर्स्थापित करने हेतु वहां जनपद योजना के अन्तर्गत नलकूपों का पुनर्निर्माण किया जाता हैं।

42-श्री अखिलेश-

(स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया)

**टाण्डा तापीय परियोजना में व्याप्त अनियमितता के संबंध में उ0प्र0 विद्युत मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री सर्वेश चन्द्र द्विवेदी के पत्र पर कार्यवाही की मांग**

43-श्री रवीन्द्र प्रताप-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 85 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री अधिशासी अभियन्ता विद्युत उत्पादन खण्ड, लोहिया हेड वाया पीलीभीत के पत्र संख्या 3059/वि0उ0खण्ड/एस-13, दिनांक 11-10-90 जो कि अधिशासी अभियन्ता, संयंत्र एवं भण्डार खण्ड एवं प्रबन्ध विद्युत परिषद् हायर सेकेण्डरी स्कूल, टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, विद्युत नगर फैजाबाद को सम्बोधित था, की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों? इस धोखाधड़ी के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? उसके विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन-

जी हां ।

अधिशासी अभियंता, जल विद्युत उत्पादन खण्ड, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् लोहिया हेड वाया पीलीभीत के पत्र संख्या 3059/वि0उ0ख0/ एस-13 दिनांक 11-10-90 की प्रमाणित प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

महाप्रबन्धक, टाण्डा परियोजना द्वारा एक सदस्यीय जांच समिति गठित करके मामले की जांच करवाई गयी परन्तु जांच में सम्पूर्ण तथ्य नहीं आ पाये । अतः परिषद् द्वारा पुनः परिषद् की सतर्कता इकाई के माध्यम से सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराये जाने के आदेश दिनांक 24-2-92 को दे दिये गये हैं। सतर्कता इकाई से जांच आख्या प्राप्त होने के बाद ही यह सुनिश्चित हो सकेगा कि इस धोखाधड़ी के लिये कौन जिम्मेदार है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 188-189 पर)

**जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र जयसिंहपुर के नालों एवं ड्रेनों की खुदायी करवाकर जलभराव से मुक्ति दिलाने की मांग**

44-श्री अर्जुन सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सुल्तानपुर जनपद का जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र काफी निचले सतह पर बसा है जिसके कारण इसके अधिकांश भागों में हमेशा जल भराव बना रहता है ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त जल भराव से निपटने हेतु क्षेत्र में पड़ने वाले नालों और ड्रेनों की खुदाई करवाकर जल भराव से मुक्ति दिलाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां, सुल्तानपुर जनपद का जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र का कुछ भाग निचले सतह पर बसा है तथा उसके इस भाग में वर्षा के समय एवं उसके कुछ समय बाद तक जल भराव बना रहता है ।

इस क्षेत्र में पड़ने वाले कूड़ेभार तथा मझई नालों की खुदाई करना तकनीकी दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

**जनपद मुरादाबाद अमरोहा स्थित चीनी मिल में मृतकों के आश्रितों को सेवा में लिये जाने का मामला**

45-श्री प्रताप सिंह-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चीनी मिल अमरोहा मुरादाबाद में माह नवम्बर, 91 से फरवरी, 92 के मध्य कितने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयीं ? क्या यह सही है कि कुछ मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है? उक्त मिल के कितने मृतक कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति का मामला विचाराधीन है ? उन्हें कब तक नियुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह-

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 की इकाई अमरोहा (मुरादाबाद) में माह नवम्बर, 1991 से माह फरवरी, 1992 के मध्य 52 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी कार्य पर रखे गये हैं । एक मृतक कर्मचारी श्री मोहन लाल पुत्र श्री जयकरन की मृत्यु दिनांक 16-8-91 के उपरान्त उसके आश्रित को सेवा में लिया जाना विचाराधीन है जिस पर कानूनी सलाह ली जा रही है। कानूनी सलाह के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी ।

**जनपद मुरादाबाद स्थित उ0प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई अमरोहा में कार्यरत महा-प्रबन्धक एवं अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच की मांग**

46-श्री प्रताप सिंह-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 रा0चीनी निगम इकाई अमरोहा जिला मुरादाबाद में तैनात महाप्रबन्धक एवं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के तथ्यों सहित प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 9-3-92 जो शासन/मंत्री को दिया गया है, पर अब तक दोषी अधिकारयों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त शिकायती पत्र पर जांच कराकर दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां तो कब तक ?

श्री हनुमन्त सिंह-

उ0प्र0 राज्य चीनी निगम की इकाई अमरोहा में नियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच विषयक प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 7-3-92 प्राप्त हुआ है। शिकायती पत्र की जांच निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी से करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर गुणावगुण के आधार पर दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

47-श्री यदुनाथ सिंह-

(राज्य सरकार के सम्बद्ध होने के कारण निरस्त)

**जनपद बाराबंकी के प्रश्नगत गांव में विद्युतीकरण की योजना की जानकारी**

48-श्री महेन्द्र जैन-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मजरा बहरौली ग्राम बेलहरी जनपद बाराबंकी में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम में विद्युतीकरण योजना की कोई योजना विचाराधीन है ? क्या इस संबंध में मई, 1987 में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री को ग्रामवासियों के हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो इस मजरे बहरौली में विद्युतीकरण की योजना बनाकर विद्युत की व्यवस्था सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टंडन-

जी नहीं ।

जी हां ।

क्योंकि मजरों के विद्युतीकरण का प्रस्ताव अभी नहीं है, प्रश्नगत मजरे का विद्युतीकरण अभी सम्भव नहीं होगा ।

**जौनपुर सदर स्थित बफर गोदाम के चौकीदार की कपिलेश्वर शुक्ल को वेतन न दिये जाने की जांच एवं भुगतान करने की मांग**

49-श्री वेद प्रकाश-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें श्री वेद प्रकाश सदस्य, विधान सभा

का पत्र दिनांक 12 फरवरी, 1992 जो श्री कपिलेश्वर चौकीदार बफर गोदाम सदर, जौनपुर के माह मई, 87 से जुलाई, 87 तक के वेतन भुगतान विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पत्र में किन-किन बातों का उल्लेख किया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि विभाग से संबंधित चौकीदार के फर्जी वेतन भुगतान का मामला उनके संज्ञान में आया है ? यदि हां, तो क्या इसके संबंध में कोई जांच कराई गयी है ? यदि हां, तो जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये हैं ? चौकीदार के बकाया वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री गंगा भक्त सिंह -

जी हां ।

प्रश्नगत पत्र में श्री कपिलेश्वर शुक्ल के तीन महीने का वेतन न दिये जाने की उच्चस्तरीय जांच कराकर वेतन आहरण कराने का अनुरोध किया गया है।

जी हां ।

जांच के आदेश दे दिये गये हैं । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

**उ0प्र0 राज्य चीनी निगम इकाई देवरिया के अन्तर्गत कार्यरत पिपरहिया गन्ना क्रय केन्द्र के अवशेष गन्ने का अन्य मिलों तक पहुंचाने में व्यय हुये धन के दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग**

50-श्री रवीन्द्र प्रताप-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के चौथे बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 120 के उत्तर के क्रम में क्या गन्ना विकास मंत्री पत्र संख्या 1139-42/पांच-111/क्रम0सु0, 1 दिनांक 3-6-91 की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? दोषी अधिकारी को अब तक निलम्बित न करने का क्या कारण है ? क्या रुपये 2.40 लाख की वसूली तत्काल करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस विलम्ब के लिये कौन अधिकारी दोषी है ? उसके नाम, पदनाम व तैनाती स्थान क्या है?

श्री हनुमन्त सिंह -

जी हां। प्रश्नगत पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखी जा रही है जिसके अनुसार देवरिया एवं प्रतापपुर चीनी मिलों के अध्यासियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में अभियोजन दायर करने हेतु गन्ना निरीक्षक देवरिया को निर्देश दिये गये थे। सम्पूर्ण मामले की जानकारी गन्ना आयुक्त/उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम से प्राप्त की जा रही है ।

(देखिये नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 190-191 पर)

**जनपद लखनऊ के कतिपय मोहल्लों में लो वोल्टेज की समस्या हेतु एल0टी0 लाइनों के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव**

51-श्री राम कुमार शुक्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री यह जानकारी है कि लखनऊ पश्चिम के रहीमनगर/त्रिवेणीनगर बालागंज, वजीर बाग, आदि मोहल्लों में विद्युत वोल्टेज बहुत कम रहता है जिसके कारण बच्चों की परीक्षा में पढ़ाई करने में दिक्कत होती है ? यदि हां, तो रहीमनगर में बिजली पावर बढ़ाने हेतु क्या सरकार विद्युत लाइन ट्रान्सफार्मर बदलवाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन-

रहीमनगर तथा त्रिवेणीनगर मोहल्ले अनाधिकृत रूप अविकसित कालोनी है। अतएव यहां पर संबंधित विकास विभागों द्वारा विद्युत आपूर्ति संबंधी मूल प्रणाली का प्राविधान नहीं किया गया। आवश्यकतानुसार समय-समय पर परिषद् की प्रणाली द्वारा विद्युत आपूर्ति उपभोक्ताओं को दी गयी। इस रहीमनगर में एक 400 के0बी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगा है लेकिन विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने एवं वोल्टेज ठीक रखने के लिये यहां पर एल0टी0 लाइनों का सुदृढ़ीकरण तथा एक 400 के0बी0ए0 का उपकेन्द्र होगा जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रस्तावित किया जायेगा ।

त्रिवेणीनगर में भी अनाधिकृत विकसित कालोनी है इस समय यहां पर एक 250 के0बी0ए0 का ट्रान्सफार्मर चालू कर दिया गया है तथा एल0टी0 लाइनों का सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने पर विद्युत की आपूर्ति की व्यवस्था सामान्य हो जायेगी ।

बालागंज चुंगी पर तथा वजीरबाग पर 400 के0बी0ए0 के नये विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना की गयी है। फिर भी कुछ क्षेत्रों में लो वोल्टेज की समस्या है। इसके लिये एल0टी0 लाइनों के सुदृढ़ीकरण का प्रस्ताव है। और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार यह कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया जा सकेगा ।

52-श्री दिनेश चन्द्र सोनकर तथा श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

(दिनांक 25-3-92 को अता0प्र0सं0 127 द्वारा उत्तरित)

**लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को तदर्थ कर्मचारियों से ज्येष्ठता प्रदान करने की मांग**

53-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के 4थे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के संदर्भ में क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या गन्ना

विभाग में बिना विनियमितीकरण किये तदर्थ कर्मचारियों की पदोन्नति दी जा सकती है? यदि नहीं तो, श्री दुर्गेन्द्र नाथ तिवारी, व विजय बहादुर सिंह गन्ना सेवा वर्ष-2 में वर्ष 1973 में तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये थे, जिनका विनियमितीकरण अभी तक नहीं हुआ है तथा दिनांक 28-6-91 को उन्हें पदोन्नति दे दी गयी है? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी जांच कराकर अनियमित रूप से किये गये विनियमितीकरण तथा पदोन्नति को निरस्त करेंगे ? यदि नहीं तो क्या रिकार्ड में हेरा-फेरी तथा अनियमित कार्य के लिये दोषी कर्मचारियों तथा अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग दर्ज कराकर कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हनुमन्त सिंह -

पदोन्नति ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को छोड़ते हुये की जाती है। नियमानुसार ज्येष्ठता के आधार पर इन दोनों कर्मचारियों को तदर्थ एवं अस्थाई रूप से दिनांक 28-6-91 के आदेश से पदोन्नति दी गयी है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत गन्ना सेवा वर्ग-2 में श्री हरे कृष्ण राय की पदोन्नति निरस्त करके पात्र व्यक्तियों की पदोन्नति की मांग**

54-श्री देवेन्द्र पाल सिंह -

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के चौथे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के संदर्भ में क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री हरे कृष्ण राय गन्ना सेवा वर्ग-2 में दिनांक 2-3-1976 को प्रथमबार नियुक्त किये गये तथा ज्येष्ठता सूची में इनकी ज्वाइनिंग की तिथि 11वर्ष पूर्व अर्थात् 14-8-65 त्रुटिपूर्ण रूप से अंकित करके दिनांक 23-1-88 को वर्ग-1 में पदोन्नति कर दी गयी ? यदि हां तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इनकी ज्वाइनिंग की कौन सी तिथि सही है ? क्या अभिलेखों की जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये श्री राय की पदोन्नति निरस्त कर पात्र व्यक्तियों की पदोन्नति करने के आदेश देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हनुमन्त सिंह -

गन्ना सेवा वर्ग-2 में श्री हरे कृष्ण राय की नियुक्ति के आदेश दिनांक 2-9-1976 को किये गये तथा त्रुटिवश उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि ज्येष्ठता सूची में दिनांक 4-8-1965 अंकित हो गई, जिसके कारण दिनांक 23-1-88 को वर्ग-1 में उनकी पदोन्नति हो गयी ।

गन्ना विकास विभाग में इनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 16-9-1976 है।

जी हां, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत गन्ना सेवा वर्ग-2 में तदर्थ रूप से नियुक्त श्रीबांके सिंह ज्येष्ठता संबंधी को प्रकरण की जांच**

55-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1992 के चौथे बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या-9 के उत्तर के संदर्भ में क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बांके सिंह गन्ना सेवा वर्ग-2 में वर्ष 1977 में तदर्थ रूप से नियुक्त हुये हैं, जिनकी ज्वाइनिंग तिथि 9-1-93 त्रुटिपूर्ण अंकित करके इन्हें अनियमित रूप से ज्येष्ठता दी गयी तथा इनका विनियमितीकरण दिनांक 4-5-91 को किया गया और 28-6-91 को अगले वर्ग में पदोन्नति भी दे दी गयी ? यदि हां तो अभिलेखों में हेराफेरी व अनियमितता करने के लिये कौन उत्तरदायी है ? क्या मंत्री जी जाचं कराकर उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह-

मामले की विधिवत् जांच की जा रही है । नियमानुसार शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

56-श्री हृदय नारायण दीक्षित, श्री अरविन्द प्रताप सिंह तथा श्री राम औतार शाक्य-
(दिनांक 6-5-92 को तारांकित प्रश्न संख्या 5 द्वारा उत्तरित)

**जनपद टिहरी गढ़वाल में फल पट्टी योजना हेतु वन भूमि उपलब्ध कराने की मांग**

57-श्री मातवर सिंह कण्डारी-

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल की चिरबिटिया फल पट्टी योजना तथा मुनि की रेती कीर्तिनगर फल पट्टी योजना कब तक शुरू हो जायेगी ? क्या उक्त फल पट्टी योजनाओं के लिये वन भूमि उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गंगा भक्त सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**हरगांव तथा गोला चीनी मिलों द्वारा अवैध गन्ना क्रय की जांच**

58-श्री देवेन्द्र पाल सिंह-

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या हरगांव तथा गोला चीनी मिल द्वारा वर्तमान पिराई सत्र में क्रमशः माह नवम्बर, 1991 तथा दिसम्बर, 1991 में पर्चियों पर खरीदे गये गन्ने से 13.78 तथा 41.76

कुन्तल अधिक गन्ना, चीनी मिल में प्राप्त करके पेरने का मामला सहायक चीनी आयुक्त, सीतापुर तथा उप चीनी आयुक्त लखनऊ द्वारा पकड़ा गया है ? यदि हां, तो वर्तमान सत्र में अब तक उक्त मिलों द्वारा इस प्रकार अवैध गन्ना खरीद के मामले में क्या व्यापक जांच कराई गई है ? यदि हां, तो प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह -

जी हां ।

जांच कराई जा रही है ।

अब तक प्राप्त जांच परिणामों के आधार पर पाई गई अनियमितताओं के लिये चीनी मिल के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है तथा संबंधित तौल लिपिकों के लाइसेंस शेष सत्र के लिये निरस्त कर दिये गये हैं ।

शेष का प्रश्न नहीं है।

**जनपद गोण्डा के कृषि विभाग में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत पदोन्नति के संबंध में विचार**

59-श्री राम प्रताप सिंह -

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा के कृषि विभाग में कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को नियमित प्रोन्नति दी गयी है ? यदि हां, तो क्या श्री बृजलाल, कामदार, विकास खण्ड छपिया, गोण्डा की पदोन्नति की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह -

जी नहीं ।

जी नहीं ।

रिक्त पद उपलब्ध होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत पदोन्नति के संबंध में विचार किया जायेगा ।

**जनपद गोण्डा के विकास खण्ड रेहरा बाजार एवं बभनजोत के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण**

60-श्री राम प्रताप सिंह -

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बढ़या फरीद खां व सोमरहा विकास खण्ड रहेरा बाजार तथा अलाउद्दीनपुर व नरहरपुर विकास खण्ड बभनजोत, जनपद गोण्डा का ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु शासन द्वारा चयन किया गया था ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त ग्रामों में विद्युतीकरण कार्य पूरा कराया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन-

ग्राम बढ़या फरीद खाँ के पुरवे लक्वा का विद्युतीकरण कराया गया है । इसी ग्राम के दूसरे पुरवे बढ़या खास विद्युतीकरण स्थानीय व्यवधान के कारण नहीं हुआ । इसी गांव के विद्युतीकरण का चयन किया गया था । ग्राम सोमरहा विकास खण्ड रेहरा बाजार के विद्युतीकरण का चयन किया गया था । इसका विद्युतीकरण मार्च, 1989 में किया गया । ग्राम सभा अलाउद्दीन पुर विकास खण्ड बभनजोत का चयन वर्ष 88-89 में विद्युतीकरण के लिए किया गया था । इसका विद्युतीकरण अब तक नहीं हुआ । विद्युतीकरण के लिए भेजे गये पोलों में अन्य गांव के लोग कुछ पोल उठा ले गए जिससे सामान की कमी के कारण विद्युतीकरण नहीं हुआ ग्राम नरहरपुर विकास खण्ड बभनजोत विद्युतीकरण के लिए चयन किया गया था । इसका विद्युतीकरण के लिए चयन किया गया था । इसका विद्युतीकरण मार्च, 1990 में हुआ ।

**उ0 प्र0 के कृषि विभाग में जनपद वाराणसी के सहायक कृषि निरीक्षक श्री जगराम सिंह पुत्र श्री सुमेर के निलम्बन सम्बन्धी वाद मा0 उच्च न्यायालय में दायर किया जाना**

61-श्री श्रीराम-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 के कृषि विभाग में जिला वाराणसी के जिला कृषि अधिकारी के अधीनस्थ सहायक कृषि निरीक्षक के पद पर तैनात श्री जगराम सिंह पुत्र श्री सुमेर को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी का न्यायाधिकरण में लम्बित मामले का अन्तिम निस्तारण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या उक्त कर्मचारी की उसके मूल पद पर नियुक्ति कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उसकी नियुक्ति करके निलम्बन तथा सेवा से पदच्युत समय का वेतन और समस्त आदेय भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह-

जी हाँ ।

जी हाँ । लोक सेवा अधिकरण में उक्त कर्मचारी द्वारा दायर की गई निर्देश याचिका में निर्णय हो चुका है । जी नहीं । लोक सेवा अधिकरण के निर्णय का विरोध मा0 उच्च न्यायालय में किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद गोण्डा के विकास खण्ड-बभनजोत में नलकूप लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ उ0 प्र0 डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लखनऊ को भेजा जाना**

62- श्री राम प्रताप सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 नलकूप निगम गोण्डा द्वारा विकास खण्ड बभनजोत जनपद गोण्डा में नलकूप लगाने हेतु वर्ष 1991-92

में सर्वे किया गया है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा वह सर्वे रिपोर्ट स्वीकृत कर, नलकूप लगवाये जाने की व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो ये नलकूप कब तक लगाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

जी हाँ ।

प्रश्नगत क्षेत्र में सर्वेक्षण इण्डोडच नलकूप परियोजना के अन्तर्गत किया गया है जिसके कलस्टर का प्रस्ताव अनुमोदन हेतु अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लखनऊ को प्रेषित किया गया है ।

नलकूप लगाने की कार्यवाही उपरोक्त स्वीकृति पर निर्भर है ।

**जनपद आगरा की मण्डी समिति के सचिव श्री मारकंडे राय द्वारा की गई अनियमितताओं की विभागीय जाँच की माँग**

63-श्री ऊदल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंडी समिति, आगरा के सचिव श्री मारकंडे राय की जांच कराने का आदेश उप निदेशक प्रशासन, मंडी परिषद् वाराणसी को दि0 15-7-91 को दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि सचिव मंडी समिति, आगरा का ट्रांसफर दि0 23-7-91 को आगरा से मंडी समिति वाराणसी में कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इनके द्वारा मंडी समिति आगरा में की गयी अनियमितता जिस पर विभागीय जांच का आदेश हुआ था, उसको सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह -

जी हाँ ।

जी हाँ ।

श्रेणी-1 के सचिव उपलब्ध न होने के कारण वरिष्ठता क्रम में श्री राय को तैनात किया गया ।

जी नहीं ।

श्री मारकण्डे राय द्वारा मण्डी समिति, आगरा के कार्यकाल में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में उनके विरूद्ध विभागीय जांच की गई थी तथा जांचोपरान्त श्री राय को दंडित भी किया जा चुका है ।

64-श्री ऊदल-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंडी समिति (पहाड़िया) वाराणसी में दुकान नं0- सी- 70, सी- 89, सी- 93, सी-44, सी- 18, सी- 95,

सी- 29, बी- 40, सी-9 किसी को एलाट न करके उक्त सचिव द्वारा अवैध कब्जा कराकर पैसा वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह

इस प्रकरण की जांच कराई जा रही है ।

**जनपद बांदा में चालू वित्तीय वर्ष में केन कैनाल के अधिशासी अभियन्ता को प्राप्त और उपयोग किये गये धन का विवरण**

65-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद -

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में अधिशासी अभियन्ता, केन कैनाल बांदा को कुल कितनी धनराशि कहां-कहां से प्राप्त हुई और प्राप्त धनराशि का उपयोग कहां-कहां कितना-कितना किया गया ? अभी कितना धन शेष है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद आजमगढ़ स्थित दि किसान सहकारी चीनी मिल लि0 सठियांव द्वारा गन्ना कृषकों से अवशेष ऋण वसूली की कार्यवाही**

66-श्री अब्दुल ए0 सलाम-

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 सठियांव, जनपद- से वितरित ऋण की रिकवरी गन्ना कृषकों से की गयी है ? आजमगढ़ से वितरित ऋण की रिकवरी गन्ना कृषकों से की गयी है ? यदि हां, तो मदवार कितनी और अब कितना ऋण अवशेष है ? अवशेष ऋण की रिकवरी हेतु कौन सा कदम उठाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह -

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, सठियांव, जनपद- आजमगढ़ द्वारा एस0 डी0 एफ0 की मद से वितरित ऋण में से रूपया 18.10 लाख तथा नावार्ड की मद से वितरित ऋण में से 17.69 लाख रूपया गन्ना कृषकों से गन्ना मूल्य भुगतान से कटौती करके वसूल किया गया है । एस0 डी0 एफ0 की मद में 17.69 लाख रूपया तथा नावार्ड की मद में 46.02 लाख रूपया वसूल किया जाना शेष है ।

अवशेष ऋण गन्ना कृषकों से वसूल करने हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी अधिनियम की धारा- 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करके ऋण की वसूली की जायेगी ।

**साधन सहकारी समिति नें कृषि रक्षा रसायनों के उपलब्ध न होने की शिकायत**

67-श्री फरीद महफूज किदवई-

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि कृषि रक्षा इकाई से दस दवायें हटाई

गयी व साधन सहकारी समिति में अनुपलब्ध हो गयी ? यदि हां, तो यह सही है कि समय गेहूं, आलू, मटर, अरहर, दलहन व तिलहन में कोई रोग लगा है ? यदि हां, तो दवायें अनुपलब्ध होने पर किसानों का कितना नुकसान हुआ है? इस नुकसान की जिम्मेदारी कौन से कर्मचारी की है ?

श्री गंगा भक्त सिंह -

10 महत्वपूर्ण कृषि रक्षा रसायनों के वितरण का कार्य रबी-91-92 से पी0सी0एफ0 तथा यू0पी0 एग्रो को आवंटित किया गया है। मार्च 1992 से कृषि रक्षा रसायनों के वितरण की समीक्षा के उपरान्त लिये गये निर्णयानुसार सभी कृषि रक्षा रसायनों के वितरण का कार्य अब कृषि विभाग, सहकारी संस्थायें तथा यू0पी0 एग्रो के द्वारा किया जा रहा है। यह सत्य नहीं है कि उक्त रसायन साधन सहकारी समिति में अनुपलब्ध रहे ।

केवल आलू की फसल पर पछेता झुलसा रोग के लगने की सूचना जनपदों से प्राप्त हुई । जिसका यथासमय नियंत्रण व निवारण किया गया ।

दवायें उपलब्ध थी, अतः झुलसा रोग के कारण कोई विशेष क्षति नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता ।

68-श्री फरीद महफूज किदवई-

(8वें मंगल में अता0प्र0सं0-132 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**जनपद गोण्डा के विकास खण्ड-रहेरा बाजार व बभनजोत में राजकीय नलकूपों की पाइप लाइन बिछाने तथा पक्की गूलों का निर्माण कराने की माँग**

69- श्री राम प्रताप सिंह -

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत व रहेरा बाजार में कुल कितने राजकीय नलकूपों में पाइप लाइन नहीं बिछायी गयी है या पक्की नालियां अभी नहीं बनायी गयी हैं ? पाइप लाइन न बिछाये जाने, पक्की नालियां न बनवाये जाने का कारण क्या है? कब तक नालियां बना दी जायेगी या पाइप लाइन बिछा दी जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत व रेहरा बाजार में कुल 4 राजकीय नलकूपों पर पाइप लाइन या पक्की गूल का निर्माण नहीं हुआ है तथा 14 नलकूपों पर जल वितरण प्रणाली का निर्माण आंशिक रूप से हुआ है ।

समुचित धन का प्राविधान न होने के कारण ।

जनपद प्लान में प्राविधान के अनुसार पाइप लाइन या पक्की गूल का निर्माण किया जा रहा है ।

**जनपद लखनऊ के कैबिनेटगंज बन्दरिया बाग स्थित आवास नं0 9 सी के निवासी श्री योगेन्द्र प्रसाद द्वारा सर्विस कनेक्शन चार्ज व जमानत धनराशि के अभाव में कनेक्शन न दिये जाने के कारणों की जानकारी**

70- श्री किशोरी लाल यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री योगेन्द्र प्रसाद, सी-9 कैबिनेटगंज बन्दरियाबाग, लखनऊ के नाम आवंटित सरकारी आवास में विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत प्रदेय उपखण्ड हुसैनगंज, लखनऊ में निर्धारित फार्म भरकर अप्रैल, 1991 में आवेदन पत्र जमा किया गया था जिसकी जांच उसी माह में हो गयी थी ? यदि हां, तो अब तक उक्त आवास में विद्युत कनेक्शन न दिये जाने का क्या कारण है? उक्त कनेक्शन कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टंडन-

श्री योगेन्द्र प्रसाद, सी-9 कैबिनेटगंज, बंदरियाबाग, लखनऊ ने 280 वाट का घरेलू विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र 21-3-91को सहायक अभियन्ता (हुसैनगंज) लखनऊ प्रदेय उपक्रम के कार्यालय में प्रस्तुत किया था ।

आवेदन पत्र में कई कमियां थी तथा साथ में दिये गये बी0एण्ड एल0 फार्म में भी कमियां थी, जिससे उपभोक्ता को उसी समय तथा तत्पश्चात् 14-9-1991 को कनेक्शन स्थल का निरीक्षण करने के दौरान पुनः अवगत कराया गया ।

उपभोक्ता ने उपरोक्त कमियां दिनांक 7-5-1992 को ही दूर की, जिसके उपरान्त सर्विस कनेक्शन चार्ज व जमानत की धनराशि जमा करने के लिये बैंक स्लिप जारी कर दी गयी। उपभोक्ता द्वारा आवश्यक धनराशि जमा न करने के कारण कनेक्शन नहीं दिया गया है ।

उपभोक्ता द्वारा सर्विस कनेक्शन चार्ज व जमानत की धनराशि जमा न करने की स्थिति में कनेक्शन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद देवरिया की तहसील हाटा में कार्यरत नलकूपों का विवरण तथा दो नलकूपों का ऊर्जीकरण।**

71-श्री अम्बिका सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के हाटा तहसील में कितने नलकूप कहां-कहां लगे हैं? 29 फरवरी, 92 तक उसमें से कहां कहां के नलकूप कार्य कर रहे हैं ? कौन-कौन से नलकूप ऊर्जा एवं नाली के अभाव में काम नहीं कर रहे हैं ? क्या जो नलकूप काम नहीं कर रहे हैं उन्हें ठीक करने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

जनपद देवरिया के हाटा तहसील में 40 नलकूप लगाये गये हैं जिनका विवरण संलग्न है ।

29 फरवरी, 92 तक 38 राजकीय नलकूप कार्य रहे हैं, जिनका विवरण संलग्नक में अंकित है ।

नलकूप संख्या 15 एच0जी0 व 5 जी0बी0जी0 ऊर्जीकरण न होने के कारण कार्य नहीं कर रहे हैं । ऐसा कोई नलकूप नहीं है जो पक्की गूल के अभाव में कार्य न कर रहा हो ।

जी हां ।

उक्त दोनों नलकूपों के ऊर्जीकरण हेतु बी0एण्ड एल0 फार्म क्रमशः 3/92 व 3/93 में विद्युत विभाग को प्रेषित किये जा चुके हैं, तथा शीघ्र ही इन नलकूपों का ऊर्जीकरण कराया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 192-193 पर)

**जनपद देवरिया के ब्लाक रामकोला कप्तानगंज-मोतीचक हाटा-सुकरौली में चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण करने की मांग**

72-श्री अम्बिका सिंह -

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के ब्लाक रामकोला-कप्तानगंज-मोतीचक-हाटा-सुकरौली में किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ? किन-किन ग्रामों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? क्या कुछ ऐसे भी ग्राम हैं, जो मात्र विभाग के अभिलेखों में विद्युतीकृत हैं परन्तु उन ग्रामों में बिजली के एक भी पोल नहीं लगे हैं ? यदि हां, तो उन ग्रामों के नाम क्या हैं ? क्या इन ग्रामों का विद्युतीकरण करने हेतु सरकार अलग से कोई व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन-

देवरिया जनपद के रामकोला-कप्तानगंज-मोतीचक-हाटा एवं सुकरौली ब्लाकों के क्रमशः साठ गांव (60 गांव), 76 गांव, 59 गांव, 69 गांव एवं 72 गांव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार तथा 60 गांव, 76 गांव, 59 गांव एवं 68 गांव, एवं 72 गांव एल0टी0 लाइन बिछाकर विद्युतीकृत किये गये हैं। अब तक केलव 17 गांव, 22 गांव, 29 गांव, 37 गांव एवं 53 गांव क्रमशः इन ब्लाकों में विद्युतीकृत होने बाकी हैं ।

इन ब्लाकों में कुछ गांव व्यक्तिगत नलकूप होने के कारण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार विद्युतीकृत घोषित हैं, परन्तु व्यक्तिगत नलकूपों

की लाईन एवं सब स्टेशन इन नलकूपों पर विद्युत बिल के बकाये के कारण उखाड़ लिया गया है। अतः इन कुछ गांवों में जो विद्युतीकृत घोषित हैं परन्तु अब इनमें विद्युत लाइन नहीं है । ऐसे गांवों की सूची गांवों के निरीक्षण के बाद दिया जा सकेगा । बचे गांवों का विद्युतीकरण बजट में प्राविधान करने एवं आवश्यकतानुसार ब्लाकवार लक्ष्य निर्धारित होने व चयन के बाद किया जा सकेगा ।

**उ0प्र0राज्य विद्युत परिषद् के अध्यक्ष श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता के संदर्भ में प्रश्न-कर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी देने की मांग**

73-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता को जो पत्र श्री जगदीश चन्द्र गुप्ता अध्यक्ष उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् ने अर्ध शासकीय पत्र संख्या 826-पी0ए0रा0वि0प0/92 (कम्प्यूटर संख्या 31464) दिनांक 17 जनवरी, 1992 के द्वारा लिखा था उसके बारे में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टंडन-

संबंधित पत्र पर कृत कार्यवाही विवरण निम्नवत् है:-

यह सही है कि प्रार्थी ने 2 कि0वा0 का घरेलू पंखा बत्ती विद्युत संयोजन 3-6-88 को लिया था ।

यह सही है कि मीटर की प्रारम्भिक रीडिंग 898 थी बल्कि मीटर की प्रारम्भिक रीडिंग 8 थी । उपभोक्ता ने प्रथम दो बिलों का भुगतान मीटर रीडिंग के अनुसार 1310 मीटर रीडिंग तक किया तथा कोई आपत्ति मीटर रीडिंग पर नहीं की । वास्तविकता यह है कि उपभोक्ता के यहां परीक्षण खण्ड, बांदा के अधिशासी अभियन्ता द्वारा सितम्बर, 1989 में चेकिंग के दौरान पंखा बत्ती संयोजन पर अवैध रूप से वेल्डिंग मशीन चलाते हुये पाया गया तथा भार 2 कि0वा0 के स्थान पर 5 कि0वा0 पाया गया । इस अवैधानिक कार्य के लिये उपभोक्ता पर जुर्माना किया गया जिसका उसके द्वारा भुगतान नहीं किया गया और जिसके कारण 18-10-89 को कनेक्शन काट दिया गया । मीटर निरीक्षण पर मीटर की रीडिंग 5167 पायी गयी जबकि पूर्व में मीटर रीडर द्वारा यह रीडिंग 5960 दिखायी गयी थी जिसे ठीक कर दिया गया। मीटर रीडर स्थानान्तरित कर दिया गया चूंकि उपभोक्ता ने न तो अवैध भार चलाने के कारण किये गये जुर्माने का भुगतान किया है और न ही नियनित रूप से भेजे गये बिलों का भुगतान किया है। उपभोक्ता का विद्युत विच्छेदन करने के पश्चात् सेक्शन 3 व 5 के अंतर्गत देयों की वसूली के लिये जिलाधिकारी के माध्यम से कार्यवाही की गयी है। उपभोक्ता ने अपने देयों का भुगतान अभी तक नहीं किया है जिसके कारण कनेक्शन कटा है ।

**जनपद बांदा केन नहर प्रखण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा बरती गयी अनियमितता के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र प्राप्त न होना**

74-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा जो पत्र संख्या ख नं0 705548/125 दिनांक 27-1-92 के द्वारा अधिशासी अभियन्ता केन नहर प्रखण्ड बांदा के जीप नं0 यू0पी0एच0 714 के संबंध में लिखा गया था, उसका उत्तर न देने का क्या कारण है ? क्या वास्तविक रूप में अनियमिततायें बरती गयी थी यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

कार्यालय अभिलेखानुसार यह पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद बांदा-बबेरु के भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा कराये गये कार्यों की जांच कराने की मांग**

75-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता ने भूमि संरक्षण अधिकारी बबेरु (बांदा) के क्षेत्रीय लोगों की शिकायती पत्र मिलने पर पत्र संख्या क नं0 264156 दिनांक 23-9-91 व उसके बाद एक पत्र प्रश्नकर्ता ने स्वयं लिखा था? यदि हां, तो प्रश्नकर्ता के दोनों पत्रों के उत्तर न देने का क्या कारण है? क्या वास्तविक रूप में अनियमिततायें बरती गयीं थीं ? यदि हां, तो क्या अब इनके द्वारा करवाये गये समस्त कार्यों की उच्च स्तरीय जांच करवायी जायेगी ?

श्री गंगा भक्त सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जल विद्युत परियोजना श्रीनगर गढ़वाल के लिये कृषकों की अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का भुगतान**

76-श्री मातवर सिंह कण्डारी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल विद्युत परियोजना, श्रीनगर गढ़वाल के लिये जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहीत की गयी है, उनको मुआवजा क्यों नहीं दिया गया है ? क्या निकट भविष्य में मुआवजा दिये जाने की सम्भावना है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

श्रीनगर जल विद्युत परियोजना हेतु जनपद पौड़ी एवं टिहरी में भूमि का

अधिग्रहण किया गया है। अधिग्रहण की गई भूमि के प्रतिकर हेतु समुचित धनराशि संबंधित विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारियों को उपलब्ध करा दी गयी है। जिसका विवरण उनके द्वारा कृषकों को दिया जा रहा है ।

**जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चिरबटिया तथा नरेन्द्र नगर, कीर्तिनगर में फल पट्टी योजना हेतु वन भूमि उपलब्ध कराने की मांग**

77-श्री मातवर सिंह कण्डारी-

क्या उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चिरबटिया तथा नरेन्द्र नगर, कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल की फल पट्टी योजना पर कार्य कब तक शुरू होगा ? क्या इन फल पट्टी योजनाओं के लिये वन भूमि शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगाभक्त सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद झांसी में उप कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) राष्ट्रीय जलागम के स्थानान्तरण की मांग**

78-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी मण्डल के अन्तर्गत जनपद झांसी में उप कृषि निदेशक (भूमि संरक्षण) राष्ट्रीय जलागम आठ वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? जिससे शासनादेश संख्या 14-1-90-कार्मिक-2, दिनांक 9 जुलाई, 1991 का स्पष्ट उल्लंघन है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ? क्या शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह-

जी हां ।

छानबीन कराई जा रही है ।

जी हां, वार्षिक स्थानान्तरण के समय नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

**जनपद झांसी भूमि संरक्षण राष्ट्रीय जलागम के उप कृषि निदेशक के विरुद्ध लगाये गये जांच बिन्दुओं का विवरण**

79-श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण राष्ट्रीय जलागम जनपद झांसी के विरुद्ध जांच तत्कालीन संयुक्त कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ से कराई गयी है ? यदि हां, तो जांच बिन्दु क्या हैं ? क्या यह सही है कि श्री सिन्हा तत्कालीन संयुक्त कृषि निदेशक, उ0प्र0 से जांच रिपोर्ट शासन में उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या जांच रिपोर्ट की खोज कर शासन द्वारा कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह -

जी हां ।

प्रमुख जांच बिन्दु निम्नवत् हैं :-

1-परियोजना अधिकारी, बांदा के कार्यकाल में राजकीय जीप की मरम्मत करवाकर एवं राजकीय धन की क्षति करना ।

2-परियोजना अधिकारी, बांदा के कार्यकाल में कृषि बीज भण्डार के ताले तुड़वाकर चोरियां कराना ।

3-शासनादेश की अवहेलना करते हुये अनियमित नियुक्तियां करना ।

4-राठ (हमीरपुर) में तीस लाख रुपये की लागत की कोठी बनवाना ।

5-राष्ट्रीय जलागम योजना में भारी अनियमिततायें करना ।

6-बुन्देलखण्ड मण्डल में अधिक समय तक तैनात रहना ।

7-भ्रष्टाचार, भाई भतीजा वाद रिश्वत खोरी को बढ़ावा देना ।

जी नही

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सिन्हा, संयुक्त कृषि निदेशक, द्वारा जांच का कार्य पूर्ण नहीं किया गया। उनके स्थान पर सम्प्रति श्री पी0सी0 पन्त, संयुक्त कृषि निदेशक (मृदा सर्वेक्षण) द्वारा जांच कराई जा रही है ।

**जनपद मुरादाबाद के 27 गंगेश्वरी क्षेत्र के सांयलपुर में अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत यगद नदी पर पुलिया बनाने हेतु स्थल निरीक्षण के आदेश**

80-श्री प्रीतम सिंह -

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुरादाबाद के 27 गंगेश्वरी, के ग्राम सांयलपुर में अम्बेडकर योजना के अंतर्गत भूमि सुधार योजना के लिये धन दिया गया था ? क्या उसी धन से उसी योजना के अंतर्गत यगद नदी पर पुलिया बनाने का प्रस्ताव भी था ? इस संबंध में कृषि निदेशक, लखनऊ द्वारा क्या निर्देश दिये गये हैं?

श्री गंगाभक्त सिंह -

जी हां ।

जी नहीं ।

कृषि निदेशक द्वारा स्थल निरीक्षण के आदेश दिये गये थे ।

**जनपद सिद्धार्थनगर में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं के कार्यकाल के संबंध में विचाराधीन प्रस्ताव**

81-श्री शिव लाल मित्तल-

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व सरकार द्वारा 1990 में शासकीय वकीलों की जो नियुक्तियां की थी, उसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि अनुकूल न पाकर उस पर स्थगनादेश पारित करके, फरवरी, 90 में कार्यरत शासकीय

वकीलों से ही कार्य लिये जाने का कोई आदेश किया है ? यदि हां, तो क्या सिद्धार्थनगर जनपद में फरवरी, 90 में कार्यरत शासकीय वकीलों से कार्य लिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या वर्ष 1990 में तत्कालीन सरकार द्वारा सिद्धार्थनगर में नियुक्त शासकीय अधिवक्ताओं को हटाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इन शासकीय वकीलों की नियुक्ति सिद्धार्थनगर में वैध है ? यदि हां, तो किस सीमा तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

जी हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20-9-90 में दिनांक 28-2-90 की स्थिति पुर्नस्थापित करने का आदेश किया था, जिसका अनुपालन शासन द्वारा कर लिया गया है ।

जनपद सिद्धार्थनगर में माह फरवरी, 1990 में शासन द्वारा नियुक्त कोई अधिवक्ता कार्यरत नहीं था । क्योंकि जनपद सिद्धार्थनगर में शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति दिनांक 6-3-91 को की गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी नहीं ।

शासकीय अधिवक्ताओं के कार्यकाल समाप्त हो जाने पर विधि परामर्शी निर्देशिका के प्रस्तर 7.08 के अधीन जिलाधिकारी/ जिला जज की संस्तुति पर कार्यकाल को बढ़ाने अथवा न बढ़ाने के संबंध में शासन द्वारा निर्णय लिया जाता है। शासन द्वारा निर्णय लिये जाने तक उक्त शासकीय अधिवक्ता समान्य निर्देशों के अधीन अपने पदों पर कार्यरत रहते हैं ।

जनपद सिद्धार्थनगर में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं के कार्यकाल के संबंध में प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ।

**जनपद मुजफ्फरनगर स्थित विद्युत सब स्टेशन के क्वाटर्स तथा बिल्डिंग के निर्माणाधीन अवशेष कार्य को पूरा कराने की मांग**

82-श्री सुरेश संगल-

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मुजफ्फरनगर में 6 विद्युत सब स्टेशन ऐसे हैं जिनके क्वाटर्स व बिल्डिंग आदि पर करोड़ों रुपये अब तक लग चुके हैं? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि अब कई साल से वहां कोई निर्माण प्रगति न होने पर धन अवरुद्ध पड़ा है तथा नागरिकों को इससे कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त कार्य पूर्ण कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो अवशेष कार्य को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री लालजी टंडन-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद बांदा के ब्लाक-बड़ोखर खुर्द के ग्राम पथरी में भूमि संरक्षण इकाई द्वारा बन्धे बन्धी का निर्माण मानव श्रम से न कराकर टैक्टरों से कराने की शिकायत की टी0ए0 सी0 से जांच कराये जाने की मांग**

83-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के ग्राम पथरी ब्लाक बड़ोखर खुर्द में वर्ष 1990-91 व 1991-92 में कुल कितने बन्धे-बन्धी भूमि संरक्षण इकाई बांदा द्वारा बनाये गये हैं ? क्या अधिकारियों द्वारा मानव श्रम से कार्य न कराकर टैक्टरों से गत वर्षों में कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या टी0ए0सी0 से सरकार द्वारा इसकी जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह-

ग्राम पथरी में वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में कुल 19 बन्धे बनाये गये हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद आजमगढ़ में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के पद पर नियुक्त सर्वश्री आद्या शंकर दुबे, राजेन्द्र प्रसाद सिंह, राजमणी यादव एवं इश्तियाक अहमद को जिलाधिकारी द्वारा मुक्त किये जाने की शिकायत**

84-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या विधि मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1990 माह अगस्त, में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के पद पर सर्वश्री आद्या शंकर दुबे, राजेन्द्र प्रसाद सिंह, राजमणी यादव, एवं इश्तियाक अहमद की नियुक्ति हुई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त लोगों को दिनांक 28-9-91 को जिलाधिकारी आजमगढ़ ने कार्य मुक्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्या कार्य मुक्त करने का अधिकार जिलाधिकारी को है ? यदि नहीं, तो सरकार इस प्रकरण में क्या कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां ।

जी हां ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 20-9-90 एवं अंतरिम आदेश दिनांक 7-5-91 (रिट याचिका संख्या 243/91 यू0पी0 गवर्नमेंट काउन्सिल

क्रिमिलन वेलफेयर एसोशियेशन बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य) का अनुपालन करने का निर्देश जिला मजिस्ट्रेट को शासनादेश दिनांक 19-5-91 द्वारा दिया गया । अंतरिम आदेश के अधीन दिनांक 28-2-90 को कार्यरत अधिवक्ताओं को पुनः आबद्ध किये जाने के फलस्वरूप ये चार अधिवक्ता स्वतः ही कार्यमुक्त हो गये । इन आदेशों के विरुद्ध इन अधिवक्ताओं ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की थी जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 7-1-92 को खारिज कर दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता ।

**सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियन्ता "यांत्रिक" के पद पर कार्यरत अधिकारियों से आवश्यकतानुसार कार्य लिया जाना**

85-श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ता "यांत्रिक" से अधीक्षण अभियन्ता "यांत्रिक" के पद पर प्रति वर्ष । जुलाई, से 30 जून, तक का वर्ष मानकर उस वर्ष से रिक्त पदों को प्रोन्नति से भरा जाता है ? यदि हां, तो वर्ष अन्तिम जून, 1991 की रिक्तियों से अधिक प्रोन्नतियां उक्त पद पर किस अभिप्राय से की गयीं ? क्या इस प्रकार अनियमित प्रोन्नत अधीक्षण अभियन्ताओं "यांत्रिक" से प्रोन्नत पद के अनुरूप कार्य लिया गया है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी हां ।

चयन वर्ष 1990-91 में रिक्तियों से अधिक प्रोन्नतियां नहीं की गयी ।

अधीक्षण अभियन्ता "यांत्रिक" के पद पर तैनात अधिकारियों से संबंधित पद की आवश्यकतानुसार कार्य लिया गया है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद देवरिया के झरही में किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि के मुआवजों का विवरण**

86-श्री विश्वनाथ-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के झरही जमीन में किसानों की कितनी भूमि अधिग्रहीत की गयी ? उसका मुआवजा कुल कितना हुआ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त मुआवजे की कितनी रकम का भुगतान किसानों को किया गया ? कितना भुगतान शेष है ? शेष रकम उन्हें कब तक भुगतान कर दी जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

देवरिया जनपद में झरही जमीनों में किसनों की 77.34 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गयी । इसका कुल मुआवजा रु0 5,87,531.59 हुआ। कुल 5,87,531.59 रुपये का भुगतान किसानों को कर दिया गया है। कोई भुगतान अवशेष नहीं है ।

87-श्री मातवर सिंह कण्डारी-

(8 वें मंगल में अता0प्र0सं0 133 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

**जनपद बांदा के ब्लाक तिन्दवारी के ग्राम खपटिया कला में डी0पी0ए0पी0 योजना के अन्तर्गत धनराशि का प्रदान न किया जाना**

88-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा को वर्ष 1990-91 में डी0पी0ए0पी0 योजना के जीवन धारा मद द्वारा ब्लाक तिन्दवारी के ग्राम खपटिया कला में जी0पी0 संख्या-11 में कितनी धनराशि प्रदत्त की गयी थी ? वहां पर कार्य कितने मानव दिवसों में कराया गया ? क्या कार्य ट्रैक्टरों द्वारा भी कराये गये हैं ?यदि नहीं, तो क्या जी0पी0 संख्या 11 के मस्टर रोलों की छाया प्रति सदन के पटल पर उपलब्ध करायेंगे ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मौके की टेक्निकल जांच भी कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गंगा भक्त सिंह-

कोई धनराशि प्रदान नहीं की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

89-90-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

(9 वें सोम में अता0प्र0सं0 51-52 के अनतर्गत स्थानान्तरित)

**जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के अलोना द्वितीय में भूमि संरक्षण इकाई द्वारा व्यय की गयी धनराशि का विवरण**

91-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990-91 में जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के अलोना द्वितीय में भूमि संरक्षण विभाग, बांदा द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ? कितने मानव श्रम दिवसों द्वारा कार्य कराया गया है ? मजदूरी का रेट क्या है ? क्या यह सत्य है कि वे कार्य ट्रैक्टर से कराये गये हैं, जो कार्य मानव श्रम से कराये जाते हैं क्या उनमें मजदूरों को मानव के अनुसार मजदूरी दी गयी है ? अलोना द्वितीय के अंतर्गत कितने बन्धे-बन्धी जवाहर रोजगार योजना द्वारा बनाये गये हैं? क्या उक्त कार्यों की जांच करायी जायेगी ? क्या यह सही है कि बन्धों के ऊपर मिट्टी छिड़ककर सरकारी धन का गबन किया गया है?

श्री गंगा भक्त सिंह-

धनराशि परियोजनावार अलग से प्राप्त नहीं होती है, बल्कि भूमि संरक्षण इकाई के लिये प्राप्त होती है। वर्ष 1990-1991 में अलोना द्वितीय परियोजना में भूमि संरक्षण इकाई द्वारा 9072.00 रुपये व्यय किया गया ।

कुल 504 मानव दिवसों द्वारा ।
रु0 18.00 प्रतिदिन ।
जी नहीं ।
जी हां ।
जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कोई कार्य नहीं कराया गया ।
प्रश्न नहीं उठता ।
जी नहीं ।

**जनपद बाराबंकी के सिंचाई विभाग भदोहीं में स्थित राजकीय नलकूपों की पक्की/ कच्ची नालियों पर कालीन निर्माताओं द्वारा किये गये अवैध कब्जे को समाप्त करने की मांग**

92-श्री ऊदल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप, हरीरामपुर, भदोहीं, मर्यादा पट्टी, रखपुरा, बरबसपुर, पुढापट्टी, पूरेश्याम नलकूप अनुरक्षण खण्ड सिंचाई विभाग भदोहीं,जिला बाराबंकी की पक्की एवं कच्ची नालियों को भदोहीं के कालीन निर्माताओं के चहार दीवारी खीच कर अपने अहाते में कर लिया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त कालीन निर्माताओं की कम्पनियों का नाम बतायेगी? क्या यह भी जानकारी देगी कि उन नालियों से पहले कितने एकड़ की सिंचाई होती थी ? क्या उक्त नालियों को मिलाया जा रहा था, तो नलकूप विभाग ने उनको रोकने की कोई कार्यवाही की थी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करके अपनी सरकारी जमीन को वापस लेने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद वाराणसी के अनुरक्षण खण्ड भदोही स्थित राजकीय नलकूप गोपाल पट्टी वी0जी0नं0 82 नलकूप के नाली पर श्री हंसराज द्वारा पक्का कमरा बनाये जाने के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग**

93-श्री ऊदल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप गोपाल पट्टी वी0जी0 नं0 82 नलकूप अनुरक्षण खण्ड भदोहीं, वाराणसी की नाली की जमीन पर गांव रेबड़ा परसपुर में उसी गांव के श्री हंसराज यादव ने एक पक्का कमरा बनवा लिया है, जिससे आगे की सिंचाई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कार्यवाही करके नाली को खुलवा कर किसानों की सिंचाई सुनिश्चित होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

**जनपद जौनपुर की तहसील मछली शहर के ग्राम फटरपुर निस्फी मुगरा बादशाहपुर के कतिपय किसानों से गूल निर्माण हेतु वसूली की गयी धनराशि की जांच**

94-श्री राम प्रसाद सिंह -

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी किह जनपद जौनपुर के तहसील मछली शहर अंतर्गत गांव फटरपुर निस्फी मुंगरा बादशाहनगर के श्री अयोध्या प्रसाद पुत्र श्री राम लाल के चक संख्या 898 व 826 के लिये कुलावा नम्बर 78 व 90 में गुल निर्माण अभी तक नहीं कराया गया है और न ही कोई नाली पर बनी है? यदि हां, तो क्या गुल निर्माण खर्चा जरिये आर0 सी0 मु0 1344/रुपये वसूल किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस वसूली के लिये जांच की कार्यवाही हेतु उक्त व्यक्ति ने दिनांक 19-7-91 को परगना अधिकारी मछली शहर को शिकायत पत्र में दी है ? क्या उन्होंने जांच करके नियमानुसार आख्या मांगी है ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा ? क्या वसूली की कार्यवाही गलत है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन दोषी है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**जनपद गोरखपुर के विकास क्षेत्र ब्रह्मपुर के ग्राम सभा ब्रह्मपुर में नलकूपों हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा**

95-श्रीमती शारदा देवी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास क्षेत्र ब्रह्मपुर में स्थित नलकूप संख्या 45 एस0एन0जी0नं0 मौना डेहराडावार में स्थिति नलकूप संख्या 46 एस0एन0जी0 जिस भूमि में स्थापित किया गया है, उन किसानों को विभाग ने भूमि मुआवजा दे दिया ? यदि हां, तो कितना रुपया किन-किन किसानों को भुगतान किया गया? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण प्रतिकर का भुगतान नहीं किया जा सका है।

**जनपद आगरा के विभिन्न न्यायालयों में नियुक्त शासकीय अधिवक्ता एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता के अवशेष देय धनराशि के भुगतान की मांग**

96-श्री विजय सिंह राणा-

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में फौजदारी राजस्व

एवं माल के वादों की राज्य की ओर से भिन्न न्यायालयों में पैरवी करने हेतु कितने शासकीय अधिवक्ता एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता नियुक्त है ? शासन उन्हें प्रतिधारण शुल्क एवं किये गये कार्य के लिये, निर्धारित शुल्क, के रूप में कितनी धनराशि मासिक रूप से अदा करता है ? क्या उक्त अधिवक्ताओं को नियत धनराशि वहां पर नियमित रूप से मिल रही है ? यदि हां, तो क्या सभी अधिवक्ताओं की दिसम्बर, 1991 तक की सम्पूर्ण देयराशि का भुगतान हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों और इनकी कितनी धनराशि अभी तक अवशेष देय है ? उसे कब तक उन्हें अदा कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

जनपद आगरा में फौजदारी पक्ष में 1 अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता तथा 21 सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व पक्ष में 2 जिला शासकीय अधिवक्ता तथा 1 अतिरिक्त जिला शासकीय अभिवक्ता तथा दीवानी पक्ष में 2 जिला शासकीय अधिवक्ता एवं 2 नामिका वकील राज्य की ओर से भिन्न भिन्न न्यायालयों में पैरवी करने हेतु शासन द्वारा नियुक्त है। शासन प्रत्येक जिला शासकीय अधिवक्ता को रुपये 1000.00 प्रतिमाह रिटेलर फीस तथा 3 घंटे से अधिक कार्य करने पर रुपये 250.00 तथा 3 घंटे से कम कार्य करने पर रुपये 125 प्रतिकार्य दिवस तथा सहायक अधिवक्ता को रुपये 700.00 प्रतिमाह रिटेनर फीस तथा 3 घंटे से अधिक कार्य करने पर रुपये 225.00 तथा 3 घंटे से कम कार्य करने पर रुपये 115.00 प्रतिकार्य दिवस अदा करता है।

अधिवक्ताओं से मासिक फीस बिलों के भुगतान हेतु समय-समय पर धनराशि शासन द्वारा आवंटित की जाती है, जिसमें से यथा समय बिलों का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है ।

कुछ शासकीय अधिवक्ताओं को माह दिसम्बर, 1991 तक के फीस बिलों का भुगतान हो चुका है जिला मजिस्ट्रेट आगरा को सरकारी अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान हेतु मार्च, 1992 तक रुपये 9,49,188.00 की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। जिसे सरकारी अधिवक्ताओं के फीस बिलों का भुगतान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया। अब पुनः जिला मजिस्ट्रेट ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1991 तक के सरकारी अधिवक्ताओं के सम्पूर्ण फीस बिलों के भुगतान किये जाने हेतु रुपये 5,53,821.00 की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। इसके उपरांत शासनादेश दिनांक 4.4.92 द्वारा जनपद आगरा सहित प्रत्येक जनपद को रुपये 44,000.00 की धनराशि आवंटित की गयी है। शेष धनराशि का आवंटन न्याय विभाग का आय व्ययक अनुदान उपलब्ध होने पर किया जाना सम्भव हो सकेगा।

**मिर्जापुर/सोनभद्र जनपद में जलाशय के स्कैब से क्षतिग्रस्त पुल व सड़कों की मरम्मत हेतु धनराशि उपलब्ध कराने की मांग**

97-श्री यदुनाथ सिंह-

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि अगस्त, 1991 में मिर्जापुर सोनभद्र जनपद में अति वृष्टि के कारण रिहन्द जलाशय, अहरौरा जलाशय जरेगा जलाशय, अपर खजुरी जलाशय से क्रमशः कितने क्यूसेक पानी को बहाया गया ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि बहाव के लिये अतिरिक्त प्रणाली न होने से मिर्जापुर जनपद में जमालपुर ब्लाक के 69 गांव जलमग्न हो गये थे ? यदि हां, तो क्या ओड़ी बहुआर ब्लाक और सभी सड़कों को क्षति एवं जन धन क्षतिग्रस्त हो गया था ? क्या मंत्री जी ने अभी तक उक्त जलाशय के स्कैव के कारण क्षतिग्रस्त पुलों व सड़कों के मरम्मत के लिये धनराशि मुहैया करायी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

अगस्त, 1991 में मिर्जापुर, सोनभद्र जनपद में अतिवृष्टि के कारण अगस्त, 1991 रिहन्द जलाशय से अधिकतम 65,100 क्यूसेक तथा जरगो जलाशय से अधिकतम 6020 क्यूसेक पानी स्पिनवे गेटों से छोड़ा गया। माह अगस्त, 1991 में अहरौरा एवं अपर खजुरी जलाशय से जल की निकासी नहीं हुई है ।

माह सितम्बर के प्रथम सप्ताह में अहरौरा जलाशय की निकासी के कारण जमालपुर ब्लाक के 31 गांव प्रभावित हुये थे । जमालपुर ब्लाक की 1291.42 एकड़ फसल तथा सड़कें प्रभावित हुई थी तथा कुछ पुल क्षतिग्रस्त हो गये थे। क्षतिग्रस्त फसल का सिंचाई कर रुपये 29,610.95 माफ कर दिया गया है ।

जी नहीं ।

पुलों और सड़कों के रखरखाव का उत्तरदायित्व लोक निर्माण विभाग का है।

**जनपद बांदा के पैलानी फीडर पर नियमित विद्युत सप्लाई हेतु विद्युत आपूर्ति ठीक कराने की मांग**

98-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के सब स्टेशन पलरा द्वारा पैलानी फीडर पर विद्युत सप्लाई हमेशा खराब रहती है तथा वोल्टेज कम रहता है, क्या हजारों की संख्या में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्या को हल कराने हेतु पैलानी में अलग से विद्युत सब स्टेशन बनवाया जायेगा तथा विद्युत आपूर्ति सही करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन-

यह सही नहीं है कि जनपद बांदा के सब स्टेशन पलरा द्वारा पैलानी फीडर पर सप्लाई हमेशा खराब रहती है। उक्त फीडरों पर लोड अधिक होने के कारण वोल्टेज कम मिलता है।

33/11 के0वी0 उपसंस्थान बनाने का कोई प्राविधान अभी नहीं किया गया है बल्कि पैलानी में अतिरिक्त 11/4 के0वी0 ट्रान्ससफार्मर लगाने की व्यवस्था की जा रही है ताकि ठीक वोल्टेज मिल सके और विद्युत आपूर्ति सही हो सके ।

प्रश्न नही उठता ।

पैलानी से 8 किलोमीटर पर 33/11 के0वी0 जगपुरा सब स्टेशन है और दूसरी तरफ 12 किलोमीटर दूरी पर 33/11 के0वी0 सब स्टेशन पलरा है तथा दोनों में कोई सब स्टेशन पूरी क्षमता पर नहीं चल रहे हैं अतः तकनीकी दृष्टि से पैलानी में सब स्टेशन बनाने का कोई औचित्य नहीं है ।

**जनपद बलिया के रसड़ा में कृषि उत्पादन मण्डी भवन के निर्माण का विचाराधीन प्रकरण**

99-श्री सुरेन्द्र सिंह-

क्या कृषि मंत्री यह अवगत कराने की कृपा करेंगे कि रसड़ा, जिला बलिया में कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा कृषि उत्पादन मण्डी भवन निर्माणाधीन है ? यदि हां तो, सरकार इसे कब तक पूरा करा लेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह-

जी नहीं ।

प्रश्न नही उठता ।

मामला अभी भी विचाराधीन है ।

**नलकूप खण्ड प्रथम बदायूं में सभी संवर्गों में आरक्षण कोटा पूरा करने के प्रस्ताव की जानकारी**

100-श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खण्ड प्रथम बदायूं में सभी संवर्गों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के आधार पर आरक्षण प्राप्त कुल कितने पद सृजित हैं ? क्या उसमें से अनुसूचित जाति के 18 प्रतिशत का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह कोटा नलकूप खण्ड विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

नलकूप खण्ड प्रथम बदायूं में कार्यरत कर्मचारियों की खण्डीय संवर्गवार **स्थिति संलग्न है।** विभिन्न संवर्गों का रिक्त कोटा पूरा करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। कोटा यथाशीघ्र पूरा किया जाना प्रस्तावित है ।

(देखिये नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 194 पर)

**जनपद मऊ के दोहरी घाट पम्प कैनाल की शाखा (लखनी)के किनारे निर्मित कच्ची सर्विस रोड को पक्का बनाने की मांग**

101-श्री घुरहू-

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मऊ में दोहरीघाट पम्प कैनाल की शाखा मलेरीकोट की पटरी पर सर्विस रोड बनी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनहित को ध्यान में रखकर उक्त सर्विस रोड को पिच कराने का आदेश प्रदान करेंगे, ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा सुलभ हो सके ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जनपद मऊ में दोहरीघाट पम्प कैनाल के अंतर्गत मलेरी कोट नाम की कोई शाखा नहीं है, वरन् लखनी नाम की एक शाखा है जो ग्राम मलेरी कोट से आरम्भ होकर ग्राम लखनी तक जाती है। इस शाखा के किनारे बनी कच्ची सर्विस रोड को पक्का करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में वरिष्ठ लिपिक के पदों पर आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग**

102-श्री इकबाल महमूद-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सिंचाई विभाग में दिनांक 1-9-1983 से जिन कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ लिपिक बनाया गया, उसमें अनुसूचित जाति/जनजाति का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो उसे पूरा करने के लिये सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो उन्हें दिनांक 1-9-1983 से पदोन्नति वेतनमान दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं ।

वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिकों में से ही बनाये जाते हैं वर्तमान में कनिष्ठ लिपिकों के 528 पद रिक्त हैं, जिन पर भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा किये जाने हेतु अभिवाचन भेजा जा चुका है जिससे कोटा पूर्ण किये जाने की कार्यवाही की जायेगी एवं वरिष्ठ लिपिक पद पर भी कोटा पूर्ण किया जायेगा ।

जी नहीं ।

शासनादेश संख्या अ-2491/83-23-सिं 8/26 अ/82 दिनांक 20 अगस्त, 1983 के पैरा-4 में निहित प्राविधानान्तर्गत खंडीय कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का लाभ उस दिनांक से प्रभावी होगा, जिस दिनांक से उच्चीकृत पदों पर कर्मचारी को विधिवत् चयन कर नियुक्त किया जाता है ।

**जनपद वाराणसी शहर में सरकारी विभागों पर बकाया विद्युत बिल को वसूलने की कार्यवाही एवं बकायेदारों का विवरण**

103-श्री ऊदल-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत बिल का लाखों रुपया बकाया, वाराणसी शहर में सरकारी दफ्तरों तथा सरकारी विभागों के ऊपर वर्तमान में है? यदि हां, तो उस बकाये को वसूलने हेतु क्या-क्या कार्यवाही अब तक की गयी है ? बकायेदार विभागों के नाम क्या क्या हैं ?

श्री लालजी टंडन-

जी हां । सरकारी विभागों से विद्युत देय की वसूली हेतु मौखिक एवं लिखित रूप में उच्चाधिकारियों से बार-बार सम्पर्क किया गया तथा सेक्शन 3 की नोटिस भेजी जा चुकी है। सार्वजनिक हित को देखते हुये सरकारी विभाग, जल संस्थान एवं स्ट्रीट लाईट की विद्युत लाइनें नहीं काटी गयी। बकाये का विवरण **अनुलग्नक-। पर खण्डवार संलग्न है ।**

(देखिये नत्थी "ड" आगे पृष्ठ 195-197 पर)

**यू0पी0 स्टेट एग्रो के सेवा अभियन्ता श्री जंग बहादुर लाल के प्रकरण पर पुनर्विचार कर बहाल किया जाना**

104-श्री मिर्जा सुल्तान रजा-

क्या कृषि मंत्री को यह ज्ञात है कि यू0पी0 स्टेट एग्रो के श्री जंग बहादुर लाल सेवा अभियंता को लगभग पांच लाख रुपये के हेराफेरी के संबंध में दिनांक 30-12-91 को निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो बिना आरोप पत्र का उत्तर दिये श्री लाल को किन परिस्थितियों में दिनांक 24-1-92 को बहाल किया गया ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह-

जी हां ।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकर्षित कराये जाने पर प्रबन्ध निदेशक, द्वारा प्रकरण पर पुनर्विचार कर बहाल किया गया।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद देहरादून के विकास खण्ड चकराता में सिंचाई विभाग द्वारा सीरिया नहर के निर्माण हेतु वन भूमि का हस्तानान्तरण की कार्यवाही**

105-श्री मुन्ना चौहान-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड

चकराता में सिंचाई खण्ड अम्बाड़ी द्वारा सेंडिया नहर का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत नहर का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत नहर बनकर तैयार हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि नहर का निर्माण कार्य देवधार रेंज ट्यूनी में वन विभाग के लगभग 0.335 एकड़ भूमि का हस्तान्तरण न हो पाने के कारण रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्या अब तक सिंचाई विभाग द्वारा प्रश्नगत भूमि स्थानान्तरित किये जाने के एवज में बनीकरण हेतु वन विभाग को रुपये 10.000 की धनराशि जमा करा दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त वन भूमि का हस्तान्तरण कब तक हो सकेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह -

सीरिया नहर का निर्माण वर्ष 1988 में आरम्भ किया गया था ।

नहर का निर्माण अभी पूर्ण नहीं हुआ है ।

वन भूमि का अधिकार प्राप्त न होने के कारण नहर का निर्माण कार्य रुका हुआ है ।

जी हां ।

वन भूमि का प्रकरण स्वीकृत होने के पश्चात् ही वन भूमि का हस्तान्तरण सिंचाई विभाग को हो सकेगा।

**जनपद मैनपुरी के विद्युत प्रेषण उपखण्ड में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों का विवरण**

106-श्री राम औतार शाक्य-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत प्रेषण उपखण्ड मैनपुरी में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं ? क्या यह सच है कि सहायक अभियंता श्री एच0पी0 शर्मा के यहां तीन वर्ष से विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घरेलू कार्य के लिये लगे हुये हैं, और उनको तनख्वाह विभाग से ही जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उन दोनो कर्मियों की तनख्वाह उक्त सहायक अभियन्ता की तनख्वाह से काटेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी सहायक अभियंता के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन-

विद्युत प्रेषण उपखण्ड, मैनपुरी में कार्यरत सभी संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या 34 है तथा इनके पांच (5) पद रिक्त हैं ।

विद्युत उपखण्ड, मैनपुरी में श्री एच0सी0 शर्मा, सहायक अभियंता कार्यरत हैं, न कि एच0पी0 शर्मा तथा इनके यहां तीन वर्ष से कोई भी विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घरेलू कार्य के लिये कार्यरत नहीं हैं जिसकी तनख्वाह विभाग से दी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

107-श्री नरेश अग्रवाल-

(8 वें मंगल में अता0प्र0सं0 134 के अंतर्गत स्थानान्तरित )

**हण्डिया पम्प कैनाल शारदा सहायक के माइनर का कार्य पूरा कराने तथा उस पर पुल निर्माण की मांग**

108-श्री ऊदल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हण्डिया पम्प कैनाल शारदा सहायक की एक माइनर जो कि डेहरिया विनायक, ब्लाक आराजी लाइन जिला वाराणसी में है रामेश्वर-राजातालाब मार्ग को क्रास करायी जायेगी ? यदि हां, तो क्या आज तक पुल वहां नहीं बनाया गया है और उक्त माइनर को दोनो तरफ खोद दिया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि पानी आज तक उक्त माइनर में नहीं दिया गया ? यदि हां तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और उक्त माइनर को पूरा कराने व पुल का निर्माण कराने का आदेश प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

हंडिया पम्प कैनाल शारदा सहायक की नहीं बल्कि ज्ञानपुर पम्प कैनाल की पटसार माइनर जो डेहरिया विनायक के पास से गुजरती है, रामेश्वर राजातालाब मार्ग को क्रास करायी जायेगी ।

जी हां ।

जी हां ।

पटसार माइनर लक्ष्मनपुर राजवहा के कि0मी0 8.1 से दायीं पटरी से निकलती है। लक्ष्मनपुर राजवहा के कि0मी0 6.7 पर वाराणसी प्रतापगढ़ रेलवे लाइन की क्रासिंग पर निर्माण अभी नहीं हो सका है, जिसके कारण इस राजवहा में और इससे आगे निकलने वाली नहरों में पानी नहीं दिया जा पा रहा है । पटसार माइनर 8.00 कि0मी0 लम्बी है तथा 0.5 कि0मी0 से 6.0 कि0मी0 तक जहां चकबन्दी से जमीन प्राप्त हुई है, नहर का निर्माण किया जा चुका है रेलवे क्रासिंग का निर्माण पूर्ण होने तथा इस माइनर के शेष कार्य पूर्ण होने पर पानी दिया जा सकेगा ।

**जनपद हरदोई की शारदा नहर खण्ड द्वितीय के जिलेदार श्री शिव बली सिंह द्वारा गबन के आरोप पर जांच हेतु प्रेषित पत्र की जानकारी**

109-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शिव बली सिंह जिलेदार द्वितीय शारदा नहर हरदोई ने अपने पत्रांक 140 दिनांक 28-5-90 द्वारा प्रमुख अभियन्ता सिंचाई उ0प्र0 को गबन के आरोप पर जांच हेतु एक पत्र भेजा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं ।

गबन के आरोप पर जांच संबंधी श्री शिव बली सिंह जिलेदार द्वितीय शारदा नहर खण्ड हरदोई का पत्र संख्या 140, दिनांक 28-5-90 प्राप्त नहीं हुआ है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद हरदोई की शारदा कैनाल उप खण्ड तृतीय के ड्रेनों के कराये गये कार्यों का भुगतान**

110-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय उप खण्ड शारदा कैनाल हरदोई की कैनाल के लम्बे छिन्नर व प्राक्कलन कब स्वीकृत हुये ? क्या यह सत्य है कि स्वीकृति के पहले माह 11/89 को माप पुस्तिका 2526 के पेज नं0 172, 173, 176, 177, 182 व 183 द्वारा अधिशासी अभियंता ने रुपये 227110.50 का भुगतान किया? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

तृतीय उपखण्ड संडीला शारदा कैनाल हरदोई के समस्त कैनाल के लम्बे छिन्नक व प्राक्कलन विभिन्न तिथियों में सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत हुये थे।

जी नहीं । तीन ड्रेनों के कार्यों हेतु कुल 82,917.00 रुपये का भुगतान किया गया था।

प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद हरदोई की शारदा नहर के अधिशासी अभियन्ता द्वारा वर्क आर्डरों के फर्जी भुगतान की जांच**

111-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियन्ता शारदा नहर हरदोई द्वारा अपने पत्रांक 344 दिनांक 31-7-90 द्वारा अपने अन्तर्गत तृतीय खण्ड द्वारा वर्क आर्डर बुक संख्या 610 में जो वर्क आर्डर 18 से निर्गत किये गये थे उसे 11 वर्क आर्डरों द्वारा 51224.00 का फर्जी भुगतान होना दिखाया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

इस प्रकरण की प्रारम्भिक जांच की कार्यवाही प्रगति पर है ।

**मुख्य अभियन्ता (पारेषण पूर्व) इलाहाबाद के अन्तर्गत विद्युत प्रेषण मण्डल आजमगढ़ के कर्मचारियों का स्थानान्तरण**

112-श्री भगवती प्रसाद शुक्ल-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता पारेषण पूर्व, इलाहाबाद के अन्तर्गत विद्युत प्रेषण मण्डल, आजमगढ़ से कितने कर्मचारियों का परिषदीय हित

में स्वेच्छा से स्थानान्तरण विद्युत प्रेषण खण्ड जौनपुर में वर्ष 1988-89, 1989-90 व 1990-91 में किया गया उनके नाम व पदनाम क्या हैं ? उनमें से कितने व स्थानान्तरण चाहने वाले उनमें से कितने कर्मचारियों का स्थानान्तरण विद्युत प्रेषण खण्ड, जौनपुर से पुनः परिषदीय हित में स्वेच्छा से अन्यत्र किया गया है ? उनके नाम व पदनाम क्या हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि ये स्थानान्तरण किन नियमों के अन्तर्गत किये गये हैं ? स्वेच्छा से स्थानान्तरण चाहने वाले कितने कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र मण्डल कार्यालय को प्राप्त हुये ? कितने प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया व कितने लम्बित हैं ?

श्री लाल जी टंडन-

मुख्य अभियंता (पारेषण पूर्व) इलाहाबाद के अन्तर्गत विद्युत प्रेषण मण्डल, आजमगढ़ के जिन कर्मचारियों का स्थानान्तरण परिषद् हित/स्वेच्छा से वि0 प्रेषण खण्ड, जौनपुर में वर्ष 88-89, 89-90 एवं 90-91 में किया गया उसका विवरण निम्नवत् है:-

1-1988-89

| | संख्या | नाम | पदनाम |
|---|---|---|---|
| (क) परिषदीय हित में स्थानान्तरण किये गये कर्मचारियों की संख्या | 2 अदद | (1) श्री अशोक कुमार श्रीवास्तव | दैनिक श्रेणी लिपिक |
| | | (2) श्री लक्ष्मी कान्त उपाध्याय | -तदैव- |
| (ख) स्वेच्छा से स्थानान्तरण किये गये कर्मचारियों की संख्या | शून्य | | |

2- 1989-90

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) परिषदीय हित में स्थानान्तरण किये गये कर्मचारियों की संख्या | 4 अदद | (1) श्री आर0पी0सिंह | आलेखक |
| | | (2) श्री राम आधार | अ0अभि0 |
| | | (3) श्री के0डी0यादव | -तदैव- |
| | | (4) श्री ध्यान चन्द्र यादव | उपकेन्द्र परिचालक |
| (ख) स्वेच्छा से स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों की संख्या | 2अदद | (1) श्री बी0एन0सिंह | अवर अभियन्ता |
| | | (2) श्री छेदी लाल | कुशल श्रमिक |

3- 1990-91

| | | | |
|---|---|---|---|
| (क) परिषदीय हित में स्थानान्तरित किये गये कर्मचारियों की संख्या | 1 अदद | (1) श्री शरीख | लाईनमैन |
| (ख) स्वेच्छा से स्थानान्तरण किये गये कर्मचारियों की संख्या | 5 अदद | (1) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह | आलेखक |
| | | (2) श्री वी0एन0सिंह | अवर अभियन्ता |
| | | (3) श्री जोगीराम | ला0मैन |
| | | (4) श्री एम0पी0सिंह | अवर अभियन्ता |
| | | (5) श्री रामदवर यादव | अनुरेखक |

जिन कर्मचारियों का स्थानान्तरण विद्युत प्रेषण खण्ड, जौनपुर से परिषद् हित में स्वेच्छा से पुनः अन्यत्र किया गया है उनके नाम व पदनाम निम्नवत् है:-

परिषदीय हित में विद्युत प्रेषण खण्ड, जौनपुर से पुनः अन्यत्र किसी भी कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया गया ।

स्वेच्छा से विद्युत प्रेषण खण्ड, जौनपुर से पुनः निम्न दो कर्मचारियों का स्थानान्तरण अन्यत्र किया गया :-

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, आलेखक ।

(2) श्री राम दवर यादव, अनुरेखक ।

उपरोक्त स्थानान्तरण परिषद् हित को ध्यान में रखते हुये एवम् कर्मचारियों की घरेलू परिस्थितियों पर विचार करते हुये किये गये हैं ।

स्वेच्छा से स्थानान्तरण चाहने वाले (9) कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र मण्डल कार्यालय को प्राप्त हुये जिनमें से 7 कर्मचारियों का स्थानान्तरण उपर्युक्तानुसार कर दिया गया है ।

वर्तमान समय में 2 कर्मचारियों का स्थानान्तरण संबंधी प्रार्थना पत्र लम्बित है।

**जनपद आजमगढ़ (सब स्टेशन विलरियागंज) के विद्युतीकरण कराने के संबंध में तत्कालीन विधायक श्री गोमती यादव के पत्र पर कार्यवाही की मांग**

113-श्री दल सिंगार-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन विधायक श्री गोमती यादव के ग्राम नगवा मेंदों, जनपद आजमगढ़ (सब स्टेशन विलरियागंज) के विद्युतीकरण किये जाने हेतु पत्र दिनांक 26-1-91 अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त हुआ है ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लालजी टंडन-

सूचना एकत्र की जा रही है ।

**कृषि निदेशालय के ए0सी0 अनु0-3 के वरिष्ठ कार्मिक सहायक को मुख्यालय से मूल जनपद/मण्डल में वापसी की मांग**

114-श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी-

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय के अन्तर्गत ए0सी0

अनुभाग में वर्ग-3 के कर्मचारियों का स्थानान्तरण/समायोजन का कार्य वरिष्ठ सहायक सैय्यद अन्सारी सम्पादित करती है? यदि हां, तो उक्त कार्मिक मुख्यालय के कर्मचारी हैं या जिला अथवा मण्डल स्तर के हैं ? यदि जिला अथवा मण्डल स्तर के कार्मिक हैं, यदि जिला अथवा मण्डल स्तर के कर्मचारी हैं तो क्या वे मुख्यालय पर अस्थायी रूप से सम्बद्ध है ? यदि हां, तो पूर्व मुख्य सचिव के आदेशों के क्रम में शासन से तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालय से मण्डल स्तर अथवा जिला स्तर के कार्मिकों को तुरन्त वापस क्यों नहीं किया गया ? उक्त वरिष्ठ सहायक के मुख्यालय से उनके मूल जनपद/मण्डल से कब तक वापस कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह-

जी हां ।

कृषि निदेशालय में स्थापित जूट विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश के कार्यालय के कर्मचारी हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ में विद्युतीकरण कराने की मांग**

115-श्री शिव लाल मित्तल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1989 से अब तक कुल कितने गांवों का तथा किन किन गांवों का विद्युतीकरण कराया गया है ? क्या यह सही है कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में उक्त क्षेत्र में कम गांवों का विद्युतीकरण कराया गया ? यदि हां तो क्यों? क्या उक्त क्षेत्र में अधिक से अधिक गांवों का विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन-

जनपद सिद्धार्थ नगर के शौहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1989 से अब तक कुल 28 ग्रामों का विद्युतीकरण कराया गया है । सूची संलग्न है । यह सही है कि उक्त क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा कम गांवों का विद्युतीकरण हुआ है । उसका कारण यह है कि उक्त क्षेत्र में विद्युत भार की धारिता (लोड पोटेशियल) कम है । तथा अधिक जल जमा है । उक्त क्षेत्र में अधिक से अधिक गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है । उक्त क्षेत्र में अधिक से अधिक गांवों का विद्युतीकरण वार्षिक भौतिक लक्ष्यों एवं वित्तीय संसाधनों के उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ 198 पर)

**सिंचाई विभाग में तृतीय श्रेणी में आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग**

116- श्री गया चरन दिनकर-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का तथा वरिष्ठ लिपिक

पद पर कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रमुख अभियन्ता द्वारा कनिष्ठ लिपिकों को दिनांक 1-9-83 से वरिष्ठ लिपिक का पद नाम एवं वेतनमान दिए जाने के बाद पुनः 12/88 में 23-12-88 से वरिष्ठ लिपिकों को कनिष्ठ लिपिक पद पर प्रत्यावर्तित करते समय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के कोटे का ध्यान रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

जी नहीं ।

विभाग स्तर पर लिपिकों के कुल 528 पद रिक्त हैं, जिन पर नियुक्ति हेतु अधियाचन आयोग को भेजा गया है, जिससे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोटा पूर्ण किया जायेगा ।

खण्डीय कर्मचारियों को स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर वेतनमान दिये जाने की मांग पर खण्डीय लिपिकों को उनके पदों का उच्चीकरण निर्धारित प्रतिशत के आधार पर करते हुए उन्हें वरिष्ठ सहायक, वरिष्ठ लिपिक, एवं कनिष्ठ लिपिक का पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया गया है, जो विभाग में प्रान्तीय स्तर पर निर्धारित ज्येष्ठता क्रमानुसार स्वीकृत किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य जाति के कर्मचारी सम्मिलित हैं ।

चूंकि प्रान्तीय स्तर पर निर्धारित वरिष्ठ लिपिकों को ज्येष्ठता सूची में कुछ सीनियर कनिष्ठ लिपिकों के नाम कतिपय कारणोंवश छूट गये थे, अतः उनका नाम नवीन वरिष्ठता सूची में उल्लिखित करने पर इनसे जूनियर कनिष्ठ लिपिक जो वरिष्ठ लिपिक का पुनरीक्षित वेतनमान ले रहे थे, उन्हें अपनी ज्येष्ठता क्रमानुसार कनिष्ठ लिपिक के पुनरीक्षित वेतनमान में आना पड़ा, इन लिपिकों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य जाति के कर्मचारी सामान्य रूप से सम्मिलित हैं ।

खण्डीय कर्मचारियों को कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक का पुनरीक्षित वेतनमान एवं पदनाम निर्धारित प्रतिशत के आधार पर प्रान्तीय स्तर पर निर्धारित ज्येष्ठता क्रम में स्वीकृत किया गया है। अतः प्रत्यावर्तन का प्रश्न नहीं उठता ।

**जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक-लम्भुआ में स्थापित सब पावर हाउस के निर्माण हेतु अधिगृहीत भूमि के भुगतान का प्रकरण**

117-श्री राजपाल त्यागी-

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि ब्लाक लम्भुआ, सुल्तानपुर में निर्मित 33 के0वी0 सब पावर, किस सन में आरम्भ हुआ ? इसका निर्माण किस नम्बर की भूमि में किया गया ? क्या भूमि की अधिगृहीत क्षति पूर्ति में निर्माण के पूर्व किसी को विभाग के पूर्व किसी को विभाग में धन दिया गया ? यदि हां, तो कितना ? क्या

शासन की जानकारी में यह तथ्य आया है कि लम्भुआ सब पावर स्टेशन की क्षतिपूर्ति के लिये, विभागीय अधिकारियों ने एक असत्य फर्जी पत्रावली तैयार करके 17लाख 39 हजार 750 रुपया का भुगतान किये जाने की कार्यवाही की है, जिसकी जानकारी होने पर जिला अधिकारी ने भुगतान पर रोक लगायी और उक्त फर्जी भुगतान अभी रुका है ? यदि हां, तो इस विभाग का कौन अधिकारी उक्त भ्रष्टाचार में दोषी था ? क्या उसे दण्डित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टंडन-

ब्लाक लम्भुआ जनपद सुल्तानपुर में 33 के0वी0 सब पावर हाउस का निर्माण वर्ष 1980-81 के भूखण्ड संख्या 41 में प्रारम्भ किया गया । भूमि के अधिग्रहण क्षतिपूर्ति में निर्माण के पूर्व किसी को विभाग से धन नहीं दिया गया।

यह सत्य है कि तहसीलदार कादीपुर ने श्री लल्लन सिंह सुत चम्पत सिंह(ब्लाक प्रमुख) साकिन कस्बा लम्भुआ परगना चादा तहसील कादीपुर, जिला सुल्तानपुर की पत्रावली के आधार पर लम्भुआ सब पावर स्टेशन की क्षतिपूर्ति के लिये रुपये 17,39,780.00 का भुगतान किये जाने हेतु पत्रावली तैयार की थी इसकी जानकारी होने पर जिला अधिकारी ने भुगतान पर रोक लगायी । भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता । उक्त क्षतिपूर्ति के लिये कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है अतः किसी को दण्डित किये जाने का भी प्रश्न नहीं है । भूमि स्वामित्व के संदर्भ में जांच करायी जा रही है ।

**जनपद वाराणसी के लेदूपुर सारनाथ में स्थापित ट्रान्सफार्मर में खराबी का न पाया जाना**

118-श्री ऊदल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सब विद्युत स्टेशन लेदूपुर क्राइस्ट नगर, चोलापुर व नेवादा, जिला वाराणसी में 15 नवम्बर, 91 से 9 दिसम्बर, 1991 तक बिजली ठीक से नहीं दी गयी थी ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ? क्या यह सही है कि लेदूपुर सारनाथ, वाराणसी में जो ट्रान्सफार्मर लगाया गया है, उसमें खराबी है ? यदि हां, तो उसकी जांच किसी अधिकारी द्वारा करायी गयी ? यदि नहीं, तो उसके लिये कौन लोग दोषी हैं ? क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टंडन-

132 के0वी0 विद्युत उपग्रह लेदूपुर, सारनाथ से जुड़े 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र ऊगापुर, चोलापुर में क्राइस्टनगर और नैवादा जिला वाराणसी में 15 नवम्बर, 91 से 20 नवम्बर, 91 को सुबह 7.25 बजे तक विद्युत आपूर्ति ठीक से नहीं दी गयी। इसका कारण संबंधित उपकेन्द्र लेदूपुर सारनाथ पर स्थापित 33 के0वी0

ओ0सी0बी0 की खराबी रही है। दिनांक 20-11-91 से 25-11-91 तक तथा 29-11-91 से 7-12-91 तक विद्युत आपूर्ति मुख्य धारा के उपलब्धता के अनुसार सामान्य रूप से दी गयी। दिनांक 26-11-91 से 29-11-91 की अवधि में 132 के0वी0 उपकेन्द्र लेदूपुर सारनाथ में कुछ अनुरक्षण एवं सुधार कार्य हेतु ट्रांसफार्मरों तथा 33 के0वी0 बस-बार का सटडाउन लिया गया था, जिसके कारण विद्युत आपूर्ति बाधित रही ।

लेदूपुर सारनाथ पर जो ट्रान्सफार्मर लगाया गया है, उसमें कोई खराबी नहीं है, बल्कि अनुरक्षण कार्य हेतु सटडाउन लिया गया था। अतः जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं थी । क्यों कि किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नहीं है।

**जनपद वाराणसी के विद्युत उपकेन्द्र पिंडरा में वसनी फीडर की धवकलगंज फीडर से जोड़कर विद्युत आपूर्ति किया जाना**

119-श्री ऊदल-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत उप खण्ड पिंडरा, जिला वाराणसी के बसनी फीडर बसनी ओ0सी0बी0 (ट्राली) एक वर्ष से जल गयी है ? क्या बसनी फीडर की लाईन धौकलगंज फीडर से जोड़ कर चलवायी जा रही है ? ओ0सी0बी0 अब तक नहीं बदले जाने का क्या कारण है ? क्या अधिशासी अभियन्ता खण्ड प्रथम को इसकी जानकारी है ? यदि नहीं,तो अब तक फीडर न बनवाने के संबंध में उक्त अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लाल जी टंडन-

विद्युत उपकेन्द्र पिंडरा जिला वाराणसी के बसनी फीडर की ओ0सी0बी0 (ट्राली) में दिनांक 13-9-91 को स्पार्किंग व शार्ट सर्किट के कारण ट्राली बुसिंग व बस स्पाउट बर्स्ट हो गये । ट्राली में खराबी दूर करने में अधिक समय व धन की सम्भावना को देखते हुये बसनी फीडर की विद्युत आपूर्ति धवकलगंज फीडर से जोड़कर चालू कर दी गयी तथा समुचित विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से की जा रही थी। बसनी फीडर के ओ0सी0बी0 की खराबी दूर कर समुचित परीक्षणोपरान्त दिनांक 24-3-92 को पुनः चालू कर दी गयी। अधिशासी अभियन्ता को उपरोक्त खराबी की जानकारी उचित माध्यम द्वारा हो गयी थी, लेकिन कुछ समय तक मौसम की खराबी पुनः वाराणसी शहर की असामान्य स्थिति एवं समुचित मात्रा में रखरखाव हेतु धन की समय से अनुपलब्धता के कारण ओ0सी0बी0 की मरम्मत में देर हुई, लेकिन इस देर के कारण बसनी फीडर की विद्युत आपूर्ति में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आया । अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

120-श्री बची सिंह रावत-

(अस्पष्टता के आधार पर निरस्त)

**उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मैदानी क्षेत्र के प्रचार प्रसार के कार्यों में भ्रष्टाचार व आर्थिक घपले के संबंध में पूर्व विधायक श्री अकबर हुसैन बाबर के पत्र पर जांच हेतु समिति का गठन किया जाना**

121-श्री राम लखन-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मैदानी क्षेत्र से प्रचार प्रसार के कार्यों में भ्रष्टाचार व आर्थिक घपले से संबंधित खाद्य सचिव को पूर्व विधायक अकबर हुसैन बाबर का पत्र दिनांक 21-1-91 तथा प्रश्नकर्ता का दिनांक 21-12-90 के शिकायती पत्र मिले हैं इन शिकायती पत्रों के मूल बिन्दु क्या हैं ? जांच का क्या निष्कर्ष सामने आया और उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गंगा भक्त सिंह-

पूर्व विधायक श्री अकबर हुसैन का पत्र दिनांक 24-1-91 तथा प्रश्नकर्ता विधायक का पत्र दिनांक 21-11-90 सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण को प्राप्त हुआ। प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-12-90 प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रदर्शनी व प्रचार प्रसार कार्य से सम्बद्ध अधिकारियों/कर्मचारियों से कार्य न लेकर दूसरे कर्मचारियों से कार्य लेना, फर्जी बिलों का भुगतान करना, पद व अधिकारियों का दुरुपयोग आदि।

आरोपों की जांच हेतु समिति गठित की गयी है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

**जनपद उन्नाव की पम्प कैनाल डलमऊ बी पर स्थापित मोटरों द्वारा पूरी क्षमता से पानी उठाया जाना**

122-श्री भगवती सिंह विशारद-

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि उन्नाव जनपद की पम्प कैनाल डलमऊ बी में पानी उठाने के लिये पम्पों के जो मोटर लगे हुये हैं, वह पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि यह मोटर अन्य स्थान से अनुपयोगी और रिजेक्ट होने के बाद, डलमऊ बी गंगा नहर में लगा दिये गये हैं? यदि हां, तो वर्तमान समय में डलमऊ बी गंगा लिफ्ट कैनाल में कुल कितने मोटर लगे हैं और वे मोटर कहां-कहां से लाकर लगाये गये हैं ? नहर को पूरी क्षमता से चलाने के लिये नये मोटर कहां कहां कब तक लगाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों?

ओम प्रकाश सिंह-

उन्नाव जनपद की डलमऊ "बी" पम्प नहर पर वर्तमान में स्थापित मोटर पूरी क्षमता से कार्य कर रहे हैं ।

ये मोटरें अन्य स्थानों से लाई अवश्य गई हैं, परन्तु न तो अनुपयोगी हैं और न ही रिजेक्ट किये गये हैं ।

पम्प नहर पर कुल सात मोटरें स्थापित हैं, 4 मोटरें डलमऊ "ए" पम्प नहर प्रथम सोपान से तथा 3 मोटरें नरायनपुर पम्प नहर से लाकर लगायी गयी हैं ।

वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री शिवराज बली सिंह, श्री अजब सिंह, श्री हरदेव सिंह, श्री मनसा राम, श्री सुखलाल, श्री लक्खी सिंह, श्री किशन सिंह श्री जुल्फिकार अली खां तथा डा0 रमा बल्लभ मिश्र के निधन पर शोकोद्गार**

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

श्री हृदय नरायण दीक्षित-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं मद संख्या 3 निधन के निदेश ले रहा हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी

मान्यवर, प्रश्नकाल के बाद ही प्रश्नों से संबंधित व्यवस्था का प्रश्न होता है। यह महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री अध्यक्ष-

यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है ।

*वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, बड़े दुख के साथ इस आदरणीय सदन के 9 माननीय सदस्यों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी पड़ रही है लेकिन इस दुखद संदर्भ के पहले एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण संदर्भ है कि यहां पर जितने माननीय सदस्यों के संदर्भ दिये जा रहे हैं उनमे से अनेक माननीय सदस्य ऐसे थे जो कि हमसे आज बहुत पहले ही बिछुड़ गये अर्थात उनका 10 साल पूर्व देहावसान हो गया यहां पर आवश्यकता थी कि यह निदेश और श्रद्धांजलि हो जानी चाहिये थी परन्तु कहीं चूक हुई । मान्यवर, आपने एक ऐसा प्रयास किया कि जो हमारे वयोवृद्ध आयु के सदस्य हैं, उनको सम्मानित किया जाय उसमें से यह भी नाम निकल कर आये, जिस समय यह सूचना मिली, हमने सतर्कता बरती है कि भविष्य में इस तरह की चूक न हो। जो 9 माननीय सदस्य हैं उनमें श्री शिवराज बली सिंह हैं आपका निधन 19 सितम्बर, 1979 को हो गया उनका जन्म वर्ष 1902 को फतेहपुर में हुआ था। श्री शिवराज बली सिंह दो बार 1952 तथा 1957 में कांग्रेस के टिकट पर फतेहपुर से विधान सभा के लिये निर्वाचित हुये थे। स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका बहुत ही प्रभावी रही। उनके हमारे क्षेत्र में न रहने से उस क्षेत्र की बड़ी ही क्षति हुई है जिसका निकट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भविष्य में क्षतिपूर्ति करना सम्भव नहीं है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

दूसरे माननीय अजब सिंह का निधन 11 मार्च, 1980 को हो गया। श्री अजब सिंह का जन्म 1912 में मुजफ्फरनगर में हुआ था। वे भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर 1969 में, उसके बाद 1977 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित होकर आये थे। श्री अजब सिंह धरती से जुड़े हुये ऐसे सम्मानित नेता थे जो कि ब्लाक प्रमुख भी रहे उनको ग्राम्य विकास के कार्यों में रुचि थी। मुझे भी उनके साथ इस आदरणीय सदन में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था उनका विचार बड़े ही प्रभावी थे। उनके निधन से जनपद फैजाबाद मुजफ्फरनगर ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है ।

श्री हरदेव सिंह जी का निधन वर्ष 1984 में हो गया वह 82 वर्ष के थे, उनका जन्म सन्1902 में जनपद सहारनपुर में हुआ था । वे इस आदरणीय सदन में 2 बार चुनकर हमारे बीच आये वे सबसे पहले 1952 में और तत्पश्चात् 1957 में कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आये । उनकी जीवन चर्या थी कि विशेषकर समाज के निर्बल वर्ग के उत्थान एवं अन्नयन में वे लगे रहते थे, उनके निधन से हमने एक कुशल राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता खो दिया है ।

श्री मनसाराम का निधन वर्ष 1988 में हो गया वे 87 वर्ष के थे। उनका जन्म अगस्त, 1901 को मुहल्ला कटरा मीरा कस्बा शिकोहाबाद में हुआ था । वे इस आदरणीय सदन में भारतीय क्रान्तिदल के टिकट पर 2 बार निर्वाचित होकर आये उनकी सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि थी, वह गोशाला के अध्यक्ष रहे, रामलीला कमेटी और नगरपालिका के अध्यक्ष रहे, संगीत में उनकी रुचि थी । उनके न रहने से ऐसी क्षति हुई है जिसका निकट भविष्य में पूरा होना सम्भव नहीं है।

श्री सुखलाल का निधन 19 जुलाई, 1989 को हो गया, वे लगभग 82 वर्ष के थे । श्री सुखलाल का जन्म 1907 में इटावा जिले में हुआ था वह तीन बार निर्वाचित होकर आये थे और लगातार तीन बार निर्वाचित होकर आये थे यही उनकी लोकप्रियता थी । वह बचपन से ही सामाजिक कार्य में रुचि लेते थे। असहयोग आन्दोलन में उनको कारावास तथा जुर्माना की सजा हुई थी और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी विशेष भूमिका थी । उनके निधन से अपूर्णनीय क्षति हुई है ।

श्री लक्खी सिंह का निधन दिनांक 7-8-90 को हो गया, वह लगभग 84 वर्ष के थे । वह 1962 में सामान्य निर्वाचन में छाता क्षेत्र से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुने गये थे, 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनकर आये। वह ओजस्वी, कुशल और जुझारु व्यक्तित्व के थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण उन्हें आज भी स्मरण किया जाता है ।

श्री किशन सिंह का निधन 11 मार्च, 1991 को हुआ वे लगभग 86 वर्ष के थे वह 1957 और 1967 के निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र मुरादाबाद (देहात) से कांग्रेस के टिकट पर इस आदरणीय सदन के सदस्य हुये। वह एक कुशल एवं कर्मठ कार्यकर्ता थे वे अध्यक्ष जिला परिषद् मुरादाबाद तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं से भी संबंधित रहे। धार्मिक ग्रन्थों में भी उनकी रुचि थी। उनके निधन से हमने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है ।

श्री जुल्फिकार अली खां का निधन 5 अप्रैल, 1992 को एक सड़क दुर्घटना में हो गया । वे लगभग 59 वर्ष के थे वे सबसे पहले 1963 के उप निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र सुआर टाण्डा जिला रामपुर से कांग्रेस के टिकट पर उ0प्र0 विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये । वे वर्ष 1964,71, 80, 85 तथा 89 में लोकसभा के सदस्य भी रहे । उनकी गणना एक जनप्रिय और कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में होती है ।

डा0 रमाबल्लभ मिश्र का निधन 13 अप्रैल, 1992 को हो गया, वे लगभग 74 वर्ष के थे । उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय से ए0एम0एस0 बम्बई विश्वविद्यलय तथा खैरागढ़ विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश से संगीत का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया था। शास्त्रीय संगीत में उन्हें विशेष रुचि थी । 1967 में सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र बरेली कैण्ट से जनसंघ पार्टी के सदस्य के रूप में विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे। उनकी मृत्यु से 3 दिन पूर्व ही उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकाडमी के अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति हुई थी। वे उ0प्र0 खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के चेयरमैन भी थे। यह सब बड़ी पीढ़ी के लोग थे जो कि आज हमारे बीच नहीं हैं। आज आवश्यकता थी कि उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता । दुख है कि आज वे हमारे बीच में नहीं रहे । इसके साथ ही उनके द्वारा जो श्रेष्ठ कार्य किये गये हैं। उनका उल्लेख करते हुये अपने और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम सब की शोक संवेदनायें उनके शोकसंतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, जो चिन्ता अभी माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने व्यक्त की है अगर आज के प्रस्तावों की ओर ध्यान ले जाय 79-80 और 84 के प्रस्ताव इसमें आये हैं इसके लिये जिलाधीशों को पहले से ही एक आदेश है कि जब भू0पू0 मा0 सदस्यों से या वर्तमान सदस्यों में से कोई दिवंगत हो जाये तो उसकी सूचना तत्काल देनी चाहिये यह देखा जा रहा है कि इसमें लापरवाही बरती जा रही है। मैं आग्रह करूंगा कि शासन को निर्देश दें संसदीय कार्य मंत्री ने चिन्ता व्यक्त की है । लेकिन जिस प्रकार से जो सूचना नहीं भेजते हैं वहां से खबर सचिवालय को नहीं भेजते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही जरूर होनी चाहिये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शिवराज बली सिंह जी 19 सितम्बर, 1979 को दिवंगत हो गये लेकिन उनकी सूचना आज शोक प्रस्ताव के रूप में पढ़ रहे हैं। यह गम्भीर विषय है। वे 77 वर्ष के थे। फतेहपुर से पहली बार 52 और 57 में कांग्रेस के टिकट पर चुनकर इस सदन के सम्मानित सदस्य बने थे ।

मान्यवर, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का प्रारम्भ स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाकर प्रारम्भ किया था, उनको तीन माह की सजा हुई थी । वे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे और वहां पर बहुत ही प्रभावी और बहुत ही लोकप्रिय थे। न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि पूरे फतेहपुर में उनकी लोकप्रियता थी । मान्यवर, ऐसे व्यक्ति के, जिसने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में इस प्रदेश की सेवा की थी, जाने से रिक्तता पैदा हुई है, इसे साधारण ढंग से भरा नहीं जा सकता है।

मान्यवर, इसी तरह से श्री अजब सिंह का निधन मार्च, 1980 में हुआ, दुर्भाग्यवश आज उनके निधन के संदेश को ले रहे हैं ।

लेकिन मान्यवर, उन्होंने ज्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं की, केवल मिडिल पास थे। उन्होंने सन् 1969 में भारतीय क्रान्तिदल के टिकट पर और 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित होने के बाद जो उन्होंने अपनी भूमिका इस सदन में निभायी थी, वह हम सब लोगों को याद है। आज ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने केवल राजनीति में बल्कि सामाजिक उत्थान में भी काम किया था। व हरिजन समिति के कृषि समिति के सदस्य थे और इस रूप में उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान लिये बहुत ही लगन और मेहनत से काम किया था। आज ऐसे व्यक्ति के जाने से हम सब लोग दुखी हैं ।

मान्यवर, इसी तरह से हरदेव सिंह जी, जिनका निधन 27-10-84 को हो गया, आज हम उनके निधन के संदेश को ले रहे हैं, वे पहली बार 1952 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुने गये और 1957 में वे दुबारा इस सम्मानित सदन के सदस्य चुने गये। मान्यवर, माननीय हरदेव सिंह जी हमेशा गरीबी के उत्थान की लड़ाई के लिये उनकी तरक्की के लिये, उनके उन्नयन के लिये हमेशा संघर्षशील थे। उन्होंने उसह क्षेत्र में बहुत ही कीर्तिमान स्थापित किये हैं। आज उनके निधन से एक लोकप्रिय व्यक्ति बिछड़ गया ।

मान्यवर, मनसा राम जी, जिनका निधन 17 फरवरी, 1988 को हो गया वे इस सदन में पहली बार 1962 में सामान्य निर्वाचन में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुने गये थे । मान्यवर, 1969 के निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र शिकोहाबाद से भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर विधान सभा में दुबारा चुने गये । श्री मनसा राम जी ने राजनीति के अलावा भी विभिन्न क्षेत्रों में योगदान किया है। वे राम लीला कमेटी के अध्यक्ष थे गोशाला भी चलाते थे तथा उन्होंने शिकोहाबाद में लम्बी अवधि तक शिकोहाबाद नगर पालिका की सेवा की मान्यवर, आज ऐसे कुशल राजनीतिज्ञ व्यक्ति के अपने बीच से बिछुड़ जाने पर हम सभी लोग शोकसंतप्त हैं ।

मान्यवर, उसी तरह श्री सुखलाल जी जिनका निधन 19 जुलाई, 1989 को हो गया वे 82 वर्ष के थे। वे पहली बार इस सदन में 1957 में चुनकर आये थे औरैय्या से तत्पश्चात् 1962 और 1969 में तीन बार वे इस सम्मानित सदन से सदस्य रहे। मान्यवर, उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन के प्रारम्भ में ही 1941 में असहयोग आन्दोलन में भाग लिया जिसके लिये उन्होंने 9 माह का कारावास भोगना पड़ा ओर उनके ऊपर 30 रुपया जुर्माना हुआ वे जिला बोर्ड के सदस्य रहे। बीवर्स सोसाइटी के आजीवन प्रेसीडेंट रहे। अखिल भारतीय बुनकर समिति के उपाध्यक्ष कोआपरेटिव बैंक इटावा के डायरेक्टर एवं जिला परिषद् सदस्य रहे। मान्यवर, इसी तरह से अगर देखा जाय तो उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपने जीवन काल में योगदान दिया था और खास तौर से बुनकरों के लिये अपना जीवन समर्पित कर रखा था और कई बार उनके लिये संघर्ष किया और उन्होंने न्याय दिलाया आज ऐसे व्यक्ति को जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा हो, समाज सेवी रहा हो, राजनीतिक व्यक्ति रहा हो, हमारे बीच से विछुड़ जाने का दुख है।

इसी तरह से मान्यवर, श्री लक्खी सिंह जी, जिनका निधन 1990 को हो गया था वे 84 वर्ष के थे। वह पहली बार 1962 के सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में जनपद मथुरा से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुये थे। 1977 में सामान्य निर्वाचन में विधान सभा के सदस्य चुने गये। इनमें मेरा व्यक्तिगत परिचय था वे बड़े ही जुझारू और कर्मठ व्यक्ति थे। जब वे 1977 में इस विधान सभा में चुनकर आये थे तो उनकी वाक् कुशलता, उनका सवाल उठाने का ढंग, उनकी बातचीत का तौर तरीका ऐसा था कि उस समय के सभी माननीय सदस्य चाहे वह इधर के व्यक्ति रहे हों, या उस पक्ष के सदस्य रहे हों हमेशा उनसे प्रभावित रहते थे। उन्होंने अपनी एक छाप इस विधान सभा में छोड़ी थी, आज उनके निधन से हम लोग शोकसंतप्त हैं। वे आश्वासन समिति और प्राक्कलन समिति के सदस्य भी रहे और जीवन पर्यन्त किसानों के लिये, गरीबों के लिये हमेशा सेवा करते रहे।

इसी तरह से श्री किशन सिंह जिनका निधन 11 मार्च, 1991 को हो गया है वे 86 वर्ष के थे। श्री किशन सिंह पहली बार 1957 में उसके पश्चात् 1967 में इस विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे, मुरादाबाद देहात से वे कांग्रेस के टिकट पर आये थे। उन्होंने मुरादाबाद में तमाम सार्वजनिक संस्थाओं में विभिन्न पदों पर काम किया। वे विश्वविद्यालय भी चलाते थे, उनके मंदिर भी थे वे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे और धार्मिक ग्रन्थों में उनकी विशेष रुचि थी आज उनका निधन हो जाने से हम लोगों को बहुत दुख है।

इसी तरह से मान्यवर, श्री जुल्फिकार अली खां जिनका निधन एक सड़क दुर्घटना में 5 अप्रैल, 1992 को हापुड़ में हो गया वे 59 वर्ष के थे। लोग उन्हें उप

नाम विक्की मियां के नाम से जानते थे । वे मृदु स्वभाव के हंसमुख व्यक्ति थे। जब वह मिलते थे, कभी कभी सेन्ट्रल हाल में, तो बड़े ही हंसकर मिलते थे, वे बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे। वे 1963 के उप चुनाव में रामपुर से कांग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य चुनकर आये थे, टांडा क्षेत्र से उसे बाद लगातार लोक सभा में 1967, 71, 80, 85 तथा 89 में लोक सभा के सदस्य रहे। उनकी लोकप्रियता रामपुर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में थी श्री जुल्फिकार अली खां ने संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत का प्रतिनिधत्व किया था। वे बहुत सी संस्थाओं से जुड़े थे और विधान सभा की परामर्शदात्री समिति और प्राक्कलन समिति, लोक सभा के भी सदस्य रहे। आज जो उनका असामयिक निधन हुआ है उससे हम लोग बहुत ही शोक संतप्त हैं ।

इसी तरह से मान्यवर, डा0 रमा बल्लभ मिश्र जी का निधन 13 अप्रैल, 1992 को हो गया वे लगभग 74 वर्ष के थे। वे पहली बार इस विधान सभा में 1967 के सामान्य निर्वाचन क्षेत्र बरेली कैन्ट से जनसंघ पार्टी के टिकट से चुनकर इस विधान सभा में आये थे ।

मान्यवर, शिक्षा में उनकी बड़ी रुचि थी उन्होंने डाक्टरी पेशा प्रारम्भ करके भी गरीबों की सेवा की ओर वह उनसे फीस भी नहीं लेते थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन में भी भाग लिया था और जेल भी गये थे। सन् 1977 में उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु खाद्य निगम में वह चेयर मैन बनाये गये थे। वह संस्कार भारती के आल इण्डिया के उपाध्यक्ष थे। ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में इस प्रदेश और देश के लिये अपनी कुर्बानी दी जिन माननीय सदस्यों ने सदन में विभिन्न पदों पर रहकर सदस्य विधान सभा के रूप में रहकर योगदान दिया, उन सभी सदस्यों ने शोक संतप्त परिवारों को कृपया मेरी ओर से और मेरे दल की ओर से शोक संवेदनायें भेजने का कष्ट करें ।

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस दुख की घड़ी में आपने उन 9 भूतपूर्व सदस्यों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का दुखद अवसर आया है जिन्होंने इस सम्मानित सदन की किसी न किसी तरह से, किसी न किसी कार्यकाल में गरिमा बढ़ाई है और अपने योगदान में उन्होंने इसके इतिहास को समृद्ध किया । गरीबों की सेवा की और प्रदेश को चलाने में अपना योगदान दिया। दुख मान्यवर, इस बात का थोड़ा अवश्य है कि जिन सदस्यों को बहुत पहले हमारी श्रद्धांजलि मिल जानी चाहिये थी, हम उन्हें 10 वर्ष बीत जाने के बाद स्मरण कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि भविष्य में ऐसे कड़े निर्देश दिये जायें कि इन सम्मानित साथियों को श्रद्धांजलि देने में विलम्ब न हो, मैं इसमें किसी को दोष नहीं दे रहा हूं। एक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

परम्परा की शुरुआत की बात कह रहा हूं। इन सम्मानित सदस्यों के प्रति जो भाव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने, माननीय नेता विरोधी दल ने रखे हैं, उसमें मैं अपने आपको और दल को सम्बद्ध करता हूं। श्री शिवराज बली सिंह के निधन से फतेहपुर जनपद ने एक कुशल राजनीतिक को खो दिया है। स्वतंत्रता संग्राम में उनका अविस्मरणीय योगदान रहा । इसी प्रकार श्री अजब सिंह के निधन से चौधरी चरण सिंह की नीतियों को समर्पित एक किसान नेता को हमने खो दिया । मैं मुजफ्फरनगर की जमीन से जुड़े इस नेता के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । श्री हरदेव सिंह के निधन से जनपद सहारनपुर ने एक कुशल राजनेता एवं समाजसेवी को खो दियाहै, जो हमेशा गरीबों के लिए लड़ता रहा । श्री मनसा राम जी के निधन से फिरोजाबाद जनपद ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी को खो दिया मनसाराम जी, जहां नगर राम लीला कमेटी के माध्यम से धर्म के प्रति समर्पित थे, वही वह अध्यक्ष नगर पालिका, शिकोहाबाद भी रहे । समाजसेवा में उनकी बड़ी रुचि थी । श्री सुख लाल जी के निधन से आजादी के दीवानों की पंक्ति में से एक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे बीच से चला गया । सहकारी आन्दोलन में, ग्रामीण अंचल की सेवा में इटावा जनपद में उनका विशेष योगदान था । मान्यवर, श्री लक्खी सिंह के निधन से मथुरा जनपद ने एक कुशल समाजसेवी को खो दिया, जो हमेशा गरीबों के लिए लड़ता रहा । श्री किशन सिंह के निधन से जनपद मुरादाबाद ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी को खो दिया । श्री किशन सिंह तमाम सार्वजनिक संस्थाओं से, जिला परिषद से, राइफल क्लब से, विश्वविद्यालय से जिला कांग्रेस कमेटी, इंटर कालेज, जहांगीरपुर आदि से जुड़े रहे और उनकी अमूल्य सेवायें इनके प्रति रहीं । जब हम श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े होते हैं, तो जुल्फिकार अली खां के नाम का स्मरण आते ही एक ऐसे व्यक्ति का चेहरा सामने आ जाता है, जो एक शानदान व्यक्तित्व के होते हुए, बड़े परिवार से होते हुए एक अच्छे समाजसेवी, जिन्दादिल इंसान थे । उनका व्यक्तित्व आकर्षक था और वे 1967, 1971, 1980, 1985 तथा 1989 में लोक सभा के सदस्य रहे उन्होंनें वहां रहकर उत्तर प्रदेश की आवाज को पुरजोर ढंग से उठाया । वह एक जिन्दादिल इंसान थे । संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी उन्हें भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला ।

श्री जुल्फिकार अली खां की जिन परिस्थितियों में मृत्यु हुई है वह अत्यन्त दुखमय है । ईद की खुशी के मौके पर निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से मिलने के लिए वह दिल्ली से जब आ रहे थे तो एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई । समय से उनका उपचार न होने के कारण वह आज हमारे बीच नहीं रह पाये । ऐसे मित्र, कुशल राजनीतिज्ञ व समाज सेवी के प्रति मैं श्रद्धांजिलि अपर्ति करता हूं । इसी प्रकार से डा0 रमा बल्लभ मिर जी के निधन से एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व कुशल राजनीतिज्ञ हमारे बीच से उठ गया है । इन सम्मानित सदस्यों के प्रति मेरे और मेरे दल के सभी माननीय सदस्यों की संवेदना, इन शोक-संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, जिन माननीय भूतपूर्व माननीय सदस्यों का निधन हुआ है और उनके संबंध में माननीय संसदीय कार्यमंत्री, माननीय नेता विरोधी दल व माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी ने जो शोक-संवेदना के उद्गार व्यक्त किये हैं, उनसे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये कि इस सूची में कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं, जिन्हें हम 13 वर्ष के बाद श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं इसलिये इस संबंध में आपको शासन को कड़ा निर्देश देना चाहिये। जिलाधिकारियों को इसके लिये उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये। कम से कम जो माननीय सदस्य हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनके निधन की सूचना समय पर यहां दे दिया करें। इस कड़ी में मैं पहले श्रद्धांजलि अर्पित करूं मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले सत्र में श्री राजा राम शास्त्री इटावा का निधन संदेश सदन में आया था उसमें वह काशी विद्यापीठ, वाराणसी के कुलपति नहीं थे। जो काशी विद्यापीठ, वाराणसी के कुलपति थे, वह राजा राम शास्त्री संसद सदस्य रहे और वह जमालपुर (मिर्जापुर) के निवासी थे तथा वाराणसी में निवास करते थे। इसलिये इसमें संशोधन कर दिया जाय। श्री शिवराज बली सिंह का निधन 1979 को हो गया। वह फतेहपुर से विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुये थे। मेरी जानकारी के अनुसार वह बहुत ही अच्छे कुशल राजनीतिक थे। वह महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। उनके निधन से फतेहपुर के लोगों को बड़ा आघात पहुंचा है। श्री अजब सिंह का नाम लेते ही मुझे उनका चेहरा याद आ जाता है। 1977 में जब हम लोग उनके साथ इस आदरणीय सदन में बैठें तो उनके चेहरे को देखकर यह लगता था कि वह पुरानी पीढ़ी के एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनसे किसानों को प्रेरणा मिलती थी। उन्हीं के परिवार के श्री वीरेन्द्र सिंह इस समय एम0एल0ए0 हैं। श्री चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में उन्होंने इतनी अटूट स्नेह व आस्था व्यक्त की कि चौधरी साहब की नीतियों पर चलकर उन्होंने हमेशा किसानों के कल्याण की बात सोची और किसानों के हित के लिये ही वह मरे। भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर वह चुने गये और कांधला में जुझारू नेता के रूप में उन्होंने कार्य किया।

श्री हरदेव सिंह जी का निधन 27-10-1984 को हो गया। वह82 वर्ष के थे। 1952 में वह कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आये थे। 1957 में वह दुवारा चुने गये। उस समय उनकी आवाज यहां पर बुलन्द होती थी। जनता की समस्याओं को वह बड़ी ही कुशलता से इस सदन में रखते थे। वह हमेशा गरीबों के उत्थान एवम् उनके उन्नयन में लगे रहे। वह अहर्निश काम करते थे। क्षेत्र के विकास में वह हमेशा तत्पर रहते थे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मनसाराम जी शिकोहाबाद के रहने वाले थे। 17 फरवरी, 1988 को उनका निधन हो गया । भारतीय क्रान्ति दल के टिकट पर वह चुनकर आये थे। अनेक धार्मिक संस्थाओं से वह जीवन भर जुड़े रहे। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ व समाज सेवी थे । गौवंश/गऊ के हित के लिये वह लम्बी अवधि तक नगरपालिका, शिकोहाबाद के अध्यक्ष भी रहे ।

श्री सुखलाल जी का निधन 1989 में हो गया। वे 82 वर्ष के थे, उनका निर्वाचन क्षेत्र अजीतमल, इटावा था, जहां से वह कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आये थे। एक विशेष बात उनके साथ यह थी कि 1941 के असहयोग आन्दोलन में उन्हें 9 महीने का कारावास हुआ और 30 रुपये का जुर्माना हुआ था। उस जमाने में सात समुन्दर दूर से आये हुये फिरंगियों को बाहर करने के लिये हमने जिन शहीदों से प्रेरणा ली, उनमें श्री सुखलाल जी का नाम भी याद किया जायेगा । असहयोग आन्दोलन में जुर्माने के साथ साथ उन्हें कारावास भी मिला। बुनकर सोसाइटी के उपाध्यक्ष, कोआपरेटिव बैंक इटावा के डाइरेक्टर आदि संस्थानों में रहकर उन्होनें समाज सेवा का व्रत लिया और इस तरह से वह जीवनपर्यन्त समाज सेवा करते रहे ।

श्री लक्खी सिंह जी का निधन दिनांक 7-8-90 को हो गया। श्री लक्खी सिंह जी हम लोगों के साथ जब कभी सदन में बोलते थे तो मुझे ऐसा लगता था, हम लोगों में उम्र में वह बहुत बड़े थे जैसे कोई बूढ़ा शेर गर्जना कर रहा हो उनकी गर्जना सदन में हमें सुनाई देती थी जब वह बोलने के लिये खड़े होते थे तो उनसे हम नौजवानों को प्रेरणा मिलती थी इस तरह से वह हमारे प्रेरणा श्रोत थे। उनके निधन से मथुरा जनपद ने समाजवादी समाज की रचना में लगे हुये व्यक्ति को खो दिया है। वह शोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर सर्वप्रथम विधान सभा में 1962 में आये और 1977 में हम सब लोगों के साथ जनता पार्टी के टिकट पर आये। वह एक कुशल और कर्मठ कार्यकर्ता थे। इस प्रकार मथुरा जनपद ने उनके निधन से कुशल राजनीतिज्ञ और समाज सेवी खो दिया है ।

श्री किशन सिंह जी का निधन 11 मार्च, 1991 को हुआ। वह मुरादाबाद देहात से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा के सदस्य रहे। वह कांग्रेस के बड़े ही कुशल और कर्मठ कार्यकर्ता थे। कई पदों पर रहकर उन्होंने मुरादाबाद की सेवा की वह मुरादाबाद की कई संस्थाओं, किसान विद्यालय तथा अन्य कई सार्वजनिक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे। धार्मिक ग्रन्थों में उनकी बड़ी अभिरुचि थी और धार्मिक ग्रन्थों के अध्ययन में लगे रहते थे ।

श्री जुल्फिकार अली खां का ऐसे निधन हुआ जिसको सुनकर हम लोग स्तब्ध रह गये। वे 59 वर्ष के थे यह उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं होती है। हम उन्हें नवाबजादा मिक्की मियां के नाम से संबोधित करते थे। उनका निधन बड़ा ही दुखदपूर्ण रहा । उनकी शिक्षा सीनियर कैब्रिज देहरादून से हुई लेकिन वह भारतीय

संस्कृति और परम्पराओं के ज्ञाता थे वह एक प्रख्यात राजनीतिज्ञ थे। वह हमेशा निःस्वार्थ भाव से कार्य करते थे। सबसे बड़ी बात माननीय जुल्फिकार जी के जीवन की यह है कि वह यू0एन0ओ0 संयुक्त राष्ट्र महासभा में 1971 में भारतीय गणराज्य के प्रतिनिधि रहे। वे उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की परामर्शदात्री समिति के सदस्य और प्राक्कलन समिति लोकसभा के सदस्य रहे। उनकी फोटोग्राफी में बड़ी रुचि थी। प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाज सेवी खो दिया है।

डा0 रमा बल्लभ मिश्र का निधन 13 अप्रैल, 1992 को लम्बी बीमारी के बाद हुआ। उनका जन्म प्रथम विश्व युद्ध 1918 में हुआ । उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय से ए0एम0एस0, बम्बई विश्वविद्यालय तथा खैरागढ़ विश्वविद्यालय से संगीत का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। राजनीति के साथ साथ उनकी संगीत में रुचि थी यह मानव मणिकांचन योग है। यह उनकी बहुत बड़ी विशेषता है । वह जीवन पर्यन्त संगीत विधाओं में प्राण डालते रहे । वह बरेली में डाक्टरी भी करते थे। वे संस्कृत भारती के आल इण्डिया के उपाध्यक्ष भी काफी समय तक रहे। मृत्यु के तीन दिन पूर्व ही उ0प्र0 संगीत नाट्य अकादमी के अध्यक्ष पद पर यह नियुक्त हुये यह उनके लिये बहुत बड़ा सम्मान था ।

डा0 रमाबल्लभ मिश्र के साथ जिन 9 माननीय विधान सभा के भूतपूर्व माननीय सदस्यों का नाम लिया है उनके प्रति श्रद्धांजलि अपनी ओर से और अपने दल की ओर से अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मृत आत्माओं कों शान्ति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवारों को इस आसह्य दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। हमारी शोक संवेदना, आपसे अनुरोध है कि उनके परिवारों तक पहुंचाने का कष्ट करें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी जिन माननीय भूतपूर्व दिवंगत सदस्य श्री शिवराज बली सिंह, श्री अजब सिंह, श्री हरदेव, श्री मनसाराम, श्री सुखलाल, श्री लक्खी सिंह, श्री किशन सिंह, जुल्फिकार अली खां और डाक्टर रमा बल्लभ मिश्र के प्रति, माननीय संसदीय कार्य मंत्री माननीय नेता विरोधी दल, नेता कांग्रेस (आई) और जनता दल (अ) ने जो अपने आपने शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं। इनमें से दो माननीय सदस्यों के साथ हमें भी सदन में बैठने का अवसर मिला है। श्री लक्खी सिंह और श्री अजब सिंह इन दोनों लोगों की बातों को सुनकर और उनकी कार्यवाही में रुचि को देखकर हम लोग भी बड़े प्रभावित हुआ करते थे। यह भूतपूर्व सदस्य जो राजनीति के प्रकाण्ड पंडित थे और समाज सेवी थे। हमारे बीच से उठकर चले गये हैं। यह प्रदेश की बड़ी अपूर्णनीय क्षति हुई है। मैं इससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुये आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे शोकोद्गार इनके परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री राम लखन वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से उन सभी जिलाधिकारियों की निन्दा करता हूं। जिन्होंने 12-12 और 13-13 साल बाद इस विधान सभा को यह सूचना दी है । जिन 9 माननीय सदस्यों का निधन हुआ है, और उनके प्रति शोक संवेदना माननीय संसदीय कार्य मंत्री, नेता विरोधी दल, राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, नेता जनता दल (अ) और नेता जनता दल ने शोक संवेदना व्यक्त की हैं मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं । इसमें बहुत से ऐसे सदस्य हैं, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में पूर्णरूप से सहयोग किया था। श्रीमन् शिवराज बली सिंह का निधन 19 सितम्बर, 1979 को हुआ और उनके निधन से जनपद फतेहपुर ही नहीं पूरे प्रदेश को क्षति पहुंची है। वह आज हमारे बीच नहीं हैं, उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट कर रहा हूं। वह बहुत ही कुशल और जागरूक नेता थे और विद्वान थे। इसी क्रम में श्री अजब सिंह जी का निधन 11 मार्च, 80 को हो गया। यह जनपद मुजफ्फरनगर के थे। उनके निधन से उनके जिले को ही नहीं, पूरे प्रदेश को क्षति पहुंची है। मैं उनके प्रति अपनी ओर से और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसी क्रम में श्री हरदेव जी का निधन 27-8-84 को हो गया, जिनकी उम्र 82 वर्ष की थी। उनके निधन से जनपद सहारनपुर को बहुत क्षति पहुंची है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश को क्षति पहुंची है। उनके प्रति मैं अपने और अपने दल की ओर से शोक संवेदना प्रकट करता हूं। मनसा राम जी का निधन 17 फरवरी, 88 को हो गया उनके निधन से उनके जनपद और प्रदेश को क्षति पहुंची है। आज वह हमारे बीच नहीं हैं । हम अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट करते हैं इसी क्रम में श्री सुखलाल जी का निधन 19 जुलाई 1989 को हो गया, उनकी उम्र 82 वर्ष की थी। श्री सुखलाल का सहयोग स्वतंत्रता आन्दोलन में बहुत ही रहा है। मैं अपने दल की तरफ से और अपनी तरफ से उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। श्री लक्खी सिंह का निधन 7-8-90 को हो गया, जिनके निधन से उनके जनपद मथुरा को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को क्षति पहुंची है। उनके प्रति मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से शोक संवेदना प्रकट करता हूं।

मान्यवर, इसी क्रम में श्री किशन सिंह का निधन 11 मार्च, 1991 को हो गया और इनकी आयु 86 वर्ष की थी । श्री किशन सिंह जिला मुरादाबाद के थे। ये कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी थे। इनके निधन से मुरादाबाद को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को क्षति पहुंची है। मैं उनके प्रति शोक संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

इसी क्रम में जुल्फिकार अली खां का निधन 5 अप्रैल, 1992 को हो गया। ये हापुड़ के थे और इनका निधन 59 वर्ष की अवधि में एक सड़क दुर्घटना में हुआ । ये समय से पहले ही हमारे बीच से चल बसे। इनके प्रति हम अपने और अपने दल की ओर से शोक संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ।

डा0 रमा बल्लभ मिश्र का निधन 13 अप्रैल, 1992 को हो गया। ये बरेली के कुशल राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं हम अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से उनके प्रति शोक संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ।

श्रीमन् मेरा आपसे आग्रह है कि इन 9 स्वर्गीय माननीय सदस्यों के परिवारों तक हमारी शोक संवेदना आप भेजने की कृपा करें ।

*श्री ऊदल-

मान्यवर, बड़े दुख की बात है कि आज 9 माननीय भू0पू0 सदस्यों के बारे में हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। लिस्ट देखने से मालूम हो रहा है कि इतने इतने दिनों के बाद जैसे 1980, 1984, 1989 और 1990 की सूचना आज दी जा रही है मैं समझता हूं कि इससे उन भूतपूर्व सदस्यों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी नहीं हो पायेगी और उनके परिवार वालों को जो संवेदना आप भेजना चाहते हैं, वो तो दस बारह वर्ष पहले ही समाप्त हो गयी ।

मान्यवर, इसी वर्ष पद्म श्री से अलंकृत श्री आजमी साहब का निधन 2 माह के आसपास जो मऊ के थे, हो गया। वह प्रकाण्ड विद्वान थे उनके बारे में सरकार को सूचना नहीं आयी है यह मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। और इसके बारे में आप निर्देश दें ।

मान्यवर, जहां तक इन भूतपूर्व माननीय सदस्यों का प्रश्न है, जिनके नाम यहां बताये गये हैं, उन सब के साथ इस सदन में मुझे काम करने का मौका मिला है।

मान्यवर, श्री शिवराज बली सिंह जी की उम्र काफी हो गयी थी लेकिन यह स्वतत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्हें सजा भी हुई थी । और अब इस पीढ़ी के बहुत ही कम बचे खुचे लोग रह गये हैं, लेकिन उनसे हमारे देश के नागरिकों को प्रेरणा मिल सकेगी । उनके निधन से फतेहपुर और प्रदेश को जो क्षति हुई है वह पूर्ण नहीं होगी ।

मान्यवर, इसी तरह से श्री अजब सिंह के साथ भी मुझे काम करने का मौका मिला । श्री अजब सिंह यहां एक अच्छे वक्ता थे और जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि स्व0 चौधरी चरण सिंह के वह खास अनुयायी हैं वे कान्थला विकास

---

नोट:-* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खण्ड के प्रमुख भी रह चुके थे। कृषकों तथा ग्रामीणों की सेवा करने में उनकी विशेष रुचि थी । वह चाहते थे कि हमारे देश और प्रदेश के किसान तरक्की करें और शोषण से मुक्त हो जायें । उसी तरह से श्रीमन् श्री हरदेव सिंह जी का भी निधन 27-10-84 को हो गया। उनकी भी उम्र काफी थी। यह सहारनपुर के थे। 1952 में निर्वाचित हुये थे। और 1957 में भी सदस्य रहे थे उनकी जो हमेशा इच्छा थी किसानों के उत्थान की और उनके उन्नयन की । उसी में वह लगे रहे। उनके निधन से भी सहारनपुर से ही नहीं हमारे बीच से एक कुशल राजनीतिज्ञ उठ गया है। इससे सहारनपुर शहर को बड़ी क्षति हुई है।

श्री मनसा राम का निधन 17 फरवरी, 1988 को हो गया । यह वर्ष 1962 के सामान्य निर्वाचन में निर्दलीय तथा वर्ष 1969 के निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र शिकोहाबाद से भारतीय क्रान्तिदल के टिकट पर विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे। वह राम लीला कमेटी के अध्यक्ष रहे गोशाला तथा लम्बी अवधि तक अध्यक्ष नगर पालिका शिकोहाबाद रहे थे। जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने बताया कि उनकी रुचि संगीत में भी थी । इनकी मृत्यु से सामाजिक क्षेत्र में संगीत के क्षेत्र में भी जो क्षति हुई है वह पूरी नहीं होगी। इसी तरह से श्री सुखलाल जी का निधन 19 जुलाई, 1989 को हो गया। श्री सुखलाल वर्ष 1957 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र औरैया से तत्पश्चात् वर्ष 1962 तथा वर्ष 1969 के निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र अजीतमल से कांग्रेस के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये थे। यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे इनको जुर्माना भी हुआ था और सजा भी हुई थी। काफी संस्थाओं के प्रेसीडेंट रहे। अखिल भारतीय बुनकर सोसाइटी के उपाध्यक्ष, कोआपरेटिव बैंक, इटावा के डायरेक्टर और जिला परिषद् के सदस्य भी रहे थे। इनकी रुचि बाल्यकाल से ही सामाजिक कार्यों में थी उनके निधन से श्रीमन् जनपद इटावा में ही नहीं हम सब ने एक कुशल राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं समाजसेवी खो दिया है।

मान्यवर, इसी तरह से श्री लक्खी सिंह जी के बारे में जैसे उद्गार माननीय नेताओं ने व्यक्त किये हैं। मैं भी अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं और मान्यवर, माननीय लक्खी सिंह जी किस तरह से बाहर तो लड़ते ही थे लेकिन इस माननीय विधान सभा में किस तरह से प्रश्नों को उठाते थे, किस तरह से लड़ते थे और समाज की सेवा करने में उनकी कितनी रुचि थी वह श्रीमन् यहां परिलक्षित होती रही है। उनके निधन से मैं समझता हूं कि समाजवादी नेता खो गया है। इस धरती पर जितने लोग इस तरह के कार्य सेवा में लगे हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ।

समाजवादी आन्दोलन को भी धक्का लगा है। यह विधान सभा की आश्वासन और प्राक्कलन समितियों के अध्यक्ष रहे। इनके निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई है।

श्री किशन सिंह जी का निधन 11 मार्च, 1991 को हो गया। वह 1957 और 1967 में मुरादाबाद (देहात)से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित हुये थे वह बहुत बड़े कुशल कार्यकर्ता थे। अध्यक्ष जिला परिषद् मुरादाबाद तथा अन्य सार्वजनिक संस्थाओं से भी संबंधित रहे। इनके निधन से कांग्रेस को क्षति हुई है वहीं मुरादाबाद को भी बहुत क्षति हुई है रायफल क्लब के मैनेजर रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। इनके निधन से मुरादाबाद में जो रिक्तता आयी है वह पूर्ण नहीं होगी इसी तरह से श्री जुल्फिकार अली खां का निधन एक सड़क दुर्घटना में हो गयी । यह बहुत दुखद घटना थी इनके साथ भी काम करने का मुझे मौका मिला है। वह बहुत अच्छे मजे मजाये राजनीतिज्ञ थे जन कल्याण के लिये निस्वार्थ भाव से काम करते थे इनके निधन से रामपुर में जो रिक्तता आई है वह पूरी नहीं हो सकती है।

डा0 रमा बल्लभ मिश्र वर्ष 1967 से सामान्य निर्वाचन में, निर्वाचन क्षेत्र बरेली कैण्ट से जनसंघ पार्टी के सदस्य के रूप में विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय से संगीत का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। वह गरीबों की आवाज हमेशा उठाये रहते थे। उनके निधन से बहुत बड़ी क्षति हुई है श्रीमन् मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय नेता विरोधी दल ने तथा अन्य दल के नेताओं ने जो अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और उन सभी भूतपूर्व माननीय सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिनका निधन हो गया है। मान्यवर, आपसे निवेदन है कि हमारी भावना और हमारे दल की भावनाओं को उनके शोक संतप्त परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री दीनानाथ सिंह यादव-

मान्यवर, पिछले दो अवसरों पर हमने सदन में चिन्ता जाहिर की थी। आज तीसरी बार सदन में चिन्ता जाहिर करनी पड़ रही है। 11-12 साल का लम्बा काल बीत जाने के बाद माननीय सदस्यों के निधन की सूचनायें आ रही हैं, जिस पर हम शोक व्यक्त कर रहे हैं। सही मायने में इसका कोई औचित्य नहीं है। इतने सालों के बाद शोक संवेदनायें उनके परिवारों को भेजना सही परम्परा नहीं है इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कम से कम आप इसमें सख्त निर्देश दें शासन को प्रशासन को ताकि फिर इस तरह की पुनरावृत्ति न हो । और माननीय सदस्यों के निधन की सूचनायें समय से आ जाया करें । मान्यवर, श्री शिवराज बली सिंह, श्री अजब सिंह, श्री मनसाराम, श्री सुखलाल, श्री लक्खी सिंह, श्री किशन सिंह, श्री जुल्फिकार अली खां, श्री हरदेव सिंह, डा0 रमा बल्लभ मिश्र, के निधन के प्रति माननीय

---

नोट:- * वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य मंत्री ने माननीय नेता विरोधी दल ने तथा अन्य दलों के माननीय नेताओं ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं उनसे अपने को और अपने दल को समबद्ध करता हूं। इन माननीय सदस्यों ने इस सदन का सदस्य रहकर तथा एक राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने-अपने क्षेत्रों में अपने-अपने जनपदों में जो जनता की सेवा की है उसको स्मरण करते हुये मैं अपने दल की तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी तथा हमारे दल की तरफ से शोक संवेदनायें इनके परिवारों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री राम स्वरूप वर्मा-

मान्यवर, जिन 9 भूतपूर्व माननीय सदस्यों के बारे में उनके निधन पर संसदीय कार्य मंत्री माननीय नेता विरोधी दल, तथा अन्य विपक्षी नेताओं ने जो अपने-अपने शोकोद्गार व्यक्त किये हैं मैं उससे अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और मान्यवर, आपसे प्रार्थना करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदनायें पहुंचा दें ।

*श्री पवन कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, जिन 9 भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल, नेता कांग्रेस, नेता जनता दल और नेता सजपा एवं अन्य नेताओ ने अपने शोकोद्गार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके शोक संतप्त परिवारों तक मेरी तथा मेरे दल की शोक संवेदनायें एवं श्रद्धांजलि पहुंचाने का कष्ट करें ।

*श्री हरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, स्वर्गीय चौधरी अजब सिंह इस सम्मानित सदन के दो बार सदस्य रहे। वह मेरे जनपद मुजफ्फरनगर के निवासी थे और हमारे साथी और मित्र श्री वीरेन्द्र सिंह जो चौथी बार इस विधान सभा के सदस्य हुये हैं, उनके परिवार के मुखिया थे और आज श्री वीरेन्द्र सिंह उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी भी हैं चौधरी अजब सिंह के चुनाव में बैठ कर हमने राजनीति सीखी है गांव के गरीब, खलिहान की बात करने वाले त्याग और सत्यता के प्रतीक कर्मठ राजनीतिज्ञ के रूप में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो छाप उन्होंने छोड़ी है वह अविस्मरणीय है। वह सच्चे चौधरी चरण सिंह वादी और सच्चे किसानवादी नेता थे। उन्होंने ब्लाक के साथ साथ जिला परिषद् की सेवा की है ऐसी मेरी जानकारी है अपने कार्यकाल में शिक्षण कार्यों एवं ग्राम्य विकास पर उन्होंने बल दिया । मैं अनुरोध करूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिज्ञ त्याग, ईमानदारी कर्मठता, सत्यता के प्रतीक एवं चौधरी चरण सिंह वादी चौधरी अजब सिंह के परिवार तक मेरी शोक संवेदनायें भेज दें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

इस सम्मानित सदन के 9 पूर्व सदस्यों का निधन हो गया । श्री शिवराज बली सिंह 77 वर्ष की आयु में 19 सितम्बर, 1979 को दिवंगत हो गये। वह दो बार इस माननीय सदन के सदस्य रहे और वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। दिनांक 11 मार्च, 1980 को 68 वर्ष की उम्र में श्री अजब सिंह का निधन हो गया। वह भी इस सम्मानित सदन में दो बार सदस्य रहे। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता था। वह बहुत ही निर्भीक तथा स्पष्टवादी व्यक्ति थे। चौधरी चरण सिंह के आदेशों पर चलने वाले चौधरी अजब सिंह के निधन से जनपद मुजफ्फरनगर की राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में हानि हुई है। श्री हरदेव सिंह का निधन 82 वर्ष की उम्र में 27 अक्टूबर, 1984 को हो गया। वह इस सम्मानित सदन के दो बार सदस्य रहे। श्री मनसा राम का निधन 17 फरवरी, 1988 को हो गया। वह भी इस सम्मानित सदन के दो बार सदस्य रहे। इसके अतिरिक्त वह शिकोहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। श्री सुखलाल का निधन 82 वर्ष की आयु में 19 जुलाई, 1989 को हुआ । वह इटावा जनपद से आते थे और वह इस सम्मानित सदन के दो बार सदस्य रहे । वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। श्री लक्खी सिंह का निधन 84 वर्ष की आयु में 7-8-1990 को हुआ। उनसे भी मैं व्यक्तिगत रूप से परिचित था। विधान सभा की कई समितियों के वह सदस्य भी रहे हैं। वह बहुत ही निर्भीक व्यक्ति थे। श्री किशन सिंह का निधन 86 वर्ष की आयु में 11 मार्च, 1991 को हो गया। वह भी इस सम्मानित सदन के दो बार सदस्य रहे। श्री जुल्फिकार अली खां उर्फ मिक्की मियां का निधन 5 अप्रैल, 1992 को हो गया । वह रामपुर के निवासी थे। वह एक बार इस सम्मानित सदन के सदस्य और 5 बार लोकसभा के सदस्य रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने कार्य किया। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ थे । उनके निधन से न केवल रामपुर बल्कि पूरे प्रदेश की हानि हुई है।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

डा0 रमाबल्लभ मिश्र लगभग 74 वर्ष के थे । उनका निधन 13अप्रैल, 1992 को हो गया। वे स्ततंत्रता संग्राम सेनानी भी थे वे उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु निगम के अध्यक्ष भी थे। अपनी मृत्यु के तीन दिन पूर्व ही वे उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी के अध्यक्ष मनोनीत हुये थे। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता था। वे गम्भीर व्यक्तित्व और विनोदी स्वभाव के सम्मिश्रण थे। उनके निधन से समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत हानि हुई है। इस सदन में माननीय नेताओं ने जो विचार प्रकट किये हैं, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं आपकी भावनाओं को दिवंगत आत्माओं के परिवार को भेज दूंगा। उनको श्रद्धांजलि देने के लिये हम दो मिनट मौन रहेंगे ।

(सदन के सभी माननीय सदस्यों ने दो मिनट मौन खड़े होकर श्रद्धांजलि अर्पित की ।)

## पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना शासन द्वारा समय से उपलब्ध कराये जाने के संबंध में श्री अध्यक्ष का निर्देश

श्री अध्यक्ष-

कृपया स्थान ग्रहण करें। अभी शोकोद्गार प्रकट करते हुये कई माननीय नेताओं ने ये विचार प्रकट किये थे कि सभी जिलाधिकारियों को इस बात के समुचित और प्रभावी निर्देश दे दिये जायं कि यदि किसी भी ऐसे व्यक्ति का जो इस सदन का सदस्य हो या रह चुका हो, निधन होता है, तो उसका समाचार और उसकी पुष्टि शीघ्रातिशीघ्र शासन को दिया करें। आज जितने माननीय पूर्व सदस्यों के निधन के समाचार प्राप्त हुये हैं, उनमें से एक का निधन वर्ष 1979 में हुआ, एक का वर्ष 1980 में हुआ, सन् 84 में भी एक पूर्व माननीय सदस्य का निधन हुआ। कृपया इसको सुनिश्चित कर लें कि समय से निधन की जानकारी आ जाय।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

एक एक करके सम्मानित सदस्य करेंगे तो ठीक रहेगा। निवेदन है कि समय की कमी है। आप सब जानते हैं । बहुत संक्षेप में, 301 में जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकृत की गयी हैं, उनको ले लूं, उसके बाद व्यवस्था का प्रश्न उठा लें।

## नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

आज दिनांक 13 मई, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 104 सूचनायें प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य छोड़ते हुये निम्नलिखित 84 सूचनायें स्वीकार की गयीं । उन सूचनाओं को मैंने स्वीकार नहीं किया है जो नितांत व्यक्तिगत मामलों से संबंधित थीं। जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयी हैं, उनके नाम पढ़े देता हूं। जिन विषयों पर सूचनायें हैं, वे विधान सभा की कार्यवाही में लिख दिये जायेंगे कि किस-किस विषय से संबंधित सूचना है समयाभाव को देखते हुये ऐसा कर रहा हूं।-- (1) श्री राम किशन ददाजू, (2) श्री जय प्रताप सिंह, (3) श्री भोला शंकर मौर्य, (4)श्री राम नारायण बिन्द, (5) श्री जटा शंकर सिंह, (6) श्री राम सेवक, (7) श्री शिव चरन प्रजापति, (8) श्री मिही लाल, (9) श्री कृष्ण कुमार सिंह, (10) श्री सुरेन्द्र सिंह, (11)श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (12) श्री चन्द्रमणि कान्त सिंह, (13) श्री श्याद अली, (14) श्री शिव नारायण मिश्र (15) श्री सुरेश प्रताप गांधी, (16) श्री दल सिंगार यादव, (17) श्री महेन्द्र प्रताप सिंह, (18) श्री मो0 हसन, (19) श्री झाऊ लाल यादव, (20) श्री राम ललित चौधरी, (21) श्री भागीरथी, (22) श्रीमती शारदा देवी, (23) श्री अवनीश कुमार सिंह, (24) श्री राम लखन वर्मा, (25) श्री निर्वेन्द्र कुमार (26) श्री सोमांश प्रकाश, (27) श्री राम सेवक सिंह, (28) श्री नरेन्द्र सिंह भाटी,

(29) श्री बनवारी सिंह, (30) श्री धनीराम वर्मा, (31) श्री शिव दर्शन, (32)श्री सतीश चन्द्र भाटिया, (33) श्री ओम प्रकाश दिवाकर, (34) श्री श्रीराम, (35) श्री अखिलेश सिंह, (36) श्री अरविन्द प्रताप सिंह, (37) श्री श्याम बिहारी सिंह, (38) श्री मातवर सिंह कण्डारी, (39) श्री नरेन्द्र सिंह, (40) श्री अंगद सिंह यादव (41)श्री श्याम देव राय चौधरी, (42) श्री मुन्ना चौहान, (43)श्री ऊदल (44) श्री राम प्रताप सिंह, (45)श्री इम्तियाज अहमद, (46)श्री दीनानाथ सिंह यादव (47) मेजर जे0पी0 सिंह, (48) श्री हरेन्द्र सिंह, (49)श्री कृष्ण वीर सिंह सिरोही, (50) श्री श्याम नारायण, (51) श्री विजय पाल सिंह तोमर, (52) श्री विश्राम दास, (53)श्री हरिवंश सहाय (54) श्री स्वामी नाथ यादव (55) श्री सुखदेव, (56) श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, (57) श्री जाहिद हुसैन, (58) श्री विश्वनाथ, (59) श्री विक्रमाजीत मौर्य (60) श्री गिरधारी लाल, (61) श्री मो0 रिजवानुल हक, (62) श्री दुर्गा प्रसाद यादव (63) श्री गामा राम शास्त्री (64) श्री महेन्द्र सिंह भाटी, (65) श्री किशोरी लाल यादव, (66) श्री भोला सिंह, (67) श्री गया चरन दिनकर, (68) श्री रमेश पोखरियाल, (69) श्री छत्रपाल वर्मा, (70) श्री यदुनाथ सिंह, (71)ठाकुर वीरेन्द्र सिंह, (72) श्री लालचन्द्र निषाद, (73)श्री राजेन्द्र सिंह चौहान, (74) श्री बलराम यादव, (75) श्री भागवत पाल, (76) श्री शिव पूजन राम, (77) श्री हृदय नारायण दीक्षित, (78) श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, (79) श्री ओम प्रकाश वर्मा, (80) श्री शिव लाल मित्तल, (81)श्री हरी चरन यादव, (82) श्री लक्ष्मेश्वर सिंह, (83) श्री राम खिलाड़ी (84) श्री लीला राम शर्मा । ये सूचनायें स्वीकृत हुई हैं ।

(संलग्न सूचनायें पढ़ी हुयी मानी गयीं ।)

**जनपद फिरोजाबाद में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री राम किशन ददाजू-

)(महोदय, फिरोजाबाद में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया गया है। जबकि फिरोजाबाद एक औद्योगिक क्षेत्र है, 35 जनपद के एक लाख व्यक्ति काम करते हैं, फिरोजाबाद के ब्लाकों की पेयजल टंकियों में कार्यरत नलकूप व हैण्ड पम्पों का जलस्तर गिर गया है, जिसके कारण ग्रामीण अंचल में पानी का गम्भीर संकट है पोखरों में ड्रेनेज में पानी नहीं है। शहर के ट्यूबबेल फेल हो गये हैं,

---

नोटः- )( यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तथा कुछ ट्यूबबेलों में कम मात्रा में पानी उपलब्ध है टंकियां पूरी नहीं भरी जाती हैं, जनता पेयजल संकट के कारण आन्दोलित है। नगरपालिका व्यवस्था करने में अक्षम है अतः आपसे अनुरोध है कि इस गम्भीर समस्या की ओर नियम 301 के तहत कार्यवाही कराने की कृपा करें ।)

**जनपद बस्ती स्थित भूमि विकास बैंक की कार्य-प्रणाली में सुधार लाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री जय प्रताप सिंह -

(महोदय, सरकार का ध्यान बस्ती स्थित भूमि विकास बैंक की कार्यप्रणाली की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। 1 जुलाई, 1990 में श्री लक्ष्मेश्वर सिंह, विधायक ने बाग लगाने हेतु ऋण की मांग समस्त ऋण प्राप्त करने की वैधानिक एवं नियमित औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये आवेदन किया था । परन्तु एक वर्ष तक बैंक कार्यालय द्वारा कुछ न कुछ त्रुटियों को पूरा करने के लिये अवरोध डालते रहे। अतः आवेदन की समस्त प्रक्रिया पूर्ण पायी गयी, तो अन्त में बताया गया कि बस्ती में बाग लगाने के लिये धन की उपलब्धता नहीं है, और प्रधान कार्यालय लखनऊ की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। श्री लक्ष्मेश्वर सिंह के प्रधान कार्यालय लखनऊ पर सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि ऋण की मांग अप्रैल, 1991 में की गयी है। और भूमि सीलिंग में है। अतः ऋण देना सम्भव नहीं है। जबकि आवेदन जुलाई, 1990 में किया गया जिसका तथ्यात्मक प्रमाण मेरे पास उपलब्ध है। और नियमानुसार ऋण स्वीकृति एवं अस्वीकृति की जानकारी उपलब्ध करना बैंक का दायित्व होता है। इस तरह निर्धन लोगों को जानकारी उपलब्ध करना बैंक का दायित्व होता है। इस तरह निर्धन लोगों को ऋण उपलब्ध कराने में बैंक द्वारा ध्यान आकर्षित किया जाता है। अतः मैं सदन से मांग करता हूं कि बस्ती भूमि विकास बैंक की कार्य प्रणाली पर तत्काल कार्यवाही की जाय ।)

**प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानकी प्रभाग जनपद बदायूं द्वारा हरे वृक्षों को कटवाये जाने तथा भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री भोला शंकर मौर्य -

(मान्यवर, जनपद बदायूं में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानकी प्रभाग बदायूं के द्वारा बड़े पैमाने पर पुलिस ने मिलकर हरे वृक्षों की अवैध कटान दलालों से मिलकर करा रहे हैं। प्रति पेड़ 100/-रुपये रिश्वत लेकर करवा रहे हैं जिससे जनपद का पर्यावरण संतुलन दिन प्रतिदिन बिगड़ रहा है वन विभाग में भ्रष्टाचार

---

नोटः-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इतना चरम सीमा पर है कि वर्ष 1991-92 में विभागीय नसबन्दी का लक्ष्य 40 नसबन्दी कराने का रखा गया था जो कि श्री अरविन्द कुमार गुप्ता प्रभागीय निदेशक के मोटीवेशन में हुये, दिखाये गये इन 40 केसों में से 14 नसबन्दी फर्जी, पायी गयी है। उदाहरणार्थ आर0के0 उपाध्याय (प्रेरक) द्वारा सहसवान में फर्जी, नसबन्दी करायी गयी। गुन्नौर में बाबू सिंह तथा गंगा बहादुर विष्ट पूर्व रेंजर जो कि इस कार्यालय से सम्बद्ध हैं, के द्वारा प्रभागीय निदेशक के निर्देशानुसार कराई गयी है। प्रभागीय निदेशक ने पूरे जनपद में भ्रष्टाचार फैला रखा है ।

मामला महत्वपूर्ण एवं लोकहित एवं अविलम्बनीय होने के कारण सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं और मांग करता हूं कि सम्बद्ध अधिकारी के विरुद्ध किसी उच्चाधिकारी के द्वारा जांच कराई जावे तथा जांचोपरान्त सही पाये जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये ।)

**जनपद बांदा के ग्राम पैलानी में पैलानी घाट तिराहे पर पार्क बनवाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री राज नारायण बिन्द-

(मान्यवर, बांदा जनपद के ग्राम पैलानी पर पैलानी घाट एक महत्वपूर्ण जगह है जहां से प्रतिदिन हजारों की संख्या में यात्री आते हैं, तथा पैलानी घाट पर रुकना पड़ता है। जिससे बहुत परेशानी उठानी पड़ती है जगह तिराहे पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यदि लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड द्वारा जिला योजना से धनराशि उपलब्ध करा दी जाय तो यात्रियों के बैठने के लिये पार्क बन सकता है ।

अस्तु आपसे प्रार्थना की जाती है कि पैलानी घाट पर सर्वे कराकर संबंधित विभाग से पार्क बनवाया जाय तो क्षेत्र की जनता लाभान्वित होगी ।)

**लखनऊ के अलीगंज सीतापुर रोड पर स्थित एल0के0एस0 राजकीय कालोनी में आवश्यक सुधार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री जटाशंकर सिंह-

(महोदय आपका ध्यान लखनऊ के अलीगंज सीतापुर रोड पर स्थित एल0के0एस0 राजकीय कालोनी के निवासियों की गंदगी भरे नारकीय जीवन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं ।

---

नोट:-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इस कालोनी के चौके के पास में टट्टी भी बना हुआ है। जिसके विषय में कालोनी समिति के पदाधिकारियों द्वारा विभागीय अधिकारियों का ध्यान बार-बार आकर्षित किया गया किन्तु उनके आश्वासनों के बावजूद आज तक कुछ भी कार्यवाही नहीं हो सकी है। वहां पर बच्चों के खेल का छोटा सा पार्क बन सकता है। लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

कालोनी के पीछे एक बड़ा नाला है जो खुला रहता है ढका नहीं है जिसकी बदबू एवं मच्छरों के भयंकर प्रकोप से वहां का जनजीवन अत्यन्त नारकीय हो गया है।

अस्तु उपरोक्त तथ्यों के संबंध में शीघ्रातिशीघ्र समुचित कदम उठाने हेतु शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं ।)

**उत्तर प्रदेश वन सेवा नियमावली 1952 के नियम 4 के प्रथम परन्तुक के हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करणों में विरोधाभास को दूर करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री राम सेवक-

(महोदय उत्तर प्रदेश वन सेवा नियमावली, 1952 के नियम 4 के प्रथम परन्तुक के अनुसार जो पद भारतीय वन सेवा में चले चले जायेंगे वे प्रदेश वन सेवा से हटे हुये मान लिये जायेंगे इस परन्तुक के हिन्दी व अंग्रेजी अनुवाद में विरोधाभास है और उसका अनुचित प्रयोग किया जा सकता है। इस परन्तुक में क्या यह भी प्राविधान है कि किसी सेवा के गठन में समय या किसी विशेष वर्ग में ही लागू होगी ।

अतः मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश वन सेवा नियमालवी 1952 के नियम 4 के प्रथम परन्तुक के हिन्दी व अंग्रेजी संस्करणों में विरोधाभास का अनुचित प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक एवं न्याय विभाग की राय प्राप्त करके सदन के पटल पर रखवाने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।)

**जनपद बांदा के अधिशासी अभियन्ता नलकूप प्रखण्ड बांदा द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच टी0ए0सी0 से कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री शिव चरण प्रजापति-

(मान्यवर, उपरोक्त विषय (बांदा जनपद के अधिशासी अभियन्ता नलकूप प्रखण्ड बांदा द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच टी0ए0सी0 से कराये जाने के संबंध में) मैं अवगत करवाना चाहता हूं कि श्री आर0पी0 साहू द्वारा जनपद बांदा के नलकूपों

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के रखरखाव में वर्ष 1991-92 में भारी अनियमिततायें की गयीं हैं। कागजों में फर्जी पाइप लाइनें व नलकूपों की फर्जी मरम्मत दिखाकर लाखों रुपये का गबन किया गया है। सूखे की स्थिति में अधिकांश नलकूप बंद रहते हैं जिससे किसानों को भारी क्षति का सामना करना पड़ा है और नलकूपों के मोटर अकुशल किस्म के कारीगरों द्वारा भरवाने पर, जो एप्रूब्ड फर्म नहीं है। वर्ष 1991-92 में अधिकांश समय मोटर खराब रहे हैं और अवैध धन किसानों से मोटर की मरम्मत हेतु वसूली की गयी है तथा सरकारी जीपों का दुरुपयोग और टेलीफोन का बिल आवश्यकता से अधिक भुगतान किया गया है। टेलीफोन इन्होंने अधिकतर ट्रंककाल अपने व्यक्तिगत कार्यों में किया है। आज भी जिले के नलकूप खराब पड़े हैं। जबकि फर्जी भुगतान इन्होंने निकाल लिया है।

अतः आपसे अनुरोध कि अधिशासी अभियंता नलकूप प्रखण्ड बांदा द्वारा गत वर्षों में कराये गये समस्त कार्यों की टी0ए0सी0 से जांच करवाने का निर्देश सरकार को देने की कृपा करें। तथा दोषी पाये जाने पर दण्डित करायें जिससे जिले के सभी राजकीय नलकूप ठीक ढंग से चल सकें, तथा सिंचाई सुविधा पर्याप्त उपलब्ध हो सके ।)

## जनपद बदायूं के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा नियुक्तियों में धांधली किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मिही लाल-

(महोदय बदायूं जनपद के अन्तर्गत चिकित्साधिकारी द्वारा 7 स्वीपर, 7 वार्ड ब्वाय तथा दो लिपिकों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया शुरू की गयी थी जिसमें उन्होंने अभ्यर्थियों को न तो साक्षात्कार में बुलाने की सूचना दी और न ही किसी चलने वाले दैनिक पत्रों में ही इसकी सूचना दी मात्र एक अखबार में जो दल विज्ञापन निकालकर संबंधित कार्यालय तक पहुंचा पाता हैं। विभिन्न जन प्रतिनिधियों ने इस अनियमित रूप से की जाने वाली कार्यवाही पर काफी रोष व्यक्त किया और ज्ञापन दिया एवं जिलाधिकारी बदायूं के समक्ष प्रदर्शन किये तो उन्होंने लिपिक वर्ग की दो रिक्तियों का चुनाव अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया तथा 7 स्वीपर, तथा 7 वार्ड ब्वाय की नियुक्ति रद्द नहीं की गयी है। इन नियुक्तियों में ज्ञापन देने वालों के अनुसार, बहुत बड़ी रिश्वत संबंधित अधिकारी ने ली है। जनपद में इन नियुक्तियों से गहरा रोष व्याप्त है तथा मामला महत्वपूर्ण लोक हित एवं अविलम्बनीय होने के कारण सदन के संज्ञान में लाता हूं । मामला लोक महत्व एवं अविलम्बनीय होने के कारण सदन के द्वारा शासन का ध्यान आकर्षित किया जाना आवश्यक है।

---

नोटः-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अतएव अनुरोध है कि इस लोक महत्व के मामले में शासन को जांचोपरान्त कार्यवाही कराने हेतु निदेश देने का कष्ट करें ।)

**लखनऊ के मोहल्ला महमूदनगर की गली में सीवर लाइन की व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री कृष्ण कुमार-

(महोदय लखनऊ के मोहल्ला महमूदनगर की गली में सीवर लाईन की व्यवस्था अभी तक न होने से वहां के निवासियों को अत्यन्त कठिनाई हो रही है। यह मामला नगर महापालिका में वर्षों से चल रहा है। गली के थोड़े हिस्से में ही सीवर लाइन डाली जानी है। जिसकी स्वीकृति भी प्राप्त है परन्तु कार्य का निष्पादन अभी तक नहीं कराया गया है।

अतः जनता की कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुये मोहल्ला महमूदनगर, लखनऊ में सीवर लाइन डालने का कार्य तुरन्त सम्पादित कराने की मांग करता हूं।)

**जनपद बलिया के ग्राम भरौली स्थित रामलीला मैदान की सुरक्षा करने तथा अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में, नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री सुरेन्द्र सिंह -

(महोदय यह पत्र जनपद बलिया थाना नरही ग्राम भरौली में प्राइमरी पाठशाला के आगे स्थित "राम लीला मैदान" की सुरक्षा के संबंध में है। उक्त मैदान प्रकरण बहुत दिनों से लम्बित चल रहा है।

पूर्व मंत्रियों एवं मुख्य मंत्री को भी उक्त धार्मिक एवं सामाजिक स्थान की सुरक्षा हेतु अनेकों बार प्रार्थना पत्र दिया गया है किन्तु खेद का विषय है कि श्री राजकुमार यादव पुत्र श्री परमेश्वर यादव आदि निवासी ग्राम भरौली द्वारा राम लीला मैदान पर किये जा रहे अतिक्रमण से पूर्ण रुपेण सुरक्षित नहीं किया जा सका है।

इस संबंध में निवेदन है कि ग्राम सभा भरौली के प्रधान श्री पारस यादव ने भी ग्राम पंचायत की आम सभा की बैठक में रामलीला मैदान भरौली बलिया की सुरक्षा हेतु जो प्रस्ताव पारित किया था उसकी मुख्य प्रति परगना अधिकारी बलिया को आवश्यक कार्यवाही हेतु बहुत पहले ही दी जा चुकी है जिस पर अभी तक कार्यवाही नहीं हो सकी है ।

"राम लीला मैदान" भरौली, बलिया, चूंकि भरौली प्राइमरी पाठशाला के ठीक आगे स्थित है जहां स्कूल के बच्चे खेलते भी हैं, तथा विवाह आदि सामजिक कार्य भी सम्पन्न होते हैं ।

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अतः इस महत्वपूर्ण विषय की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुये बार-बार अनुरोध है कि "राम लीला मैदान" भरौली बलिया की सुरक्षा का तत्काल प्रबन्ध करके उस भूमि को ग्राम प्रधान भरौली व ग्राम सभा द्वारा संलग्न पारित प्रस्ताव के अनुसार उसे राजस्व अभिलेखों में "राम लीला मैदान" नाम अंकित करने की महती कृपा करें ।)

**जनपद बांदा के पैलानी गलौली मार्ग में कानाखेड़ा से नारायण तक नया सम्पर्क मार्ग बनवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

(मान्यवर, आपका उपरोक्त विषय (जनपद बांदा में पैलानी-गलौली मार्ग से कानाखेड़ा से नरायण तक नया सम्पर्क मार्ग बनवाने के संबंध में) की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं जनपद बांदा में जसपुरा ब्लाक के अन्तर्गत पैलानी गलौती मार्ग पर ग्राम कानाखेड़ा से ग्राम नरायण तक नया सम्पर्क मार्ग बनना अति आवश्यक है क्योंकि क्षेत्र की जनता को बरसात के समय भारी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं । ग्रामवासी बीमार होने पर चिकित्सालय तक नहीं पहुंच पाते हैं।

अस्तु आपसे अनुरोध है कि शासन को निर्देशित करें कि जनपद बांदा में पैलानी गलौली मार्ग पर नया सम्पर्क मार्ग कानाखेड़ा से नरायण तक बनवाया जाय जिससे यातायात की सुविधा उपलब्ध हो सके ।)

**जनपद बहराइच में बहराइच-भिन्गा-सिरसिया-चौधरीडीह मार्ग में क्षतिग्रस्त पाइल सेतु के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री चन्द्रमणि कान्त सिंह-

(महोदय मैं अपने जनपद बहराइच के भिन्गा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जनपद बहराइच में बहराइच-भिन्गा-सिरसिया-चौधरीडीह मार्ग के 28वें किलोमीटर में क्षतिग्रस्त पाइल सेतु के स्थान पर निर्मित लकड़ी का पुल माह सितम्बर, 1991 में क्षतिग्रस्त हो गया था । परिणामतः सम्पूर्ण आवागमन अवरुद्ध है। यह मार्ग तहसील मुख्यालय भिन्गा को बहराइच से जोड़ने वाला एक मात्र मार्ग है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा यातायात पुल के बगल में डाइवर्जन एवं एक अन्य वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया गया है। इन दोनों वैकल्पिक मार्गों में वर्षा ऋतु में पानी भर जाने के कारण यातायात बन्द हो जाने की सम्भावना है। मुख्य अभियन्ता फैजाबाद द्वारा पत्र संख्या 416/एफ0ज़ेड0/204 काम-एफ0ज़ेड0/92 दिनांक 3-3-92 द्वारा उक्त कार्य हेतु 32 लाख का आगणन मुख्य अभियंता, मुख्यालय को भेजा गया है। आगणन की स्वीकृति एवं धन आवंटन अभी

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया. ।

अपेक्षित है। यदि वर्षा के पूर्व उक्त महत्वपूर्ण कार्य हेतु धन आवंटित न किया गया तो भिन्गा क्षेत्र की सम्पूर्ण जनता का बहराइच से लिंक ही समाप्त हो जायेगा।

अतः उक्त महत्वपूर्ण कार्य को जनहित में वर्षा से पूर्व सम्पादित कराये जाने की मांग करता हूं ।)

**जनपद बांदा नगर के मोहल्ला खाईंपार में नजूल भूमि पर बने मकानों के पट्टे शासनादेश होने के बाद भी करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री श्याद अली-

(उपरोक्त विषय बांदा नगर के मोहल्ला खाईंपार में बने नजूल भूमि पर मकानों के पट्टे करने पर शासनादेश होने के बाद भी पट्टे न करने के संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि मोहल्ला खाईंपार व नगर के अन्य मोहल्लों में लगभग दस वर्षों से लेकर तीस वर्षों से अनुसूचित जाति व गरीब लोग नजूल की भूमि पर अपना मकान बना कर रह रहे हैं, और नगरपालिका बांदा को अपना भवन कर अदा कर रहे हैं। शासन से दो बार इन सभी मकानों के पट्टे करने के आदेश दिये गये लोग उचित नजराना देने को भी तैयार हैं। परन्तु आज तक पट्टे नहीं किये गये, जबकि शासन ने लाखों रुपये खर्च करके यहां के निवासियों को गली, नाली, सड़क बिजली व नल की सुविधा मलिन बस्ती सुधार योजना के अन्तर्गत दी है और इन बस्तियों को मलिन बस्ती घोषित किया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उपरोक्त मलिन बस्ती में व नगर की अन्य बस्तियों में नजूल की भूमि पर अनुसूचित जाति व गरीबों के मकानों के पट्टे उचित नजराना लेकर करने का कष्ट करें।)

**ग्राम खरगपुर के मजरा पंडित का पुरवा जनपद प्रतापगढ़ का विद्युतीकरण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री शिव नारायण मिश्र-

(महोदय मैं आपका ध्यान अत्यन्त लोक महत्व के बिन्दु ग्रामीण विद्युतीकरण की ओर आकृष्ट कराते हुये यह अवगत कराना चाहता हूं कि ग्राम सभा खरगपुर तहसील लालगंज अझारा जनपद प्रतापगढ़ का विद्युतीकरण कर दिये जाने तथा उसी ग्राम सभा के अन्य पुरवे पंडित का पुरवा का विद्युतीकरण न किये जाने की ओर किसी का ध्यान नहीं गया जबकि गांव से होकर 11 के0वी0 तथा 33 के0वी0 की लाइनें खींची गयी हैं। इन लाइनों के कारण ग्रामवासियों की सम्पत्ति (पेड़ आदि) की भी क्षति हुई है।

अतः अनुरोध है कि शासन को निर्देश देने की कृपा करें कि वह ग्राम खरगपुर के मजरा पंडित का पुरवा का तत्काल विद्युतीकरण कराने का कष्ट करें जिससे लखनऊ वाराणसी मुख्य मार्ग पर स्थित इस ग्राम का विकास हो सके।)

---

नोटः- ) ( यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

**जनपद अलीगढ के सिकन्द्राराऊ नगर में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री सुरेश प्रताप गांधी-

(महोदय अलीगढ़ जनपद में सिकन्द्राराऊ एक महत्वपूर्ण नगर तथा तहसील मुख्यालय है। यहां डिग्री कालेज खोलने की जनता की विशेष मांग है। वर्ष 1989 में यह डिग्री कालेज खोलने का प्रस्ताव सोसल सर्विसेज एण्ड इन्वेस्टमेंट बोर्ड से पास हो चुका है। निदेशक उच्च शिक्षा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण भी कर आये हैं। श्री गौरीशंकर हिन्दू इण्टर कालेज का प्रबन्ध समिति ने शहर के मध्य स्थित एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की भूमि निःशुल्क डिग्री कालेज की स्थापना के लिये देने का प्राविधान किया है। उच्च शिक्षा निदेशक ने अपनी संस्तुति शासन को भेज दी है परन्तु शासन द्वारा सिकन्द्राराऊ में राजकीय डिग्री कालेज खोलने का निर्णय न लिये जाने से क्षेत्रीय जनता में असंतोष व्याप्त है।

उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित कराके आवश्यक कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।)

**जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड महराजगंज के अन्तर्गत महुला-गढ़वाल बांध का निर्माण कार्य पूरा कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्ग सूचना**

*श्री दल सिंगार-

(महोदय जनपद आजमगढ़ की विकास खण्ड महराजगंज के अन्तर्गत महुला-गढ़वाल बांध लगभग 30 किलोमीटर लम्बा है। यह मार्ग इस क्षेत्र का एक प्रमुख मार्ग है। इस मार्ग की कि0मी0 0 से लेकर कि0मी0 12 तक हालत अत्यन्त खराब है। क्षेत्र के नागरिकों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और बन्धे का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं कराया गया । यह मार्ग विगत 8 वर्षों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है इस मार्ग से इस क्षेत्र के लगभग एक लाख नागरिक प्रभावित हैं। मार्ग के निर्माण न होने और बन्धे का निर्माण न होने से इस क्षेत्र की जनता में क्षोभ एवं रोष व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर तत्काल कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।)

**जनपद इलाहाबाद के झूंसी क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री महेन्द्र प्रताप सिंह -

(महोदय, इलाहाबाद जनपद के झूंसी विधान सभा क्षेत्र पेयजल की भयंकर समस्या से ग्रस्त है। झूंसी विधान सभा क्षेत्र पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र है अधिकतर कछारी

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

क्षेत्र होने के कारण जलस्तर अत्यन्त नीचे है। क्षेत्र के बहुत से कुयें अभी से सूख रहे हैं, नागरिकों में भयंकर आक्रोश है। चारों ओर त्राहि-त्राहि मची है। ग्राम बलीपुर, गोरखपुर, कमलानगर, देवापुर, बसमहुआ, थसेरुआ, अदावां, हबीबपुर, सरायशंकर सेमरा, सेमरी, थानापुर चक हुसैना, सराय हुसैना, भजई का पुरा, नरई, देवरिया सहरेपुर, कौड़रु, मनकापुरा, बदस्तदीनपुर, धमोहिया, सोहीपुर, तोठवां, कैधवल, मलखानपुर, जीजपुर, बेलवार, पहाड़ीपुर, तिवारीपुर हरिजन बस्ती, छिवया बजहां, चकिया कटियारी, रिठैया, चकचूरामन, बधवा झूंसी, हवेलिया झूंसी, कांहना, सहसों, जगवधनपुर, भवन कुइया, दोदापुर, बहादुरपुर, गोटावां, मगनापुर, प्रतापपुर, सिंकन्दरा कहार आदि ग्रामों में पेयजल की भयंकर कमी होगी ।

आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि उक्त सभी ग्रामों में हैण्ड पाइप की तुरन्त व्यवस्था कराकर पेयजल की समस्या तत्काल दूर की जाये।)

**जनपद गोण्डा के ग्राम कमरपुर में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री मोहम्मद हसन-

(महोदय, आपके माध्यम से अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

जिला गोण्डा के सादुल्लानगर से मिले हुये ग्राम कमरपुर में अभी तक बिजली की सप्लाई नहीं हुई है। जबकि उसके आगे और उक्त ग्राम के चारों तरफ बिजली की सप्लाई काफी समय पूर्व हो चुकी है। इसी गांव से होते हुये मसकनवा स्टेशन को जाने वाली सड़क पर सिनेमाहाल तथा अनेकों मुख्य स्थान होने से आवागमन 24 घंटे रहता है कई बार चोर उचक्कों द्वारा कई घटनायें हो चुकी हैं।

अतः मांग करता हूं कि उक्त ग्राम में और उक्त सड़क पर कम से कम 5 [illegible]0मी0 तक बिजली पहुंचाने की शीघ्र व्यवस्था कराई जाय ।)

**जनपद रामपुर के विकास खण्ड शाहाबाद के कतिपय गांवों के निवासियों के नाम आई0आर0डी0 तथा स्पेशल कम्पोनेंट योजनाओं के तहत स्टेट बैंक शाखा ढकौली के अधिकारियों द्वारा फर्जी ऋण निकालने की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री झाऊ लाल यादव-

(महोदय आपके ध्यान में इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं ।

जनपद रामपुर की तहसील शाहाबाद के अंतर्गत विकास खण्ड शाहाबाद के ग्राम दकिया, हिम्मतपुर, मिलकपुर खेड़ा, कूप, पैगम्बर पुर आदि के निवासियों के

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नाम आई0आर0डी0 तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट योजनाओं के तहत वर्ष 1981-82, 1982-83, 1983-84, 1984-85 में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा ढकौली के मैनेजर एवं डीलरों ने मिलकर पंपिंग सेट, डनलप, भैंस, बैल आदि विभिन्न मदों में आधी छूट पर लगभग 500 लोगों के नाम से लाखों रुपये फर्जी ऋण निकाल लिया है। जबकि इन गरीबों ने ऋण लिया ही नहीं। इन गरीबों को तब पता चला, जब इनके विरुद्ध बैंक ने ऋण वसूली के लिये 91-92 में आर0सी0 जारी कर दिया। तहसील के अमीन इन गरीबों को बन्द कर रहे हैं, और उनके जानवरों, मकान तथा भूमि को नीलामी कर बेघरबार कर रहे हैं। इस भय से असहाय निर्बल लोग गांव छोड़कर इधर उधर भाग रहे हैं। वहां की जनता में भय आतंक एवं रोष का वातावरण व्याप्त हो गया है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि अविलम्ब वसूली रोकी जाय तथा इस मामले की सतर्कता विभाग द्वारा जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित किया जाय ।)

**जनपद बस्ती के गन्ना मिल बस्ती व वाल्टरगंज द्वारा पिछले तीन माह का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री राम ललित चौधरी-

(महोदय, मैं नियम 301 के अन्तर्गत लोक महत्व के इस प्रश्न को आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद बस्ती में गन्ना मिल बस्ती तथा वाल्टरगंज यह दोनों मिलें गन्ना किसानों के गन्ने मूल्य को रोककर उस पर ब्याज कमाने की आदी हैं। यह हरकत यह दोनों मिलें पिछले कई सालों से कर रही हैं। गन्ने के बकाया धन का ब्याज के रूप में लाभ कमा रही हैं । इस वर्ष मा0गन्ना मंत्री जी के आश्वासन के बावजूद दोनों मिलों ने माह फरवरी, से अब तक का गन्ने का मूल्य भुगतान नहीं किया है। इस बीच पैसे के अभाव में शादी ब्याह आदि के अवसर पर गन्ना किसानों की जो तबाही हुई है और हो रही है। उसका यहां विस्तार से बयान नहीं किया जा सकता सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं।

अतः मैं लोकमहत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करते हुये आग्रह करता हूं कि किसानों के गन्ने का भुगतान मिलों पर सख्ती करके अविलम्ब कराया जाय यदि वे भुगतान नहीं करती हैं तो मिलों की चीनी को सील करके उसकी नीलामी कर मिलों की चल अचल सम्पत्ति की कुर्की कर किसानों के गन्ने का मूल्य का भुगतान किया जाय।)

**जनपद इलाहाबाद के द्वाबा क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री भागीरथी-

(महोदय .जनपद इलाहाबाद का द्वाबा क्षेत्र उद्योग शून्य है जहां पर एक भी

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बड़ा उद्योग नहीं है जिससे बेरोजगारी एवं गरीबी अपनी चरम सीमा पर है नौजवान बेरोजगार सड़क पर टहलने को मजबूर हैं, किसानों का मुख्य व्यवसाय गन्ना है परन्तु चीनी मिल के अभाव में गन्ने की लागत व कीमत किसानों को नहीं मिल पा रही है गन्ना वाराणसी में चीनी मिल को भेजा जाता है परन्तु क्रय केन्द्र के अभाव में किसान दर-दर की ठोकरें खा रहा है। और शोषण का शिकार हो रहा हैं। किसान का गन्ना खेतों में खड़ा है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से मांग करता हूं कि उद्योग क्षेत्र शून्य में उद्योग की स्थापना कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।)

**मुण्डेरा बाजार चौरी-चौरा जनपद गोरखपुर में सरैंया शुगर फैक्ट्री लि0 सरदारनगर के प्रदूषित पानी से फरेन नदी के जल में प्रदूषण उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्रीमती शारदा देवी-

(मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डेरा बाजार चौरीचौरा जिला गोरखपुर में सरैयां शुगर फैक्ट्री लि0 सरदारनगर का प्रदूषित पानी कई बार लगातार फरेन नदी में गिर रहा है जिससे फरेन नदी का पानी प्रदूषित हो गया है । फरेन नदी पर स्थित तरकुलहा देवी मन्दिर पर चैत रामनवमी से एक माह तक एक विशाल मेला लगा हुआ है जहां पर लाखों लोग आदि शक्ति मां के दर्शन के लिये आ रहे हैं। इस तरह प्रति वर्ष मेला चैत के महीनें में वहां लगता है तथा लाखों लोग आदि शक्ति का दर्शन व मेला करने आते हैं । फरेन नदी 25 कि0मी0 की दूरी पर जाकर गोरी नदी में विलीन हो जाती है, इस प्रकार गोरी नदी का पानी भी गन्दा हो गया है। जो अब पशुओं व आदमियों के पीने व नहाने के लिये उपयुक्त नहीं रह गया।

फरेन नदी के दोनों तरफ 25 कि0मी0 के क्षेत्रफल में बोरो धान (चैती फसल) बोई जाती है जो शुगर फैक्ट्री के गन्दे पानी में नष्ट हो जा रही है जिससे स्थनीय किसानों को लाखों रुपये की क्षति प्रति वर्ष हो रही है । यहां तक कि जो पशु उक्त नदी का पानी पी ले रहे हैं। संक्रामक रोग से पीड़ित होकर मरते जा रहे हैं । प्रदूषित पानी के कारण मच्छरों का प्रकोप बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है जिससे क्षेत्र में इन्सेफेलाइटिस जैसी बीमारी उत्पन्न हो रही है। शुगर फैक्ट्री की चिमनी से 20 कि0मी0 तक काले रंग के छोटे-छोटे कण हवा में उड़कर खाने की सामग्री मिठाई, चाय आदि में गिर जाते हैं, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। जल प्रदूषण

---

नोटः-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से लाखों रुपये की मछलियां मर जा रही हैं । प्रदूषण अधिकारी, गोरखपुर उक्त फैक्ट्री मालिकों से बंधी बंधायी रकम लेते हैं इसलिये वे मौन धारण किये हुये हैं, कोई भी कार्यवाही उनके विरुद्ध प्रदूषण विभाग द्वारा नहीं की जाती है ।

फरेन नदी के करीब 30 कि0मी0 की परिधि में जब हिन्दू समुदाय के लोग मरते हैं तो उन्हें फरेन नदी के किनारे ही जलाया जाता है। हिन्दू संस्कृति के अनुसार लाश में आग लगाने के पहले जो आदमी लाश में आग लगाता है वह शुद्ध जल में स्नान करके नया वस्त्र धारण करके आग लगाता है परन्तु फरेन नदी पर कहीं नहाने धोने के योग्य जल नहीं है जिससे मृतक आदमी की लाश जलाने वाले व्यक्तियों को काफी दूर दराज से पानी लाकर नहा धोकर लाश जलाना पड़ता है। स्थिति बहुत भयंकर होती जा रही है। जनता में सरकार व सुगर फैक्ट्री के विरुद्ध काफी रोष व असन्तोष फैल रहा है । अतः माननीय अध्यक्ष जी, मैं ऐसे गम्भीर अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले को आपके संज्ञान में लाते हुये शासन से मांग करती हूं कि सरैया शुगर फैक्ट्री के मालिक के ऊपर तथा संबंधित प्रदूषण अधिकारियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जाये जिससे लाखों व्यक्तियों, पशुओं की जिन्दगी प्रदूषण से बच सके तथा पच्चीसों किलोमीटर की दूरी के क्षेत्रफल में फसल उगाई जा सके ।)

**जनपद बदायूं के दातागंज क्षेत्र में रामगंगा नदी के किनारे कतिपय गांवों की उपजाऊ भूमि में भागा (टांट) घास उगने से हजारों एकड़ भूमि की बर्बादी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री अवनीश कुमार सिंह -

(महोदय माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

विधान सभा क्षेत्र दातागंज जनपद बदायूं में राम गंगा नदी के किनारे बसे लगभग 30 ग्रामों जैसे नगरिया, खून, मौजमपुर, गढ़िया, शाहपुर, नवाब बदन, हररामपुर, मलूकपुर आदि ग्रामों में रामगंगा नदी की बाढ़ के कारण वहां की उपजाऊ भूमि में भागा (टांट) घास से उग आयी है जिसके कारण 1000 एकड़ भूमि खेती योग्य नहीं है। आर्थिक कमी के कारण वहां के काश्तकार उक्त भूमि से इस घास को समाप्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण यह उपजाऊ भूमि बेकार पड़ी है। अतः वहां के कृषकों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी है ।

आपके माध्यम से मैं शासन से मांग करता हूं कि इस भागा (टांट) घास की तुरन्त सफाई के लिये वहां के कृषकों को आर्थिक वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाये अथवा भूमि संरक्षण विभाग द्वारा इन लगभग 30 ग्रामों की बेकार पड़ी भूमि को इस घास से छुटकारा दिलाने के लिये युद्धस्तर पर सफाई कराने के शीघ्र निर्देश दिये जायें ।)

---

नोटः -) ( यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

**जनपद फैजाबाद के कल्याण पुर छिसौना (आगागंज बाजार) में अनुसूचित जाति के लोगों पर हुये कातिलाना हमले के अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री राम लखन-

(मान्यवर, फैजाबाद जनपद के तारुन थानान्तर्गत कल्याण पुर छिसौना (आगागंज बाजार) में 6 अप्रैल, 1992 को सामन्तों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों पर हुये कातिलाना हमले में एक महीने से अधिक बीत जाने के बावजूद अभी तक अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने से अनुसूचित जातियों पिछड़े वर्गों व अल्पसंख्यकों में भय व्याप्त है।

तारुन थाने में अपराध संख्या 59/92, धारा 147, 148, 149, 323, 306, 506 आई0पी0सी0 व अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अध्यादेश के तहत मामला दर्ज हुआ है। अभियुक्त खुले आम घूम रहे हैं, और अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के लोगों को धमका रहे हैं। पुलिस अभियुक्तों से मिली है। इसलिये गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। पुलिस मामला हल्का करने में भी लगी है ।

कमजोर वर्गों के लिये आगागंज से ग्रामसभा की आवंटित भूमि में अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के लोगों को सामंत उजाड़ना चाहते हैं। यह सामंत उस भूमि पर अवैध कब्जा कर लिये हैं ।

आपकी अनुमति से यह मामला सदन में सरकार से संज्ञान में लाकर उक्त मामले के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करता हूं।)

**जनपद पीलीभीत में पीलीभीत नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से गन्दगी एवं बीमारियों के फैलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री सोमांश प्रकाश-

(महोदय उपरोक्त विषय के संबंध में (पीलीभीत में प्रशासनिक असहयोग के फलस्वरूप अस्त व्यस्त सफाई व्यवस्था के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण की सूचना) के संबंध में निम्नलिखित ध्यानाकर्षण की सूचना दे रहा हूं ।)

लगभग विगत 35 दिन से पीलीभीत नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के फलस्वरूप पूरे नगर में गंदगी का साम्राज्य फैल गया है। नगर में पड़े विशाल कूड़े के ढेरों से भीषण दुर्गन्ध तो व्याप्त है ही तरह-तरह की बीमारियां जैसे हैजा इत्यादि भी फैल गयी हैं। कई नागरिक हैजे का शिकार हो चुके हैं, नगरपालिका अध्यक्ष ने सफाई के लिये दिहाड़ी मजदूरों की व्यवस्था करवायी थी परन्तु भा0ज0पा0 के स्थानीय विधायकों के दबाव में जिला प्रशासन ने उन मजदूरों

---

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की सुरक्षा व्यवस्था देने से मना करके तथा उनको देय मजदूरी के भुगतान में अड़ंगे लगाकर उसे फेल कर दिया है। जहां आम नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ी ऐसे महत्वपूर्ण मामले में जिला प्रशासन को पूरा सहयोग देना चाहिये था वहां ऐसे असहयोग पूर्ण एवं गलत रवैये के फलस्वरूप जन-स्वास्थ्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ के कारण नागरिकों में भीषण रोष व्याप्त है। नागरिकों की धारणा है कि नगरपालिका अध्यक्ष को उनके पद से बर्खास्त करने हेतु ही जिला प्रशासन ऐसी भूमिका बना रहा हैं ।

अतः शासन से मांग करता हूं कि जिला प्रशासन इस महत्वपूर्ण समस्या को हल करने के लिये नगरपालिका के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हर संभव सहयोग प्रदान करें ।)

**जनपद लखीमपुर (खीरी) के राजकीय अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क दवा एवं उपचार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री निर्वेन्द्र कुमार-

(महोदय आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं कि मेरे जनपद खीरी लखीमपुर में राजकीय अस्पतालों में निःशुल्क दवा एवं निःशुल्क उपचार मरीजों का नहीं हो रहा है जबकि शासन से इस संबंध में काफी धनराशि आवंटित की गयी है ।

इसलिये विवश होकर दिनांक 18-5-92 को जिला मुख्यालय लखीमपुर (खीरी) में आमरण अनशन करने के लिये बाध्य हुआ हूं।

ऐसी दशा में मेरी जान की सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन की होगी।

अतः अति शीघ्र उच्च स्तर से जांच कराकर मरीजों को निःशुल्क दवा एवं उपचार कराने की व्यवस्था करायी जाय ।)

**विद्युत विभाग बांदा में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री राम सेवक सिंह-

(मान्यवर, उपरोक्त विषय से आपको अवगत करवाना चाहता हूं कि बांदा जनपद के विद्युत विभाग के अधिशासी अभियन्ता श्री आर0एस0 राजपूत के द्वारा भारी अनियमिततायें की जा रही हैं। इस संबंध में माननीय विधायक बांदा श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी जी ने माननीय ऊर्जा मंत्री जी को दिनांक 8-3-92 को पत्र संख्या क 253808 के द्वारा अवगत करवाया था। जिसकी फोटो कापी संलग्न है।

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अतः संलग्न फोटो कापी में उल्लिखित सभी तथ्यों की उच्चस्तरीय जांच करने हेतु शासन को निर्देश देने का कष्ट करें ।)

**जनपद बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद में उ0प्र0 औद्योगिक निगम द्वारा भूमि बिना अधिग्रहण किये तथा बिना प्रतिकर दिये औद्योगिक इकाइयों को बेचने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री नरेन्द्र सिंह भाटी-

)महोदय जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में उ0प्र0 औद्योगिक निगम किसानों की जमीन को बिना अधिग्रहीत किये तथा बिना प्रतिकर दिये औद्योगिक इकाइयों को बेच रहा है। ग्राम सभाओं की भूमि पर भी सिकन्दराबाद औद्योगिक इकाइयों बिना प्रतिकर दिये कब्जा कर रही है। ग्राम सभा कतलबेगमपरु तहसील सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर की खसरा संख्या 509/2 रकवई 0-09-10 का अधिग्रहण उ0प्र0 राज्य औद्योगिक निगम ने अपनी अधिसूचना संख्या 704 म 3/18-91, 604 म/71 दिनांक 27-3-72 को किया गया उपरोक्त भूमि पर बलात् कब्जा करने का क्या औचित्य है। यह भी सही है कि उपरोक्त भूमि राज्य औद्योगिक निगम सिकन्दराबाद में यू0पी0 ट्यूना फाइबर ग्लास को बेंच दी है। भू-स्वामी के अधिकारों का हनन किन कारणों से किया गया है। दूसरे उ0प्र0 राज्य औद्योगिक निगम द्वारा अधिग्रहीत जमीन पर बनी बायाफूड लि0 ने ग्राम सभा सामली व ग्राम सन्ना, सलेमपुर कायस्थ की ग्राम समाज की लगभग 5 बीघा पुख्ता जमीन पर चहारदीवारी कराकर अपने कब्जे में ले लिया है। जिस पर यू0पी0एफ0सी0 द्वारा ऋण लेने की कोशिश भी की जा रही है। किसानों के अधिकारों का हनन हो रहा है। मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि उपरोक्त वर्णित जमीन किसानों व ग्राम सभा को सौंप दी जाय ।)

**ग्राम नगरिया खुर्द शाहजहांपुर में विश्व बैंक द्वारा निर्मित नलकूप की मरम्मत एवं विद्युत व्यवस्था ठीक किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री बनवारी सिंह-

)मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि ग्राम नगरिया खुर्द ब्लाक जैतीपुर जनपद शाहजहांपुर में विश्वबैंक योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूप संख्या 58 तार कटिंग तथा पोलों के गिर जाने के कारण फरवरी, 1991 से बन्द है तब से आज तक विद्युत लाईन की मरम्मत नहीं कराई गयी। नलकूप बन्द होने के कारण किसानों की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। खेतों में सिंचाई के अभाव में फसल नहीं हो पा रही है।

---

नोटः-) ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अतः सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुये मांग करता हूं कि संबंधित नलकूप की विद्युत लाइन तत्काल ठीक कराने हेतु शासन को निर्देशित किया जाय ।)

**जनपद इटावा के ग्राम पुरवा भवानी मौजा हरचन्द्रपुर में भीषण अग्निकाण्ड से पीड़ित परिवारों को राहत देने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री धनीराम वर्मा-

(हमारे निर्वाचन हेतु क्षेत्र विधूना के ग्राम पुरवा भवानी मौजा हरचन्द्रपुर तहसील विधूना जनपद इटावा में जो पूरा का पूरा गांव हरिजनों का है, में 6 मई, 1992 को किन्हीं अज्ञात कारणों से भीषण अग्निकाण्ड हुआ जिससे समूचा ग्राम जलकर नष्ट हो गया। 50 परिवार तो ऐसे हैं जिनके पास खाने एवं पहनने के लिये व उनके जानवरों को खिलाने के लिये कुछ भी नहीं बचा है। सरकार ने राहत के नाम पर केवल 300 रुपये प्रति परिवार सहायता दी है जो ना के बराबर है जिससे ग्रामवासी अत्यन्त दुखी एवं निराश हैं और सरकार के प्रति रोष एवं क्षोभ है।

मैं इस लोक महत्व के अविलंम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि पीड़ित परिवारों को अविलम्ब 5000 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से सहायता दी जाये एवं उनके मकान बनाने हेतु 10 हजार रुपये प्रति परिवार के हिसाब से सहायता देते हुये उनके जानवरों के चारे की भी व्यवस्था की जाये जिन लोगों की बकरियां जलकर मर गई हैं, उन्हें सहायता प्रदान की जाय।)

**जनपद रायबरेली के हलोर तिलेण्डा मार्ग की मरम्मत कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री शिव दर्शन-

(माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से विधान क्षेत्र संख्या 107 बछरावां जिला रायबरेली स्थित हलोर तिलेण्डा मार्ग की दुर्दशा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हुआ यह कहना चाहता हूं कि उक्त मार्ग घोर पिछड़े एवं हरिजन बाहुल्य ग्रामों को जोड़ता है। इस मार्ग पर लगभग 22 ग्राम पड़ते हैं, तथा आस-पास के सभी लगभग 50 पिछड़े ग्राम लाभान्वित होंगे । यह मार्ग ग्राम्य विकास अभिकरण रायबरेली द्वारा 1984 में बनकर तैयार हुआ था जिसके लगभग 9 कि0मी0 भाग पर पत्थर सोलिंग है। शेष कच्चा पड़ा हुआ है। इस मार्ग के लगभग सभी जल निकास (पुल पुलिया) बन चुके हैं। किन्तु मार्ग पर लेपन के अभाव में आवागमन की सुविधा कठिन हो रही है । अस्तु आपसे अनुरोध है कि उक्त मार्ग का लेपन कराने संबंधी निर्देश सरकार को देकर जन सुविधा उपलब्ध करायें ।)

**शासन के औषधि क्रय नीति, समस्त लघु उद्योग औषधि की इकाइयों के हितों के विपरीत होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री सतीश भाटिया-

(मान्यवर, निवेदन है कि शासन की जनवरी, 1992 में जारी की गयी

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

औषधि क्रय नीति प्रदेश की समस्त लघु उद्योग औषधि इकाइयों के हितों के विपरीत है। पुरानी क्रय नीति के अनुसार क्रय प्रणाली सुचारु रूप से बिना कठिनाई एवं प्रदेश की लघु उद्योग औषधि इकाइयों के हितों को सुरक्षित रखते हुये चल रही थीं तो उसको क्यों बदला गया ? अतः आपके माध्यम से मैं यह चाहूंगा कि पुरानी नीति जिसके आधार पर प्रदेश की लघु उद्योग औषधि इकाइयों के फार्मूले क्रय किये जाते रहे हैं उसे पुनः लागू करवाना सुनिश्चित करने की कृपा करें। क्योंकि इस मामले में वर्ष 1986 में कांग्रेस सरकार के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एक समझौता भी हुआ था, जिसके अनुसार स्वास्थ्य विभाग के केन्द्रीय औषधि भंडार द्वारा की गयी क्रय का 40 प्रतिशत प्रदेश की लघु उद्योग औषधि इकाइयों के लिये सुरक्षित किया गया था तथा शेष 10 प्रतिशत मल्टीपेंशनल कम्पनियों एवं 50 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिये सुनिश्चित कर दिया गया था । कृपया पुरानी नीति लागू करने हेतु शासन को निर्देश देने की कृपा करें। इस संबंध में उ0प्र0 औषधि निर्माण संघ द्वारा एक ज्ञापन स्वास्थ्य सचिव को दिनांक 11-5-92 को दिया जा चुका है। शासन को उक्त ज्ञापन पर लिये गये निर्णय से सदन को अवगत कराने के निर्देश भी देने की कृपा करें ।)

**जनपद फिरोजाबाद में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के निरस्तीकरण व आवंटन में गम्भीर अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना**

*श्री ओम प्रकाश दिवाकर-

(जनपद फिरोजाबाद में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के निरस्तीकरण व आवंटन में गम्भीर अनियमिततायें बरती जा रही हैं। पुराने लाइसेंसधारी जिनमें विकलांग, अनुसूचित जाति, पर्दानसीन महिलायें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भू0पू0 सैनिक आदि सम्मिलित हैं ।

जिलास्तर पर ए0डी0एम0 (प्रशासन) की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर उक्त पुराने लाइसेंसों को (संख्या 45) निरस्त कर दिये गये हैं। राजनैतिक आधार पर सूची बनाकर इन लाइसेंसों को भरने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक की सांठ गांठ से कुछ पुराने लाइसेंसधारियों को सुरक्षित किया गया है। जिन लोंगों ने उक्त निरीक्षक को आर्थिक रूप से लाभान्वित नहीं किया, उन्हीं लोगों के लाइसेंस निरस्त किये गये हैं, जिससे जनसाधारण में रोष व्याप्त है।

सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये मांग करता हूं कि इस गम्भीर प्रकरण की गहराई से तत्काल जांच कराकर कार्यवाही करें।)

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

**जनपद जालौन में बेतवा नहर प्रणाली टेल क्षेत्रों में रबी की फसलों के सूखने के कारण राजस्व बकाये की वसूली रोके जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री श्रीराम (जालौन) -

(मान्यवर, जनपद जालौन में बेतवा नहर प्रणाली के टेल क्षेत्र खण्ड विकास कटौरा, महेबा एवं कठौद क्षेत्रों की हजारों हेक्टेयर भूमि में खड़ी रबी की फसलों को पलेका के बाद सिंचाई हेतु नहरों का पानी उपलब्ध नहीं हुआ, जिसके कारण फसलें प्रायः सूख गयी । किसानों ने जितना अनाज बोया था उतना पैदा नहीं हुआ। इन क्षेत्रों का किसान बुरी तरह तबाह होकर भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है, इसके बावजूद तहसील कालपी तथा तहसील जालौन के अंतर्गत आने वाले उक्त क्षेत्रों में राजस्व के बकाये की वसूली, फसली ऋण, आई0आर0डी0, भूमि विकास बैंक तथा सहकारी समितियों के ऋण की वसूली उत्पीड़क कार्यवाही करके की जा रही है। किसानों को बेइज्जत किया जा रहा है, किसानों को जेलों में बन्द किया जा रहा है। यह भी ज्ञात हो कि जनपद जालौन में सरकारी आतंकवाद व उत्पीड़न के कारण कई दशकों से लोग मजबूरन डकैत बनते आ रहे हैं, ऐसी भीषण अकाल जैसी परिस्थितियों में अगली फसल आने तक राजस्व बकाये की वसूली रोका जाना आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के अत्यन्त गम्भीर समस्या को सदन में उठाने की अनुज्ञा प्रदान करके चर्चा कराकर तत्काल वसूली रोके जाने की व्यवस्था देने का कष्ट करें।)

**समादेश क्षेत्र विकास परियोजना, इकाई शाहजहांपुर के उपराजस्व अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री अखिलेश -

(मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अति महत्वपूर्ण सूचना लाना चाहता हूं कि किसानों के हितों की सरक्षा एवं समृद्धि हेतु शारदा सहायक समादेश की स्थापना की गयी थी किन्तु आज यह समादेश शासन एवं सरकार पर कलंक बन गया है। समादेश के तमाम अधिकारियों की मनमानी एवं अनियमितताओं की जानकारी समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से आती रही है। इसके ताजा उदाहरणों में सम्प्रति समादेश क्षेत्र विकास परियोजना इकाई शाहजहांपुर के उपराजस्व अधिकारी का उदाहरण सबसे उल्लेखनीय है, शाहजहांपुर इकाई में समस्त कर्मचारियों में भयंकर रोष व असंतोष व्याप्त है उक्त इकाई में अधिकारी द्वारा की गयी गम्भीर अनियमितताओं एवं अपराधी गतिविधियों की ओर कई बार शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है। दिनांक 22-4-92 को सदन में भी गम्भीर आरोपों की ओर कई माननीय सदस्यों द्वारा शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया ।

---

नोट - ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रश्नगत परियोजना इकाई शाहजहांपुर के उप राजस्व अधिकारी के विरुद्ध सम्प्रति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 तथा 307 के केश चल रहे हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों के उत्पीड़न के केस भी ट्रिब्यूनल में लम्बित हैं । इनके विरुद्ध पूर्ति विभाग के दो लाख सत्तर हजार रुपये के गबन का केश चल रहा है। सबसे उल्लेखनीय है कि उक्त इकाई के प्रभारी के विरुद्ध जनवरी, 1992 के पत्रांक संख्या 800/30-192 द्वारा कार्यदृष्टि तो दी गयी है किन्तु इस पर उक्त प्रभारी द्वारा अपनी शातिराना हरकतों द्वारा उच्च अधिकारियों को गुमराह कर एवं समर्वित कर संरक्षण प्राप्त कर लिया है। उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त होने की धौंस समय-समय पर अब अपने अधीनस्थ एवं समकक्ष लोगों को देना एक शगल बना रखा है।

अस्तु मेरा आपसे निवेदन है कि सम्पूर्ण प्रकरण पर जांच उच्च अधिकारियों के माध्यम से कराकर 4 महत्वपूर्ण चार्जशीट पर आवश्यक कार्यवाही को क्रियान्वित कराया जाय तथा ऐसे एवं शासन की छवि को धूमिल करने वाले अधिकारियों को तत्काल निलम्बित कर कठोरतम दण्ड दिया जाय जिससे शासन एवं अपने माननीय सदस्यगण तथा जन सामान्य की आस्था बनें ।)

**प्रदेश में विभागीय लेखा निदेशलाय में उच्चाधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना**

*श्री अरविन्द प्रताप सिंह -

(मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक महत्वपूर्ण लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं ।

भारत में लोकहित को ध्यान में रखकर विभागीय लेखा निदेशालय की स्थापना की गयी थी। इस समय यह निदेशालय सरकार के लिये कलंक बन गया है। पूरे निदेशालय में भ्रष्टाचार एंव घोटाले का बोलबाला है। यहां उच्च अधिकारियों द्वारा अनियमितताओं एवं मनमानी की कहानी आम हो गयी है। उदाहरण के लिये निदेशालय में प्रतिनियुक्तियों की कुछ बातें ही भयंकर आक्रोश का कारण बन गयीं हैं। उच्चाधिकारियों द्वारा अपने चहेतों जिनका वह अपने मनमाने तरीके से प्रयोग कर सकें, को पहले प्रतिनियुक्ति पर लिया गया है और अब उन्हें निदेशालय में ही बिना वित्त विभाग की सहमति तथा बिना विभागीय वरिष्ठता सूची जारी किये विभागीय कर्मियों के हितों पर कुठाराघात कर संविलीनीकरण करके स्थायी पदों पर नियुक्त किया जा रहा है निदेशालय कर्मियों के लिये प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर इन प्रतिनियुक्ति पर आये व्यक्तियों को स्थाईकरण का पदस्थ किया जाना शासनादेश का खुला उल्लंघन है, जो कि निदेशालय की स्थापना के समय विभागीय लोगों के भविष्य को दृष्टिगत रखकर जारी किये गये थे।

---

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यहीं नहीं वरन् शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेशों का खुला उल्लंघन कर भी प्रतिनियुक्ति पर आये नि:संवर्गीय कर्मियों को उनके मूल विभाग द्वारा बार-बार वापसी का अनुरोध किये जाने के बावजूद भी उन्हें निदेशालय के विभागीय कर्मियों के हितों के साथ कुठाराघात कर स्थाई कर सविलीनीकरण किया जा रहा है। इन परिस्थितियों के कारण विभागीय लेखा निदेशालय में भयंकर आक्रोश एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है ।

अस्तु मेरी आपसे स्पष्ट मांग है कि शासन इस ओर तत्काल ध्यान देकर मनमानी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर उक्त अनियमितताओं पर तत्काल स्पष्ट पाबन्दी लगायें और प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी हो जाने वाले कर्मियों को तत्काल उनके मूल विभागीय ज्येष्ठता सूची निर्मित कर स्थाईकरण आदि की प्रक्रिया पूरी करें। जिससे सम्पूर्ण निदेशालय में व्याप्त असंतोष समाप्त हो और शासन की छवि धूमिल न हो ।)

**स्वास्थ्य विभाग की विद्युत यांत्रिक अभियन्त्रण सेवाओं में व्याप्त अनियमितताओं को दूर करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री श्याम बिहारी सिंह -

(मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग की अभियन्त्रण सेवाओं मे सुधार हेतु विधायकों की शिकायतों एवं सुझावो के निराकरण हेतु लोक महत्व के विषय पर मैं सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।

विभाग की सिविल विद्युत यांत्रिक अभियन्त्रण सेवाओं में गम्भीरतम् अनियमितताओं एवम् अव्यवस्थाओं से अभियंत्रण अधिकारियों/कर्मचारियों में अशान्ति व रोष व्याप्त है। कर्मचारी संगठनों एवं इंजीनियर्स एसोशियेशन द्वारा तथा अनेक विधायकों द्वारा विद्युत यांत्रिक वर्ग की कार्यशालाओं का पुर्नस्थापन 15-20 वर्षों से एक ही पद पर जमे अभियन्ताओ के स्थानान्तरणों, सांठ-गांठ के आधार पर पूर्व में अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर बुलाये गये अभियन्ताओं को 5 वर्ष से अधिक न रखने अपरिहार्य हो तो नियमानुसार ही प्रतिनियुक्ति पर अन्य व्यक्तियों को बुलाने एवम् प्रतिनियुक्ति वालों को प्रतिनियुक्ति पर लखनऊ से बाहर तैनाती तथा लखनऊ में उनकी अधिकतम 3 वर्ष की तैनाती सुनिश्चत करके उपलब्ध एवम् इच्छुक विभागीय व्यक्तियो को विभाग में वर्षों से रिक्त पड़े पदों पर प्राथमिकता पर तैनाती, परिवहन सेल बरेली एवं लखनऊ में डाक्टरों की सहायक परिवहन अभियंता एवम् सहायक निदेशक परिवहन पदों पर भी तैनाती को समाप्त करने, आर्थिक भ्रष्टाचार समाप्त करने व अन्य विषयों पर विधायकों द्वारा वर्ष 1992 में प्रेषित पत्रों पर प्रभावी जांच कार्यवाही करने और शासन द्वारा महानिदेशालय की आख्या प्राप्ति हेतु पत्रों/शिकायतों को भेजने की दिखावटी औपचारिकता द्वारा उन्हें लम्बे समय के लिये रद्दी की टोकरी में डालने पर समुचित कार्यवाही करने सदन को अवगत कराया

---

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाय। क्या स्थानान्तरण जैसे प्रकरण पर विधायक के पत्र 30-8-91 एवं 27-9-1991 की मांग के अनुसार तथा स्वतः अपेक्षित स्थानान्तरण सत्र से पहले मंत्री स्तर पर बैठक न करके महानिदेशालय की आख्या इस सरकार के कार्यकाल के अन्तिम वर्ष 1996 के पूर्व मुख्य मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री को पहुंचेगी ? विधायक गण श्री स्वामीनाथ यादव, श्री रमेश यादव, श्रीमती शकुन्तला देवी, श्री चरन सिंह, श्री महेन्द्र जैन आदि द्वारा 1992 में प्रेषित पत्रों के तथ्यों को सदन एवम् मुख्य मंत्री/स्वास्थ्य मंत्री के संज्ञान में अविलम्ब लाया जाय तथा प्रकरणों पर निर्णय कार्यवाही से सदन को अवगत कराया जाय ।)

**जनपद टिहरी गढ़वाल में गूलर गजा मोटर मार्ग के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा कराने के सम्बन्ध में, नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री मातवर सिंह कण्डारी-

(मान्यवर, जनपद टिहरी गढ़वाल में गूलर गजा मोटर मार्ग का निर्माण विगत 15 वर्षों से अधर में लटका हुआ है। इस मोटर मार्ग का निर्माण होना नितांत आवश्यक है। यदि यह मोटर मार्ग बन जाता है तो लगभग 25 ग्राम सभाओं की 35000 जनता को यातायात की सुविधा मिल पायेगी ।

वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग, टि0ग0वन भूमि का प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु नहीं भेज रहा है।

मेरा अनुरोध है कि लोक निर्माण विभाग एवं वन विभाग को आवश्यक निर्देश दिये जावें कि उक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का प्रस्ताव शासन को तुरन्त भेज दिया जाय ।)

**ताल सलोना पम्प कैनाल आजममगढ़ के अजमतगढ़ की नाली एवं पम्प की खराबी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री नरेन्द्र सिंह-

(मान्यवर, आजमगढ़ जनपद के अजमतगढ़ ग्राम में ताल सलोना नहर की नाली जर्जर हो गयी है, जिससे भारी मात्रा में पानी बह कर आस-पास के खेतों को डुबा देता है। जिससे पम्प व मोटर आये दिन खराब रहते हैं जिसके कारण नहर प्रायः बन्द रहती है । पम्प उसी समय के हैं, जबकि नहर बनी है । जिससे वह भी जर्जर हो गये हैं। इसके अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही नहर बन्द रहने को और मजबूर कर देती है। जिससे नहर क्षेत्र की फसलें प्रायः बरबाद हो जाती है। और जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से ताल सलोना नगर अजमतगढ़ की नाली एवं नहर चलवाने की व्यवस्था करने की मांग करता हूं।)

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

**जनपद आजमगढ़ के जीयनपुर कस्बे के पास-आजमगढ़ गोरखपुर राजमार्ग पर औद्योगिक आस्थान विकसित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री अंगद सिंह यादव-

(महोदय पूर्वांचल स्वतः पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उसमें आजमगढ़ जनपद और भी पिछड़ा हुआ है। जिसमें बाढ़ से प्रभावित सगड़ी विधान सभा क्षेत्र सभी दृष्टियों से पिछड़ा हुआ है। इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिये तथा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये आजमगढ़ गोरखपुर राजमार्ग पर स्थित जीयनपुर में औद्योगिक आस्थान विकसित करने से कुछ हद तक सहूलियत मिल सकती है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आजमगढ़ गोरखपुर राजमार्ग पर स्थित जीयनपुर से उत्तर औद्योगिक आस्थान विकसित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये । सधन्यवाद ।)

**जनपद आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्र में राज्य सेक्टर से स्वीकृत सड़कों हेतु धन अवमुक्त कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री भागवत पाल-

(महोदय, आजमगढ़ जनपद के सगड़ी विधान, सभा क्षेत्र में कई सड़कों का अधिकतर भाग जिला सेक्टर से स्वीकृत हुआ है। तथा अवशेष भाग राज्य सेक्टर से स्वीकृत हुआ है। जिला सेक्टर से स्वीकृत भाग तो बनकर पूर्ण हो गया । परन्तु बीच का अवशेष भाग जो राज्य सेक्टर से स्वीकृत है अभी तक धन न मिलने के कारण छूटा हुआ है। जिसके कारण सड़क अधूरी बनकर पड़ी हुई है। विधान सभा क्षेत्र सगड़ी में राज्य सेक्टर से स्वीकृत सभी सड़कों पर लगभग 60% से 90% तक कार्य जिला योजना एवं अन्य मदों से पूर्ण किया जा चुका है। परन्तु राज्य सेक्टर का स्वीकृत भाग धन अवमुक्त न होने के कारण अधूरा पड़ा है। जिससे जनता को आवागमन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से विधान सभा सगड़ी क्षेत्र आजमगढ़ में राज्य सेक्टर से स्वीकृत सड़कों के अवशेष भाग बनवाने हेतु तत्काल माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से धन अवमुक्त करने की मांग करता हूं । सधन्यवाद ।)

**जनपद वाराणसी में दर्जनों अभियन्ताओं के निलम्बन तथा वैकल्पिक विद्युत कर्मचारियों के भुगतान के राज्य विद्युत परिषद् द्वारा रोक दिये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना**

*श्री श्याम देव राय चौधरी-

(मान्यवर, सन् 1987 से "वेसू" के वैकल्पिक कर्मचारियों तथा अन्य कार्य हेतु फार्म 28 पर भुगतान किया जाता रहा है। इस संबंध में अधिकारियों द्वारा

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बराबर परिषद् को अवगत कराया जाता रहा है। लेकिन परिषद् ने कभी भी एतराज नहीं किया और न ही पत्राचारों का उत्तर ही दिया । सभी खर्चों का बराबर आडिट होता रहा । उसमें भी कभी विपरीत रिपोर्ट न दिये जाने से यह प्रथा जारी रही। इधर एकाएक अभियन्ताओं के निलम्बन तथा वैकल्पिक कर्मचारियों को भुगतान रोक दिये जाने से "वेसू" का दैनंदिन कार्य प्रभावित होने लगा है। अभियंताओं तथा कर्मचारियों द्वारा विरोध में हड़ताल सम्भावित है जिससे वाराणसी की जनता को गम्भीर बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा जो असहनीय होगा।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय को हल किये जाने हेतु परिषद् को निर्देशित किये जाने की मांग करता हूं ताकि इस भयंकर गर्मी में जनता को बिजली पानी के गम्भीर संकट से बचाया जा सके ।)

**जनपद देहरादून के लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना से प्रभावित परिवारों को भूमि एवं सम्पत्ति संबंधी बकाये का भुगतान न किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री मुन्ना चौहान-

(मान्यवर, जनपद टिहरी देहरादून में निर्माणाधीन लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना के लिये ग्रामीणों की जो कृषि भूमि तथा सम्पत्ति ली गयी है, उसके प्रतिकर का समुचित भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। ग्रामीणों के कई अन्य वलेम भी लम्बित पड़े हुये हैं, जिसके बारे में प्रभावित लोगों ने सिंचाई विभाग तथा शासन को अनेक बार प्रतिवेदन दिये हैं, परन्तु प्रभावित लोगों की समस्याओं का कोई समाधान आज की तारीख तक नहीं किया गया। सिंचाई विभाग प्रशासन का लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना प्रभावित क्षेत्र संघर्ष समिति के साथ अनेक बिन्दुओं पर हुये समझौतों को भी प्रभाव में नहीं लाया गया है।

यहां पर यह भी बताना आवश्यक है कि इस परियोजना की स्वीकृति के समय जब उ0प्र0 सरकार द्वारा भारत सरकार के मानव संसाधन विकास तथा पर्यावरण मंत्रालयों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिये थे, उस समय उ0प्र0 सरकार द्वारा भारत सरकार को यह अन्डरटेकिंग दी थी कि लखवाड़ व्यासी बांध परियोजना के प्रभावित परिवारों को वह सभी सुविधायें दी जायेंगी, जो टिहरी बांध परियोजना के प्रभावितों को देय हैं, परन्तु इसका पालन नहीं किया गया और आज भी लखवाड़ व्यासी बांध परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को टिहरी बांध परियोजना में देय सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। जिसके कारण प्रभावित परिवारों के सामने गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। मैं इस विषय को सदन के संज्ञान में लाकर तुरन्त कार्यवाही की मांग करता हूं।)

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

**वाराणसी शहर एवं देहाती क्षेत्रों में भय और आतंक व्याप्त होने तथा अपराधों पर नियंत्रण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री ऊदल-

(मान्यवर, वाराणसी शहर में पिछले 6 माह से दिन दहाड़े हत्या लूट बम फटने की घटनाओं से पूरे शहर के व्यापारियों एवं आम नागरिकों में दहशत पैदा हो गयी है। 3 व 4 मई, 1992 को शर्राफा बाजार में दो व्यापारियों को गोली मारकर पांच किलो चांदी तथा एक लाख रुपये की लूट की गयी। तारीख 7मई, 92 को कलासंकाय, बी0एच0यू0 तथा सिंगरा थाना परिसर में बम फटा । एक व्यक्ति मारा गया । बीसों घटनायें हत्या एवं लूट की व बम की पिछले 6 माह के अन्तर्गत हुयीं इसी तरह देहाती क्षेत्रों में हत्याओं तथा लूट में पिछले वर्ष की अपेक्षा 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । जिले की पुलिस अपराधों पर नियंत्रण करने में असफल साबित हुयी है। उल्टे पुलिस का जुल्म आम नागरिकों के ऊपर बढ़ता जा रहा है। फर्जी मुकदमें लिखने तथा सही रिपोर्ट दर्ज न करने से व्यापक असंतोष व्याप्त है। पता चला है कि वाराणसी के एस0एस0पी0 बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं, लेकिन नीचे एस0पी0, सी0ओ0 चंदौली तथा अन्य अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा ठीक से अपराधों पर नियंत्रण नहीं किया जा रहा है। शहर में रोजाना धरना प्रदर्शन पुलिस के खिलाफ किया जा रहा है। अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार तथा सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और सरकार से 6 माह के अपराधों की समीक्षा करने और अपराधों पर नियंत्रण करने की मांग करता हूं ।)

**जनपद बांदा के ब्लाक चित्रकूट के अन्तर्गत परसौजा भरकोरी मार्ग के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*रामप्रसाद सिंह-

(मान्यवर, जनपद बांदा अन्तर्गत ब्लाक चित्रकूट में चकला भरकोरी परसौंजा मार्ग लगभग 8 किलोमीटर है, जिसमें तीन किलोमीटर भरकोरी तक गिट्टी पड़ चुकी है शेष 5 कि0मी0 भरकोरी से परसौजा तक मिट्टी एवं गिट्टी का काम अवशेष है वर्षों से काम रुका है । आठ दस गांव के लोगों के बाजार आने-जाने तथा सीधा मार्ग है । आम जनता को आवागमन की बड़ी असुविधा है । अस्तु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सवाल की ओर सदन व आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं परसौंजा से भरकोरी मार्ग निर्माण कराये जाने के लिये शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें।)

**जनपद बांदा के कर्वी राजापुर मार्ग का अवशेष भाग को पूरा कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री इम्तियाज अहमद-

(जनपद बांदा के तहसील कर्वी के अन्तर्गत चित्रकूट (कर्वी) से राजापुर तक बहुत पुराना मार्ग है, तथा सीधा मार्ग है इस मार्ग का अधिकांश भाग बनकर गिट्टी

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पड़ चुकी हैं, परन्तु चनहट गनीबा के मध्य लगभग आठ किलोमीटर अवशेष है। पचासों गांवों के लोगों के आवागमन का सीधा मार्ग है आम जनता की बड़ी परेशानियां होती हैं।

अस्तु जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व के सवाल पर सदन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं कर्वी रामपुर मार्ग का अवशेष हिस्सा लगभग आठ किलोमीटर का निर्माण कराने के लिये शासन को निर्देशित किया जाय।)

**जनपद बांदा में ब्लाक पहाड़ी के अंतर्गत पहाड़ी कुलवारा बरेठी, व्यौहारा लोहदा मिर्जापुर मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री दीनानाथ सिंह यादव-

(जनपद बांदा के पहाड़ी ब्लाक अंतर्गत तीरघर के गांवों के लिये सीधा मार्ग नहीं है इसके लिये पहाड़ी कुलवारा व्यौहरा बरेठी लोहदा, मिर्जापुर लगभग 10 कि0मी0 मार्ग की आवश्यकता है। दर्जनों गांवों के लोगों को आवागमन की अत्यंत कठिनाई है।

अस्तु जनहित के महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सदन और शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं उक्त मार्ग के निर्माण के लिये शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें।)

**मुरादाबाद देहली रोड पर रोड मझोली पर अनुसूचित जाति के लोगों की जमीन पर अनधिकृत कब्जा रोकने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*मेजर जे0पी0 सिंह-

(मान्यवर, जनपद मुरादाबाद में देहली रोड मझोली पर मोटर ट्रेनिंग कालेज के निकट प्लाट नं0 277 278 जो कि सिल्विया ए याईकिल पत्नी श्री ए0एच0 सिंह निवासी ग्राम मझोली मुरादाबाद की भूमि है जिस पर मुरादाबाद जनपद के या जमीन माफिया श्री अरविन्द कुमार गुप्ता उर्फ जादूगर, श्री समरपाल सिंह, श्री जगराम सिंह, पूर्व विधायक, श्री एन0पी0सिंह वर्तमान सी0आई0डी0 इन्सपेक्टर आगरा, शुषमा गोयल चुन्नन, त्रिकोली व सत्य प्रकाश व अन्य गुण्डे रायफलें, बन्दूकें लेकर अवैध रूप से कब्जा कर बगैर मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की स्वीकृति प्राप्त किये भवन का अवैध निर्माण कर रहे हैं, जिला प्रशासन को 26-4-92 को श्रीमती माईकिल व क्षेत्रीय विधायक ने अवगत कराया है परन्तु प्रशासन तथा पुलिस ने कोई भी उचित कार्यवाही नहीं की है। मेरे क्षेत्र में झगड़ा हो जाने की सम्भावना है।

आपसे प्रार्थना है कि मेरे क्षेत्र में जमीन माफिया अनुसूचित व अन्य असंख्यक लोगों की जमीनों को अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रहे हैं, इन्हें तुरंत रोका जाय। बड़ी घटना घट सकती है। मुझे सदन में नियम 301 के अन्तर्गत विषय उठाने की स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।)

---

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

**जिला परिषद् मुजफ्फरनगर द्वारा सम्पर्क मार्गों को पूरी लम्बाई तक निर्मित कराने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना**

*श्री हरेन्द्र सिंह-

(मान्यवर मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान इस अति लोक हित के प्रश्न की ओर लाकर कार्यवाही की मांग करता हूं। प्रदेश के अन्दर कार्यरत जिला परिषद् अपने जनपद से ग्रामीण अंचल से नाना प्रकार के कर वसूल करती है साथ ही जिला परिषद् का यह भी दायित्व बनता है कि वह जिले के ग्रामीण अंचल में विकास कार्यों को निस्पादित करें। हमारे मुजफ्फरनगर में अभी जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। जिलाधिकारी ही जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं। 90-91 में विधान सभा क्षेत्र के बधरा में ग्रामीण जनता के हितार्थ कुछ मार्गों का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ परन्तु यह उस वित्तीय वर्ष में यह मार्ग पूरी लम्बाई तक निर्मित नहीं हुये जैसे बघरा मार्ग जिनकी वास्तविक लम्बाई 700मीटर थी मात्र 300 मीटर बन पाया फतेहपुर बन्ती खेड़ा मार्ग जिसकी वास्तविक लम्बाई 2.50 किलोमीटर थी पूरी लम्बाई तक नहीं बन पाया इसी प्रकार भैसानी इस्लामपुर से पीपलखेड़ा, सिलावर से धनैना मार्ग जो दो गाँव को सम्पर्क करने वाले मार्ग से इन ग्रामों को नहीं जोड़ पाये यही नहीं भेसावल मार्ग जिसकी लम्बाई 2 कि0 मी0 थी वह मात्र 500 मीटर बन पाया । इन मार्गों के निर्माण से क्षेत्रीय विधायक होने की वजह से मुझ से ग्रामीण जनता को जो अपेक्षा थी वह पूरी नहीं हो पायी और जिला परिषद् द्वारा इन मार्गों पर व्यय किया गया धन का भी कोई लाभ जनता को नहीं मिला पाया । यह उस समय तय हुआ था कि अब थोड़ी लम्बाई तक मार्गों का निर्माण कराया जायेगा तथा शेष वर्ष 91-92 में पूरा कर दिया जायेगा परन्तु ऐसा नहीं किया गया जबकि शासन की यह नीति है तथा व्यवहारिक भी है कि किसी मार्ग का निर्माण किया जाय तो पूरी लम्बाई तक ही किया जाये ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार के संज्ञान में इस अति लोकहित के विषय को लाकर इन मार्गों के पूरी लम्बाई तक निर्मित किये जाने के लिए क़ार्यवाही की मांग करता हूँ ।)

**श्री मदन नारायण उपाध्याय तत्कालीन चालक उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन के निधन के फलस्वरूप उनके समस्त देयों का भुगतान उनकी विधवा को कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री लीला राम शर्मा-

(मान्यवर, श्री मदन नारायण उपाध्याय, चालक के पद पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, रूद्रपुर डिपो, क्षैत्रीय प्रबन्धक, नैनीताल के अन्तर्गत कार्यरत थे । दिनांक 25-8-73 को ड्यूटी के दौरान उनका आकस्मिक निधन रुद्रपुर डिपो

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में हो गया । उस समय श्री मदन नारायण उपाध्याय का सेवाकाल 19 वर्ष पूर्ण हो चुका था । काफी लिखा-पढ़ी करने के पश्चात भी आज तक मृतक की विधवा श्रीमती गोविन्दी उपाध्याय को देय धनराशि का एक पैसा भुगतान नहीं हुआ और न ही उन्हें देय पेंशन ही दी गई है ।

अतः मैं माननीय सदन के माध्यम से माननीय परिवहन मंत्री जी का ध्यान इस तात्कालिक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करते हुए मांग करता हूँ कि स्व0 श्री मदन नारायण उपाध्याय के समस्त देयों का भुगतान उनकी विधवा को तुरन्त करवाने की कृपा करें ।)

**जनपद मेरठ के प्रस्तावित सकौती महलका मार्ग को पूरी लम्बाई तक स्वीकृति न प्रदान किये जाने से जनाक्रोश व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री विजय पाल सिंह तोमर-

(मान्यवर, मेरठ जनपद सरधना विधान सभा क्षेत्र में सकौती महलका मार्ग 2.6 कि0मी0 जिला योजना से प्रस्ताव पास कर शासन को भेजा था यह मार्ग सकौती से महलका होकर बिजनौर वाया मवाना जाता है । इतने महत्वपूर्ण मार्ग में से शासन स्तर पर 2.6 कि0मी0 काटकर केवल 0.6 कि0मी0 स्वीकृत की है। जिले के समस्त विधान सभा क्षेत्रों में करीब-करीब जिला योजना से बराबर दो सड़कें स्वीकृत कर शासन को भेजी थीं, लेकिन बिना किसी कारण केवल एक विधान सभा क्षेत्र में से 2 कि0मी0 सड़क को काटने की जानकारी जैसे ही वहाँ के निवासियों को हुई तो उसी से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया है ।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करें।)

**लघु सिंचाई विभाग में प्रतिनियुक्ति पर तदर्थ प्रभारी मुख्य अभियन्ता द्वारा की गयी अनियमितताओं एवं कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री कृष्णवीर सिंह सिरोही-

(मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व, लघु सिंचाई विभाग में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ प्रभारी मुख्य अभियन्ता द्वारा की गयी घोर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। श्री गुप्ता ने निःशुल्क बोरिंग योजना में मजदूरों, बोरिंग की सफाई का भुगतान न करा कर 10 करोड़ रुपया कमाया है। उस योजना में अच्छी किस्म का पाइप कागज पर दिखा कर बाजार के डीलरों के माध्यम से घटिया किस्म का लोहे तथा प्लास्टिक पाइप कृषकों को बोरिंग हेतु बंटवा दिया गया। इस तरह लगभग 2 लाख बोरिंग पर श्री गुप्ता ने 20 करोड़ का कमीशन कमा कर शासन को घोर नुकसान पहुंचाया है। विभाग की कार्यशाला झांसी एवं मिर्जापुर में स्थापना इत्यादि पर 10 लाख

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रुपये प्रतिवर्ष खर्च करके विभाग के उपकरणों की मरम्मत कार्यशाला से न कराकर बाजार से करवाई है। इस फर्जी मरम्मत में लगभग 10 करोड़ रुपये श्री गुप्ता ने कमाया है। जीरोक्स फोटो मशीन खरीद विशेष वेतन स्वीकृति तथा कर्मचारी के स्थानान्तरण के अधीनस्थ कर्मचारियों से मिल कर 10 लाख रुपये का नुकसान विभाग का किया है। श्री गुप्ता ने अपनी जाति के अधिकारियों को भ्रष्टाचार का बढ़ावा देकर ब्राह्मण अधिकारियों से द्वेष करके उन्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रखी है। श्री गुप्ता के विरुद्ध सिंचाई विभाग में श्री भ्रष्टचार की करोड़ों की जांच चलने के उपरान्त भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को लघु सिंचाई विभाग में किस दिलचस्पी के साथ पदस्थ किया गया है । उच्चाधिकारियों को कई बार शिकायत के उपरान्त भी इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः मैं मांग करता हूं कि श्री गुप्ता के विरुद्ध तत्काल जांच बैठाकर कार्यवाही की जाये अन्यथा शासन को इस वर्ष भी 30 करोड़ से अधिक की हानि उठानी पड़ेगी ।)

**वन विभाग में कार्यरत छोटे स्तर के कर्मचारियों को सेवामुक्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री श्याम नारायण-

(मान्यवर, वन विभाग में करीब बीस वर्षों से कार्यरत ठूठ लिपिक मास्टर बैरियर मोहिर्रर, वाचर, आदि निचले कर्मचारी आज कार्य से निकाल दिये गये हैं। कठिन परिस्थिति में वनों की रक्षा व उसमें कार्य करते रहे हैं। आज अन्यत्र उन्हें रोजगार नहीं मिल सकता । इन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण एवं जवाहर रोजगार योजनाओं से पहले वन विभाग वे वेतन मिला करता था इन योजनाओं से इनका सम्बन्ध जोड़ना उचित नहीं है । इनके परिवार भूखों मर रहे हैं। हाहाकार मचा हुआ है। तथा यह अन्दोलन पर हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर श्रीमान् का ध्यान आकृष्ट कर इन्हें तुरन्त कार्य करने का आग्रह कर रहा हूं। कृपया अपनी स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें ।)

**बाबा राघव दास कृषक इण्टर कालेज भाटपार रानी देवरिया में की गयी नियुक्तियों में जालसाजी के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री विश्राम दास-

(महोदय, बाबा राघव दास कृषक इण्टर कालेज भाटपाररानी जिला देवरिया के प्रबन्धक, प्रधानाचार्य तथा जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया की साजिश से 8 अध्यापकों की नियुक्ति दिनांक 2-1-89 को फर्जी तौर पर करके दिखाया गया है। तथा लाखों रुपया एरियर लिया गया है। जिसका निम्न सबूत है:-

जनवरी, 80 से जून, 1990 तक वेतन भुगतान रजिस्टर से ज्ञात हो जायेगा विद्यालय के 8 अध्यापक कब रिटायर हुये या छोड़ कर चले गये, इस बीच न तो एक भी अध्यापक रिटायर हुआ और न ही छोड़ कर गया । यह कहना सरासर झूठ तथा गलत है कि 1988 में अध्यापक रिटायर/छोड़कर चले गये ।

---

नोट:-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

2-आठ नियुक्त अध्यापकों में शशिन्द्र पाण्डेय का नाम है। ये इण्टर कालेज से वेतन ले रहे हैं, परन्तु इनका नाम संलग्न प्रा0पा0 में भी रखा गया था। तथा भाटपाररानी के दूसरे इण्टर कालेज मदन मोहन मालवीय के संलग्न प्रा0पा0 में भी नाम है। तीनों स्थानों पर नाम है, यह भारी जालसाजी तथा धोखा है ।

3-इस विद्यालय में छेदी प्रसाद व रत्नेश कुमार मिश्र इण्टर कालेज के आठ अध्यापकों में से हैं, वेतन ले रहे हैं, इनका नाम संलग्न प्राइमरी पाठशाला में भी है। इण्टर कालेज तथा प्रा0पा0 के दोनों रिट में नाम है दो जगह रिट में इनका नाम कैसे हो सकता है। यह भी जाल बट्टा किया गया है।

4-सन् 1989 में अध्यापकों की वरिष्ठता, सूची बनी, जिस पर तत्कालीन प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर किया। यह सूची जुलाई में बनी तथा जनवरी, 89 में आठ अध्यापकों को नियुक्त किया गया इन आठ अध्यापकों का नाम जुलाई, 1989 में नहीं दर्शाया गया । जब श्याम नारायण चतुर्वेदी रिटायर हो गये तो यह जालसाजी की गयी ।

5-जून, 1990 में श्री श्याम नारायण चतुर्वेदी प्रधानाचार्य रिटायर हुये हैं। इनसे जांच के वक्त बयान लेना सबसे जरूरी है। तथा इनके समय में भी समय सारणी, अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर तथा वेतन पंजिका से जांच कराना जरूरी है।

अस्तु आज माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय शिक्षा मंत्री जी से मांग करते हैं कि उक्त बातों की जांच के साथ-साथ आज आपको प्रस्तुत शिकायती पत्र संघ के मंत्री चन्द्रशेखर मिश्र की भी जांच करावें।)

**देवरिया जनपद में बढ़ते अपराधों को रोके जाने तथा शान्ति व्यवस्था कायम किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री हरिवंश सहाय-

(मान्यवर, देवरिया में अपराध की वृद्धि हुई है, कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है आये दिन चोरी, डकैती, कत्ल, राहजनी हो रही है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चारथाने खागपार, भटनी, भाटपार रानी तथा बनकटा है। 24 जून, 1991 के बाद भटनी थाने का इन्चार्ज 7 बार खागपार थाने के इन्चार्ज 4बार, भाटपार रानी थाने के इन्चार्ज, 4 बार तथा बनकटा थाने का इन्चार्ज 5 बार बदला जा चुका है। जिसके कारण अपराध इन थानों में बढ़े हैं। ग्राम सल्लहपुर में बिहार की पुलिस आकर लूटपाट की । भटनी थाने के गांव बलुआ अफगान, लालचक, भरहेचौरा, छतिया जलदेव, उस्का, सिरिया, बनकटा तिवारी, बिहरा डावर, जीरासों साहोपार आदि दर्जनों गांवों में डकैतियां पड़ी हैं। इसी प्रकार खामपार थाने के गांव भिनगारी सरैया, बन्दीबाबू, बलुअन, सिरिसयांबाबू, भवारी छापर, छतियां, कामपार, करौदा आदि ग्रामों में डकैतियां पड़ी हैं, बनकटा थाने के गांव टउवा खुरवरियां, रामपुर, जगनचक,

---

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बलुआ, रघुनाथपुर, बभनौली, हरपुर आदि गांवों में डकैतियां पड़ी हैं। अधिकांश गांवों की डकैतियों की रपट नहीं लिखी गयी हैं।

भाटपाररानी में धनन्जय सिंह और बद्री नारायण गुप्ता को बम मारकर जान से मार डाला गया। अभी खुरवसिया के राजेन्द्र शर्मा की कत्ल कर दी गयी। लल्लन यादव खडैसर को जान से मारकर बिहार में लाश फूंक दी गयी मिश्रौली के मैनेजर यादव की हत्या कर दी गयी। भिनगारी के दो मुसलमानों की हत्या कर दी गयी ग्राम नियरवा के भोला का बीस हजार का बांस काट लिया गया, तथा टड़वा के राम आधार को गोली मारी गयी। यह दो महीना सरकारी अस्पताल में भर्ती था जिसकी फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी। जंगल पार्टी का राज है। जिले के सम्मानित नागरिकों को तंग किया जा रहा है। विश्वनाथ सिंह विधायक पर हमला किया गया । जिला परिषद् अध्यक्ष गोकरन सिंह को फर्जी मुकदमें में जेल में बन्द किया गया इन्हें गुण्डा ऐक्ट में चालान करने की योजना बन रही है। दीपलाल भारती विधायक की जान खतरे में है। जिले का पुलिस प्रशासन समाप्त हो चुका है।

अस्तु आज माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि शान्ति व्यवस्था कायम हेतु ठोस कार्यवाही करावे।

**देवरिया जनपद के टाउन एरिया मझौली राज में शासन द्वारा दिये गये अनुदान को मनमाने ढंग से खर्च करने की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री स्वामी नाथ यादव-

मान्यवर, जनपद देवरिया के अन्तर्गत टाउन एरिया मझौली राज में सरकार द्वारा विद्युत, एडक और नेहरू रोजगार की सम्पूर्ण धनराशि वर्ष 1989-90, 90-91, 91-92 (मनमाने ढंग से निकाल कर हड़प लिया गया है विद्युत के नाम पर लाखों रुपये का पता नहीं है नेहरु रोजगार योजना का पैसा बिना अवर अभियन्ता के निर्देश पर ही निकाल लिया गया है इस तरह की अनियमितता से नगरवासियों में बहुत रोष पैदा हो गया है इन सम्पूर्ण तथ्यों का ब्यौरा लिया जाय कि विद्युत की पूरी राशि किस मद में खर्च किया गया तथा नेहरू रोजगार का सम्पूर्ण धनराशि किसके निर्देशन में खर्च किया गया तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी ।

नियम 301 के अन्तर्गत इस लोक महत्व के सवाल को सदन के संज्ञान में लाकर चर्चा की मांग करता हूं।

**जनपद आजमगढ़ की लालगंज तहसील में स्थित उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टीकरगढ़ में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री सुखदेव-

मान्यवर, जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अंतर्गत उच्चीकृत

---

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टीकरगढ़ लालगंज आजमगढ़ में वहां के डाक्टरों कम्पाउन्डरों फार्मासिस्टों द्वारा आये दिन मरीजों के साथ दुर्व्यवहार व उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया जाता है। दिनांक 14-4-1992 को एक दुर्घटना का मरीज लेकर मैं स्वयं इस अस्पताल पर करीब रात्रि आठ बजे पहुंच तो वहां पर कोई भी आकस्मिक सेवा के लिये डाक्टर उपलब्ध नहीं था जब मैं एक डाक्टर से कहा तो उन्होंने कहा कि मैं इस मरीज को नहीं देख सकता इसे जो डाक्टर आकस्मिक सेवा के लिये है वही देख सकते हैं। जबकि मरीज की स्थिति गम्भीर थी उस समय कई मरीज अस्पताल के बाहर कराह रहे थे । बाद में डाक्टर ने कहा कि फर्मासिस्ट देवेन्द्र विक्रम सिंह से बात करिये जब उनका पता लगवाया गया तो यह मालूम हुआ कि वह प्रतिदिन की तरह लालगंज बाजार में शराब पीने गये हैं। इतने में कई मरीज रो रोकर कहने लगे कि मेरे साथ शराब पीकर इंजेक्शन लगाते हैं और विरोध करने पर हम लोगों को मारते हैं। यह भी बताया गया कि पूरे अस्पताल में इनका आतंक है। और यह इसी अस्पताल में लगातार 10 वर्षों से कार्यरत हैं। इस प्रकार पूरे अस्पताल की दशा चिंतनीय व दयनीय है एवं जनहित के विपरीत है।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि उक्त प्रकरण की जांच कराकर यहां दोषी डाक्टरों/कर्मचारियों को दण्डित किया जाय तथा लापरवाही व भ्रष्ट फार्मसिस्ट का स्थानान्तरण यथाशीघ्र कराया जाय ।

**जनपद मऊ मुख्यालय पर परिवहन निगम का डिपो खोलने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

(मान्यवर, जनपद का सृजन हुये लगभग 4 माह पूरे हो रहे हैं। जहां दीवानी तथा कलेक्ट्रेट के मुकदमों को देखने का कार्य भी शुरू हो गया है जिसके पैरवी हेतु पूरे जनपद के विभिन्न ग्रामीण अंचलों से आम जनता मऊ मुख्यालय पर आती है। लेकिन यातायात की कमी के कारण आम जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जनपद मऊ के सृजन को 4 वर्ष हो गये पर परिवहन निगम के द्वारा आज तक डिपो नहीं खोला गया जबकि जनहित में यह आवश्यक है जब डिपो परिवहन निगम खुल जायेगा । तो मुख्यालय मऊ से ही आने जाने लगेगी तथा कुछ अतिरिक्त बसें भी बढ़ जायेंगी जनपद मऊ की जनता के हित को देखते हुये तत्काल मऊ मुख्यालय पर परिवहन निगम का डिपो खोलने की तत्काल घोषणा करें।

अतः इस महत्वपूर्ण मामले को सदन के संज्ञान में लाते हुये आपसे अनुरोध करूंगा कि इस पर शासन की स्थिति स्पष्ट कराने की कृपा करें।)

---

नोट ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

**जनपद महराजगंज के विकास खण्ड परतावल की न्याय पंचायत मंगलपुर कतरारी तथा श्यामदेउरवा के सभी गांवों को गोरखपुर जनपद में सम्मिलित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री जाहिद हुसैन-

(मान्यवर, महराजगंज जनपद के विकास खण्ड परतावल के न्याय पंचायत मंगलपुर, कतरारी तथा श्याम देऊरवा के सभी ग्राम प्रधानों द्वारा हस्ताक्षरयुक्त एक प्रार्थना पत्र अपने ग्रामों को गोरखपुर जनपद में सम्मिलित किये जाने हेतु दिया गया था जिसे तत्कालीन विधायक श्री केदार नाथ सिंह ने दिनांक 15-2-90 को अपने पत्र के साथ मुख्य मंत्री तथा राजस्व मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया था। सरकार ने उस समय आवेदन पत्र पर विचार करना स्थगित कर दिया और कहा कि जनगणना पूर्ण हो जाने के बाद विचार किया जायेगा । जनगणना पूर्ण हुये एक वर्ष से ज्यादा हो गया परन्तु अभी तक ग्रामों को गोरखपुर जनपद में सम्मिलित नहीं किया गया। भौगोलिक परिस्थितियों आवागमन की सुविधा तथा जिला मुख्यालय की दूरी के कारण संबंधित ग्रामों के निवासी अपने ग्रामों को गोरखपुर जनपद में सम्मिलित कराना चाहते हैं परन्तु अभी तक सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया जिसके कारण इन ग्रामों के लोगों में क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त हो गया है। और वे इसके लिये संघर्ष करने की योजना बना रहे हैं। अतः आपके माध्यम से इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये संबंधित ग्रामों को गोरखपुर जनपद में सम्मिलित कराने की मांग करता हूं ।)

**जनपद गोरखपुर की न्याय पंचायत बासडीला रौसड़ के सम्पूर्ण गांव को सदर तहसील में सम्मिलित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री विश्वनाथ-

(मान्यवर, गोरखपुर जनपद की पिपराइच विकास खण्ड के न्याय पंचायत बसडीला रौसड़ के 10 ग्रामों में से ग्राम जगपुर, बेलवा खुर्द व सोनबरसा खुर्द को चौरी चौरा तहसील तथा शेष को सदर की तहसील में रखकर एक ही न्याय पंचायत को दो तहसीलों में विभक्त कर सम्मिलित कर दिया गया। न्याय पंचायत मूल रूप में अपने शेष गांवों के साथ सदर तहसील में पड़ जा रही है परन्तु उसके तीन गांव निकाल का तहसील चौरी चौरा में कर दिया गया जिसके कारण न्याय पंचायत के नाम कागजात में दर्ज भूमि जो सोनबरसा खुर्द गांव में हैं, तहसील चौरी चौरा में चली जा रही है। जिसके कारण न्याय पंचायत की हानि हो रही है। प्रशासनिक व्यवस्थायें भी बदल जा रही हैं तथा वहीं के लोगों को अन्य कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसके कारण वहां के लोगों में क्षोभ एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त है, जबकि इसके लिये तत्कालीन विधायक श्री केदार नाथ सिंह ने

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दिनांक 5-9-90 को मुख्य मंत्री की सेवा में एक पत्र ग्राम प्रधानों के आवेदन पत्र को संलग्न कर प्रस्तुत किया था परन्तु अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस न्याय पंचायत के सम्पूर्ण गांवों को सदर तहसील में सम्मिलित किया जाय।)

**जनपद इलाहाबाद के क्षेत्र प्रतापपुर के अधिकांश ट्यूबेल व नाली खराब होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री विक्रमाजीत मौर्य-

(महोदय जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर के विकास खण्ड सैदाबाद, फूलपुर, प्रतापपुर के अधिकांश ट्यूबबेल आधिकारियों की लापरवाही के कारण खराब पड़े हैं, नाली के मरम्मत के नाम से आया पैसा अधिकारी मिलकर हजम कर गये हैं। ट्यूबवेल मिस्त्री बगैर किसानों के रकम लिये ट्यूबवेल पर काम नहीं करते हैं। ट्यूबवेल मरम्मत के नाम पर भारी रकम अधिकारी हड़प कर ले रहे हैं ।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही करें ।)

**जनपद गाजीपुर के जखनियां में तहसील खोले जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री गिरधारी लाल-

(महोदय, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद गाजीपुर के जखनियां को तहसील बनाये जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। सैदपुर तहसील के अन्तर्गत जखनियां आता है। इस तहसील का क्षेत्र भौगोलिक एवं आबादी की दृष्टि से बहुत बड़ा है। जखनियां क्षेत्र से तहसील मुख्यालय जाने में लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जखनियां में उप कोषागार भी है। यहां पर तहसील का होना नितांत आवश्यक है तथा इसकी मांग कई वर्षों से होती चली आ रही है। प्रदेश में अन्य नयी तहसीलें कुछ वर्ष पूर्व खोली गयी हैं। उनमें प्रत्येक दृष्टि से जखनियां का स्थान उचित है । यहां पर तहसील खोले जाने हेतु हजारों लोगों ने कई बार धरना एवं प्रदर्शन भी किया लोगों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अतः आपसे निवेदन है कि सरकार को निर्देशित करें कि इसी वित्तीय वर्ष में जल्द से जल्द जखनियां में तहसील खोला जाये, जिससे उस क्षेत्र के लोगों को राहत व न्याय मिल सके।)

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

**राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोजपुर मुरादाबाद में अध्यापकों की नियुक्ति की मांग के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना**

*श्री मोहम्मद रिजवानुल हक-

(महोदय, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोजपुर मुरादाबाद में एल0टी0 ग्रेड के जीव विज्ञान, संस्कृत,अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, हिन्दी, कृषि के अध्यापकों का पद माह जुलाई, 1986 से रिक्त है, और वहां किसी भी अध्यापक की नियुक्ति नहीं की जा रही है । जिससे छात्रों का भविष्य संकट में पड़ा हुआ है। तथा अध्यापकों के न होने से शिक्षा का स्तर गिर गया है तथा रिजल्ट भी अच्छा नहीं रहता, इस बात को लेकर जनता में रोष व्याप्त है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वह अध्यापकों की तुरंत नियुक्ति करें ।)

**जनपद आजमगढ़ की नहरों में पानी न आने से जनाक्रोश के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

(महोदय मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जनपद आजमगढ़ की निजामाबाद राजबहा देवरिया माईनर दूधनारा माइनर, बैरमपुर माइनर एवं तहबरपुर माइनर आदि में कभी टेल तक पानी नहीं जाता है। इन माइनरों की कभी सफाई नहीं होती फर्जी सफाई दिखाई जाती है । इस समय गन्ने की बुआई सिंचाई आदि का समय है। किसानों में घोर निराशा एवं रोष व्याप्त गन्ने की बुआई एवं सिंचाई नहीं हो रही है । जिससे किसानों की दशा अत्यन्त ही सोचनीय व दयनीय हो गयी ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर शासन से मांग करता हूं कि निजामाबाद राजबहा, देवरिया माइनर, दूधनारा माइनर गद्धीपुर माइनर, बैरमपुर बनहरा, माइनर, तहबरपुर माइनर आदि में तत्काल पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाय एवं फर्जी खुदाई सफाई दिखाकर भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों की जांच कराकर कार्यवाही करने का निर्देश दिया जाय।)

**जनपद गाजीपुर के ग्राम रामपुर माझा देवकली, भोजापुर एवं सिंगरा में 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री गामाराम शास्त्री-

(महोदय मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के जनपद गाजीपुर के ग्राम रामपुर माझा में 33/11 के0वी0 वि0 उपकेन्द्र देवकली में 33/11 के0वी0 के उप वि0 उपकेन्द्र बहरियाबाद में भी 33/11 के0वी0ए0 न होने से उत्पन्न स्थिति ग्राम भोजापुर 33/11 के0वी0ए0 उपकेन्द्र, सिगेरा, में 33/11 के0वि0 वि0 उपकेन्द्र

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एवं बरेसर में 33/11 के0वी0वि0 उपकेन्द्र का निर्माण कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उपरोक्त स्थानों पर वि0उपकेन्द्र न होने से कृषकों एवं अन्य जनता को विद्युत नहीं के बराबर मिल पा रही है। अगर रहती भी है तो वोल्टेज एकदम ही नहीं मिलता है जिससे खेती या छोटे उद्योग आदि विकास के कार्य नहीं हो पाते हैं। इससे लोगों में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है। कई बार हजारों लोगों ने धरना एवं प्रदर्शन भी किया ।

अतः आपसे निवेदन है कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उपरोक्त विद्युत उपकेन्द्रों का निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में करायें जिससे उस क्षेत्र के कृषकों व्यापारियों एवं अन्य जनता का विकास एवं अन्य कार्यों में न्याय मिल सके।

**ग्रेडर नोएडा (गाजियाबाद) द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम के अधिग्रहीत भूमि का स्थानान्तरण अवैधानिक तरीके से कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*महेन्द्र सिंह भाटी-

(महोदय, माननीय सदन के संज्ञान में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को उपस्थित करने की अनुज्ञा मांगता हूं ।

मान्यवर, ग्रेडर, नोएडा ने उ0प्र0 औद्योगिक विकास निगम द्वारा अधिग्रहीत भूमि का स्थानान्तरण बिना किसी वैधानिक और लिखित मसनदे के एवं बेचना शुरू कर दिया है । जिससे अधिग्रहीत अधिनियम की धारा-(0) का अधिग्रहण हुआ है। इस औद्योगिक कार्यवाही से 109 ग्रामों में किसान प्रभावित हुये हैं इस कार्यवाही से किसानों को उनके मौलिक एवं विधिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। इतना ही नहीं मान्यवर, ग्राम हलदौना, नवादा, उर्फ ब्रह्मानान, गजरौला, सूरजपुर से आबादी के लिये छोड़ी गयी भूमि और ऊपर निर्मित मकानों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। बहुत पुराने मकानों पर भी नोटिस देकर किसानों को परेशान किया जा रहा है । मुआवजे के नाम पर कहीं 3.86 पैसा प्रति गज दिया गया तो कहीं तो 6.00 प्रति गज । किसान अपनी ही भूमि में अपना मकान नहीं बना सकता।

दूसरी ओर राजस्व अधिकारी बड़े सेठों से मिलकर असंक्रमणीय भूमिधारी की भूमि को संक्रमणीय भूमि में परिवर्तित कराकर धड़ल्ले से बेच रहे हैं। सूरजपुर तहसील दादरी में 8 म0-19-14 तथा 0-6-10, 9म-0-0-140 ऋ 10म-0-3-0 कुल 1-9-18 का इसी प्रकार की भूमि का बैनामा कर दिया है।

मांग करता हूं कि शासन इस पर आवश्यक कार्यवाही करे ।

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

**जनपद जौनपुर के मड़ियाहूं में स्थित 33/11 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन की मरम्मत के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री किशोरी लाल यादव-

(महोदय, जनपद जौनपुर के मड़ियाहूं में स्थित 33/11 के0वी0 का सब स्टेशन है जो बहुत पहले से बना है इसमें प्रायः फाल्ट होती रहती है और विद्युत आपूर्ति भी बाधित रहती है क्योंकि इसमें जो सामान लगे हैं बहुत पुराने है उनकी जगह नये सामानों का लगना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में आपसे अनुरोध है कि उक्त सब स्टेशन का जीर्णोद्धार करा दिया जाये जिससे वहां की जनता को कुछ राहत मिल जाय । यह अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न है इसे स्वीकार करने का कष्ट करें और इसे मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं ।)

**जनपद इलाहाबाद की कताई मिल मऊ आइमा के अधिकारियों द्वारा मजदूरों का शोषण करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री भोला सिंह-

(महोदय माननीय अध्यक्ष जी मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा के कताई मिल मऊआईमा की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। मऊ आईमा की मिल उत्तर प्रदेश के मिलों में सबसे अच्छी प्रगति का सबसे अच्छा सूत मुहैय्या कराती है। परन्तु कुछ दिनों से मिल के भ्रष्ट कर्मचारी, लेबर आफिसर जिसने क्षेत्र के गरीब मजदूरों को परेशान कर रखा है, उनको रोज काम पर बैठा दिया जाता है जो पैसा देता है उसी को ड्यूटी मिलती है। इनको कुछ समय पहले भर्ती किया था गरीब मजदूरों से इतना धन वसूल किया व घूस लिया गया। गरीब लोग इस धन का ब्याज कई वर्षों तक नहीं अदा कर पावेंगे, खून चूसा गया है। भूखे लोग नौकरी के लालच में घूस देने पर मजबूर हो जाते हैं । मैं आपके माध्यम से इन घोटालों की जांच कराकर बेईमान अधिकारी को सजा मिले व नौकरी से भी हटाया जावे। इस मिल के मैनेजर श्री यादव जो भी इस घपले में भागीदार हैं व रईस आदमी हैं खूब मौज मस्ती लेना आरामदेही ही इनका कर्तव्य सुना है । इलाहाबाद में काफी बड़ा मकान भी खरीदा है इसी में अपने धन व समय का उपयोग करते हैं ।

कृपया सख्ती से जांच करायी जावे व इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जावे ।)

**बांदा जनपद के बांदा-जारी, सेमरी-तिन्दवारी, तथा जसपुरा मार्ग को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित कर राजकीय बस चलवाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री गया चरन दिनकर-

(मान्यवर, मैं आपका तथा सदन का ध्यान उपरोक्त विषय की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं जनपद बांदा में बांदा से जारी-फतपुरवा-सैमरी-तिन्दवारी मार्ग पर कोई भी राजकीय बस व प्राइवेट बस नहीं चल रही है। जिससे यात्रियों को आने

---

नोटः-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जाने में परेशानियां होती हैं । इसी तरह जसपुरा गड़रिया मार्ग तथा जसपुरा राजमार्ग व पैलानी गलौली मार्ग, जो उक्त मार्ग राष्ट्रीयकृत नहीं हैं। इसलिये उक्त मार्गों को राष्ट्रीयकृत घोषित कराकर राजकीय बसें चलवाने के निर्देश देने की कृपा करें।

**जनपद गढ़वाल के कनाकोट पेयजल योजना को कार्यान्वित कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री रमेश पोखरियाल-

(महोदय, जनपद गढ़वाल में थैली सैण विकास खण्ड के अंतर्गत कनाकोट पेयजल योजना जिस पर लाखों रुपया व्यय हुआ है। किन्तु आज तक एक बूंद पानी भी गांव के लोगों को नहीं मिल पा रहा है कई किलोमीटर दूर जाकर लोगों का समय दिन भर पानी लाने में बरबाद हो रहा है इससे जनता का भारी संकट उत्पन्न हो रहा है। अपितु लोगों ने पशुओं को पानी के अभाव में त्याग दिया है इस भारी संकट के कारण क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त परिस्थितियों को देखते हुये तत्काल कनाकोट में पेयजल की व्यवस्था करवाकर मुझे भी अनुग्रहीत करेंगे।)

**जनपद गोण्डा के कमरपुर नाले पर पुल बनवाये जाने की मांग के संबंध में नियम301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री छत्रपाल वर्मा-

(महोदय, मैं आपके माध्यम से अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं ।

जिला गोण्डा में सादुल्लानगर से जाफरपुर होते हुये मसकनजां स्टेशन को जाने वाली सड़क पर कमरपुर का जो नाला बहकर बिंसुही नदी में गिरता है उस पर कोई पुल न होने से यातायात में बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि इस नाले का फाट और गहराई बहुत अधिक है जिससे विशेषकर बरसात में आने जाने में कठिनाइयों के अलावा डूबकर बह जाने का भय सदैव बना रहता है।

अतः आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उक्त नाले पर बरसात के पूर्व ही पुल बनाने का तत्काल आदेश दिया जाये क्योंकि सैकड़ों गांवों के लोगों के आवागमन का यही एकमात्र साधन है ताकि क्षेत्र की जनता को असुविधा न हो ।)

**जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा व तिन्दवारी में यांत्रिक व विद्युत दोष की कमी से बन्द राजकीय नलकूपों को चलवाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री यदुनाथ सिंह-

मान्यवर, मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद बांदा में वर्ष 1991-92 में अधिकांश नलकूप बन्द रहे हैं, विशेषकर ब्लाक जसपुरा व तिन्दवारी के राजकीय नलकूप यांत्रिक तथा विद्युत दोष की कमी से बन्द रहे हैं। जिससे किसानों की सैकड़ों बीघे फसल सूख गयी है। अधिकारी

---

नोटः-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का प्रस्तुतीकरण नहीं किया

किसानों को मोटर देने में परेशान करते रहे हैं और रिश्वत लेकर मोटर देते रहे हैं। जिससे भारी दिक्कतें किसानों को उठानी पड़ रही है। तथा ब्लाक जसपुरा के आधे राजकीय नलकूप बन्द रहे इसी तरह से ब्लाक तिन्दवारी के हाल रहे हैं अधिकारीगण राजकीय नलकूपों की मरम्मत की धनराशि का सही उपयोग नहीं किये हैं। इसलिये ब्लाक जसपुरा व तिन्दवारी के सभी बन्द यांत्रिक व विद्युत कमी से राजकीय नलकूपों को ठीक कराया जाय। जिससे किसानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े तथा पर्याप्त मात्रा में सामान व धनराशि उपलब्ध कराई जाये।)

**जनपद सहारनपुर के ग्राम भापला में के0वी0 विद्युत सब स्टेशन के निर्माण के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*ठाकुर बीरेन्द्र सिंह -

(मान्यवर, जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत ब्लाक देवबंद के ग्राम भापला में एक 33/11 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन काफी समय से विचाराधीन है। सन् 1988 में विभाग ने इसके लिये गांव में 6बीघे जमीन भी प्राप्त कर ली है। इस जमीन की विभाग द्वारा घेराबन्दी व समतलीकरण भी कर लिया गया है, लेकिन इसके बाद आज तक इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस विलम्ब के परिणामस्वरूप क्षेत्र में बिजली की भारी समस्या बनी हुई है तथा वोल्टेज अपर्याप्त व अनियमित होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत उपभोक्ताओं को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन से मांग करता हूं कि उक्त ग्राम भापला में 33/11 के0वी0 विद्युत सब स्टेशन का निर्माण निर्विलम्ब कराया जाये।)

**जनपद बांदा के ब्लाक जसपुरा में पेयजल टंकियों का संचालन हमीरपुर से हटाकर बांदा द्वारा कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री लालचन्द्र निषाद -

(मान्यवर, मैं आपका ध्यान उपरोक्त विषय की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं। ब्लाक जसपुरा में पेयजल टंकियों का संचालन सही नहीं है। यांत्रिक दोष व पाइप लाइन खराब होने के कारण पेयजल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। पेयजल टंकियों का संचालन जनपद हमीरपुर के जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, जिससे परेशानियां उठानी पड़ती हैं, क्योंकि कभी-कभी ही जल संस्थान के जे0ई0 जसपुरा आते हैं, कोई कम्पलेन की सुनवाई नहीं होती है, जिससे पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है। इसलिये पेयजल की आपूर्ति सही कराने के लिए जनपद हमीरपुर से पेयजल जसपुरा की टंकियों का संचालन जनपद बांदा को कर दिया जाये, जिससे पेयजल संकट दूर हो सके।)

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

**जनपद बदायूं की ग्राम सभा भूसेपुर के प्रधान द्वारा जवाहर योजना में गम्भीर अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री राम खिलाड़ी-

(मान्यवर, बदायूं जनपद की ग्राम सभा भूसेपुर, ब्लाक अम्बियापुर, जिला बदायूं के प्रधान द्वारा उक्त ग्राम सभा में भारी घोटाला किया गया है, जिसकी सूचना एवं प्रतिवेदन ग्राम सभा के अधिकांश सदस्यों ने जिलाधिकारी बदायूं एवं उच्च अधिकारियों को दिये हुये काफी दिन गुजर गये हैं किन्तु अभी तक न तो प्रधान द्वारा जवाहर योजना एवं अन्य गम्भीर अनियमितताओं के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जांच कराई गयी है, जिसके कारण ग्राम सभा के सदस्यों में गहरा रोष एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है। जन-धन का पूरा दुरुपयोग किया गया है। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न है ।

अतएव इस लोक-महत्व के अविलम्ब किये प्रश्न की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि इस मामले की जांच किसी उच्चाधिकारी के द्वारा कराकर तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जावे।)

**जनपद एटा में खसरा रोग से हुई बच्चों की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री राजेन्द्र सिंह चौहान-

महोदय, जनपद एटा में खसरा रोग से लगभग 100 बच्चों की मौत हो गयी है । खसरा रोग में बच्चों को 9 महीने की उम्र से एक साल तक टीके लगते हैं जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण नहीं लगाये गये जिससे यह भयानक स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

अतः मैं आपके माध्यम से उक्त विषय की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग करता हूं।)

**जनपद आजमगढ़ में मच्छर मारने की मशीन चालू कराने हेतु धन उपलब्ध कराने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री बलराम यादव-

(महोदय, स्वास्थ्य विभाग जिला मुख्यालय आजमगढ़ को मच्छर मारने की मशीन (लीकोफर्मिंग मशीन)उपलब्ध कराने के पश्चात् बजट उपलब्ध कराये जाने के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि जनपद आजमगढ़ में मच्छरों की अधिकता के कारण विभिन्न बीमारियों जैसे फाइलेरिया, इंसेफलाइटिस आदि के प्रकोप को देखते हुये शासन द्वारा स्वास्थ्य विभाग जिला आजमगढ़ को लीकोफागिंग मशीन उपलब्ध करा दी गयी परन्तु कोई बजट उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण लाखों रुपये की मशीन का उपयोग नहीं हो पा रहा है जिससे मच्छरों की अधिकता को मलेरिया फाइलेरिया एवं अन्य बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है उक्त बीमारी से अब तक आजमगढ़ में दर्जनों जानें जा चुकी हैं जिसे लेकर क्षेत्रीय जनता में बेहद आक्रोश व्याप्त है।

---

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।
* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक-महत्व के माध्यम से आप एवं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये सरकार से मांग करता हूं कि उक्त मशीन को चालू कराने हेतु एक लाख रुपया उपलब्ध करा दिया जाये ।)

**जनपद वाराणसी के बबुरी में 33 के0वी0 अर्द्ध निर्मित सब विद्युत/ स्टेशन को पूर्ण कराये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री शिवपूजन राम-

(मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र चन्दौली वाराणसी में बबुरी 33के0वी0 का सब स्टेशन जो 1988 में ही पूर्ण होना था जिसका ट्रान्सफार्मर, फीडर एवं भवन तथा तार व खम्भे उपलब्ध हैं केवल कुछ केबिल एवं खम्भों की गढ़ाई एवं तार खिंचाई का कार्य न होने से क्षेत्रीय जनता को परेशानी हो रही है। अतः ऊर्जा विभाग को अविलम्ब पूर्ण कराने का निर्देश जारी करने की कृपा करें।)

**जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड नेवादा में जवाहर नगर मोहम्मदाबाद मार्ग पर यमुना नदी पर पीपे का पुल बनवाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री दिनेश चन्द्र सोनकर-

(मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 301 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय को उठाना चाहता हूं। इलाहाबाद जनपद के निर्वाचन क्षेत्र चायल के अंतर्गत विकास खण्ड नेवादा में पुरखास से जवाहर नगर मोहम्मदाबाद (केवटपुरवा) मार्ग पर पड़ने वाली यमुना नदी पर पान्टून (पीपे का पुल) बनाकर उस मार्ग को उस पार तहसील बारा के पुड़वा प्रतापपुर मार्ग से जोड़ना अति आवश्यक है क्योंकि इस मार्ग को पुल के द्वारा जोड़ने से इस क्षेत्र तथा दूसरे जिलों के लोगों को भी इलाहाबाद के शंकरगढ़ तथा बांदा एवं मध्य प्रदेश आने जाने में सुविधा होगी तथा सरकार को राजस्व का लाभ भी होगा । इसलिये यह विषय सदन के संज्ञान में आना अतिआवश्यक है। अतः कार्यवाही करने कर कष्ट करें।

**राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज इलाहाबाद में नियमित प्राचार्य की तैनाती की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, राजकीय लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज इलाहाबाद में विगत दस माह से कोई नियमित प्राचार्य न होने के कारण शिक्षण माह में मात्र 6 बार कालेज परिसर में आये हैं निवास से ही विद्यालय का संचालन

---

नोटः-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होता है जिससे छात्रों, शिक्षकों अभिभावकों एवं स्थानीय जनता में घोर असंतोष व्याप्त है । लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रकरण पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये नियमित प्राचार्य की तैनाती की मांग करता हूं ।)

**जनपद झांसी के महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज में कार्यरत रेडियोलाजी विभाग में जूनियर रेजीडेन्ट का वेतन भुगतान शीघ्र कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री ओम प्रकाश (फतेहपुर)-

(मान्यवर, झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज में वर्ष 1990 में रेजीडेंसी स्कीम के अंतर्गत मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रेडियोलोजी, ऐनिस्थीसिया, आप्थालमिक्श आदि विभागों में कतिपय जूनियर रेजीडेन्ट्स की नियुक्तियां की गयी थीं । एनिस्थीसिया विभाग के डा0 अनीता, आप्थालामिक्श के डा0आशुतोष जैन तथा रेडियोलोजी विभाग के डा0 मुकेश पन्त (सभी की नियुक्तियां मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों पर हुई थीं ) को कुछ महीनों पूर्व से वेतन का भुगतान प्रारम्भ करा दिया गया है परन्तु रेडियोलाजी विभाग की जूनियर डाक्टर बीना जैन को 2 वर्ष की नियुक्ति के पश्चात् भी अभी तक वेतन भत्तों का भुगतान नहीं किया गया है । यद्यपि मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10 अप्रैल, 1990 में डा0 बीना जैन की नियुक्ति के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार पद सृजित करने (ताकि उन्हें वेतन प्राप्त हो सके) के आदेश भी पारित किये गये थे। तथा निदेशक चिकित्सा शिक्षा ने अपने 14 मई, 1990 के पत्र द्वारा प्रधानाचार्य के पद सृजन का प्रस्ताव मांगा था जो प्रधानाचार्य ने निदेशक को वर्ष 1990 में ही भेज दिया था परन्तु अभी तक निदेशक अथवा शासन द्वारा पद सृजित तथा वेतन भुगतान करने के आदेश नहीं हुये हैं। इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का भी अनुपालन नहीं हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रेडियोलाजी विभाग में जूनियर रेजीडेन्ट के पद पर 10 अप्रैल, 1990 के पश्चात् डा0 मुकेश पन्त को नियुक्ति के आदेश पारित हुये परन्तु डा0 पन्त को वेतन का भुगतान किया जा रहा है और डाक्टर बीना जैन को वेतन भुगतान न होने से आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है परन्तु मैं रेडियोलाजी विभाग के जूनियर रेजीडेन्ट का वेतन भत्तो को प्राथमिकता के आधार पर कराये जाने की मांग करता हूं ।)

**जनपद सिद्धार्थ नगर के विकास खण्ड जोगियों के अनेक गांवों में ओलावृष्टि से हुई भारी क्षति हेतु पर्याप्त सहायता दिये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

श्री शिवलाल मित्तल-

(मान्यवर, मैं इस माननीय सदन का ध्यान मेरे निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड

---

नोट:- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जोगिया के लगभग 70 ग्रामों में ओलावृष्टि से हुई भारी क्षति के कारण मकानों के नष्ट होने पशुओं एवं मनुष्यों के मृत्यु होने की भी सूचना है भारी क्षति हुई है मकानों पर एक भी खपड़ा नहीं रह गया है। जिला प्रशासन ने ऊट के मुंह में जीरा के बराबर सहायता दिया है। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि आप शासन को निर्देशित करें कि ओलावृष्टि से हुये नुकसान के पूर्ति हेतु पर्याप्त सहायता देकर सहायता की जाये।)

**जनपद सुल्तानपुर के अमेठी क्षेत्र के ग्राम गोहरा में जल निगम की टंकी द्वारा पानी सुलभ कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री हरीचरन यादव-

(मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र अमेठी, विकास क्षेत्र भादर, जिला सुल्तानपुर में ग्राम गोहरा में जल निगम की टंकी व नलकूप स्थित है जिससे आस पास के गांवों में पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इस टंकी से एक किलोमीटर की दूरी पर गांव रतापुर स्थित है जिसमें कुल आठ पुरवे हैं। कुयें में पानी नहीं है हैण्ड पाइप असफल हो चुके हैं और जिन कुओं में पानी मिलता भी है तो वह इतना खारा है कि उसे जानवर तक नहीं पी पाते हैं। जल निगम द्वारा गांव सभा रतापुर में पानी की सप्लाई करने हेतु न तो पाइप लाइन बिछाई गयी है और न ही पानी सप्लाई करने के लिये कोई योजना तैयार की है। उक्त गांव सभा में जल के अभाव में ग्रामीण बहुत दुखी हैं, जल निगम की टंकी के अतिरिक्त दूसरा कोई चारा पानी सुलभ कराने का नही है। इण्डिया मार्क 2 हैण्ड पाइप भी असफल हो चुकी है और डीप बोरिंग के बाद जिन एक दो हैण्ड पाइप से पानी निकलता है वह भी एकदम खारा है । अतःअनुरोध है कि नगर विकास मंत्री को इस आशय का सख्त निर्देश दिया जाये कि पोरहा टंकी से गांव सभा रतापुर एवं उसके समस्त पुरवों में पानी सुलभ कराने हेतु पाइप बिछाकर टोटी देने का कष्ट करें ।

**जनपद बस्ती में विद्युत व्यवस्था अनियमित होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना**

*श्री लक्ष्मेश्वर सिंह-

(मान्यवर, मैं आपका ध्यान बस्ती जिले की विद्युत व्यवस्था की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। भ्रष्ट कर्मचारियों के कार्य कलापों के फलस्वरूप जनता में धारणा बन गयी है कि विभाग के कर्मचारियों, लाइन मैन, एस0डी0ओ0 को बिना धन दिये बिजली नहीं लग सकती है। बिना जन प्रतिनिधियों के राय के मनमाने ढ़ंग से विद्युत व्यवस्था की गयी है। बनकटी ब्लाक में धरहरा गोचना ग्राम में विद्युत

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खम्भे लगे हैं, तार पड़ा है और 91-92 के लिस्ट आफ सर्जित विलेज में उक्त ग्राम का नाम है उसी ब्लाक में उबरी अहरा एवं मक्सई (गांव में खम्भे लगे परन्तु वहां बिजली नहीं है। सम्भवतः कागज में उक्त ग्राम विद्युतकृत है। ग्राम सोनवर्षा ब्लाक सदर में खम्भे का इस्तेमाल पुलिया के लिये किया गया है। खराब एवं सड़े खम्भे को अधिकारी लाचारी दिखाते हैं, जिस ग्राम के विद्युत कर्मचारी रहने वाले हैं उसे भृत तरीके से विद्युतीकृत किया गया है । शहर के नौ मुहल्लों की विद्युत व्यवस्था का धन जमा होने के बाद में विद्युत व्यवस्था करके छोड़ दी गयी हैं। बनकटी ब्लाक में छः गांव की लिस्ट विद्युतकरण के लिये माफी गयी थी परंतु मेरे द्वारा ये चयनित ग्राम मनिकोरा खुर्द पर हुआ उमरहिरा को विद्युतकृत नहीं किया गया विद्युत विभाग के निचले श्रेणी के कर्मचारियों की अनियमित कार्यों के फलस्वरूप ब्लाक बनकटी एवं शहर की जनता में रोष व्याप्त है।

अतः तत्काल सदन के संज्ञान में लाकर शासन से मांग करता हूं कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन तत्काल कार्यवाही करे ।)

**नियम 311, 301, 166 एवं 51 आदि के अन्तर्गत दी गयी विभिन्न सूचनाओं के संबंध में जानकारी तथा प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न**

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आज समभवतः सत्र का अन्तिम दिन है और बहुत से ऐसे मामले जो महत्वपूर्ण है, नियम 311 और नियम 56 में माननीय सदस्यों ने दिया है इसमें भी आपने लाटरी निकालने की व्यवस्था कर दिया है। मान्यवर, अगर भाग्य ही हमारा उज्जवल होता, तो हम लोग इधर क्यों बैठते ? मान्यवर, मेरी आपसे कृपापूर्वक प्रार्थना है कि कृपा करके नियम 311 में जो हमारी सूचनायें हैं, कुछ तो ऐसी हैं, जो महात्मा गांधी को अपमानित करने से संबंधित हैं। मान्यवर, महत्वपूर्ण सूचनाओं को आप सुन लें । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 के साथ सम्मिलित कर दिया है, जिस समय कार्य-स्थगन प्रस्ताव का मद लेंगे, तो उस पर विचार कर लेंगे ।

श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि-

मान्यवर, मेरी सूचना नियम 301 में थी ।

श्री अध्यक्ष-

वह स्वीकार नहीं हुई है ।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मेरी सूचना आतंकवाद से संबंधित थी, और बहुत महत्वपूर्ण थी।

श्री अध्यक्ष-

जो व्यक्तिगत सूचनायें थी, उसे मैंने स्वीकार नहीं किया है।

---

नोटः- ( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, मेरी एक सूचना थी और बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन मैं उसे समय नहीं दे पाया था ।

श्री अध्यक्ष-

जब नियम 56 की सूचना लेंगे तब आप बताइयेगा ।

श्री अखिलेश-

मान्यवर, मैंने नियम 300 में एक सूचना दी थी।

श्री अध्यक्ष-

अभी मैंने नियम 300 की सूचनायें लिया नहीं है।

श्री प्रेम प्रकाश-

मान्यवर, मन्नी लाल पाण्डेय, अवर अभियन्ता विद्युत, नगरीय मंडल, इलाहाबाद में कार्यरत हैं। इनकी वरिष्ठता/प्रोन्नति का मामला वर्ष 1963 एवं 1975 से क्रमशः विचाराधीन हैं जब कि इस संबंध में सर्विस ट्रिब्यूनल, लखनऊ व मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा श्री पाण्डेय के पक्ष में निर्णय हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी उन पर कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष-

आपने इसे नियम 300 में दिया है या 301 में दिया है।

श्री प्रेम प्रकाश-

मान्यवर, 300 में दिया है।

श्री अध्यक्ष-

जब मैं नियम 300 की सूचनाओं को लूंगा, उस समय इसे भी ले लूंगा।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

मान्यवर, जब हम लोग कोई सूचना देते हैं, तो उसका परीक्षण कराने के लिये आप भेज देते हैं और परीक्षण करने के बाद क्या निर्णय लिया गया है, उसका पता नहीं चल पाता है। मान्यवर, जो निर्णय लिया जाये वह कम से कम हम लोगों के संज्ञान में तो आ जाये, कि आपके आदेश क्या हुये हैं, जो निर्णय हो उसकी हमको भी जानकारी हो जाये ।

श्री अध्यक्ष-

जो प्रक्रिया है, उससे आप भी अवगत है और उससे भिन्न प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है।

श्री स्वामी नाथ यादव-

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, निदेश संख्या 166 में यह व्यवस्था है कि सदन में जो सूचनायें शासन की ओर से दी जायेंगी। उसकी सत्यता का दायित्व शासन का होगा। जो प्रश्न इस नियम के

अन्तर्गत उठाये जाते हैं, उनका उत्तर 15 दिन के अन्दर आना चाहिये। मैंने एक सवाल दिया था, उसकी समय सीमा समाप्त हो गयी है, लेकिन उसकी सूचना नहीं मिली है । नियमावली का दुरुपयोग हो रहा है। इस पर मैं अपनी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

निदेश 165 और 166 के अन्तर्गत जब कोई सूचना दी जाती है, तो उसका परीक्षण करके मंत्री से उत्तर मांगा जाता है और जब उत्तर आ जाता है तो सूचित किया जाता है लेकिन समय अभी नहीं आया है। माननीय सदस्य कहते हैं कि जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है वह सही नहीं है । मंत्री ने गुमराह किया है तो जब सूचना प्राप्त होती है तभी परीक्षण के बाद उसकी सूचना दी जाती है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी सदन में हंगामा हो गया। आप प्रश्नोत्तर देखने की कृपा करें । तारांकित प्रश्न संख्या 4 था, मेरा सवाल पढ़ें। आज का ही है। मैंने पूछा था कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र उन्नाव जिले के कस्बा मौरावां में 132 के0वी0ए0 उपग्रह व असोहा में 33 के0वी0ए0 का उपग्रह कब तक बन जायेगा, यदि नहीं, तो क्यों । आप मंत्री जी द्वारा दिये गये प्रश्न के उत्तर को देख लें, बिल्कुल असंगत उत्तर दिया गया है। तो मैं मान्यवर इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो भी उत्तर दिये जायें संगत दिये जायें और सही दिये जायें ।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस ओर संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करता हूं। जब भी सदन बैठे तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि प्रश्न का जो उत्तर दिया जाये, वह पूरा आये और संतोषजनक आये ।

श्री अखिलेश-

मान्यवर, विशेषाधिकार हनन की दो सूचनायें मेरे द्वारा आपके कार्यालय को दी गयी हैं, जिसमें अभी तक परीक्षण के संबंध में आपका कोई निर्णय नहीं आया है। इस संदर्भ में आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि इसे आप स्वयं देख लें। इस पर 2-2 मिनट पर हम लोगों को सुन लें और अपनी व्यवस्था दे दें ।

श्री अध्यक्ष-

वह प्रक्रिया हमने अभी अपनायी नहीं है।

श्री सुरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, वैसे तो मैंने इसे नियम 300 में दिया है। मेरा 23-4-92 का अल्पसूचित तारांकित प्रश्न था । इस पर आपने कहा था कि लागू नहीं होता है इसे आप शून्य प्रहर में उठा सकते हैं। हमने इसको 300 में भी दिया है।

श्री अध्यक्ष-

जब नियम 300 में है तो उसी समय अपने विचार प्रकट कर दीजियेगा।

श्री विक्रमाजीत मौर्य एडवोकेट-

माननीय, अध्यक्ष जी मैंने नियम 51 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी जिसमें 13-5-92 को वक्तव्य के लिये लगा था फिर हमको सूचना दी गयी कि आपके आदेश से स्थगित कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष-

अभी जब मैं जाऊंगा तो आप मेरे कक्ष में मिल लीजियेगा ।

एक सदस्य-

मैंने विशेषाधिकार की सूचना दी थी उससे कुछ नहीं हुआ है इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

मैं परीक्षण कर लूंगा ।

श्री मोहम्मद मुकीम-

मान्यवर मैंने नियम 51 में दिनांक 8-5-92 को थानाध्यक्ष मिसरौलिया जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा ग्राम बेलवा के कुछ किसानो की गेहूं की मड़ाई पुलिस फोर्स और पी0ए0सी0 लगाकर रोकने के संबंध में दिया था । मान्यवर, जो थानाध्यक्ष उनकी मड़ाई रोके हुये हैं उस पर आज वक्तव्य होना था परन्तु किन्हीं कारणों से आप द्वारा वक्तव्य स्थगित कर दिया गया है तो मैंने उस पर व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। अगर इस पर कोई निर्णय नहीं होता है तो उन किसानों की फसल सड़ जायेगी और बड़ा नुकसान हो जायेगा। इस पर आप सरकार को निर्देशित करें कि वह उन किसानों की मड़ाई को सुनिश्चत करायें ।

श्री अध्यक्ष-

आप ऐसा करें कि अपनी सूचना की एक प्रति संसदीय कार्यमंत्री को दे दें माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसको सुनिश्चित कर लेंगे। इस बीच में चूंकि समय बीता जा रहा है और कोई नुकशान न हो इसलिये सूचना की एक प्रति माननीय संसदीय कार्यमंत्री को दे दीजिये माननीय संसदीय कार्य मंत्री उसकी सूचना संबंधित अधिकारी को दे देंगे ।

श्री राम लखन वर्मा-

मान्यवर, मैं एक सूचना दे दूं एक एफ0आई0आर0 दर्ज हुई थी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मुल्जिम खुले आम घूम रहे हैं, वह लोग मजबूर हैं कि घर छोड़कर भागने के लिये मजबूर हैं, मैं चाहूंगा कि इस आपकी व्यवस्था हो जाय ।

श्री अध्यक्ष

मैं इसमें क्या कर सकता हूं आप मुझे इसकी प्रति दे दीजिये।

श्री राम लखन वर्मा-

मैंने प्रति दे दी है ।

श्री अध्यक्ष-

मैं उसे देख लूंगा ।

## औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम 300 की सूचनाओं को लेता हूं। पहली सूचना प्रक्रिया नियमावली के नियम 63 के अन्तर्गत दिये जाने वाले विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर संबंधित सदस्य को सुने जाने के संबंध में कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री हृदय नारायण दीक्षित और श्री बाबू खां की है, दूसरी सूचना श्री रवीन्द्र शुक्ला, श्री राजेन्द्र सिंह चौहान और श्री गन्धर्व सिंह की, तीसरी सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह की, चौथी श्री प्रमोद तिवारी की, पांचवीं श्री प्रेम प्रकाश की, छठीं श्री विजय सिंह राणा की, सातवीं श्री अकबर हुसैन और श्री राम गोविन्द चौधरी की, श्री स्वामी नाथ यादव, श्री लाखी राम जोशी, श्री अवधपाल सिंह यादव, श्री राम औतार शाक्य, श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी, श्री हरिवंश सहाय, श्री कृष्ण किंकर सिंह, श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय, श्री मुन्ना चौहान, श्री अंगद यादव, श्री संत वक्श रावत, श्री हरेन्द्र सिंह श्री बी0आर0 वर्मा, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद और श्री राम ललित चौधरी की है।

## विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर संबंधित सदस्य को सुने न जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी)

*नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मैं नियम 300 के अंतर्गत एक गम्भीर समस्या, समय-समय पर जो इस सदन में उत्पन्न होती रहती है, उसके संबंध में आपकी व्यवस्था चाहूंगा। सभी सम्मानित सदस्य समय-समय पर विशेषाधिकार की सूचना आपको देते रहते हैं, विशेषाधिकार की सूचना जब बहुत ही अपरिहार्य हो जाता है तभी सम्मानित सदस्य इसको सूचना आपके माध्यम से इस सदन को देते हैं, पहले इसमें परम्परा यह थी कि आज से 10 साल पहले की यह सूचनायें विधान सभा में कही जाती थीं, लेकिन किन्हीं कारणों से धीरे-धीरे परम्परा यह बन गयी कि माननीय सदस्य अपनी सूचना आपको देते हैं, आप परीक्षण कराते हैं, उसके बाद जब आप उचित समझते हैं, कि सूचना पर माननीय सदस्य का बोलना आवश्यक है तब उसको इस संबंध में बोलने की अनुज्ञा देते हैं मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि ये गम्भीर समस्यायें होती हैं, और सम्मानित सदस्य इसीलिये उन सूचनाओं को आपके यहां भेजते हैं, लेकिन देखा यह जाता है कि कितनी भी गम्भीर समस्यायें हों उनको बिना माननीय सदस्यों को सुने खारिज कर दिया जाता है मुझे न तो आपके बारे में और न माननीय उपाध्यक्ष महोदय के बारे में कुछ कहना है उपाध्यक्ष महोदय विशेषाधिकार समिति

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के पदेन समस्या हैं, परम्परा यह होनी चाहिये कि ये सूचनायें विशेषाधिकार समिति के सामने जानी चाहिये जिससे वह उनका गहन परीक्षण कर सकें और जो साक्ष्य दोनों तरफ से आते हैं उन पर विचार करने के उपरान्त ही कोई निर्णय लें तो उचित होता लेकिन होता यही है कि वे सूचनायें जो आपके कार्यालय में जाती हैं, उनका परीक्षण तो होता है नियमावली में यह परिभाषित नहीं है कि उन नियमों के तहत विशेषाधिकार हनन की सूचना जो माननीय सदस्य देते हैं, उन पर उन्हें भी सना जायेगा। इससे असंतोष उत्पन्न होता है और माननीय सदस्य महसूस करते हैं, कि जो समुचित ढंग से विचार होना चाहिये था, वह नहीं हो पाता है मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नियमावली में भी परिवर्तन कराने की कृपा करें और यह निर्देश दे दें कि जो भी विशेषाधिकार की सूचना आयेगी वह विशेषाधिकार समिति को ही सीधे भेज दी जायेगी ।ओर जो भी उनका निर्णय होगा, उसकी सूचना सदन में दे देंगे, उसकी घोषणा सदन में कर देंगे। इससे यह होगा कि साक्षियों को सही ढंग से सुनने का मौका विशेषाधिकार समिति को होगा और परीक्षण ठीक से हो सकेगा। निर्णय, गहन अध्ययन के बाद लेंगे और कोई विरोधाभास नहीं होगा। इससे सदस्यों को भी संतोष रहेगा कि जो वह कहना चाहते थे वह बात तथ्यों के आधार पर कही गयी है। आग्रह करूंगा कि इस मामले पर अपना निर्णय जब सदन में दें तो जो बिन्दु मैंने रखे हैं उन पर विचार करते हुये अपना निर्णय देने की कृपा करें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित-

मान्यवर, इस सम्मानित सदन के कर्तव्यों का निर्वहन करते समय बहुत सी कठिनाईयां आती हैं। सामान्यतः इस सदन में हमारे जो कर्तव्य हैं, अगर उनको विभाजित करेंगे तो विधि निर्माण बजट चर्चाओं में हिस्सा लेना, प्रश्नोत्तर और जन समस्याओं से संबंधित प्रश्न जो प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल में हम आपकी अनुमति से उठाते हैं, मान्यवर इन कर्तव्यों के निर्वहन में हम लोगों को तमाम अधिकारियों/ कर्मचारियों के पास जाना पड़ता है। मान्यवर आप अवगत हैं, आप भी विधायक रहे हैं, और आज भी हैं, जिस समय हम कर्तव्यों के निर्वहन हेतु किसी अधिकारी के पास हम जाते हैं, उस समय जो अनुभूति होती है, उसके कटु अनुभव हम लोंगों के संज्ञान में हैं। मान्यवर, हम और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी एक बार आवास विकास परिषद् के दफ्तर में गये थे, डेढ़ दो घंटे अपना बस्ता लिये बाहर बैठें रहें, संबंधित अधिकारी ने नहीं बुलाया । जब बुलाया तो सुना नहीं। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के पास तो आज मोटर गाड़ी हो गयी है, पहले आप रिक्शा से जाया करते थे।

मान्यवर, जब हम लोग अपने कर्तव्य के निर्वहन में जगह-जगह अपमानित होंगे, सरकार द्वारा अपमानित होंगे, तो वे बातें अपनी संज्ञान में लाना चाहेंगे। मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि इस समय जो सरकार आयी है, यह जो माननीय विधायकों का अपमान हो रहा है, यह इस सरकार की अक्षमता के कारण हो रहा है। मान्यवर, कल भी मैंने विनम्रतापूर्वक कहा था कि यह सब इस

सरकार के के इशारे पर हो रहा है । मान्यवर, अगर हम लोग जगह जगह पर अपमानित होंगे तो आपके अलावा हमारा कौन संरक्षक होगा । मान्यवर, हम लोग जो अपमानित होते हैं उसके संबंध में आपकी सेवा में विशेषाधिकार अवमानना की नोटिस देते हैं, मान्यवर, उस नोटिस पर कार्यवाही की प्रक्रिया दी हुई है । मान्यवर, आप चाहें तो उस नोटिस का प्रक्रिया नियमावली के नियम 67 के अन्तर्गत यहीं निस्तरण कर सकते हैं, चाहे तो विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं, मान्यवर, जो गम्भीर मामले होते हैं, विशेषाधिकार अवमानना के उसमें परम्परा यह है कि उसे यहां न सुना जाय, उसे विशेषाधिकार समिति को भेज दिया जाय ताकि सूक्ष्म विचार हो सके और विषय पर लम्बे समय तक विचार किया जा सके। मान्यवर, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मेरा आप पर कोई आरोप नहीं है, अगर आरोप लगता है तो मैं पहले से ही आप से क्षमा याचना कर लेता हूं। मान्यवर, हुआ यह कि तमाम विधायकों ने इस प्रकार की विशेषाधिकार अवमानना की नोटिस आपको दी, मैंने भी आपको नोटिस दी । उन नोटिसों को अपने लिया। 7-8 दिन पहले आपने पीठ से निर्णय सुना दिये कि सूचनाओं को परीक्षणोपरान्त निरस्त कर दिया गया है। मान्यवर, परीक्षण की यह प्रक्रिया विशेषाधिकार समिति में होनी चाहिये या आपके अधीन कोई समिति हो , जिसमें हम लोगों में से भी कुछ सदस्य हों, में होनी चाहिये । यदि आपके निरीक्षण के बाद वह सूचनायें निरस्त हुई हैं तो मैं इस वापस लेता हूं परीक्षण की प्रक्रिया जो आपके सचिवालय में काम कर रहे हैं, बहुत शीघ्रता से कहीं अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा की गयी।

मान्यवर, दुनिया में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि शिकायतकर्ता को बिना सुने उनके संबंध में फैसला दे दिया जाय। मान्यवर, आप यहां पर सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, यह प्रदेश में सबसे बड़ी कुर्सी है, मान्यवर, जो हम लोगों का अपमान होता है, सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों का अपमान करना एक स्वभाव सा बन गया है मान्यवर, मेरा यह विनम्र सुझाव है कि अगर आप कृपापूर्वक नियमावली के नियम 78 के अन्तर्गत इन्हें विशेषाधिकार समिति को भेज दें जो सम्पूर्ण मामले की जांच करे तो पूरा मामला साफ साफ आ जायेगा। मान्यवर, यह आवश्यक नहीं है कि जो आरोपित व्यक्ति हैं, वह उसमें दोषी ही पाया जायेगा। लेकिन बिना सुने फैसला हो जाना इससे हमारे अधिकारों की रक्षा कैसे हो पायेगी ?

मान्यवर, आप अवगत हैं कि माननीय सदस्य अवगत हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री अवगत हैं, शासनादेश है कि जब कोई जनप्रतिनिधि किसी अधिकारी के पास जायेगा तो वह उनके सम्मान में मुस्करा कर खड़ा होगा। लेकिन उसका पालन कोई नहीं करता है, वे समझते हैं कि हम कोई भीख मांगने आये हैं, मान्यवर, यदि आपका संरक्षण हम लोगों को नहीं मिलेगा तो सदन में यह सब बातें कहना बेमतलब हो जायेगा। मान्यवर, आज इस सरकार को सत्ता में रहते हुये ।। माह हो चुके हैं, लेकिन हम लोगों की बातों पर कहीं कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

यही नहीं अध्यक्ष पीठ से जो निर्देश होते हैं, उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं होती है। मान्यवर, मेरा कहना यह है कि ऐसी सूचनाओं पर आप नियम 56 के अन्तर्गत सुन भी सकते हैं, मान्यवर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें शीघ्रता हो गयी है। मान्यवर, जब तक यह सरकार है, इस सरकार के कृत्यों को देखते हुये आपको कुछ फैसला करना होगा। अभी माननीय बृजभान यादव जी का मामला आया था, माननीय भारत सिंह का मामला आया था, अधिकारियों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, हो सकता है कि माननीय विधायकों की भी कोई गलती रही हो, मैं नहीं जानता लेकिन उनको सुना नहीं गया। मैंने सूचना दी थी, हमको नहीं सुना गया। मान्यवर, इस सरकार के अधिकारी बेलगाम हो गये हैं । मान्यवर, वैसे तो नियम 78 में प्राविधान है, लेकिन आपका हर कहा हुआ वाक्य नियम बन जाता है। मान्यवर, इसमें मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप इसमें अपना संरक्षण दें, इसमें माननीय सदस्यों को सुना जाय, क्योंकि यह सदन के अवमानना से संबंधित मामले होते हैं ।

श्री रामदेव आचार्य-

मान्यवर, अभी माननीय दीक्षित जी ने कहा कि यदि कोई आरोप लग जाये तो मैं उसके लिये पहले से माफी मांग लेता हूं। तो क्या माफी मांगकर आरोप लगाया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष-

मैं उसे कोई आक्षेप नहीं मानता हूं ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

श्रीमन् 1980 की विधान सभा के पहले जब माननीय सदस्य की विशेषाधिकार अवमान की सूचना होती थी तो उसमें यहां पर बहस होती थी और बहस होने के बाद उसमें निर्णय लिया जाता था। लेकिन 80 के बाद यह परम्परा बदल गयी अब विशेषाधिकार हनन की सूचना कार्य सूची में आ जाती है लेकिन उसका निस्तारण तत्काल नहीं होता है । श्रीमन् अब वह जरूरी हो गया है, जब जनप्रतिनिधि इस तरह से अपमानित होते रहेंगे प्रशासन के लोग उनको अपने से छोटा समझेंगे तो लोकतंत्र कैसे चल पायेगा, यह जो हमारी पंचायती राज की भावना है यह कैसे चल पायेगी । श्रीमन् हम भी सरकार में रहे हैं और आप लोग इस समय बड़े ऊचे पद पर हों, लेकिन जब इस तरह से विधायकों का अपमान किया जायेगा तो इससे बड़ी मुस्किल हो जायेगी, यह एक तरह से लोकतंत्र का अपमान है और इस संबंध में मान्यवर, राजाज्ञायें जारी होती रही हैं, और आपकी पीठ से भी निर्देश हुये हैं, लेकिन इन सबका पालन नहीं हो पा रहा है और उसका परिणाम यह हुआ कि जो पहले कभी सुनायी नहीं पड़ता था कि 10,15 साल पहले विधायक लोग एस0पी0 से मिलने गये हों और उन्हें कमरे से बाहर निकाल दिया गया हो लेकिन आज इस प्रकार की घटनायें प्रायः हो रही हैं। कि हम लोग मिलने जाते हैं और वह अधिकारी हमें तवज्जोह नहीं देता है । अभी इटावा के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एक विधायक को जो सत्ता पक्ष का था, उसको वहां के एस0पी0 ने कमरे से बाहर निकाल दिया, उन्हें अपमानित किया तो जब इस प्रकार की घटनायें हों तो उन पर अंकुश लगाया जाना चाहिये। जब सदस्य की अवमानना की बात हो अधिकारी के द्वारा तो इस सदन में चर्चा हो और चर्चा के बाद विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाये तो इससे अंकुश लगेगा और लोकतंत्र को बल मिलेगा । मैं आपके विवेक को परोक्ष रूप से चुनौती दे रहा हूं। आप इसे अन्यथा मत लें। आप विद्वान हैं और अनुभवी व्यक्ति हैं और हमें आप पर गर्व है इसलिये मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं और वर्तमान परिस्थितियों में यह अनिवार्य भी हो जाता है।

डा0 बृजभान यादव-

मान्यवर, माननीय दीक्षित जी ने अभी मेरे ऊपर आरोप लगाये हैं। मैं उस पर एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया बैठ जायें मैं आपको इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

*वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, बड़े गम्भीर विषय के बारे में अभी आपका और आपके माध्यम से हमारा ध्यान आकृष्ट किया गया। सदन के सभी सम्मानित सदस्य चाहे वह इधर बैठते हों या उधर बैठते हों जहां तक हमारे अधिकारों का सवाल है हमारे सम्मान की रक्षा का सवाल है, उसमें किसी तरह से बंटवारा नहीं है। जहां तक प्रक्रिया का ताल्लुक है, इस संबंध में माननीय नेता विरोधी दल ने यह निवेदन किया था कि आप इसके बारे में नियम समिति को संदर्भित कर दें तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब तक जो प्रक्रिया है उसमें निस्तारण की जो प्रक्रिया है तो जो सूचनायें आती हैं, या तो इस आदरणीय सदन में एक सदस्य दूसरे सदस्य के बारे में दे या दूसरा इस सदन के बाहर के मामले में हो.... तो मान्यवर, उसे परीक्षण करने के समय आवश्यकता पड़ने पर सूचना देने वाले सदस्य को भी सुनेंगे, सुनने के बाद निस्तारण करेंगे इसमें मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन जो संवेदनशील मामला उठा है उसके संबंध में संविधान के अनुच्छेद 194 खण्ड 3 में हमें अधिकार दिया है, लेकिन यह भी सही है कि अभी तक हिन्दुस्तान में हमारे विशेषाधिकार परिभाषित नहीं किये गये हैं, यह बड़ी भारी चर्चा चलती रही हैं कि यह परिभाषित होना चाहिये लेकिन परिभाषित नहीं हो पाया ऐसा भी हमारे यहां है कि जब तक इसको परिभाषित नहीं कर लेते तब तक विशेषाधिकार वही होंगे, जो हाउस आफ कामन्स में बने हुये हैं, हमारे विशेषाधिकार का स्रोत क्या हैं, हम सदस्य हो गये हैं तो सदस्य हो जाने मात्र से हमें विशेषाधिकार का हक प्राप्त नहीं हो जाता । सदन की कार्यवाही से अथवा अपने कार्यकलापों के संरक्षण की आवश्यकता पर हमें विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, हमें वाक् स्वातंत्र्य है, हम कोई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बात कहते हैं, हमारे कहने के बाद यदि कोई प्रताड़ित करने का प्रयास करता है, हम दबाव में लालच में, लोभ में बात कहें तो विशेषाधिकार बनता है ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय विधायक के पास सिवाय जनता के कार्य के अपना कोई कार्य नही होता है, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि सिवाय जनता के कार्य के मुझे कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं रहा । हम लोग जनता के कार्य से ही कहीं जाते हैं और जनता का हर कार्य सदन की सम्पत्ति है, इसको परिभाषित करने के चक्कर में घपला होता रहे यह बड़ी गलत बात है। कहीं कोई आई0ए0एस0 अधिकारी है हमने चिट भेजी है, वह बैठे गप मार रहे हैं, हम घंटों प्रतीक्षा कर रहे हैं, यह बात सही है कि सदन की कार्यवाही से संबंधित मामले में विशेषाधिकार बनता है परन्तु हर विधायक का कार्य जनता का ही कार्य है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

मान्यवर, अगर विजय सिंह राणा जी पूरी बात सुन लेते तो शायद उन्हें यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती । विशेषाधिकार अपनी जगह पर हैं लेकिन उसके बाद एक शिष्टाचार भी है, प्रोटोकाल भी है । जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा एक स्थान है जब उसके ऊपर हनन होता है, तो विशेष चिंता का विषय है, जो बात राणा जी ने कही, वही मैं भी कह रहा हूं। जनप्रतिनिधि के नाते हमें संरक्षण कैसे मिले जब हम जनप्रतिनिधि बन गये तो केवल निर्वाचन क्षेत्र हमारा घरौंदा नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता हमारा निर्वाचन क्षेत्र है, उसकी सेवा हम कर सकें, इसके लिये संरक्षण की आवश्यकता है। हम इस संबंध में प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ प्रक्रिया के बारे में विचार करने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी से भी प्रार्थना करेंगे, हमारी इससे सहमति है, जहां तक विशेषाधिकार का ताल्लुक है, उसके संबंध में नियमावली में दिया है, निस्तारण आप ही करेंगे, उसके संबंध में हमें कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह -

मान्यवर, विधान सभा की एक विशेषाधिकार समिति है, उसके समक्ष कई बार यह बात आ चुकी है कि एक विधायक का विशेषाधिकार कहां प्रारम्भ होता है और कहां समाप्त होता है, यह अमूमन कहा जाता है कि विधायक अपने किसी क्षेत्रीय कार्य से कहीं गया तो वह प्रोटोकाल में आ जाता है, प्रोटोकाल के बारे में शासन की तरफ से कई शासनादेश जारी हुये हैं और मुख्य सचिव के प्रपत्र भी जारी हुये हैं, मेरा सुझाव था कि माननीय सम्मानित नेताओं के साथ जब माननीय मुख्य मंत्री जी बैठक करें तो आप इस पर भी विचार कर लें कि प्रोटोकाल के संबंध में जो शासनादेश आदि जारी हुये हैं, मुख्य सचिव के प्रपत्र जारी हुये हैं, उन्हें इस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

विधान सभा से किस तरह जारी करने का हिसाब बन सके, तो उसमें क्या स्थिति बनेगी ?क्षेत्रीय कार्य से विधायक कहीं जाते हैं और वहां दुराचार होता है तो विशेषाधिकार होता है या नहीं ? विशेषाधिकार समिति कई प्रदेशों का भ्रमण भी कर चुकी है और उससे कुछ संकलन भी किये हैं, तो मैं चाहूंगा कि यह मुद्दा वास्तव में बहुत कन्ट्रोवर्सियल हो रहा है, उसमें कुछ निर्णय हो जाये तो उचित होगा ।

**जिला सलाहकार समितियों में से विधायकों को हटाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न**

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरा भी इसी से संबंधित मामला है उसे भी इसमें शामिल कर लें। केवल दो मिनट में अपनी बात कहूंगा, मेरा मामला चौथे नम्बर पर है ।

श्री अध्यक्ष-

इसको अलग से सुन लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी-

बिल्कुल इसी से संदर्भित है। इसी से जोड़ लें । माननीय विधायक जो यहां पर कार्यवाही चलती हैं उसमें भाग लेते हैं, यह उनके कर्तव्यों के निर्वहन में आता है। जिलों में जो विभाग है वह कैसे काम कर रहे है, उसकी जानकारी के लिये जिला सलाहकार समितियां बनी हुई हैं, उनके माध्यम से उनका दायित्व होता है कि उसमें वह भाग लें वहां पर क्या कार्य हो रहे हैं, जो कार्य हुये हैं, उनकी वह समीक्षा और अनुश्रवण करते हैं ।

मुझे सूचना मिली है सिंचाई और ऊर्जा की जो जनपद स्तर की सलाहकार समितियां थीं उनमें से सम्मानित विधायकों को हटा दिया गया है। उनके स्थान पर 5 सदस्य शासन द्वारा नामित होंगे । यह बहुत ही गंभीर प्रकरण है जो विधायकों के अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है। विकास की गंगा जो प्रभावित हो रही है उसमें से विधायकों को हटा देने से अधिकारी मनमाने ढंग से कार्य करेंगे। जब यह समितियां नहीं होंगी तो जिला स्तर के कार्यों का हम कैसे अनुश्रवण करेंगे? अभी तक ऐसा होता आया है कि जिलास्तर की समितियों का वर्णमाला क्रम के अनुसार सदस्य अध्यक्षता करते रहे हैं और अपने विचार उसमें व्यक्त करते रहे हैं और सुझाव भी देते रहे हैं, उसमें दलीय भेदभाव की कोई बात नहीं रहती है। हर आदमी अपने सुझाव उसमें देता है और कार्यों का अनुश्रवण करता है। अगर 5 सदस्य यहां से नामित किये जायेंगे तो निश्चित है कि किसी भी जनपद का सम्पूर्ण क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता है। मात्र कुछ जनपदों को छोड़ कर जिनमें 5 सदस्य हैं, अधिकांश में इनसे अधिक माननीय सदस्य हैं, अगर यह परम्परा बनी तो निश्चितरूप से प्रगति की गंगा में विधायकों के अधिकार प्रभावित होंगे । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कि क्या ऊर्जा और सिंचाई सलाहकार

---

* वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

समितियों से विधायकों के नाम हटा दिये गये हैं, अगर ऐसा है तो तत्काल आज ही घोषणा कर दें कि यथाशीघ्र सभी विधायकों को जिला सलाहकार समितियों में सदस्य बनाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

दोनों विषयों पर फैसला एक साथ मैं दूंगा।

वित्त, संस्थागत वित्त, नियोजन एवं संसदीय कार्य मंत्री( श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, जिन बातों की ओर माननीय नेता कांग्रेस ने ध्यान दिलाया है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिन दो कमेटियों का नाम लिया है या जो भी और इस तरह की समितियां हैं उनमें से किसी विधायक को हटाने का सवाल ही नहीं है। इस समय मेरे पास इन समितियों की रचना की सूचना नहीं है। जिनमें गैर सदस्य भी होंगे लेकिन जिन दो समितियों के नाम आपने लिये मेरी निजी जानकारी है मेरे जिले में जो बैठकें होती हैं, उसका मेरे पास एजेण्डा आता है कार्यवृत्त आता है। मान्यवर, आप भी मंत्री रहे हैं, मन्त्री होने के नाते हम अपना प्रतिनिधि नामित करते हैं, तो इन दो समितियों की जो बात आपने कही उनमें से विधायकों को नहीं हटाया गया है। यह दोनों ही महत्वपूर्ण समितियां हैं। बिजली के संबंध में जो बैठकें होती हैं, शासन की ओर से जो प्रस्ताव आते हैं, स्थानों का चयन हम खुद करते हैं, इसी तरह से सिंचाई के प्रकरण में भी जो वास्तविक जानकारी हम दे सकते हैं, वह अधिकारी नहीं दे सकते हैं, तो शासन का कोई इरादा माननीय विधायकों को अलग करने का नहीं है।

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का स्पष्ट आश्वासन आ गया है कि किसी समिति से विधायकों को नहीं हटाया जायेगा इसलिये मैं अपने औचित्य के प्रश्न पर बल नहीं देता हूं।

**विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना पर संबंधित सदस्यों को सुने न जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)**

श्री अध्यक्ष-

यहां तक पहला औचित्य का प्रश्न है, जिसे नेता विरोधी दल, दीक्षित जी और बेनी प्रसाद वर्मा जी ने वर्तमान जो विशेषाधिकार भंग होने पर अपनाई जाती है वह मोटे तौर पर सूचना यह है कि प्राप्त होने के बाद हम उसे संबधित मंत्री के पास भेजकर उससे उसका उत्तर मांगते है, इसमें स्वाभाविक है कि वह सम्बन्धित मंत्री जिस अधिकारी के खिलाफ मामला है उससे सूचना मांगेगा। उसके बाद विभाग में उसका परीक्षण होता है और प्राग्दर्शन में लगता है कि विशेषाधिकार भंग हुआ है, तो उसे विशेषाधिकार समिति को प्रेषित किया जाता है। नियम 65 में ग्राह्यता के लिये कुछ शर्तें निर्धारित हैं वह पूरी होती हैं उस पर अग्रिम कार्यवाही की जाती है उसके अनुसार एक तो प्रश्न किसी हाल की घटना से संबंधित हो। दूसरे सूचना

में जो तथ्य है उसके अनुसार प्राग्दर्शन में भंग होने का मामला बनता हो और विषय ऐसा हो जिसमें इस सदन के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो । इस दृष्टि से परीक्षण किया जाता है और कभी आरोप गंभीर होते हैं तो सीधे सम्बन्धित विभागीय अधिकारी को और सम्बन्धित मंत्री को भेज दिये जाते हैं और फिर उस पर परीक्षण किया जाता है । जो नियम समिति के बारे में अभी यहां महत्वपूर्ण विचार दिये गये हैं और इसे नियमों में शामिल करने की बात है, तो उसमें इस विचार होगा । मैं भी इसके सम्बन्ध में नियम में संसोधन करने पर विचार करूंगा । मैं तब तक यह निवेदन करना चाहता हूं कि सूचना पर सुनने में कोई आपत्ति नहीं है । अगर माननीय सदस्य अपनी सूचना में एक पंक्ति यह लिख दिया करें कि अंतिम निर्णय के पहले उन्हें सुन लिया जाये तो नियम 66 के परन्तुक में अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह अपने विवेक के अनुसार चाहे तो सुन सकते हैं और आप जानते हैं कि अध्यक्ष का विवेक सुनवाई के पक्ष में ही प्रयोग होगा । मेरा निवेदन है कि जब आप सूचना दें तो इंगित कर दिया करें कि आपको सुन लिया जाये ।

(व्यवधान)

डा0 बृज भान यादव-

मुझे मान्यवर यह निवेदन करना था ।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब आप का प्रकरण समाप्त हो गया है । (व्यवधान) आप इसको व्यक्तिगत बना रहे हैं, मैं सिद्धान्त की बात कह रहा हूँ । इस विचार करते समय किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि यह मामला आपसे सम्बन्धित है, इसलिए उठाया जा रहा है । आप इसको व्यक्ति से न जोड़िये, सिद्धान्त से जोड़ें । मेरी आपसे कक्ष में बात हो चुकी है । बहुत सी चीजें माननीय सदस्यों के ही हित में रहती हैं कि कक्ष की बात को कक्ष तक ही रहने दें । यही अच्छा होता है (व्यवधान) आप की सूचना आ गई है, मैं इसको लिये ले रहा हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सूचना पर आप किसी सम्बन्धित मंत्री से उत्तर मांगते हैं वह तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुछ सूचनाएं ऐसी हैं, जो बिल्कुल आपके सामने ही घटित होती हैं और विधान सभा से ही वह मामला सम्बन्धित होता है । तो ऐसे मामलों में जिन मा0 सदस्यों से सम्बन्धित होता है उनके पास भेजने के नाम पर या उत्तर मंगवाने के नाम पर अनावश्यक विलम्ब किया जाता है । यह अनावश्यक विलम्ब विशेषाधिकार के मामले में न हो तो अच्छा रहे । देर होगी तो प्रश्न उठाने वाले का तथा प्रश्न के उद्देश्य का मतलब ही समाप्त हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष-

आप ठीक कह रहे है, मैं इसको भी देख लूंगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

तो मेरे विशेषाधिकार की सूचना को आप सुन लें। मैंने मुख्य मंत्री के खिलाफ सदन में सूचना दी थी जो सदन के सामने घटना घटित हुई थी । उन्होंने सदन में बयान दिया था और इसमें अधिक समय लगने की बात नहीं है, फिर भी आप उनसे पूछने के लिए उसे भेजा है । तो यह बहुत लम्बी प्रक्रिया हो गई । लेकिन जो विशेषाधिकार एक सदन के अपमान का प्रश्न मैंने मुख्य मंत्री के खिलाफ दिया है उसको आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी बात पर विचार कर लूंगा । संसदीय कार्य मंत्री ने एक अनुज्ञा मांगी है शोक प्रस्ताव पेश करने की ।

## राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठतम् नेता श्री भाव राव देवरस के निधन पर शोकोद्गार

*वित्त संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं नियम 110 के तहत सदन से अनुज्ञा मांगता हूं कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठतम् नेता श्री भाव-राव देवरस का आज प्रातःकाल निधन हो गया है इसलिए उनके प्रति शोक संवेदना प्रकट करने के लिए मुझे प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाय ।

श्री अध्यक्ष-

शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के संबंध में मैं समझता हूं सदन सहमत होगा ।

(सर्वसम्मति से प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सहमति व्यक्त की गयी ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, मुझे इस आदरणीय सदन को सूचना देते हुए अत्यन्त दुख है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठतम् नेताओं में से एक भाव राव देवरस थे जो आज प्रातःकाल हमारे बीच से सदा के लिए उठ गये। मान्यवर हमारे विचारों से कोई मतभेद हो लेकिन भावराव देवरस जी का देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है । उन्होंने बचपन में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माध्यम से देश सेवा का व्रत लिया और अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया । उत्तर प्रदेश में वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के लिए आये और बी0 काम की डिग्री लेने हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया । यहां आने के बाद

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिश्रम करके संगठन का उन्होंने जाल बिछाया और मुझे यह कहते हुए संतोष होता है कि वह सामाजिक सेवा करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में बी0 काम में गोल्ड मैडिलिस्ट, फर्स्ट क्लास उत्तीर्ण हुए । उन्होंने एल0 एल0 बी0 भी किया । उनके जीवन से देश में हजारों लोगों ने अपने जीवन में एक समाज सेवा का व्रत लिया और उन्होंने पूरे देश का अनेक बार भ्रमण करके लोगों में समाज सेवा की भावना पैदा किया । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के अनेक पदों पर रहते हुए साहित्य प्रकाशन के काम पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रेरणा से चलने वाले अनेक संगठनों का मार्ग प्रशस्त किया तो जब लखनऊ में आते थे, मुझे सौभाग्य है कि उनके चरणों में बैठने का मुझे शौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन आज वो हमारे बीच से चले गये जब कि देश को उनकी बड़ी आवश्यकता थी । अनेक वर्षों तक हमें उनका मार्ग दर्शन प्राप्त होता रहा और आज देश में जब ऐसी परिस्थिति बन रही है जब उनके मार्गदर्शन की अति आवश्यकता थी जिससे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन आगे बढ़ता ।

इन शब्दों के साथ मैं देवरस जी. के प्रति अपने और अपने दल की ओर से शोक संवेदना प्रकट करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके जीवन से हमेशा हमें मार्ग दर्शन प्राप्त होता रहे । मान्यवर, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यह होगी कि उनके बताये हुए मार्ग पर हम आगे बढ़ें और प्रार्थना करता हूं यह भावनायें, कहा जाता है उनके परिवार तक, लेकिन उनका अपना परिवार कोई नहीं था, उन्होंने विवाह भी नहीं किया और सम्पूर्ण समाज उनका परिवार है तो हमारी भावना सम्पूर्ण समाज तक पहुंचाने की आप कृपा करें ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

माननीय अध्यक्ष महोदय अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूँ । श्री भावराव देवरस आज दिवंगत हो गये हैं । उन्होंने जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के माध्यम से लोगों की सेवा की है उसके प्रति और इस संगठन को मजबूत करने में अपना जो योगदन दिया है आज वह हमारे बीच में नहीं हैं, हम अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि उस संगठन के जो भी पदाधिकारी हों उनको हमारी ओर से यह श्रद्धांजलि पहुंचाने की कृपा करें ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री ने जो दुखद सूचना सदन में दी है कि श्री देवरस जी का निधन हो गया तो मान्यवर वह इस प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के सामने एक नया अध्याय जोड़ने का काम उन्होंने किया है । मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं था लेकिन जो संसदीय कार्य मंत्री ने और नेता विरोधी दल ने उनके प्रति संवेदना प्रकट किया है मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए आपसे

प्रार्थना करता हूँ कि हमारी ओर से और हमारे दल की ओर से शोक संवेदनाएं उनके पदाधिकारियों तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री सुरेश प्रताप गांधी-

मान्यवर, माननीय भाव-राव देवरस जी का इस सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान था । संघ की परम्पराओं और पद्धति के अंतर्गत उन्होंने इस समाज और देश की उल्लेखनीय सेवा की है उसके लिए यह समाज ऋणी रहेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, नेता विरोधी दल ओर नेता कांग्रेस पार्टी ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूँ । मान्यवर हमारी और हमारे दल की शोक संवेदनायें उनके संगठन तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

श्रीमन्, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से हमारे मतभेद हो सकते हैं और हैं भी लेकिन मृत्यु किसी की भी हो वह दुखद होती है और उनके परिवारजनों, मित्रों के लिए और सभी के लिये दुखद होती है । हमको देवरस जी की मृत्यु से दुख है । आज तो हमको लगता है कि सदन में मृत्यु बहुत ही हमारी पार्टी के निकट के और यहां के हाईकोर्ट के वरिष्ठ वक्ता श्री सीताराम का निधन हो गया और मैं उनके दाह संस्कार से अभी आया था और यह दुखद सूचना सुनाई पड़ी, इसलिए निश्चय ही इससे हम सभी को दुख हैं । मान्यवर आपसे अनुरोध है कि उनके मित्रों तक हमारी शोक संवेदनायें आप पहुंचाने की कृपा करें।

श्री राम लखन-

श्रीमन् भावराव देवरस जी के प्रति जो शोक संवेदनायें संसदीय कार्य मंत्री, नेता विरोधी दल, नेता कांग्रेस और अन्य नेताओं ने जो व्यक्त की है, मैं अपने को और अपने दल को उससे सम्बद्ध करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे और हमारे दल की ओर से शोक संवेदनायें उनके संगठन के पदाधिकारियों तक भेजने की कृपा करें ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, अभी जो सूचना सदन में सुनाई गयी है, भावराव देवरसजी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठतम सदस्य थे, उनके निधन से मुझे अत्यन्त दुख है। अभी जो संवेदनायें संसदीय कार्य मंत्री और नेता विरोधी दल एवं अन्य नेताओं ने व्यक्त की हैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं। और आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके संगठन के पदाधिकारियों तक हमारी शोक संवेदनायं पहुंचाने की कृपा करें।

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष-

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक वरिष्ठतम नेता श्री भावराव देवरस का आज निधन हो गया है। समाज सेवा के क्षेत्र में समाज के उत्थान के लिये जो उन्होंने योगदान दिया है वह उल्लेखनीय है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य माननीय नेताओं ने जो शोकोद्गार व्यक्त किये हैं, मैं अपने को उससे सम्बद्ध करता हूं। मेरा उनसे व्यक्तिगत परिचय भी था। अभी 15-16 दिन पहले जिस नर्सिंग होम में वह भर्ती थे, मैं देखकर आया था मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हम सब को मार्गदर्शन करने का जो अधिकार है, उसे छोड़कर शरीर त्या गकर देंगें। मैं अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सब की ओर से शोक संवेदनायें संघ परिवार तक मैं प्रेषित कर दूंगा। मैं निवेदन करता हूं कि उनके प्रति श्रद्धांजलि के लिये हम सब दो मिनट खड़े हो जायें।

(दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुये।)

श्री शिव कुमार बेरिया-

मान्यवर, मेरा भी एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम 300 की सूचनायें ले रहा हूं। आप एक मिनट प्रतीक्षा करें। माननीय हरेन्द्र सिंह जी की भी सूचना है। इन्हें अपने स्वास्थ्य की जांच के लिये जाना है। आपसे निवेदन है कि क्रम से पहले उनकी सूचना ले ली जाय।

श्री भगवन्त प्रसाद-

मान्यवर मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं कह रहा हूं कि इतने बड़े नेता का देहान्त हो गया है । आपने शोक प्रस्ताव रख दिया । मेरा कहना है कि यह हाउस आज के लिये ऐडजार्न कर दें कोई जरूरी काम हो तो करें । मैं नही जानता कि क्या परिपाटी है मेरा तो यह प्रस्ताव है ।

**समितियों की बैठक में जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बढ़ी नौबाद में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना किये जाने संबंधी लिये गये निर्णय का क्रियान्वयन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न**

श्री हरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, विधान सभा विभिन्न विषयों और विभागों से संबंधित समितियों का गठन करता है ।

श्री अध्यक्ष-

आप एक मिनट में बात समाप्त करें ।

*श्री हरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, सदन के प्रस्ताव के अनुसार ही इन समितियों का गठन किया जाता है, आपके द्वारा नामित सदस्य उसमें भाग लेता है। ऐसी ही एक विधान सभा की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रतिनिहित समिति है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की। 1988-89 में आपकी पीठ से नामित सदस्य होने के कारण उस समिति में मैंने भाग लिया था। उस समिति की बैठक में यह तय किया गया था जो कि स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई थी कि जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम गढ़ी नौबाद ऐसी स्थान है जहां पर 20 किलोमीटर की परिधि में कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जायेगी । मैंने प्रार्थना-पत्र स्वास्थ्य मंत्री जी को दिया उन्होंने उस पर आदेश कर दिया स्वास्थ्य एवं चिकित्सा समिति की बैठक में दिये गये निर्णय एवं आश्वासन के अनुकूल कार्यवाही की जाय स्वास्थ्य सचिव ने पूरी पत्रावली लिखकर कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की बात है स्वास्थ्य मंत्री जी को दे दी मुख्य मंत्री ने 19 मार्च को राजाज्ञा लागू कर दी 43 लाख 64 हजार रुपये की स्वीकृति हुई। मान्यवर, इसके बाद जब दूसरी सरकार आई तो निर्माण कार्य आरम्भ हुआ । वहां के गरीब किसानों ने विद्यालय की जमीन जहां पर बच्चे पढ़ते थे निःशुल्क अस्पताल के लिये दे दी। हीर आवास द्वारा निर्माण कार्य हो रहा था । 6 लाख रुपये व्यय हो गये। वहां पर 35 कमरे छोटे बड़े मिलाकर बने हैं, जिनका कि स्ट्रकटचर खड़ा हो गया । लेन्टर पड़ना बाकी है ।

मान्यवर, निर्माण कार्य रोके जाने से हमारे क्षेत्र की जनता में आक्रोश है। मान्यवर, इस सदन की स्थायी समितियां सदन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं, तो फिर इनका तो कोई औचित्य नहीं रह जाता है समिति द्वारा मान्यवर, निर्णय हो गया । निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो गया, अब उस कार्य को रोककर जो राजस्व की हानि हुई है इसका उत्तरदायी कौन है। उस क्षेत्र के सांसदों द्वारा कई बार इस बारे मे कहा गया । संसदीय कार्य मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी से भी अनुरोध किया गया।

श्री अध्यक्ष-

समय हो गया है ।

श्री हरेन्द्र सिंह-

प्राथमिक केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अन्तर है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तो हो सकते हैं लेकिन जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होते हैं, उसमें पैथालोजी, एक्सरे आदि की सुविधा होती है, मान्यवर, इसमें सांसद भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं जनता में रोष व्याप्त है यह सदन मान्यवर, नियमों के तहत चलता है स्थायी समिति हो गयी एक निर्णय ले लिया गया उसमें 6 लाख व्यय हो गया उसके बाद रोक लगा दी जाये इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। इसमें संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उसका निर्माण पूरा करा दें।

श्री कैलाशनाथ सिंह यादव-

मान्यवर, एक मिनट में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा ।यह प्रश्न मुजफ्फरनगर के गढ़नीबाद के संबंध में जो हरेन्द्र मलिक जी ने उठाया है कि 35 कमरों का निर्माण हो गया है 6 लाख स्वीकृति हो गया थोड़ा सा कार्य शेष बचा है तो इस पर विशेष कृपा हो जाय। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शासन की ओर से खोलने का आश्वासन दे दें ताकि शीघ्र निर्माण हो जाये ।

*वित्त संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

माननीय सदस्य ने जिस ओर ध्यान आकृष्ट किया है उसका तर्क सही है आधे से अधिक निर्माण हो गया है योजना हमारे संज्ञान में आई है, हम बता दें, कि उस भवन का सही उपयोग होगा इस पर विचार हो रहा है। निर्णय की जानकरी करा दी जायेगी ।

श्री हरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा सदन के निर्णयों के अनुरूप स्थायी समिति का गठन किया गया सदन के प्रतिनिधि के रूप में स्थायी समितियां कार्य करती हैं। जो कार्यवाही की जा रही है, उसको क्या विभाग को रोकने का अधिकार है। सदन की स्थायी समिति जो काम करती है, फिर उसका क्या औचित्य है ?

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मान्यवर, चूंकि सदन में आपने कहा है कि सत्तापक्ष और विपक्ष में कोई विभेद नहीं किया गया है जो विकास के कार्य होंगे इसमें सबको बराबर माना जायेगा जैसा हरेन्द्र सिंह जी ने उदाहरण दिया है जहां काम हा गया है और कुछ काम शेष बचा है और इससे सदन को आश्वासन दे दें कि कार्य चलता रहेगा और पूरा करा दिया जायेगा इसमें आश्वासन दे देंगे मुझे पूरा विश्वास है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

जैसा मैंने कहा कि सब बातों पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जायेगा जनता के हित में निर्णय लिया जायेगा प्रशासन के पैसे का दुरुपयोग नहीं होगा।

श्री हरेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मेरी बात का उत्तर नहीं आया । मैंने एक बात पर बल दिया था कि जो स्थायी समितियां विधान सभा की प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं, उनके निर्णय का कोई औचित्य है या नहीं आप भी मान्यवर, सहमत होंगे कि आपके दल के सांसद महोदय ने 12 पत्र लिखे हैं, और आपसे जनता मिली भी है। इस मामले में स्पष्ट आश्वासन देने में आपको क्या कठिनाई है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय सदस्य जब जानते हैं कि इस संबंध में मुझको कौन कौन

---

* वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ।

मिला क्या बात हुई तो उस बात को सदन में उठाने से कोई लाभ नहीं है। मैंने कहा है कि जनता की भावनाओं को, जनता के हित, सब बातों को देखते हुये फैसला किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य की भावनाओं को भी देखते हुये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

माननीय सदस्य की भावनाओं का सबसे पहले ध्यान रखा जायेगा ।

**किसी अपराधी के विरुद्ध मैजिस्ट्रियल जांच के दौरान पीठ से एफ0आईआर0 दर्ज किये जाने के निर्देशों के संबंध में औचित्य का प्रश्न**

*श्री रवीन्द्र शुक्ला-

मान्यवर, विरोधी दल के नेता जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं और सामने बैठे हुये अनेक माननीय सदस्यों ने कई बार चिन्ता व्यक्त की है कि प्रदेश के अन्दर अपराधों की श्रृंखला न बढ़े और अपराधों में कमी आये और जनजीवन सुरक्षित रहे। लेकिन यह देख कर दुख होता है कि सदन में कुछ ऐसे प्रश्न उठाये जाते हैं जिनसे प्रदेश में अपराधों को बढ़ावा मिलता है । एक प्रकरण कल सदन में आया माननीय बाबूराम जी ने वह प्रकरण उठाया था एक ऐसा अपराधी जिसके ऊपर 23 अपराध विभिन्न थानों में दर्ज थे, डकैती, राहजनी, अपहरण, 307 जैसे संगीन मुकदमें दर्ज थे, मैंनपुरी तथा आसपास के जिलों में जिसका आतंक था ऐसा अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया प्रश्न यह था कि पुलिस मुठभेड़ में मारा गया या घर से पकड़कर मारा गया अपराधी था इसलिये मारा गया । 17-9-92 को उसके भाई ने धिरोड़ थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई थी कि मेरा भाई अपराधिक व्यक्ति है और मेरे साथ मारपीट की है। उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी पत्नी ने डी0एम0 को प्रार्थना पत्र दिया जिस पर मैजिस्टीरियल जांच के आदेश हुये। पीठ से आदेश हुआ कि एफ0आई0आर0 दर्ज हो । जब मैजिस्टीरियल जांच चल रही है, मेरा कहना है कि एफ0आई0आर0 दर्ज की जाय, लेकिन जब एक जांच चल रही है तो दूसरी जांच कर दी जाय इसका औचित्य नहीं बनता है। मैं व्यवस्था यह चाहता हूं कि एफ0आई0आर0 दर्ज की जाय लेकिन उसको मैजिस्टीरियल जांच के साथ सम्बद्ध कर दिया जाय ताकि अपराधों को बढ़ावा न मिले और पुलिस हतोत्साहित न हो ।

*श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, आपने देखा होगा कि मैंने आपको ज्यादा तकलीफ नहीं दी है। यह तकलीफ इसलिये देनी पड़ी कि आप कानून के बड़े ज्ञाता हैं, संविधान है, कानून है, एक दर्जन नहीं, 4 दर्जन केस किसी के ऊपर हों यह तय करना पड़ेगा कि क्या किसी को बिना अदालत के, क्या पुलिस को किसी की जान लेने का अधिकार है। या किसी नागरिक को किसी नागरिक की जान लेने का अधिकार है। 25 अपराध हों, 30 अपराध हों, 100 अपराध हों, किसी को किसी की जान लेने का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अधिकार नहीं है, एक जिले की नहीं 10 जिलों की जनता जानती है कि उसको पकड़कर पुलिस ने मारा है। वहां पर नागरिकों ने घेराव किया तो डी0एम0, एस0पी0, डी0आई0जी ने यह आश्वासन दिया कि इस स्थिति से बचा लीजिये बाद में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे लेकिन बाद में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई । मान्यवर, यह सवाल हम नहीं उठा सकते जैसा कि यहां पर उठाया गया । मान्यवर, मेरी मजबूरी हो गयी है कि एक-एक का नाम जाहिर कर दूं । इस प्रदेश के जो बड़े बड़े अपराधियों की यहां पर चर्चा चलती है, मैं सच्चाई से कहना चाहता हूं कि इस सम्मानित सदन का आदर करते हुये भी हमने सदन के अन्दर सूची जाहिर नहीं की है। हम चाहते हैं कि इस सदन की मर्यादा बनी रहे। जबकि एक ही पार्टी के लोग सबसे ज्यादा अपराधी रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अपराधी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, मैंने वह सूची इसीलिये सदन में नहीं उठाई ताकि जिसमें हिम्मत हो, मुकदमा दायर करे। सदन में जो बोलते हैं, तो न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। सदन के बाहर इसीलिये कहा । किसी भी अपराधी को, मैं बराबर कहता हूं। सदन के बाहर भी कहा कि तमाम अपराधी हैं, अपराधी की सजा क्या है।( × × ×) ऐसे सवालों पर इजाजत नहीं दी जानी चाहिये, जिसमें आपको खुद जानकारी हो और आपका निर्णय हो चुका हो। आप जैसे विद्वान जिसने न जाने कितने मुकदमें लड़े होंगे, आप जानते हैं कि अभी लोकतंत्र है। हिन्दुस्तान के संविधान के रहते किसी पर चाहे 4 केस लगे हों, उसको सीधे-सीधे गोली मारने या जान लेने का अधिकार केवल न्यायालय के निर्देश पर ही हो सकता है। इसमें आप निर्णय ले चुके हैं, इसलिये चूंकि आपके संज्ञान में है, इसलिये इजाजत नहीं देनी चाहिये।

*श्री बाबूराम यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, यह मामला आज तीसरी बार उठ रहा है। बात सिर्फ इतनी ही है कि उस लडके को, जिसकी उम्र 22 साल की थी, जिसके बारे में माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बहुत बड़ा अपराधी था, तो उससे बड़ा अपराधी मैनपुरी में दर्ज है । ( × × ×)

(घोर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा। शान्त हो जाइये। मैंने निकलवा दिया है। कोई भी आपत्तिजनक बात होगी तो स्वयं निकलवा दूंगा।

---

नोट:-(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, बात सिर्फ इतनी है कि उसको मैनपुरी के स्टेशन के सामने से पुलिस ने साढ़े दस बजे पकड़ा और डेढ़ बजे गोली मार दी इस बात के तमाम लोग गवाह हैं। प्रदर्शन हो चुके हैं और सभायें हुई हैं। हमारा कहना है कि फर्जी इन्काउन्टर सरकार और पुलिस रोके । मैं आज भी कहता हूं कि पुलिस आमने सामने अधिकारियों से मुठभेड़ करके अपराधियों को मार ले तो मैं अपने हिसाब से इनाम दूंगा लेकिन यह ठीक नहीं है कि किसी आदमी को घर से पकड़ कर मार दें, यह गलत है। इस संबंध में निवेदन किया था कि उस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है। वहां का एस0एस0पी0 लाखों रुपया रिश्वत ले रहा है, इसलिये सरकार को उंगलियों पर नचा रहा है। आज भी कह रहा हूं, आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि इस सदन की एक कमेटी बना दी जाय। वहां का एस0एस0पी0 लाखों रुपया पुलिस से ले रहा है, जनता से ले रहा है, उसकी जांच करा लें, उसके बाद में जो परिणाम हो, सामने आयेगा ।

श्री अध्यक्ष-

केवल विषय पर बोलें ।

श्री बाबूराम यादव-

इसी विषय से संबंधित है । आपके सदस्य उस एस0एस0पी0 के निर्देश मानते हैं, आपके आदेशों से इस मामले में रिपोर्ट हो जाय और फिर उसकी जांच सी0आई0डी0 से करा लें। यह कहा गया कि मैं तो बहुत खुशकिस्मत होऊंगा जो रिपोर्ट दर्ज न हुई हो तो बतावें इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हो उसके बाद सी0आई0डी0 से जांच करा लें ।

*वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, इस विषय पर चर्चा की आवश्यकता नहीं है। आपने एक निर्देश दिया था शासन को, उसका पालन करने में मैंने कल भी कहा था कि पुनर्विचार की प्रार्थना कोई कर ले, आपको करना है उसके बाद जो निर्णय आपका होगा, शिरोधार्य है। आज औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपसे प्रार्थना की गयी है, चूंकि मैजिस्ट्रेट से जांच हो रही है और वह प्रथम सूचना भी है वह भी इन्ही को दे दी है मैं एक नीति घोषित करना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को आरोपित करना, आरोप के लिये दण्ड तय करना और दण्ड इक्जीक्यूट करना, यह अधिकार एक व्यक्ति को नही होना चाहिये। इसीलिये मैं इन्काउन्टर के खिलाफ हूं। इन्काउन्टर हुआ, तथ्य की सूचना आ गयी, यह भी सूचना आ गयी कि मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है। मान्यवर, इस पर चर्चा से कोई लाभ तो है नहीं, जो भी निर्णय होगा, मुझे स्वीकार है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, यह सदन की परम्परा रही है कि कोई सूचना संज्ञान में आती है, उसको आप सुनते हैं और आप निर्देश दे देते हैं, तो वह निर्देश सरकार के आश्वासन से ज्यादा माना जाता है और तत्काल उस पर कार्यवाही की जाती है, यह संसदीय लोकतंत्र की परम्परा है और यह भी इस सदन में नहीं हुआ है कि आपकी पीठ से कोई निर्देश हो गया हो, और उस पर पुनर्विचार हो । जो इन्काउन्टर होते हैं, उस पर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच तो होती ही है कि उसको फर्जी इन्काउन्टर दिखा कर मारा गया है। मान्यवर, किसी भी आदमी को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। आप जब गुप्ता जी इधर बैठते थे, तो यही बात कहते थे, लेकिन आप उधर बैठे हैं, तो सरकार की वकालत कर रहे हैं। पुलिस को जब यह अधिकार दे दिया जायेगा कि वह किसी की भी जान ले ले और जो अधिकारी हैं, फर्जी इन्काउन्टर दिखा कर किसी की जान ले लें तो यह डिमोक्रेसी कहां रहेगी। मान्यवर, आपकी पीठ से दिये गये निर्देशों का अनुपालन न हुआ हो और उस अधिकारी को बचाने के लिये पुनर्विचार की बात कही जाय, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसी नियत से आपके सामने यह मामला फिर से उपस्थित किया गया। मान्यवर, जो निर्देश आपने दिये हैं, उनका निश्चित रूप से अच्छरशः पालन होना चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, आपके निर्देशों का पालन तो प्रथम सूचना के रूप में हो चुका है। इसमें कहीं कोई बाधा नहीं है, उसमें कोई बहस नहीं है। अब एक विषय विचारणीय है उस पर आपने व्यवस्था दे दी है। मान्यवर, सदन में गलत सूचना नहीं दूंगा यह विश्वास करें ।

*नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य, झांसी श्री रवीन्द्र शुक्ल जी ने औचित्य का सवाल उपस्थित किया, मैं आपसे आग्रह करूंगा अभी परसों माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी दो तीन दिन पहले गृह विभाग के अनुदान पर घोषणा की थी कि अपराधिक चरित्र के जो लोग हैं, उन्हें टिकट नहीं देना चाहिये और एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये कि जिससे कोड आफ कंडक्ट बने और कोई भी दल इस तरह की बात न करे। अभी दो-तीन दिन पहले यह बात की गयी थी। माननीय मुलायम सिंह ने स्पष्ट कर दिया कि अभी दिल्ली के चुनाव में जो टिकट आपने दिया है वह तो आप जाने, किन परिस्थितियों में आपने दिया है, लेकिन तीन दिन पहले बात ऐसी करते हो, और आचरण उसके विपरीत करते हो, तो यह कैसे चलेगी, लोकतंत्र की मर्यादा क्या इसी तरह से चलेगी ? लोकतंत्र में क्या किसी भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकारी को यह अधिकार है कि बिना नियम कानून के किसी व्यक्ति को गोली मार दे चाहे वह अपराधी व्यक्ति हो, उसके साथ एक प्रक्रिया होनी है उसके तहत काम करने का निदेश है और जब आपकी पीठ से निर्देश हो जाये तो उसमें हीलाहवाली करने का कोई औचित्य नहीं है। अब कह रहे हैं कि पुनर्विचार करेंगे। जब आपने एक बात कह दी तो फिर दोहरा आचरण नहीं अपनाना चाहिये। कथनी और करनी में अन्तर न करें। दो दिन पहले यही सदन में मुख्य मंत्री ने घोषणा की और दो दिन बाद दूसरा आचरण दिखाई पड़ रहा है और माननीय अध्यक्ष के निर्देश की खुली अवहेलना हो रही है। यह परम्परा ऐसी न बनायें । सदन बड़ा गरिमामय है, जो बात कही जाये उसका पालन किया जाये और किसी तरह से अध्यक्ष पीठ के निर्देशों की अवहेलना न की जाये। उसका पालन निश्चित रूप से किया जाये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

एक जिज्ञासा है, जानकारी चाहता हूं कि आपने कह दिया कि दिल्ली में हमने किसी अपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति को टिकट दे दिया है। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट मिला है, तो मैंने स्पष्ट कर दिया

श्री प्रमोद तिवारी-

एक गलत जानकारी आ गयी, इनका कहना है कि इटावा में दिया गया है, शत्रुघ्न सिन्हा खलनायक हैं और अगर इनके नायक बनेंगे तो क्या होगा।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, इस देश में संविधान सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है। उससे ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है। आप इस सदन के सर्वमान्य ऐसे व्यक्ति हैं, आपके निर्देशों का अनुपालन और पालन हर दिशा में मानना जरूरी है। सी0पी0सी0, सी0आर0पी0सी0 और आई0पी0सी0 में तमाम धारायें दी हुई हैं, मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी को यह अधिकार नहीं है कि किसी को पकड़ कर गोली मार दे। मान्यवर, इसी सदन में मैंने एक सवाल उठाया था, सोहन पुत्र श्री राम चरन, मिर्जापुर को पुलिस ने मारा, अजय विश्वकर्मा, (सिगरा थाना) और राजेन्द्र सिंह (सैयद राजा थाना) को मारा, गया । इनको पकड़ा गया और मार दिया गया और इनके अपराधों का पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, और गोली से उड़ा दिया गया है। मैनपुरी की घटना है। मान्यवर, आपकी पीठ सर्वोपरि है, अभी दक्षिण भारत में विधान सभा के अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि अमुक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाये और सुप्रीम कोर्ट ने उसको छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन माननीय अध्यक्ष का आदेश माना गया और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गयी, आपका इतना बड़ा विशाल क्षेत्र है। विक्रमादित्य की

न्याय तुला पर आप बैठे हैं और जो निर्णय आप देते हैं, वह सर्वोपरि है। मान्यवर, आपकी पीठ से निर्देश हो गया बड़ी खुशी की बात है। एफ0आई0आर0 लाज हो गयी, लेकिन शंकायें प्रबल हो रही हैं, मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस से जांच न करायी जाये, बेहतर होगा कि सी0आई0डी0 से जांच करा दें। अगर आपके निर्देश का पालन नहीं होगा तो इस तरह की घटनायें भविष्य में घटती रहेंगी और आपके निर्देशों का पालन नहीं होगा। यह पूरे सदन की अवमानना है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि निर्देशों का पालन अवश्य हो और उस जगह की जांच पुलिस से न कराकर सी0आई0डी0 से कराई जाय।

श्री अध्यक्ष-

भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है चाहे अपराधी हो या अपराधी न हो इस अधिकार से उसको कानूनी प्रक्रिया के अन्तर्गत ही वंचित किया जा सकता है। जब यह प्रकरण सदन के सामने आया तो मैंने निर्देश दिया था कि जिलाधिकारी के सामने जो प्रार्थना पत्र दिया है उसको दर्ज कराकर जांच करा जी जाय। कल माननीय उपाध्यक्ष के सामने यह प्रकरण आया था तो उन्होंने कहा था कि एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर जांच करा ली जाय तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि एफ0आई0आर0 दर्ज कर दी गयी है। न तो मैंने और न माननीय उपाध्यक्ष ने यह निदेश दिया कि जांच किससे कराई जाये। पुलिस के ऊपर आरोप हैं कि इन्काउन्टर फर्जी हुआ इसकी जांच स्वयं आप लोग स्वीकार कर रहे हैं कि मजिस्ट्रेट के द्वारा हो रही है। माननीय बाबू राम जी का कहना है कि उसकी बेवा का पक्ष भी सामने आ जाय जिसमें उसने कहा है कि इन्काउन्टर या मुठभेड़ फर्जी है। एक अधिकारी जांच कर रहा है। वह जांच करने वाला पुलिस नहीं मैजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट जो जांच कर रहा है। उसके सामने तथ्य आयेंगे तो यह उचित होता कि उस बेवा के कथन पर भी वह विचार कर लें कि यह मुठभेड़ फर्जी हुयी या नहीं, जब मजिस्ट्रेट इस मुठभेड़ की जांच कर रहा है तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री से कहूंगा कि वह इस पहलू पर जांच कर लें कि जो उसकी बेवा का कथन है वह सही है या नहीं यदि नहीं है तो उसके बाद अग्रिम कार्यवाही होगी या नहीं।

दूसरी चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने इस सदन में उस प्रार्थना पत्र को दर्ज कराकर जांच करने का निदेश दिया है और अपेक्षा की जाती है कि जांच निष्पक्ष होगी, जांच को प्रभावित करने की मंशा इस सदन के किसी सदस्य की नही है। जांच निष्पक्ष हो, यही इच्छा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता-

मान्यवर, आपके निर्देशानुसार पूरी कार्यवाही की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, मैजिस्ट्रेट तो पुलिस के हर इन्काउन्टर की जांच करती है, ऐसी कोई जांच नहीं हे जिसको मैजिस्ट्रेट न करता हो ।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात पर भी मैजिस्ट्रेट विचार कर लेगा ।

श्री बाबूराम यादव-

मान्यवर, जो पुलिस का वर्जन होता है वही मैजिस्ट्रेट देता है अब रिपोर्ट दर्ज हो गयी है, रिपोर्ट में विवेचना होगी, मैजिस्ट्रेट जांच करेगा मैजिस्ट्रेट किसी मुकदमें की विवेचना नहीं कर सकता इसलिये मेरा अनुरोध हे और माननीय कैलाश नाथ जी ने भी कहा है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

नियम 300 के अन्तर्गत माननीय रवीन्द्र शुक्ल की सूचना नहीं आती है । उपरोक्त जो बातें मैंने कही है उसी के साथ इसको निस्तारित किया जाता है ।

**श्री भाऊराव देवरस के निधन पर आज उनके सम्मान में सदन को स्थगित किये का प्रस्ताव**

*राजस्व मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी)-

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता था कि अभी इस माननीय सदन ने माननीय भाऊराव जी के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया है और बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं उनका पार्थिव शरीर रखा गया है, हम लोग शोकमग्न हैं, उनके अन्तिम दर्शन करना चाहते हैं, मान्यवर, सदन के इस पक्ष के अनेकों माननीय सदस्यों की भावना ऐसी है कि वह वहां जाना चाहते हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि उनके अन्तिम दर्शन करने के लिये इस सम्मानित सदन के बहुत से माननीय सदस्य जाना चाहते हैं, मेरा अनुरोध है कि आज की सदन की कार्यवाही समाप्त करके हम लोगों को अन्तिम दर्शन करने का अवसर दें ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा-

मान्यवर, यह कोई परम्परा होती है, ऐसा प्रस्ताव माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल की तरफ से आता है ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)-

मेरा आपसे आग्रह यह है कि माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो सुझाव रखा है उससे हम सहमत हैं, लेकिन कदाचित जिस समय मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी शोक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रस्ताव रख रहे थे उसी समय कर दिया होता तो अच्छा होता । मैं आग्रह करूंगा कि निश्चित समय कर दें । 15-20 मिनट में माननीय सदस्य एक दो मिनट अपनी बात कह दें उसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दें ।

वित्त,संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

यह बात सही है कि मुझे यह कह देना चाहिए था लेकिन मैं कुछ भावुक हो गया था । शब्द नहीं निकल रहे थे । मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत करने की औपचारिकता निभाई थी । बाद में अनेक माननीय सदस्यों ने मुझसे कहा कि अगर अवकाश हो जाय तो हम लोग भी वहां पहुंचना चाहते हैं ।

**नियम 300, 311, 56 एवं 51 की दी गयी सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष द्वारा शासन को निर्देश**

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

इसको विवाद में नहीं लाना चाहता हूं । इतनी सूचनायें हैं, सब पर सुनने से क्या होगा । हम आश्वासन देते हैं, कि पूरे ध्यान से कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष-

मैं नियम 300, नियम 56 तथा नियम 51 सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं । नियम 300 के अंतर्गत जो सूचनायें हैं, वे नियम 300 में नहीं आती हैं, उन पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं । नियम 56 और नियम 311 की सूचनाओं पर भी ध्यान आकर्षित कर रहा हूं ।

**आजमगढ़ की घटनाओं की जांच आयोग की रिपोर्ट का प्रतिवेदन +**

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से आजमगढ़ की घटनाओं के जांच आयोग की रिपोर्ट प्रतिवेदन को ज्ञापन एवं संकल्प सहित जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

**उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992**

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अंतर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 मई, 1992 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 11 मई, 1992 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 13 मई, 1992 को वापस प्राप्त हो गया ।

---

+ छापा नहीं गया ।

## उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992

सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 149 के अंतर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश गोबध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 8 मई, 1992 को पूर्व पारित रूप में पुनः पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 12 मई, 1992 को वापस प्राप्त हो गया है ।

## उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुकत समिति (1991-92 ) का प्रथम प्रतिवेदन +

श्री राम प्यारे शुक्ल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1991-92) का प्रथम प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट 1984-85, 1985-86 तथा 1986-87 (वाणिज्यक ) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से संबंधित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

## उ0प्र0 विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1991-92) का द्वितीय प्रतिवेदन +

श्री राम प्यारे शुक्ल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं संयुक्त समिति, 1991-92 का द्वितीय प्रतिवेदन, जो सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति (1976-77) के विशेष प्रतिवेदन में नहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं ।

## उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1991-92 ) की तृतीय प्रतिवेदन +

श्री राम प्यारे शुक्ल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1991-92) का तृतीय प्रतिवेदन जो सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1987-88) के सातवें एवं सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1988-89) के आठवें तथा दसवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यन्वयन से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं ।

---

+ छापा नहीं गया ।

**उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1991-92) का चतुर्थ प्रतिवेदन +**

श्री राम प्यारे शुक्ल-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1991-92) का चतुर्थ प्रतिवेदन, जो नवम् विधान सभा की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (1988-89) के पन्द्रहवें, प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों का कार्यान्वयन से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं ।

**आज सदन के अनिश्चितकाल के स्थगन से बाकी बचे हुये वक्तव्य एवं चर्चाओं को अगले सत्र में लिये जाने का अनुरोध**

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसमें बहुत से वक्तव्य लगे हैं, चर्चायें लगी हुई हैं, अनुरोध है जो संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव लाये हैं, उससे सहमत हैं, इन वक्तव्य और चर्चाओं को अगले सत्र के लिये कर दें ताकि व्यपगत न हो ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य तो हो जाने दें उसमें तो थोड़ा समय लगेगा पुकार हो जायेगी, वह पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, बिल्कुल व्यपगत न होने पाये इसलिये अगले सत्र के लिये स्थगित कर दें ।

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य हो जाने दें, चर्चा स्थगित हो सकती है ।

**जनपद मऊ में नत्थूपुर के अन्तर्गत सूरजपुर तथा रोशनपुर को घाघरा नदी के कटाव से बचाने हेतु पक्का ठोकर बनवाने के संबंध में श्री गौरी शंकर आदि की याचिका ***

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सूरजपुर तथा रोशनपुर को घाघरा नदी के कटाव से बचाने हेतु पक्का ठोकर बनवाने के संबंध में श्री गौरीशंकर निवासी ग्रा व पो0 सूरजपुर, जनपद मऊ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

---

+ छापा नहीं गया ।
* छापी नहीं गयी ।

**जनपद नत्थूपुर के ग्राम दुबारी से बिल्थरा रोड जाने वाली सड़क पर हाहा नाले पर पुल बनवाने के संबंध में श्री राम भवन यादव की याचिका +**

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

जनपद मऊ के नत्थूपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम दुवारी से बिल्थरा रोड पर जाने वाली सड़क पर हाहा नाले पर पुल बनवाये जाने के संबंध में श्री राम भवन सिंह यादव, निवासी ग्राम अहिरपुर, जनपद मऊ आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

व्यवधान

**आज सदन के अनिश्चित काल के स्थगन से नियम 311 एवं 56 की दी गयी सूचनाओं को नियम 51 में परिवर्तित करके अगले सत्र में वक्तव्य दिलाने की मांग**

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, 311 की सूचनाओं को भी 56 में परिवर्तित कर दिया जाय आप 51 में उन सबको करके वक्तव्य अगले सत्र में दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि सब पर ध्यान आकर्षित कर दें।

श्री विजय सिंह राणा-

जो नियम 311 और 56 में दी गई है उनको 51 में परिवर्तित कर दें । मान्यवर, अगले सत्र में उन पर वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष-

वह तो लैप्स हो जायेंगी ।

**प्रदेश में राज्य सरकार के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की भांति डी0ए0 दिये जाने की घोषणा का कार्यान्वयन न होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न**

(व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द सिंह-

माननीय उपाध्यक्ष जी, दिनांक 23 को मैंने एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न उठाया था, राज्य कर्मचारियों को डी0ए0 का 71 परसेन्ट दिये जाने के बारे में तो उस समय आपने यह कहा था कि सदन के आखिरी दिन शून्य प्रहर में इसे उठायें । मान्यवर, यह अभी तक लागू नहीं हो पाया है और यह एक लमिटेड एक्सपेंडीचर है केन्द्र सरकार के साथ लागू होना चाहिये था मगर नहीं हुआ है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी यह कहा था कि बहुत जल्दी ही मैं इसे लागू करूंगा लेकिन अभी हुआ नहीं है । यह लाखों कर्मचारियों का सवाल है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसे 1 मई, से लागू करके नकद भुगतान कराया जाय । इसकी घोषणा तो केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये की गई घोषणा के एक हप्ते के अन्दर हो जानी चाहिये थी लेकिन अभी तक नहीं हुई है तो इसे तत्काल लागू किया जाये ।

---

+ छापी नहीं गई ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सुरेन्द्र सिंह जी आपकी सूचना का निस्तारण हो गया है । यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है लेकिन मैंने इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया है । अब आप मुझे मद संख्या 13 ले लेनें दें ।

**आज सदन के अनिश्चितकाल के स्थगन से नियम 311 एवं 56 की दी गई सूचनाओं को नियम 51 में परिवर्तित करके अगले सत्र में उन पर वक्तव्य दिलाने की मांग (क्रमागत)**

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, आपने नियम 311 को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया है। नियम 56 और नियम 300 की कुछ सूचनायें शेष रह गई हैं और आप इसको नियम 51 में परिवर्तित करके इन पर वक्तव्य दिला दीजिये ।

श्री अध्यक्ष-

नियम 300 का निस्तारण कर दिया गया है । कुछ सूचनायें 311 और 56 की शेष रह गई हैं, मैंने इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया है।

श्री कैलाश नाथ सिंह यादव-

मान्यवर, इसे नियम 51 में स्वीकार करके वक्तव्य में सुन लें ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं माननीय कैलाश नाथ सिंह यादव जी की बात पर बल देता हूं और कहना चाहता हूं कि आपने सत्रावसान तो तकनीकी रूप से अभी किया नहीं है, आप यही कहेंगे कि हम अनिश्चितकाल के लिये उठते हैं, सत्रावसान की अनुमति तो राज्यपाल ही देंगे तो जब सत्रावसान हुआ नहीं है तो जब अगली बैठक हो तो उस समय इन वक्तव्यों को ले लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने उन सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया है। अगली बैठक जब हो तो माननीय सदस्य इसे पुनः उठा सकते हैं, अब मुझे मद संख्या 13 लेने दें ।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, जब माननीय राजस्व मंत्री जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का प्रस्ताव बिना किसी विरोध के विपक्ष के माननीय सदस्यों ने मान लिया तो फिर एक छोटी सी बात को, जो जनहित की समस्या है, इसे मान लेने में इन्हें क्या आपत्ति है । आप नियम 56 और 311 की सभी सूचनाओं को नियम 51 के अंतर्गत

परिवर्तित कर दें और जब भी सत्र आहूत हो उस पर वक्तव्य दिला दिया जाये। जब आपने प्रस्ताव लाकर एक नयी परम्परा की शुरुआत कर दी है तो फिर इसमें भी नयी परम्परा क्यों नहीं डाल देते हैं। ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा था। अगर सत्रावसान हो गया हो तो यह सब व्यपगत हो जायेंगे । मैंने इन सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट करा दिया है, और आप स्वतंत्र हैं, जब अगली विधान सभा की बैठक होगी तब आप इस विषय को पुनः उठा सकते हैं । अब आप लोग मुझे मद संख्या 13 लेने दें।

(विरोध पक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान हो गया।)

**जनपद महराजगंज के टाण्डा एवं प्यास नदियों का जल प्रदूषित हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य**

*वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

जनपद महराजगंज के अंतर्गत प्रश्नगत टाण्डा एवं . . .

(पढ़ा हुआ माना जाय की आवाजें)

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

(प्यास नदियां सीमावर्ती देश नेपाल से निकलकर जनपद महराजगंज उ0प्र0 भारत की सीमाओं में प्रवेश करती हैं। नैपाल देश की मे0 महेन्द्र शुगर फैक्ट्री एण्ड जनरल इण्डस्ट्रीज, भैरहवां के शुगर एवं डिस्टलरी इकाईयों का प्रदूषित उत्प्रवाह ग्राम बनवाई, नैपाल में स्थित चमड़े के मिल का प्रदूषण उत्प्रवाह घघ्घर नाले के माध्यम से डाण्डा नदी में निस्तारित किया जाता है। इसी प्रकार नैपाल से निकली चन्दन नदी (जो आगे चलकर प्यास नदी के नाम से जानी जाती है) मे0 सोनवाल शुगर फैक्ट्री सोनवाल नैपाल से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह निस्तारित किया जाता है। यह दोनों नदियां रोहिन, नारायणी नदी होते हुये गंगा नदी में मिल जाती हैं। तहसीलदार नौतनवां के अनुसार प्यास नदी गर्मियों में सूख जाया करती है। इन दोनों नदियों में जल प्रदूषण के कारण समय समय पर नदी जल में मछलियों के मरने तथा इस पानी के पीने से पशुओं में बीमारियां पैदा होने की सूचना प्राप्त हुई है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः-( ) यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस प्रदूषण के संबंध में विस्तृत परीक्षण एवं उसके निदान हेतु सुझाव दिये जाने हेतु आयुक्त गोरखपुर, मण्डल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गयी है। जिसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य, चिकित्सा एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मण्डल स्तर के अधिकारी सदस्य हैं। उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि आवश्यकता हुई तो भारत सरकार के माध्यम से नैपाल सरकार से प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया जायेगा ।)

श्री अखिलेश-

मान्यवर, मैं इस पर दो स्पष्टीकरण चाहूंगा। जो वक्तव्य दिया गया है इसमें स्वीकार किया है कि दोनों नदियों में प्रदूषित जल प्रवाहित होता है। इसमें यह भी स्वीकार किया गया है, कि मछलियों के मरने की सूचना प्राप्त हुई है, तो मान्यवर, इसके बाद उच्चस्तरीय समिति गठित करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार से आग्रह करना चाहिये कि वह नैपाल सरकार को यह निर्देश दें कि इन नदियों में जहां प्रदूषित जल प्रवाहित किया जाता है, वहां शुद्धिकरण यंत्र लगाये जायें। जब सारे तथ्य आ गये हैं, तो कमेटी गठित करने का कोई औचित्य नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि इस उत्तर में पहले ही बड़ा स्पष्ट है कि सभी तथ्यों की समीक्षा की जायेगी और आवश्यकता पड़ने पर समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नैपाल से सरकार से प्रदूषण नियंत्रण हेतु अनुरोध किया जायेगा ।

श्री विजय सिंह राणा-

मान्यवर, गांवों में अफसरों ने कालोनाइजर्स ने जमीनें लीं थीं ...

श्री अध्यक्ष-

आप किस विषय पर बोल रहे हैं, और किस नियम में ?

श्री विजय सिंह राणा-

नियम 56 में बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

अभी उसको ले लेंगे। मद संख्या 14 आने तो दीजिये ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय-

मान्यवर, हम लोगों को वक्तव्य की कापी तो दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां वितरित तो की जा रही हैं।

## सदन के अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं अनिश्चितकाल के लिये, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रस्ताव लायें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने रखा है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 15 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया ।)

**प्रेम चन्द्र सक्सेना,**
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ:
13 मई, 1992

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी "क"

(देखिये अता0प्र0सं0 43 का उत्तर पीछे पृष्ठ 55 पर)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
जल विद्युत उत्पादन खण्ड,
उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद्
लोहिया हैड बायो, पीलीभीत।

संख्या 3059/वि0उ0/ख0/ -13 दिनांक 11-10-90

विषय:-श्री बाबूराम मौर्य, सहायक अध्यापक के सेवा अभिलेखों के संबंध में।

अधिशासी अभियन्ता
संयंत्र एवं भण्डार खण्ड,
एवं
प्रबन्धक विद्युत परिषद् हायर सेकेण्डरी स्कूल,
टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना
पत्रालय विद्युत नगर, जनपद फैजाबाद।

---

आपके पत्र संख्या 810/टी0टी0पी0पी0/स0 एवं भ0 खण्ड/स्कूल/बी0आर0, दिनांक 8-10-90 के उपरोक्त संदर्भ में सूचित करना है कि श्री बाबूराम मौर्य, स0 अध्यापक के संबंध में मांगी गई वांछित सूचना बिन्दुवार निम्नलिखित है :-

1-श्री बाबूराम मौर्य, स0अध्यापक की ज्येष्ठता इस विद्यालय के अनुसार छठवें स्थान पर है। इनका नियुक्ति पत्र संलग्न किया जा रहा है।

2-यहां का विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक संचालित है तथा इसमें 6 सहायक अध्यापकों को प्राइमरी वेतनमान 1100-1575 तथा 4 स0अध्यापकों को सी0टी0 ग्रेड वेतनमान 1200-1800 मिल रहा है।

3-यदि श्री मौर्य इस विद्यालय में होते तो उन्हें 1100-1575 का मिलता।

4-ज्येठता क्रमांक के अनुसार इस विद्यालय में श्री मौर्य से ऊपर वाली अध्यापिका को वेतनमान 1100-1575 दिया जा रहा है।

5-- 1-4-84 से पूर्व सभी अध्यापकों के वेतनमान एक समान पर 1-4-84 से परिषद् द्वारा वर्गीकरण के फलस्वरूप जूनियर हाईस्कूल सी0टी0 ग्रेड को वेतनमान 1200-1800 तथा प्राइमरी सेक्शन वालों को वेतनमान 1100-1575 कर दिया गया। अतः उक्त वर्गीकरण के अनुसार जूनियर हाईस्कूल, लोहियाघाट में कार्यरत अध्यापकों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर 1-4-84 से 1200-1800 का वेतनमान दिया गया है।

6-श्री मौर्य की नियुक्ति कक्षा 1 से कक्षा 8 तक पढ़ाने हेतु हुई थी।

7-यहां का विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है।

8-श्री मौर्य की नियुक्ति उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा की गयी थी।

अतः आपके द्वारा वांछित विन्दुवार सूचना पत्रवाहक के द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जा रही है

संलग्नः एक नं0

अरविन्द कुमार गुप्ता,
अधिशासी अभियंता।

संख्या 3059/वि0उ0ख0/13 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता ज0वि0उ0म0 कालागढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

अरविन्द कुमार गुप्ता,
अधिशासी अभियन्ता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी "ख"

(देखिये अता0प्र0सं0 50 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर)

पंजीकृत

करनैल सिंह,
गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

अर्द्धशा0पत्रांक-1139-42/पांच-1/1-
क्रय शुर0/90-91/प्रतापपुर ।
लखनऊ, दिनांक 3/6, 1991

प्रिय श्री राजेश,

इस कार्यालय के सुरक्षण आदेश संख्या 42/सी/पांच-1/1-क्रय सुर/90-91, दिनांक 28-10-1990 एवं इसी क्रम में प्रसारित तत्संबंधी आदेश संख्या 57/सी/पांच-1/1-क्रय सुर0/90-91/बन्दी, दिनांक 4-3-91 द्वारा चीनी मिलों से अपेक्षा की गयी थी कि वह अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में पेराई हेतु उपलब्ध समस्त गन्ने की पेराई समाप्त कर लिये जाने का प्रमाण-पत्र अपने संबंधित जिला गन्ना अधिकारी एवं उप गन्ना आयुक्त से प्राप्त करते हुये इस कार्यालय से चीनी मिल बन्द करने की पूर्व अनुमति प्राप्त करें, परंतु चीनी मिल, देवरिया एवं प्रतापपुर ने निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित नहीं किया और इस कार्यालय से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना ही चीनी मिल से सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में पेराई हेतु उपलब्ध गन्ना बिना पेराई के किये ही प्रतापपुर चीनी मिल ने दिनांक 12-5-1991 से तथा देवरिया चीनी मिल ने दिनांक 14-5-1991 से पेराई सत्र 1990-91 हेतु अन्तिम रूप से चीनी मिलों को बन्द कर दिया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति तथा खरीद विनियमन अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (1) (2) (3) एवं शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर, 1966 के आदेश संख्या 6 (1) ए का उल्लंघन पाया गया, जो उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम,1953 की धारा 22 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

2- अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि गम्भीर अनियमितता हेतु अध्यासी उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि0 .इकाई, देवरिया एवं प्रतापपुर शुगर मिल्स लि0 प्रतापपुर, देवरिया के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में विधिवत् रूप से अभियोजन दायर करने की तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें । न्यायालय में अभियोजन दायर करने हेतु संबंधित रिकार्ड उप गन्ना आयुक्त, देवरिया, एवं जिला गन्ना अधिकारी, देवरिया, से प्राप्त कर लें । कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें। ध्यान रहे इसमें किसी प्रकार की शिथिलता को गम्भीरता से लिया जायेगा।

भवदीय
**करनैल सिंह,**

श्री राजेश मोहन,
गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त,

पत्रांक 1139 (1)-42/पांच-1/1-क्रय शुर0/90-91/प्रतापपुर, तद्दिनांक

1-प्रतिलिपि उपर्युक्त के संदर्भ में जिला गन्ना अधिकारी एवं उप गन्ना आयुक्त, देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त के संबंध में तत्काल वर्तमान स्थिति से गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, देवरिया को अवगत कराने की व्यवस्था करें तथा दोनों चीनी मिलों के लिये जो भी आदेश पारित किये गये हों एवं पत्र व्यवहार हुआ हो, से संबंधित समस्त अभिलेख गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त को उपलब्ध कराने की अविलम्ब व्यवस्था करें, ताकि दोनों चीनी मिलों के विरुद्ध अभियोजन दायर करने संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सके। यदि उक्त मिल क्षेत्र में कोई गन्ना पेराई हेतु अवशेष रह गया हो, तो उसे मिल के व्यय पर समीपवर्ती चीनी मिलों को आपूर्ति कराने की व्यवस्था करायी जाय।

2-जिलाधिकारी, देवरिया को उक्तानुसार कार्यवाही कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

**करनैल सिंह**
गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

## नत्थी "ग"

(देखिये अता0प्र0सं0 71 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67-68 पर)

संलग्नक

### जनपद देवरिया में हाटा तहसील के अंतर्गत नलकूपों का विवरण

| क्रमांक | ब्लाक का नाम | ग्राम का नाम | नलकूप संख्या/ समूह | 29-2-92 को नलकूपों की स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | सुकरौली | पिपरा हुमेल | 1 एच0जी0 | कार्यरत हैं। |
| 2 | तदैव | पिपरा तिवारी | 2 एच0जी0 | तदैव |
| 3 | तदैव | ढाढा | 3 एच0जी0 | तदैव |
| 4 | तदैव | भगवानपुर | 7 एच0जी0 | तदैव |
| 5 | तदैव | सुकरौली | 16 एच0 जी0 | तदैव |
| 6 | तदैव | पडुरी | 21 एच0जी0 | तदैव |
| 7 | तदैव | बेंलवा | 35 एच0जी0 | तदैव |
| 8 | तदैव | सेमरी महेशपुर | 1 जी0बी0जी0 | तदैव |
| 9 | तदैव | पिपरा लालमन | 6 जी0बी0जी0 | तदैव |
| 10 | तदैव | पडुरी | 9 जी0बी0जी0 | तदैव |
| 11 | तदैव | तदैव | 12 जी0बी0जी0 | तदैव |
| 12 | हाटा | हथिया देवरिया | 5 एच0जी0 | तदैव |
| 13 | तदैव | गोपालपुर | 6 एच0जी0 | तदैव |
| 14 | तदैव | चरमहा | 13 एच0जी0 | तदैव |
| 15 | तदैव | परशुरामपुर | 14 एच0 जी0 | तदैव |
| 16 | तदैव | बाघनाथ | 17 एच0जी0 | तदैव |
| 17 | तदैव | महुई | 34 एच0जी0 | तदैव |
| 18 | तदैव | पटनी | 41 एच0जी0 | तदैव |
| 19 | तदैव | पतया | 45 एच0जी0 | तदैव |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | कप्तानगंज | पड़ौली | 10 एच0जी0 | कार्यरत हैं। |
| 21 | तदैव | महुआखुर्द | 11 एच0जी0 | तदैव |
| 22 | तदैव | घोड़ादेऊ | 12 एच0जी0 | तदैव |
| 23 | तदैव | मोहनमुन्डेवा | 18 एच0जी0 | तदैव |
| 24 | तदैव | बोलिया | 19 एच0जी0 | तदैव |
| 25 | तदैव | कप्तानगंज | 20 एच0जी0 | तदैव |
| 26 | तदैव | इन्दरपुर | 24 एच0 जी0 | तदैव |
| 27 | तदैव | कप्तानगंज | 46 एच0जी0 | तदैव |
| 28 | मोतीचक | अजीजनगर | 22 एच0जी0 | तदैव |
| 29 | तदैव | पकौली | 23 एच0जी0 | तदैव |
| 30 | तदैव | सानिया | 25 एच0जी0 | तदैव |
| 31 | तदैव | सोडरा | 26 एच0जी0 | तदैव |
| 32 | तदैव | पकड़ी | 27 एच0जी0 | तदैव |
| 33 | तदैव | खाखिया | 29 एच0जी0 | तदैव |
| 34 | तदैव | मधौली | 31 एच0जी0 | तदैव |
| 35 | तदैव | सिसवा बेलवनी | 32 एच0जी0 | तदैव |
| 36 | तदैव | डमरी | 33 एच0जी0 | तदैव |
| 37 | रामकोला | पखरपार | 47 एच0जी0 | तदैव |
| 38 | तदैव | सोहरौना | 30 एच0जी0 | तदैव |
| | | **पुनः छिद्रित नलकूप** | | |
| 39 | सकरौली | टेकआटार | 15 एच0जी0 | कार्यरत नहीं हैं। |
| 40 | तदैव | पैकौली | 5 जी0बी0बी0 | तदैव |

विधान परिषद सचिवालय

## नत्थी "घ"

(देखिये अता0प्र0सं0 100 का उत्तर पीछे पृष्ठ 81 पर)

**नलकूप खण्ड प्रथम बदायूं में खण्डीय संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों के पदों की स्थिति**

| श्रेणी | संवर्ग | कार्यरत कर्मचारियों की संख्या | कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के आधार पर आरक्षण प्राप्त सृजित पदों की सं0 | अनु0जाति के कार्यरत कर्मचारियों की संख्या | 8 प्रतिशत कोटे से कमी (-) या अधिकता (+) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| (ग) | सहायक मानचित्रकार | 1 | - | 1 | +1 |
| | अनुरेखक | 1 | - | - | - |
| | सींचपर्यवेक्षक | 11 | 2 | 2 | - |
| | मुंशी | 7 | 1 | - | -1 |
| | कूपचालक | 181 | 33 | 30 | -3 |
| | मिस्त्री | 28 | 5 | 4 | -1 |
| | चालक | 4 | 1 | - | -1 |
| | मेकेनिक | 4 | 1 | 2 | +1 |
| | टर्नर | 1 | - | - | - |
| | सहायक मेकेनिक | 1 | - | - | -4 |
| | | 240 | 45 | 39 | -4 |
| (घ) | क्लीनर | 1 | - | - | - |
| | स्टोर परिवार | 1 | - | - | - |
| | चपरासी | 10 | 2 | - | -2 |
| | हेल्पर | 6 | 1 | 1 | - |
| | चौकीदार | 5 | 1 | 1 | - |
| | वाटरमैन | 1 | - | - | - |
| | वर्कन्दाज | 3 | 1 | - | -1 |
| | वेलदार | 3 | 1 | 2 | +1 |
| | वाटरमैन कम माली | 1 | - | - | - |
| | रनर | 29 | 5 | 2 | -3 |
| | मेट | 15 | 3 | 3 | - |
| | स्टोर अटेन्डेन्ट | 1 | - | - | - |
| | मेहतर | 1 | - | 1 | +1 |
| | रिवाइन्डर का सहायक | 1 | - | - | - |
| | | 78 | 14 | 10 | -4 |

## नत्थी "ड"

(देखिये अता0प्र0सं0 103 का उत्तर पीछे पृष्ठ 83पर)

| उपभोक्ता का नाम | बकाया धनराशि |
|---|---|
| **नगरीय विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम) वाराणसी** | |
| 1-जिला कृषि अधिकारी, वाराणसी | रु0 24,113.53 |
| 2-प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका विद्यालय, वाराणसी | रु0 53,509.40 |
| 3-सहायक अभियन्ता नलकूप प्रखण्ड सिंचाई विभाग, वाराणसी । | रु0 19,74,778.70 |
| 4-क्षेत्रीय खेल अधिकारी, वाराणसी | रु0 72,287.72 |
| 5-सचिव, विकास प्राधिकरण, वाराणसी | रु0 2,65,465.29 |
| 6- संयुक्त निदेशक, उद्योग, वाराणसी | रु0 1,23,839.55 |
| 7-मुख्य नगर अधिकारी, न0म0पा0, वाराणसी | रु0 2,95,825.00 |
| 8-उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा, चेतगंज, वाराणसी | रु0 2,46,070,19 |
| 9-पुलिस विभाग | रु0 1,29,964.00 |
| 10-आलोक विभाग, न0म0पा0, वाराणसी | रु0 2,30,06,017.43 |
| 11-जल संस्थान, वाराणसी | रु0 9,43,40,372.85 |
| **नगरीय विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय) वाराणसी** | |
| 1-प्रशासनिक विभाग | रु0 8,47,676.92 |
| 2-पुलिस विभाग | रु0 4.47,057.88 |
| 3-चिकित्साधिकारी, वाराणसी | रु0 4,05,146.01 |
| 4-लोक निर्माण विभाग | रु0 6,39,898.50 |
| 5-शिक्षा विभाग | रु0 4,49,853.27 |
| 6-रेलवे स्टेशन, शिवपुर, वाराणसी | रु0 1,99,875.04 |
| 7-सेन्ट्रल एक्साइज विभाग | रु0 6,00,000.00 |
| 8-उप नगर अधिकारी, नगर महापालिका, वाराणसी | रु0 13,841.05 |
| 9-आयकर कार्यालय | रु0 39,052.20 |
| 10-टेलीग्राफ/टेलीफोन कार्यालय | रु0 77,119.48 |
| 11-ट्यूबबेल कार्यालय/यल0एस0जी0ई0डी0 कार्यालय । | रु0 2,56,939.10 |
| 12-डिप्टी डायरेक्टर, भारतीय जनसंख्या विभाग। | रु0 1,77,005.38 |

| उपभोक्ता का नाम | बकाया धनराशि |
|---|---|
| 13-फिक्रीकर कार्यालय | रु0 1,47,592.88 |
| 14-सेन्ट्रल जेल, शिवपुर | रु0 60,853.24 |
| 15-जलनिगम | रु0 4,20,30,779.54 |

**नगरीय विद्युत वितरण खण्ड (तृतीय) वाराणसी**

| | |
|---|---|
| 1-सहायक अभियंता, नेशनल हाइवे डी0 एन. नं-1 वरुणा ब्रिज । | रु0 40,159.80 |
| 2-अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, यांत्रिक शाखा- द्वितीय। | रु0 9,68,147.88 |
| 3-जल संस्थान ट्यूबबेल, भेलुपुरा, वाराणसी | रु0 59,83,772.57 |
| 4-पुलिस अधीक्षक, चौक पुलिस स्टेशन, चौक | रु0 1,24,811.00 |
| 5-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कन्ट्रोल रूम, कोतवाली । | रु0 5,086.87 |
| 6-डिप्टी एस0पी0 (सिटी) पुलिस आफिसर रेजीडेंस, मैदागिन, कोतवाली । | रु0 8,707.30 |
| 7-वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कान्सटेबुल क्वार्टर आदमपुरा । | रु0 385.28 |
| 8-सचिव, हिन्दू सेवा सदन हास्पिटल, वाराणसी । | रु0 2,06,075.64 |
| 9-सचिव, बल्लभ मेहता हास्पिटल, रामघाट वाराणसी । | रु0 1,34,769.56 |
| 10-सचिव, जामिया हास्पिटल, पीलीकोठी, वाराणसी । | रु0 7,955.66 |
| 11-अधिशासी अधिकारी, बी0एम0बी0,आई0 डी0एम0 हास्पिटल, वाराणसी । | रु0 1,64,350.96 |
| 12-सिविल सर्जन, सारनाथ स्टेट डिस्पेंसरी, सारनाथ । | रु0 19,405.04 |
| 13-प्रधानाचार्य, सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ हायर तिब्बती इस्टडीज, सारनाथ । | रु0 1,77,018.59 |
| 14-काशी रेलवे स्टेशन | रु0 4,85,223.11 |
| 15-इन्सपेक्टिव असिस्टेंट कमिश्नर, इंकमटैक्स स्टाफ, मवैया । | रु0 1,74,561.00 |
| 16-प्रधानाचार्य, राजकीय नार्मल स्कूल, मवैया | रु0 29,195.91 |

विधान सभा

| उपभोक्ता का नाम | बकाया धनराशि |
|---|---|
| **विद्युत उत्पादन खण्ड, वाराणसी** | |
| 1-जनरल मैनेजर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, भवनगर, वाराणसी । | रु0 3,86,858.67 |
| 2-डिवीजनल फारेस्ट आफिसर, जलीलपुर, रामनगर । | रु0 97,894.19 |
| 3-कमांडेन्ट, 5 बटालियन, पी0ए0सी0, रामनगर | रु0 13,976.78 |
| 4-सिविल सर्जन, लवेट अस्पताल, रामनगर, | रु0 9,76,104.04 |
| 5-कमान्डेन्ट, 6 बटालियन, रामनगर | रु0 3,4,218.22 |
| 6-प्राचार्य, आर0के0राजकीय बालिका विद्यालय, रामनगर | रु0 25,523.33 |
| 7-प्राचार्य, राजकीय विद्यालय, रामनगर | रु0 99,720.28 |
| 8-डिप्टी कन्ट्रोलर, सिविल डिफेन्स, रामनगर | रु0 74,990.78 |
| 9-डिवीजनल रेल मैनेजर, डीजल लोकोसेड, मुगलसराय । | रु0 11,92,058.55 |
| 10-डायरेक्टर सेकेन्ड सेंसस डिवीजन प्लाट नं0 23/56, संकटमोचन । | रु0 17,540.66 |
| 11-डिस्ट्रिक लाइव स्टाक, रामनगर | रु0 21,996.46 |
| 12-पुलिस कप्तान, पुलिस स्टेशन, रामनगर | रु0 16,854.18 |
| 13-लेबर आफिसर, नाटी इगली, वाराणसी | रु0 25,127.97 |
| 14-सिंचाई विभाग एस0टी0डब्लू0 | रु0 43.13 लाख |
| 15-गवर्नमेंट प्रिन्टिंग प्रेस, रामनगर, | |
| 16-कमान्डेट, 36 बटालियन, रामनगर | |

उत्तर प्रदेश सरकार

## नत्थी "च"

(देखिये अता0प्र0सं0 115 का उत्तर पीछे पृष्ठ 89 पर)

**जनपद सिद्धार्थनगर में विधान सभा क्षेत्र शोहरतगढ़ के अन्तर्गत आंशिक आने वाले विकास खण्डों में 01-4-89 से 31-3-92 तक विद्युतीकृत ग्रामों की सूची**

| क्रम सं0 | विकास खण्ड | विद्युतीकृत ग्राम |
|---|---|---|
| 1 | वर्डपुर | ऊजी |
| 2 | | जमहवा उर्फ बनाई |
| 3 | | कलान |
| 4 | | वर्डपुर नं0 13 टोला काशीपुर |
| 5 | | रतनपुरवा |
| 6 | | रमवापुरटोला मुशहरा |
| 7 | | परसा |
| 8 | | चकई जोत टोला कचनिया |
| 9 | | मुसहरी |
| 10 | | शिवपुर |
| 11 | | पकरिहवा |
| 12 | | फालीपुर |
| 13 | नौगढ़ | सिकरी बखरिया |
| 14 | | छोड़रा ग्राट |
| 15 | | केसारा |
| 16 | | रेहरा |
| 17 | | पुरैना |
| 18 | जोगिया | हरदासपुर उर्फ नेऊरा |
| 19 | | करौंदा |
| 20 | | भिटियामिश्र |
| 21 | | जखौलिया |
| 22 | बढ़नी | महादेव बुर्जा |
| 23 | | सहिलवार |
| 24 | | बसन्तपुर |
| 25 | | महथा |
| 26 | | परसोहिया नानकर |
| 27 | | धनौरा बुर्जा, |
| 28 | | टीसम |

पी0एस0यू0पी0 एल0 226 विधान सभा- (378)-1992-572- (ई0टी0)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा